07 DEC 2005

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

वाणिज्यिक

बिहार सरकार

http:\\cagindia.org\states\bihar\2004

विषय–सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix-xiii
अध्याय–I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा. क्षे. उ.)	1.2 से 1.14	1–8
अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1.15 से 1.19	9
सा. क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा	1.20	10
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.21	10
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन	1.22	10
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा. क्षे. उ. की लेखापरीक्षण का परिणाम	1.23 से 1.27	11–13
आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण	1.28	13–14
लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार विमर्श की स्थिति	1.29	14
619–बी कम्पनियाँ	1.30	15
अध्याय–II		
सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा		
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		
मुख्य अंश	–	16
प्रस्तावना	2.1	16–17
संगठनात्क ढाँचा	2.2	17
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	2.3	17–18
निधियों का श्रोत	2.4	18
वित्तीय स्थिति और कार्यकलाप परिणाम	2.5 से 2.5.3	18–20
केन्द्रीय और राज्य सहायता	2.6	20–21
संरचना	2.7 से 2.7.3	21–22
राज्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का परित्याग	2.7.4	23
परिचालन निष्पादन	2.8 से 2.8.1	23
पट्टे पर देना	2.9	24
पर्यटन की संवृद्धि और कम्पनी का हिस्सा	2.10	24
आवास	2.11 से 2.11.3	24–26
भोजन प्रबन्ध	2.12	26
प्रचार कार्य	2.13	26–27
आवंटन	2.14	27
आंतरिक लेखापरीक्षा	2.15	27
निष्कर्ष	–	27

अध्याय–III		
सांविधिक निगमों से संबंधित समीक्षाएँ		
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन	**3.1**	
मुख्य अंश	–	28–29
प्रस्तावना	3.1.1	29
संगठनात्मक ढ़ाँचा	3.1.2	29
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.1.3	29–30
निधियों के श्रोत और उपयोग	3.1.4 से 3.1.6	30–33
योजनाओं का कार्यान्वयन	3.1.7 से 3.1.25	33–41
कुटीर ज्योति योजना	3.1.26 से 3.1.27	41–42
निर्माण/विद्युतीकरण का बेमेल होना	3.1.28	42–43
राज्य योजना के अधीन योजनाओं का निष्पादन	3.1.29 से 3.1.30	44–47
सामग्रियों का क्रय	3.1.31	48
पी. एस. सी. पोल उत्पादक इकाइयाँ	3.1.32	48
निष्कष	–	48–49
बिहार राज्य वित्तीय निगम का वसूली निष्पादन		
मुख्य अंश	–	50
प्रस्तावना	3.2.1	50
संगठनात्मक ढाँचा	3.2.2	51
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	3.2.3	51
ऋण वसूली की प्रक्रिया	3.2.4	51–52
वित्त के श्रोत और उपयोगिता	3.2.5	52
वसूली निष्पादन	3.2.6 से 3.2.8	52–55
बकायों का विश्लेषण	3.2.9	55
मौद्रिक मूल्य के रूप में बकाए ऋण और ब्याज का वर्गीकरण	3.2.10	56
कम और गैर–वसूली के कारण	3.2.11 से 3.2.13	56–58
अतिदेयों की वसूली बढ़ाने के लिए निगम द्वारा अपनाए गये उपाय	3.2.14 से 3.2.16	58–60
राज्य वित्त निगम की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत जारी नोटिसों का तकाजा नहीं होना	3.2.17	60
राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत इकाइयों की बिक्री	3.2.18	60–61
व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने में विफलता	3.2.19	61–62
राज्य वित्त निगम की धारा 32(जी) के अंतर्गत वसूली की कारवाई	3.2.20	62

परिसंपत्तियों का अस्तित्व नहीं होना/आंशिक अस्तित्व होना		3.2.21	62
बंधकित/मालबंधित परिसंपत्तियों का गायब/चोरी होना		3.2.22	62–63
आंतरिक लेखापरीक्षा		3.2.23	63
निष्कर्ष		–	63
अध्याय–IV			
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के कार्य संपादन पर लेखापरीक्षा का प्रेक्षण		**4**	
सरकारी कम्पनियाँ			
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम			
अविवेकी निवेश		4.1	64–65
बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड			
राजस्व की हानि		4.2	65–66
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड			
खाद्यान्न के आंतरिक जाँच/नियंत्रण तथा भौतिक सत्यापन के अभाव के कारण हानि		4.3	66
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब		4.4	66–71
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड			
आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियाँ		4.5	71–79
ग्रीड अनुशासन का अनुपालन नहीं होने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय		4.6	79–81
निधि का अवरूद्धिकरण एवं ब्याज की हानि		4.7	81–82
अतिरिक्त परिहार्य व्यय		4.8	82–83
राजस्व की हानि		4.9	83–84
सामान्य			
निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया		4.10	84–85
परिशिष्ट			
1.	31 मार्च 2004 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, आयव्यक से वर्हिगमन, आय व्यय से दिये गए ऋणों को दर्शाने वाली विवरणी	1.3, 1.5 एवं 1.6	89–96
2.	सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें, जिनका लेखा सम्पूर्ण हो गया था, उनके अद्यतन वर्ष का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.7,1.13,1.18 1.19	97–105

3.	वर्ष के दौरान प्राप्त साहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तन किया गया ऋण एवं मार्च 2004 के अंत तक प्राप्त साहाय्य तथा बकाये प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.5, 1.16	106–107
4.	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	1.7	108–110
5.	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम की विवरणी	1.7	111–112
6.	सांविधिक निगमों के परिचालन निष्पादन को दर्शाने वाली विवरणी	1.12	113–116
7.	बंद की जाने वाली बिहार की सरकारी कम्पनियों के नाम	1.20	117–118
8.	कम्पनियों के आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रेक्षण	1.28	119
9.	अद्यतन अंतिमीकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619 (बी) कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शाने वाली विवरणी	1.30	120–121
10.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों एवं रेस्तराओं (स्व–प्रबंधन वाले और पट्टे पर दिए गए) के ब्यौरे दर्शाती विवरणी	2.1	122
11.	बि. रा. प. वि. नि. लिमिटेड की वित्तीय स्थिति	2.5.1	123
12.	रेस्तराओं के 2002–03 तक के चार वर्षों का कार्यकारण लाभ (+) हानि (–) का विवरण	2.8.1	124
13.	सामग्रियों का तुलनात्मक दर	3.1.20	125
14.	वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के लिए वित्त के स्रोत एवं उपयोग	3.2.5	126
15.	वसूली की स्थिति	3.2.8	127–128
16.	पात्र इकाइयों के ब्यौरे जिनके मामले एक मुश्त निपटारा योजना के अंतर्गत नहीं निपटाए गए	3.2.14	129
17.	बकाया मूलधन से कम राशि पर बेची गई इकाइयों के ब्यौरे	3.2.15	130
18.	शा. स्त. मू. नि. दल/नि. स्त. मू. नि. दल मूल्य से कम पर बेची गई इकाइयों के ब्यौरे	3.2.15, 3.2.21	131
19.	रा. वि. नि. अधिनियम, 1951 की धारा 29 एवं 30 के तहत इकाइयों को जारी किए गए नोटिस एवं जिनके विरूद्ध प्रभावशाली वसूली की कारवाई अभी तक नहीं हो सकी, की अद्यतन सूची	3.2.17	132
20.	ऋण मामलों के ब्यौरे जहाँ मालबंधित/बंधक संपत्तियों के स्थानान्तरण/चोरी के मामले पाए गए	3.2.22	133

21.	सरकारी कम्पनियों के बकाया वार्षिक लेखाओं को दर्शाती विवरणी	4.4.4	134–135
22.	लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब को दर्शाती विवरणी	4.4.4	136–137
23.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लगातार दो वर्षों के बीच लेखाओं को प्रमाणित करने में लिए गए समय को दर्शाती विवरणी	4.4.6	138–139
24.	सामान्य वार्षिक बैठक के आयोजन में हुए विलम्ब को दर्शाती विवरणी	4.4.7	140–141
25.	विधायिका के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखने में हुये विलम्ब को दर्शाती विवरणी	4.4.8	142–143
26.	बकाये निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति दर्शाती विवरणी	4.4.9	144–145
27.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (संगठनात्मक ढाँचा)	4.5	146
28.	आंतरिक अंकेक्षण का संगठनात्मक ढाँचा	4.5	147
29.	बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन एवं वास्तविकी को दर्शाती विवरणी	4.5.3	148–152
30.	लेखाओं के सम्पूर्णन में देरी को दर्शाती विवरणी	4.5.4	153
31.	कालातीत दावों के ब्यौरे	4.5.5	154
32.	पता लगाई गई बिजली चोरी की घटनाओं की ब्यौरेवार विवरणी	4.5.6	155
33.	अप्राप्त/विलम्ब से प्राप्त राजस्व के ब्यौरे दर्शाती विवरणी	4.5.7	156
34.	बोर्ड द्वारा धारित स्टाक की विवरणी	4.5.9	157
35.	भंडारों के भौतिक सत्यापन में पाई गई कमियाँ दर्शाती विवरणी	4.5.12	158
36.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में अधिशेष/अधिक कर्मचारियों को दर्शाती विवरणी	4.5.14	159–160
37.	आंतरिक अंकेक्षण स्कंध में मानव शक्ति की स्थिति दर्शाती विवरणी	4.5.15	161
38.	आंतरिक अंकेक्षण द्वारा बनाए गये एवं किए गए अंकेक्षण कार्यक्रमों की विवरणी	4.5.15	162
39.	आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत विवरणी	4.5.16	163
40.	आंतरिक अंकेक्षण द्वारा सुझाई गई वसूली एवं वसूली की गई राशि की विवरणी	4.5.16	164
41.	आंतरिक अंकेक्षण द्वारा प्रतिवेदित कालातीत दावों की विवरणी	4.5.16	165–168
42.	विभागवार बकाया जाँच प्रतिवेदनों (जा. प्र.) की विवरणी	4.10	169
43.	विभागवार प्रारूप कंडिकायें/समीक्षायें, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं	4.10	170

प्रस्तावना

सरकारी वाणिज्यिक संस्थायें जिनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं :

(i) सरकारी कम्पनियाँ

(ii) सांविधिक निगमें, एवं

(iii) विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम।

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सहित सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंध रखता है तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी. ए. जी.) के (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्त्तों) अधिनियम, 1971, यथा समय–समय पर संशोधित धारा 19–क के अधीन बिहार सरकारी के समक्ष प्रस्तुति हेतु तैयार किया गया है। विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा का परिणाम भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षा के प्रतिवेदन (सिविल) बिहार सरकार में अन्तर्निष्ट है।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जो सांविधिक निगमें है, के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुरूप बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सूची में से सनदी लेखाकारों को नियुक्त कर लेखापरीक्षा कराने के अतिरिक्त नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। बिहार राज्य भंडारण निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को उनकी सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त उनकी लेखाओं की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन निगमों की वार्षिक लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को भेजे जाते है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित है, जो वर्ष 2003–04 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलत नहीं किये जा सके। 2003–04 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी जहाँ आवश्यक समझे गये, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

- 31 मार्च 2003 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उतनी ही संख्याओं के विरूद्ध 31 मार्च 2004 को राज्य में 50 सरकारी कम्पनियों एवं 4 सांविधिक निगमों सहित 54 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे। 50 सरकारी कम्पनियों में से 16 सरकारी कम्पनियाँ कार्यशील थीं जबकि 34 सरकारी कम्पनियाँ अकार्यशील थीं। सभी 4 सांविधिक निगम कार्यशील थे। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2004 को 8 कम्पनियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ख के अधीन थीं।

 (कंडिका 1.1 और 1.30)

- कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 31 मार्च 2003 को 8581.73 करोड़ रुपये का कुल निवेश घटकर 31 मार्च 2004 को 6435.14 करोड़ रुपये हो गया। अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 705.30 करोड़ रुपये का कुल निवेश उक्त अवधि के दौरान बढ़कर वैसी कम्पनियों की संख्या में वृद्धि के कारण 706.71 करोड़ रुपये हो गया।

 (कंडिका 1.2 और 1.15)

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पूँजी, ऋण एवं आर्थिक सहायता/अनुदानों के रूप में दी गई बजट सहायता 2002–03 में 518.04 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003–04 में 724.87 करोड़ रुपये हो गयी। 31 मार्च 2004 को सरकार द्वारा कार्यशील सा॰ क्षे॰ उ॰ को प्रत्याभूति ऋणों की कुल बकाए की राशि 189.05 करोड़ रुपये थी।

 (कंडिका 1.5)

- कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं कार्यशील सांविधिक निगमों में से किसी ने वर्ष 2003–04 के लिए अपनी लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया था। 17 कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं 4 कार्यशील सांविधिक निगमों की लेखाएँ 30 सितम्बर 2003 को एक से 22 वर्षों के परास में बकाये में थीं। सभी अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की लेखाएँ 30 सितम्बर 2004 को नौ से 27 वर्षों के परास के बकाए में थीं।

 (कंडिका 1.6 एवं 1.18)

- अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार छः कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पाँच सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम) ने कुल 12.73 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इसके विपरीत 13 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (10 सरकारी कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगमें) ने अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखाओं के अनुसार कुल 1,021.10 करोड़ रुपये की हानि उठाई। अद्यतन लेखाओं के अनुसार हानि उठानेवाली छः कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने कुल 123.73 करोड़ रुपये की संचित हानि उठाई थी जो उनकी कुल प्रदत्त–पूँजी 28.19 करोड़ रुपये से अधिक थी। तीन हानि उठाने वाले सांविधिक निगमों में से दो सांविधिक निगमों ने 1136.80 करोड़ रुपये की संचित हानि उठाई थीं जो उनकी 179.11 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूँजी से अधिक थी।

 (कंडिका 1.7, 1.9 एवं 1.11)

2. सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

- बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में नवम्बर 1980 में निगमित की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन बंगले, होटल, रज्जु मार्ग, परिवहन परिचालन, खान–पान सेवा आदि को संचालित कर राज्य में पर्यटन को उन्नत करना था।

(कंडिका 2.1)

- 1999–2004 के दौरान 30 परियोजनाओं (17 केन्द्रीय और 13 प्रादेशिक) के लिए प्राप्त किये गये 5.40 करोड़ रुपये में से कम्पनी द्वारा 18 परियोजनाओं पर 4.54 करोड़ रुपये उपयोग किये गये थे। शेष 12 परियोजनायें भूमि उपलब्ध नहीं होने और अन्य कारणों से आरम्भ नहीं की गई थीं।

(कंडिका 2.6)

- निधि की उपलब्धता के बावजूद, कम्पनी पर्यटकों को मूल सुविधाओं यथा, सुलभ शौचालय कम्पलेक्स, प्रसाधन, पेय–जल, मार्ग सुविधाओं को उपलब्ध कराने में विफल रही।

(कंडिका 2.7.2 और 2.7.3)

- वर्ष 1999–2003 के दौरान कम्पनी के होटलों में पर्यटकों का ओकुपेन्सी लक्ष्य 60 प्रतिशत के विरूद्ध वास्तविक ओकुपेन्सी 21.56 और 22.61 प्रतिशत के बीच था जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को 5.38 करोड़ रुपये की संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.11)

3. सांविधिक निगमों से संबंधित समीक्षाएँ

3.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

- बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत गाँवों के विद्युतीकरण/पुनर्वास और विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण/पुनर्वास की योजना को स्वीकार किया।

(कंडिका 3.1.1)

- भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विमुक्त 221.94 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार ने वर्ष 2001–04 के दौरान 155.86 करोड़ रुपये बोर्ड को संवितरित किया और 66.80 करोड़ रुपये व्यक्तिगत खाता लेखा में रखा।

(कंडिका 3.1.4)

- 1995–96 से 2000–01 की अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण पर हुये हानि को बोर्ड राज्य सरकार से 2963.09 करोड़ रुपये परिदान (सब्सिडी) का दावा करने में विफल रहा तथा 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले पाँच विगत वर्षों में बोर्ड ने 1627.91 करोड़ रुपये ब्याज की हानि उठाई।

(कंडिका 3.1.5)

- वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार करने में बिलम्ब, सामग्रियों की अपर्याप्त/बेमेल क्रय व आपूर्ति और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य से अन्य कार्यों में भंडारों के विचलन के कारण बोर्ड 26512 ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 7186 ग्रामों का विद्युतीकरण/पुनर्वास ही कर सका तथा वर्ष 1999–2004 के दौरान 71.54 करोड़ रुपये के राजस्व से बंचित रहा।

(कंडिका 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 और 3.1.15)

- वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिलों के 2600 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 72.06 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के विरूद्ध 86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की व्यवस्था किए बिना बोर्ड ने 158.06 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत पर पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड के साथ एकरारनामा किया।

(कंडिका 3.1.18)

- बोर्ड ने पावर ग्रिड कारपोरेशन के 20.77 करोड़ रुपये की अमान्य वृद्धि दावे को स्वीकार कर लिया जिसमें परामर्श शुल्क (8.08 करोड़ रुपये), सामग्रियों की अधिक कीमत (2.27 करोड़ रुपये), टर्न की उत्तरदायित्त्व लागत (1.58 करोड़ रुपये), मीटरों की अधिक कीमत (1.84 करोड़ रुपये), खंभों के कंक्रीटीकरण का अतिरिक्त प्रभार (4.93 करोड़ रुपये) और विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण (2.07 करोड़ रुपये) से सम्बन्धित अनधिकृत व्यय था।

(कंडिका 3.1.19, 3.1.20, 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24 तथा 3.1.25)

- विद्युतीकृत ग्रामों में अपेक्षित भार के विरूद्ध बेमेल विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण के कारण ट्रांसफर्मर अतिभारित हो गये। फलतः मानकों से अधिक 3,124 ट्रांसफर्मर खराब हो गये, जिसके कारण उनकी मरम्मत पर 5.37 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.28)

3.2 बिहार राज्य वित्तीय निगम का वसूली निष्पादन

- राज्य के उद्योगों को तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता का प्रावधान कर विकसित करने के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अधीन नवम्बर 1954 में बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना हुई। वर्तमान में निगम ने अपने कार्यकलापों को मुख्यतः अपने अतिदेयों की वसूली तक सीमित रखा है।

(कंडिका 3.2.1)

- मार्च 2004 तक विगत पाँच वर्षों में निगम ने 15.99 करोड़ रुपये से लेकर 36.81 करोड़ रुपये की निधि रोक कर रखा, परन्तु इसने अपने उच्च ब्याज (6.5 से 17 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत दंडात्मक ब्याज) वाले उधार की चुकौती करने में इसका उपयोग नहीं किया। इसके विपरीत निगम ने इस राशि को बैंकों में लघु अवधि जमा के रूप में 3 से 12.5 प्रतिशत की ब्याज दरों पर जमा रखा, जिसके फलस्वरूप 8.12 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 3.2.5)

- मार्च 2003–04 तक निगम ने कुल 438.60 करोड़ रुपये के ऋणों का वितरण किया। इसमें 31 मार्च 2004 को 267.35 करोड़ रुपये मूलधन एवं 2122.06 करोड़ रुपये ब्याज और अन्य प्रभारों के रूप में 6185 सहायता प्राप्त इकाइयों के यहाँ

बकाया थे।

(कंडिका 3.2.6)

- 31 मार्च 2004 को, 2386.36 करोड़ रुपये अतिदेय में 2383.19 करोड़ रुपये तीन से 27 वर्षों से अतिदेय थे जो कुल चूक राशि का 99.87 प्रतिशत था।

(कंडिका 3.2.8)

- 1998–2003 के दौरान 323 इकाइयों की परिसम्पतियों की बिक्री के अंतिमकरण होने के बाद भी निगम को मूल संप्रवर्तकों से 73.86 करोड़ रुपये वसूली करने थे। लेकिन निगम उनके विरूद्ध व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने में असफल रहा।

(कंडिका 3.2.19)

- निगम ने वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 417.30 करोड़ रुपये अतिदेय वाले 368 मुकदमे दायर किए परन्तु वह विहित प्राधिकारी से कोई भी वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप 417.30 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 3.2.20)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये कार्य सम्पादन की लेखापरीक्षा प्रेक्षणें, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की कमियाँ जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े, को मुख्य रूप से दर्शाती है। मोटा–मोटी निम्न प्रकार की त्रुटियाँ पाई गईः

- दो मामलों में अविवेकी निवेश, निर्णय लेने में विलम्ब एवं सामग्रियों का अनावश्यक क्रय के कारण 5.23 करोड़ रुपये की निधि का अवरूद्धीकरण तथा ब्याज की हानि।

(कंडिका 4.1 एवं 4.7)

- दो मामलों में 27.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिहार्य व्यय।

(कंडिका 4.6 एवं 4.8)

- परिसर को विलम्ब से किराये पर लगाने तथा नियमों को नहीं पालन करने के कारण दो मामलों में 1.50 करोड़ रुपये की राजस्व की हानि।

(कंडिका 4.2 एवं 4.9)

कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

- *अनियमित निवेश एंव ट्रैक्टरों के क्रय में विलम्ब के कारण कम्पनी को 87.74 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।*

(कंडिका 4.1)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

- लेखापरीक्षा द्वारा निरन्तर उल्लेखित किये जाने के बावजूद बोर्ड ने अपने बैंक खातों का मेल–मिलाप तथा उन्हें अद्यतन नहीं किया। चार से 28 वर्षों के परास की अवधि में 424.38 करोड़ रुपये को बैंक द्वारा विलम्ब से जमा किये जाने के परिणामस्वरूप बोर्ड को 286.61 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 4.5.8)

- ग्रिड अनुशासन का पालन नहीं करने के कारण बोर्ड को 23.36 करोड़ रुपये की हानि हुई एवं पर्यवेक्षणीय नियंत्रण एवं डाटा अर्जन प्रणाली (एसकाडा) पर 1.75 करोड़ रुपये का किया गया व्यय निरर्थक हो गया।

(कंडिका 4.6)

- ऊर्जा क्रय विपत्रों पर बोर्ड पूर्ण राहत नहीं प्राप्त कर सका और उसे 2.69 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(कंडिका 4.8)

अध्याय–I

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 31 मार्च 2003 को 50 सरकारी कम्पनियों (17 कार्यशील एवं 33 अकार्यशील) तथा चार सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) के विरूद्ध 31 मार्च 2004 को 50 सरकारी कम्पनियाँ (16* कार्यशील एवं 34# अकार्यशील) एवं चार सांविधिक निगमें (सभी कार्यशील) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन थे। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अनुसार) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया जाता है, जो नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त किए जाते हैं। इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत) की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था अधोदर्शित है।

क्रम सं.	सांवधिक निगम का नाम	नियंत्रक महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षण का प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी. एस. ई. बी.)	विद्युत आपूर्ति (वार्षिक लेखा) नियम 1985, के नियम 14 एवं विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 2003 की धारा 185 (2) के अन्तर्गत।	नियंत्रक–महालेखपरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी.एस.आर.टी.सी.)	पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत।	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा।
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी. एस. एफ. सी.)	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (6) के अन्तर्गत।	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा।
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम (बी. एस. डब्लू. सी.)	राज्य भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 (8) के अन्तर्गत	सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा।

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा. क्षे. उ.)

कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.2 मार्च 2004 की समाप्ति तक 20 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (16 सरकारी कम्पनियाँ एवं 4 सांविधिक निगमें) एवं मार्च 2003 की समाप्ति तक 21 कार्यशील सा. क्षे. उ. (17 सरकारी कम्पनियाँ एवं 4 सांविधिक निगमें) में कुल निवेश क्रमशः निम्नलिखित थे :

* *बिहार राज्य निर्यात निगम लि. को अकार्यशील कम्पनियों की श्रेणी में लिया गया हैं क्योंकि यह परिसमापन की प्रक्रिया में है।*

\# *अकार्यशील कम्पनियाँ/सांविधिक निगम वह है जो कि परिसमापन/बंदी/विलयन की प्रक्रिया में है।*

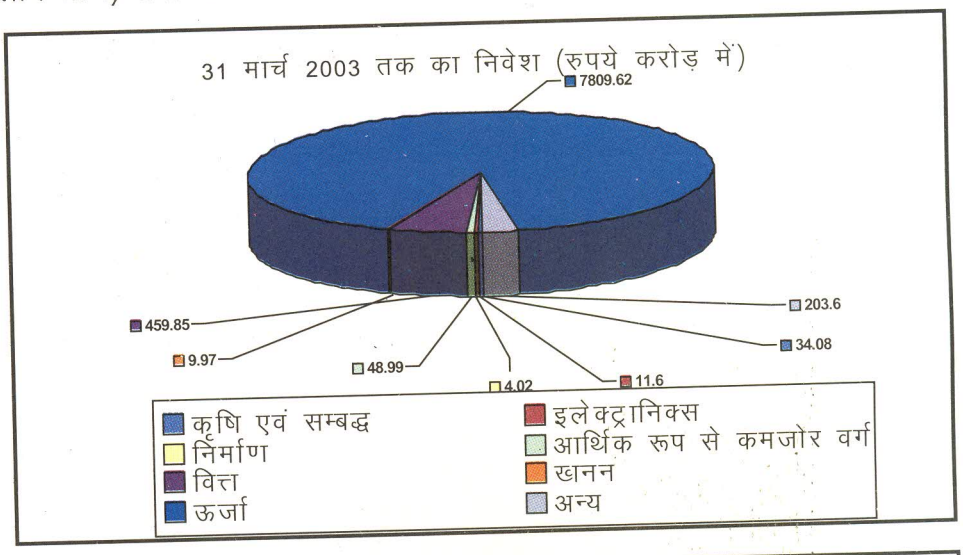
(करोड़ रुपये में)

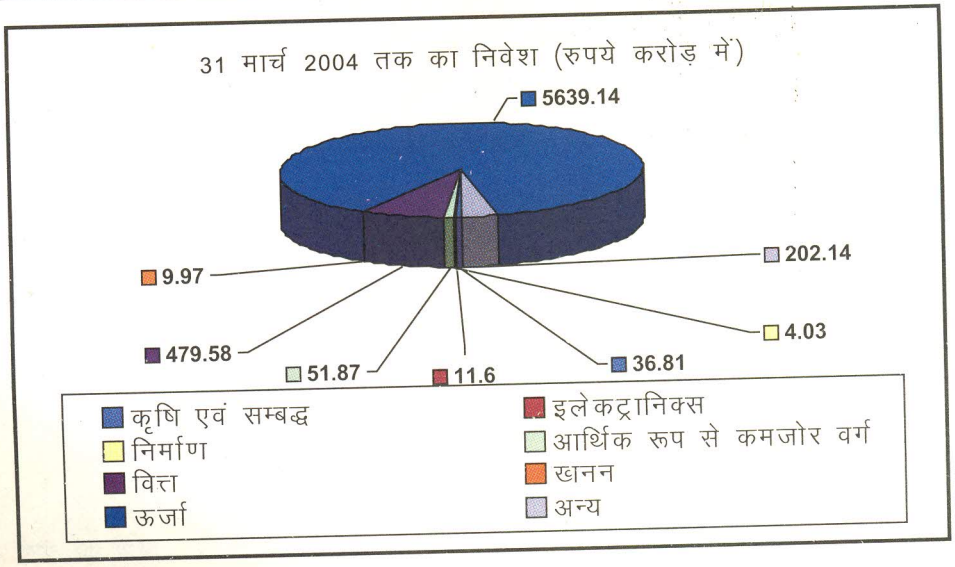
वर्ष	कार्यशील सा. क्षे. उ. की संख्या	कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		साधारण पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2002–03	21	442.02	16.45	8123.26	8581.73
2003–04	20	454.07	3.66	5977.41	6435.14[@]

31 मार्च 2004 तक कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण में निवेश कुल निवेश का क्रमशः 7.1 प्रतिशत तथा 92.89 प्रतिशत था। इसकी तुलना में 31 मार्च 2003 की समाप्ति पर यह निवेश कुल निवेश का क्रमशः 5.34 प्रतिशत तथा 94.66 प्रतिशत था। कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण अधोलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

कार्यशील सरकारी एवं सांविधिक कम्पनियों/निगमों में प्रक्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 2003 एवं 31 मार्च 2004[#] के अंत में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश (साधारण पूँजी तथा दीर्घ कालीन ऋण) तथा उनका प्रतिशत निम्नांकित पाई चार्ट में दर्शाए गए है :





@ *वित्त लेखा से अंकों का पुनर्मिलान लम्बित है।*

\# *बिहार एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड में सम्पत्ति तथा देयताओं के विभाजन के कारण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश घट गया।*

कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

1.3 मार्च 2003 के अंत में 17 कार्यशील सरकारी निगमों तथा मार्च 2004 के अंत में 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश क्रमशः निम्न था।

वर्ष	कार्यशील सरकारी कम्पनियों की संख्या	कार्यशील सरकारी कम्पनियों में निवेश			
		साधारण पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2002–03	17	261.54	16.45	886.04	1164.03
2003–04	16	273.59	3.66	918.90	1196.15*

कार्यशील सरकारी कम्पनियों में साधारण पूँजी एवं ऋण के रूप में सरकारी निवेश की संक्षिप्त विवरणी **परिशिष्ट–1** में दर्शायी गयी है।

31 मार्च 2003 तक कार्यशील सरकारी कम्पनियों में साधारण पूँजी तथा ऋण में निवेश कुल निवेश का क्रमशः 23.88 प्रतिशत तथा 76.12 प्रतिशत के विरूद्ध 31 मार्च 2004 की समाप्ति पर यह निवेश कुल निवेश का क्रमशः 23.18 प्रतिशत तथा 76.82 प्रतिशत था।

कार्यशील सांविधिक निगमें

1.4 मार्च 2003 एवं मार्च 2004 के अंत तक चार कार्यशील सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नलिखित था :

(रुपये करोड़ में)

निगम का नाम	2002–03		2003–04	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी. एस. ई. बी.)	–	6,862.31	–	4,668.44
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बी.एस.आर.टी.सी.)	101.27	77.11	101.27	79.41
बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी. एस. एफ. सी.)	77.84	297.81	77.84	310.67
बिहार राज्य भण्डारण निगम (बी. एस. डब्लू. सी.)	1.37	शून्य	1.37	शून्य
कुल योग	**180.48**	**7,237.23**	**180.48**	**5,058.52**

कार्यशील सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण के रूप में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट–I में दिया गया है।

31 मार्च 2003 तक कार्यशील सांविधिक निगमों में साधारण पूँजी तथा ऋण में निवेश कुल निवेश का क्रमशः 2.43 प्रतिशत तथा 97.57 प्रतिशत के विरूद्ध 31 मार्च 2004 की समाप्ति पर यह निवेश कुल निवेश का क्रमशः 3.44 प्रतिशत तथा 96.56 प्रतिशत था।

बजट से वहिर्गम, अनुदान/आर्थिक सहायता, प्रतिभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपांतरण

1.5 राज्य सरकार द्वारा कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को बजट से वहिर्गम, अनुदान/आर्थिक सहायता, निर्गत प्रतिभूतियाँ, देय राशि का अधित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपांतरण की विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट – 1 एवं 3** में दी गई है।

* *इसमें तेनुघाट विद्युत निगम से संबंधित 100 करोड़ रुपये की साधारण पूँजी तथा 608.89 करोड़ रुपये के ऋण सम्मिलित है। इस निगम के स्वामित्त्व का बिहार राज्य से झारखण्ड राज्य में हस्तांतरण का मामला दोनों राज्यों के उच्च न्यायालय में लम्बित है।*

मार्च 2004 तक तीन वर्षों की अवधि में, साधारण पूँजी, ऋण एवं अनुदानों/आर्थिक सहायता के रूप में, कार्यशील सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों को राज्य सरकार द्वारा बजट में सहायता प्रदान की गई, जिसकी विवरणी अधोदर्शित है :

	2001–02				2002–03				2003–04			
	सरकारी कम्पनी		सांविधिक निगम		सरकारी कम्पनी		सांविधिक निगम		सरकारी कम्पनी		सांविधिक निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से बहिर्गम साधारण पूँजी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बजट से दिया गया ऋण	–	–	3	613.66	1	5.00	3	513.04	2	23.38	3	701.39
अनुदान	–	–	1	0.04	–	–	–	–	–	–	1	0.1
कुल बहिर्गम	–	–	**4**	**613.70**	**1**	**5.00**	**3**	**513.04**	**2**	**23.38**	**4**	**701.49**

वर्ष 2003–04 के दौरान सरकार ने किसी भी ऋण को प्रत्याभूत नहीं किया। वर्ष के अंत तक 3 कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ (रुपये 32.66 करोड़) तथा दो कार्यशील सांविधिक निगमों (रुपये 156.39 करोड़) पर कुल प्रत्याभूत राशि 189.05 करोड़ बकाया थी। वर्ष के दौरान प्रत्याभूत ऋण न लौटाने के दो मामलों में दो सांविधिक निगम* दोषी थे। सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों द्वारा सरकार को भुगतान/भुगतेय की गयी प्रत्याभूति कमीशन क्रमशः 3.90 लाख और 28.75 लाख रुपये थी।

कार्यशील सा. क्षे. उ. द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण

1.6 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों तथा 4 सांविधिक निगमों में से किसी ने भी 30 सितम्बर 2004 तक लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं किया था। अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2004 के दौरान 7 कार्यशील सरकारी कम्पनियों ने पिछले 12 वर्षों के लेखाओं का अंतिमीकरण किया। इसी प्रकार, इस अवधि में 3 कार्यशील सांविधिक निगमों ने पिछले 6 वर्षों के लेखाओं का अंतिमीकरण किया।

30 सितम्बर 2004 को 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों के बकाये लेखाओं के परास 4 से 21 वर्षों की अवधि में थे। इसके अतिरिक्त 4 कार्यशील सांविधिक निगमों के बकाये लेखाओं के परास 1 से 5 वर्षों की अवधि में थे।

क्रम सं.	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ/सांविधिक निगमों की संख्या		वर्ष जिसके लेखे बकाए में है	वर्षों की संख्या जिसके लेखे बकाए में है	परिशिष्ट–2 का संदर्भित क्रमांक	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	–	1983–84 से 2003–04	21	अ–10	–
2	1	–	1989–90 से 2003–04	15	अ–6	–
3	2	–	1992–93 से 2003–04	12	अ–16, अ–7	–
4	3	–	1993–94 से 2003–04	11	अ–2, अ–3 अ–11	–

* *बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम*

क्रम सं.	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ / सांविधिक निगमों की संख्या		वर्ष जिसके लेखे बकाए में है	वर्षों की संख्या जिसके लेखे बकाए में है	परिशिष्ट–2 का संदर्भित क्रमांक	
	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	2	–	1994–95 से 2003–04	10	अ–1, अ–13,	–
6	3	–	1995–96 से 2003–04	9	अ–9, अ–12 अ–15	–
7	1	–	1996–97 से 2003–04	8	अ–8	–
8	1	–	1998–99 से 2003–04	6	अ–14	
9	1	1	1999–2000 से 2003–04	5	अ–4	ब–2
10	1	–	2000–01 से 2003–04	4	अ–5	–
11	–	2	2001–02 से 2003–04	3	–	ब–1, ब–4
12	–	1	2003–04	1	–	ब–3
कुल	**16**	**4**				

साधारणतः कार्यशील कम्पनियों एवं मुख्यतः 12 कम्पनियों, जहाँ लेखायें पिछले 3 या अधिक वर्षों से बकाये में हैं, के लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण अध्याय–IV की कंडिका संख्या 4.4 में निहित हैं।

कार्यशील सा. क्षे. उ. की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.7 कार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों (सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें) के उपलब्ध नवीनतम लेखाओं पर आधारित संक्षिप्त वित्तीय एवं कार्यकरण परिणाम **परिशिष्ट–2** में दिए गए है। प्रत्येक कार्यशील सांविधिक निगम की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम क्रमशः **परिशिष्ट–4 और 5** में दिए गए हैं।

नवीनतम अंतिमीकरण किये गए लेखाओं के अनुसार 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ और 4 कार्यशील सांविधिक निगमों में से 10 सरकारी कम्पनियों को 21.59* करोड़ एवं 3 सांविधिक निगमों को 999.51 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई। पाँच सरकारी निगमों ने 10.77 करोड़ एवं एक सांविधिक निगम ने 1.96 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया।

कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

लाभ अर्जित करने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ तथा लाभांश

1.8 नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार (सितम्बर 2004 तक प्राप्त) 16 कार्यशील सरकारी कम्पनियों में से पाँच कम्पनियों[1] ने 10.77 करोड़ रुपये का संचित लाभ अर्जित किया। लाभदायी कम्पनियों ने लाभांश घोषित नहीं किया। राज्य सरकार ने न तो न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु कोई नीति बनाई और न ही निगमों को कोई मार्गदर्शन जारी किया।

* *इसमें तेनुघाट विद्युत निगम का विकासार्थ व्यय सम्मिलित नहीं है।*

1 *परिशिष्ट–2 के क्रमांक अ–4, अ–5, अ–9, अ–11, अ–16*

घाटा देने वाली कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ

1.9 नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार 10[2] हानिदायी कार्यशील सरकारी कम्पनियों को कुल 21.59 करोड़ रुपये की हानि हुई। नवीनतम अंतिमीकरण लेखाओं के अनुसार छः[3] घाटा देने वाली कम्पनियों की कुल संचित हानि 123.73 करोड़ रुपये थी जो कि इन कम्पनियों की कुल प्रदत्त पूँजी से 28.19 करोड़ रुपये अधिक है।

कार्यशील सांविधिक निगमें

लाभ अर्जित करने वाली सांविधिक निगमें तथा लाभांश

1.10 चार कार्यशील सांविधिक निगमों में से केवल बिहार राज्य भण्डारण निगम ने 1.96 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, परन्तु कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

घाटा देने वाली सांविधिक निगमें

1.11 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में कुल निवेश (ऋण) 6244.17 करोड़ रुपये की तुलना में 8185.02 करोड़ रुपये की संचित हानि थी।

दो सांविधिक निगमें यथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम की संचित हानियाँ क्रमशः 473.84 करोड़ रुपये तथा 662.96 करोड़ रुपये थी। इन हानियों से इन निगमों की कुल प्रदत्त पूँजी क्रमशः 101.27 करोड़ रुपये एवं 77.84 करोड़ रुपये का अपक्षरण हो गया।

सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन

1.12 सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन **परिशिष्ट–6** में दिया गया है।

बिहार राज्य वित्तीय निगम में वसूली योग्य देय की राशि (मूलधन तथा ब्याज) वर्ष 2002–03 में 2095.01 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 2386.35 करोड़ रुपये हो गयी।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.13 नवीनतम अंतिमीकरण किए गये लेखाओं (सितम्बर 2004 तक) के अनुसार 16 कार्यशील सरकारी निगमों में नियोजित पूँजी[4] की गणना 954.77 करोड़ रुपये की गयी थी। नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल[1] पिछले वर्ष के ऋणात्मक प्रतिफल 2.89 करोड़ की तुलना में धनात्मक प्रतिफल 20.68 करोड़ रुपये का था। इसी प्रकार, कार्यशील सांविधिक निगमों में नवीनतम सम्पूर्ण लेखाओं (सितम्बर 2004 तक) के अनुसार नियोजित पूंजी एवं उस पर कुल ऋणात्मक प्रतिफल क्रमशः 1732.98 करोड़ रुपये तथा 2644.12 करोड़ रुपये था। जबकि पिछले वर्ष (सितम्बर 2003 तक सम्पूर्ण लेखाओं के अनुसार) कुल ऋणात्मक प्रतिफल 2694.09 करोड़ रुपये था। कार्यशील सरकारी निगमों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित नियोजित पूंजी तथा उस पर कुल प्रतिफल **परिशिष्ट–2** में निहित है।

2 *परिशिष्ट–2 के क्रमांक अ–1, अ–2, अ–3, अ–6, अ–7, अ–8, अ–10, अ–12, अ–14 एवं अ–15*

3 *परिशिष्ट–2 के क्रमांक अ–1, अ–2, अ–6, अ–7, अ–10 एवं अ–14*

4 *वित्तीय निकायों व सांविधिक निगमों में नियोजित पूँजी, नियोजित प्रदत्त पूँजी, मुक्त निधि, बंधपत्रों, जमा राशि एवं उधारों (पुनर्वित्त सहित) के समग्र योग के औसत का द्योतक है। अन्य निगमों व सांविधिक निगमों में निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूंजीगत–कार्य–प्रगति सहित) तथा कार्यचालन पूंजी के योग का द्योतक है।*

ऊर्जा प्रक्षेत्र मे सुधार

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच मेमोरंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग (एम. ओ. यू.) के कार्यान्वयन की स्थिति

1.14 भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में एक एम. ओ. यू. पर हस्ताक्षर किया गया (सितम्बर 2001) जिसमें ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया।

एम. ओ. यू. के अनुसार वचनबद्धता के प्रति सुधार कार्यक्रमों को लागू करने की स्थिति निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	एम. ओ. यू. के अनुसार वचनबद्धता	लक्ष्य पूर्ण करने की समय सीमा	वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
	राज्य सरकार द्वारा ली गई वचनबद्धता		
1	राज्य विद्युत नियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.)	दिसम्बर 2001	अधिसूचना जारी की गई परन्तु सदस्य नियुक्त नहीं किए गए (सितम्बर 2004)।
2	ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	2006 तक	मार्च 2004 तक बिहार के 45,098 गाँवों में 17,231 गाँवों का विद्युतीकरण पूर्ण हो गया। 13,994 गाँव जिनका विद्युतीकरण पहले हो गया था, चोरी अथवा लाईनों में खराबी के कारण विद्युत प्राप्त नहीं कर पा रहें है।
3	बोर्ड का पुनर्गठन	दिसम्बर 2001	विकास आयुक्त के अधीन एक कमेटी का गठन किया गया है जो कि यह अनुशंसा देगी कि राज्य के लिए कौन सा मॉडल बेहतर होगा।
4	केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों के बकाया देय का प्रतिभूतिकरण	तय नहीं	30 सितम्बर 2001 तक बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा केन्द्रीय ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों का बकाया देय 1733.43 करोड़ रुपये था। इसमें से 1593.52 करोड़ रुपये बकाया देय का प्रतिभूतिकरण कर लिया गया।

1 *नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की गणना निवल लाभ/हानि (लाभ–हानि लेखा अनुसार) में उधार ली गई निधि पर ब्याज को जोड़कर/घटाकर की गई है।*

क्रम सं.	एम. ओ. यू. के अनुसार वचनबद्धता	लक्ष्य पूर्ण करने की समय सीमा	वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
5	सभी 11 के वी वितरण फीडर्स का 100 प्रतिशत मापन (मीटरींग)	दिसम्बर 2001	बिहार के 16 अंचलों में चार अंचलों में मीटरींग का कार्य बोर्ड द्वारा किया जाना है जबकि अन्य सात सर्कल में कार्य पॉवर ग्रीड कारपोरेशन लि॰ (पी.जी.सी. आई.एल.) द्वारा किया जाना है। बाकी बचे पाँच सर्कल में कार्य 2005–06 तक पूर्ण करना है। 10 जुलाई 2004 तक बोर्ड ने चार सर्कल में मीटरिंग के लिए निविदा निकालें परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण करने की संविदा प्रदान नहीं की गई। अन्य सात सर्कलों, जिनका कार्य पी. जी. सी. आई. एल. द्वारा पूर्ण किया जाना था, चार अंचलों के लिए निविदा की अधिसूचना जारी की गई परन्तु अभी तक संविदा प्रदान नहीं की गई (20 जून 2004)।
6	सभी ग्राहकों का 100 प्रतिशत मीटरींग (मापन)	दिसम्बर 2002	बिहार के 16 अंचलों में से चार अंचलों में मीटरींग का कार्य बोर्ड द्वारा किया जाना है, जबकि अन्य सात सर्कल में कार्य पॉवर ग्रीड कारपोरेशन लि॰ (पी.जी.सी.आई.एल.) द्वारा किया जाना है। 15 जुलाई 2004 तक लगाये जाने वाले 246000 मीटरों में से बोर्ड द्वारा केवल 18000 मीटर लगाए गए। अन्य सात अंचलों जिनका कार्य पी.जी.सी.आई. एल. द्वारा पूर्ण किया जाना था, चार अंचलों के लिए टेन्डर की अधिसूचना जारी की गई परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण करने की संविदा प्रदान नहीं की गई (जून 2004)।
7	ऊर्जा अंकेक्षण	जून 2002	11 के. वी. फीडर्स की मीटरींग (मापन) पूर्ण न होने से ऊर्जा अंकेक्षण नहीं किया जा सका।
8	पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी	नहीं दिया गया	प्रयत्न जारी।
9	ताप विद्युत उत्पादन ईकाइयों के पी.एल.एफ. में सुधार	मार्च 2003	प्रयत्न जारी।
10	अचल संपत्तियों पर तीन प्रतिशत प्रतिफल	मार्च 2004	प्रयत्न जारी।

अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा. क्षे. उ.)

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश

1.15 मार्च 2003 के अन्त में 33 एवं मार्च 2004 के अन्त में 34 अकार्यशील सा. क्षे. उ. (सभी सरकारी कम्पनियों) में कुल निवेश निम्न प्रकार थे :

वर्ष	अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की संख्या	अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों में निवेश			
		साधारण पूँजी	अंश आवेदन राशि	ऋण	कुल
2002–03	33	156.44	7.95	540.91	705.30
2003–04	34	160.00	6.38	540.33	706.71

बजट से बहिर्गम, आर्थिक सहायता/अनुदान, प्रतिभूतियाँ, बकाये का परित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपान्तरण

1.16 अकार्यशील सा. क्षे. उ. को राज्य सरकार द्वारा बजट से बहिर्गम, आर्थिक सहायता/अनुदान, प्रतिभूतियाँ, बकाये का परित्याग तथा ऋणों का साधारण पूँजी में रूपान्तरण की विवरण **परिशिष्ट–1 तथा 3** में निहित है। वर्ष की समाप्ति पर दो अकार्यशील[1] सा. क्षे. उपक्रमों पर 64 लाख रुपये की प्रतिभूतियाँ बकाया थीं।

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों के कुल स्थापना व्यय

1.17 2003–04 तक विगत तीन वर्षों की अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धनों द्वारा दिए गए अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों के स्थापना व्यय पर कुल देयताएँ तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतों का वर्षवार ब्यौरा निम्न है :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सा. क्षे. उ. की संख्या	स्थापना व्यय पर कुल देयताएँ	नियंत्री निगमों द्वारा वित्त सहायता	बकाया देयताएँ
2001–02	10	3.17	0.02	3.15
2002–03	9	25.11	0.01	25.10
2003–04	12[2]	39.42	0.11	39.31

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों द्वारा लेखाओं का अंतिमीकरण

1.18 30 सितम्बर 2004 तक 34 अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों के पिछले नौ से 27 वर्षों की अवधि के लेखा बकाए में थे **(परिशिष्ट–2)**।

अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम

1.19 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों के अन्तिम रूप दिए गये नवीनतम लेखाओं के आधार पर वित्तीय परिणामों का सार परिशिष्ट–2 में निहित है। 34 अकार्यशील सरकारी कम्पनियों की प्रदत्त पूँजी 100.84 करोड़ रुपये की तुलना में शुद्ध मूल्य[3] (–)71.14 करोड़ रुपये था। इन कम्पनियों को 19.70 करोड़ रुपये नगद हानि[4] एवं 171.99 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई।

1 *बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम एवं बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम।*

2 *22 सरकारी निगमों ने अपेक्षित सूचना नहीं दी।*

3 *शुद्ध मूल्य = अंश पूँजी में निवेश + मुक्त संरक्षित निधि – संचित हानि*

4 *नगद हानि अर्थात वर्ष के दौरान अवक्षय से पहले हानि*

सा. क्षे. उपक्रमों को बन्द करने के संबंध में अनुशंसा

1.20 चूँकि इन अकार्यशील सा. क्षे. उपक्रमों की संचित हानि प्रदत्त पूँजी से 1.7 गुणा ज्यादा थी और प्रत्येक वर्ष हानि हो रही थी, अतः इन्हें शीघ्र बन्द कर देना चाहिए।

बिहार सरकार द्वारा 17 कम्पनियों एवं उनकी अनुषंगी कम्पनियों को बन्द करने का निर्णय लिया गया हैं इनमें से 15 निगमों ने पटना उच्च न्यायालय में बन्दी के लिए याचिका दायर की एवं 3 निगमों के संबंध में बन्दी के आदेश प्राप्त हो गये। जिन कम्पनियों ने बन्दी के लिए याचिका दायर की एवं जिनकी बन्दी हेतु आदेश प्राप्त हुए उनके नाम **परिशिष्ट–7** में निहित है।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.21 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों (पृ. ले. प्र.) का सरकार द्वारा विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण की स्थिति को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

क्रम संख्या	सांविधिक निगमों के नाम	विधानमंडल में पृ.ले.प्र. की प्रस्तुतीकरण की तिथि	विधानमंडल में पृ. ले. प्र. के न–प्रस्तुतीकरण के वर्ष		
			पृ.ले.प्र. के वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कारण
1	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	1997–98	1998–99 1999–00 2000–01	04.06.2002 23.05.2003 30.06.2004	कारण अप्राप्त।
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1973–74	1974–75 से 1996–97	1991–92 9.6.97 1992–93 2.9.98 1993–94 2.9.98 1994–95 4.12.98 1995–96 18.4.00 1996–97 19.3.04	निगम द्वारा प्रतिवेदन की प्रतियाँ उपलब्ध नहीं करायी गयी।
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2000–01	2001–02 से 2002–03	03.09.04	कारण अप्राप्त।
4	बिहार राज्य भण्डारण निगम	1999–2000	2000–01	21.09.04	कारण अप्राप्त।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि चार सांविधिक निगमों के 29 पृथक लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों को एक वर्ष से 23 वर्षों तक विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिनमें बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 23 पृ. ले. प., बिहार राज्य वित्तीय निगम के दो पृ. ले. प., बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के तीन पृ. ले. प. और बिहार राज्य भण्डारण निगम के एक पृ. ले. प. अभी तक पटल पर नहीं रखे गए। पृ. ले. प. को पटल पर नहीं रखे जाने के कारण विधायिका इन निगमों पर वित्तीय नियंत्रण रखने से वंचित रही।

संबंधित अधिनियमों के आवश्यकतानुसार राज्य सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष समय पर प्रस्तुतीकरण हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन

1.22. वर्ष 2003–04 में राज्य सरकार ने अपने किसी भी सा. क्षे. उ. के विनिवेश, निजीकरण और पुनर्गठन कार्य शुरू नहीं किया।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए सा. क्षे. उ. की लेखापरीक्षा के परिणाम

1.23 अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2004 की अवधि में नौ सरकारी कम्पनियों के 21 वर्षों के लेखाओं और चार सांविधिक निगमों के सात वर्षों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा टिप्पणी की गई। सा. क्षे. उ. के लेखाओं पर महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों का शुद्ध प्रभाव निम्न है :

(रुपये लाख में)

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ		सांविधिक निगमें	
	लेखाओं की संख्या	कुल रकम	लेखाओं की संख्या	कुल रकम
हानि में बढ़ोतरी	15	29.02	5	3342.00
लाभ में घटोत्तरी	2	1.71	2	4.38
आय/व्यय एवं सम्पत्ति/देयताओं का गलत वर्गीकरण	3	3.33	1	0.07
महत्त्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटन	4	4.37	–	–

ऊपर दर्शायी गयी कुछ सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान कुछ बड़ी भूल–चूक का उल्लेख नीचे किया गया है :

1.24 सरकारी कम्पनियों के मामलों में पाए गए भूल–चूक

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	सरकारी कम्पनियों का नाम	लेखा का वर्ष	भूल/चूक	राशि
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि॰	1995–96	संदेहास्पद वसूली वाले ऋणों की लेखाओं में प्रावधान न करने से कम्पनी की हानि कम दिखाई गई।	1.30
2	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि॰	1992–93	राँची अशोक बिहार होटल निगम में साधारण अंश पूँजी में अवसूलनीय निवेश की लेखाओं में प्रावधान न करने से कम्पनी का लाभ ज्यादा दिखाया गया।	0.35
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि॰	1994–95	लेखाओं में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. ऋण पर ब्याज का कम प्रावधान एवं अवसूलनीय ऋण का प्रावधान न करने से कम्पनी की आय अधिक दिखाई गई।	1.33
4	बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम लि॰	1994–95	निगम द्वारा लेखाओं के पुनरीक्षण के कारण लाभ में कमी हुई।	4.36
5	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि॰	1981–82	कम्पनी द्वारा लेखाओं में ऋणों पर ब्याज एवं माननीय उच्च न्यायाल, मुम्बई के निर्णय से हुई हानि का प्रावधान न करने से हानि कम दिखाई गई।	3.39

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	सरकारी कम्पनियों का नाम	लेखा का वर्ष	भूल/चूक	राशि
6	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि॰	1997–98	कम्पनी द्वारा अकार्यशील सम्पत्तियाँ, ब्याजकर देय एवं संदेहास्पद ऋणों का प्रावधान लेखाओं में न करने से हानि कम दिखाई गई।	10.06
7	बिहार राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि॰	1990–91	कम्पनी द्वारा ऋणों पर ब्याज का लेखाओं में प्रावधान न करने से हानि कम दिखाई गई।	2.54
8	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि॰	1989–90	बिहार सरकार द्वारा स्पेशल कंपोनेंट प्रोग्राम के तहत दी गई निधि पर अर्जित ब्याज, जो की देय था, का लेखाओं में प्रावधान न करने से कम्पनी की हानि कम दिखाई गई।	0.48

सांविधिक निगमों के मामलों में पाए गये भूल–चूक

1.25 सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण भूल–चूक का उल्लेख नीचे किया गया है :

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	सांविधिक निगमों का नाम	लेखा का वर्ष	भूल/चूक	राशि
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	1996–97	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अवसूलनीय कर स्रोत पर कटौती की निगम द्वारा लेखाओं में प्रावधान न करने से हानि कम दिखाई गई।	7.22
2	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2002–03	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा साधारण अंश पूँजी के बदले दिए गए ऋण पर ब्याज की मांग की लेखाओं में प्रावधान न करने से हानि कम दिखाई गई।	14.37
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2000–01	अवसूलनीय ऋण, संदेहास्पद ऋण एवं खाद के गबन के कारण हुई हानि का लेखाओं में प्रावधान न करने से निगम का लाभ अधिक दिखाया गया।	4.29
4	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	2000–01	ऊर्जा खरीद बिलों को सम्मिलित न करने, ईंधन स्टाक का समायोजन न करने, ऊर्जा पूर्ति के विरूद्ध प्राप्तियाँ एवं सरकार द्वारा अनुदान को गलत तरीके से सम्मिलित करने, कर्मचारी लागत का गलत पूंजीकरण तथा कुछ खर्चो का प्रावधान लेखाओं में न करने से बोर्ड की हानि कम दिखाई गई।	3289.21

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यचालन परिणाम का लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारण

1.26 2000–01 तक तीन वर्षों के लिए बोर्ड के कार्यचालन परिणाम के लेखापरीक्षा द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित तथा बोर्ड के वार्षिक लेखाओं पर पृ. ले. प्र. में इंगित बड़ी अनियमितताओं तथा भूल–चूक को ध्यान में रखते हुए और सरकार से प्राप्य अनुदान/सहायता को छोड़कर, बोर्ड का शुद्ध घाटा एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल निम्नलिखित है :

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	1998–99	1999–2000	2000–01
1	लेखा पुस्तिकाओं के अनुसार निवल घाटा	2,522.48	992.04	3,538.73
2	राज्य सरकार से सहायिकी	483.07	629.00	856.36
3	राज्य सरकार से सहायिकी के पूर्व निवल घाटा (1+2)	3,005.55	1,621.04	4,395.09
4	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा की टिप्पणी के फलस्वरूप घाटे में निवल वृद्धि।	990.71	79.42	3,289.21
5	राज्य सरकार से सहायिकी के पूर्व तथा लेखापरीक्षा की टिप्पणी के अभिघट्टन को लेते हुए निवल घाटा	3,996.26	1,700.46	7,684.30
6	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	(–)1,928.24	(–)285.84	(–)2,607.40

लेखापरीक्षा की प्रेरणा से वसूली

1.27 वर्ष 2002–03 के दौरान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि बोर्ड ने पाँच मामलों में कुल 1.90 करोड़ रुपये के टैरिफ का न्यून उद्ग्रहण किया। लेखापरीक्षा द्वारा उठायी गई सभी आपत्तियों को बोर्ड ने स्वीकार किया और लेखापरीक्षा की प्रेरणा पर 1.90 करोड़ रुपये वसूल किए गए।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के निर्देशानुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण में सुधार पर प्रतिवेदन

1.28 सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4) के अन्तर्गत यह प्रतिवेदन देना है कि निगम के आकार और कार्य की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया लागू है कि नहीं। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के पालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) को आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण सहित विभिन्न पहलुओं पर पूरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है और जिन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है उसकी पहचान करनी है।

इसी अधिनियम की धारा 292A, जो की कम्पनी (संशोधन) बिल, 2000 के अन्तर्गत संशोधित की गई है, के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निगम, जिसकी प्रदत्त पूँजी पाँच करोड़ रुपये या अधिक है, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना है। लेखापरीक्षा समिति आन्तरिक नियंत्रण की प्रक्रिया एवं पर्याप्तता को सुनिश्चित करेगी एवं निदेशक मंडल के समक्ष वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत करने से पहले उनकी समीक्षा करेगी।

* *नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल निवल लाभ/हानि तथा लाभ/हानि लेखे पर भारित ब्याज (पूंजीगत ब्याज को घटाकर) के योग का द्योतक है।*

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए सात सरकारी कम्पनियों के ऐसे 12 प्रतिवेदन जो कि वर्ष 2003–04 में अंतिम रूप दिये गये लेखाओं से संबंधित है, के विश्लेषण से पता चलता है कि सातों निगमों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा पाई गई कमियाँ **परिशिष्ट–8** में निहित हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 (क) के अंतर्गत तीन कंपनियों* ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार–विमर्श की स्थिति

1.29 लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर विचार–विमर्श हेतु लम्बित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की सितम्बर 2004 तक की स्थिति निम्नलिखित है :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या		विचार–विमर्श के लिये लम्बित समीक्षाओं एवं कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षायें	कंडिकायें	समीक्षायें	कंडिकायें
1981–82	4	8	3	0
1982–83	8	18	5	1
1983–84	4	34	3	5
1984–85	3	9	3	1
1985–86	3	21	3	4
1986–87	6	29	6	8
1987–88	5	23	5	6
1988–89	4	44	4	10
1989–90	6	48	6	12
1990–91	4	39	4	9
1991–92	4	49	4	15
1992–93	5	31	5	9
1993–94	3	32	3	5
1994–95	3	19	3	6
1995–96	3	21	3	7
1996–97	3	21	2	17
1997–98	2	25	2	24
1998–99	6	15	6	15
1999–2000	3	15	3	15
2000–01	2	13	2	13
2001–02	3	9	3	9
कुल	**84**	**523**	**78**	**191**

* *1. बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि॰ 2. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि॰ 3. बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि॰*

619–बी कम्पनियाँ

1.30 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–(बी) के अन्तर्गत आठ कम्पनियाँ थी। इनमें से छः कम्पनियों ने प्रारम्भ से ही अपने लेखाओं का अन्तिमीकरण नहीं किया तथा इनको बन्द करने के लिए सोन कमाण्ड एरिया डेवलेपमेंट एजेन्सीज (स्काडा) ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सितम्बर 2000 में आवेदन दाखिल किया। इन कम्पनियों के नवीनतम लेखाओं के आधार पर संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम, प्रदत्त पूंजी, अंश पूंजी के रूप में निवेश, ऋण एवं अनुदानों की विस्तृत विवरणी **परिशिष्ट–9** में निहित है।

अध्याय–II

2. सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा

2.1 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

मुख्य अंश

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) पूर्ण स्वामित्त्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में नवम्बर 1980 में निगमित की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन बंगले, होटल, रज्जु मार्ग, परिवहन परिचालन, खान–पान सेवा आदि को संचालित कर राज्य में पर्यटन को उन्नत करना था। *(कंडिका 2.1)*

1999–2004 के दौरान 30 परियोजनाओं (17 केन्द्रीय और 13 प्रादेशिक) के लिए प्राप्त किये गये 5.40 करोड़ रुपये में से कम्पनी द्वारा 18 परियोजनाओं पर 4.54 करोड़ रुपये उपयोग किये गये थे। शेष 12 परियोजनायें भूमि उपलब्ध नहीं होने और अन्य कारणों से आरम्भ नहीं की गई थीं। *(कंडिका 2.6)*

निधि की उपलब्धता के बावजूद, कम्पनी पर्यटकों को मूल सुविधाओं यथा, सुलभ शौचालय कम्पलेक्स, प्रसाधन, पेय–जल एवं मार्ग सुविधाओं को उपलब्ध कराने में विफल रही। *(कंडिका 2.7.2 और 2.7.3)*

वर्ष 1999–2003 के दौरान कम्पनी 5 करोड़ रुपये की वार्षिक आय प्राप्त करने में विफल रही। *(कंडिका 2.8)*

प्रचार में कमी, मूल सुविधाओं एवं मनोविनोद तथा मनोरंजन की सुविधाओं के अभाव में राज्य के पर्यटन टैरिफ में कम्पनी की हिस्सेदारी (0.43 प्रतिशत) नगण्य थी। *(कंडिका 2.10)*

वर्ष 1999–2003 के दौरान कम्पनी के होटलों में पर्यटकों का ठहराव वास्तविक ओकुपेन्सी लक्ष्य 60 प्रतिशत के विरूद्ध 21.56 और 22.61 प्रतिशत के बीच था, परिणामस्वरूप कम्पनी को 5.38 करोड़ रुपये की संभाव्य राजस्व की हानि हुई। *(कंडिका 2.11)*

राज्य सरकार के आदेश के प्रतिकूल, पर्यटन मंत्री, बिहार सरकार को वाहन के आवंटन के कारण अप्रैल 1999 से सितम्बर 2004 के दौरान कम्पनी ने 11.75 लाख रुपये का व्यय वहन किया था। *(कंडिका 2.14)*

प्रस्तावना

2.1 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) नवम्बर 1980 में पूर्ण स्वामित्त्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में निगमित की गई जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं के स्वामित्त्व वाले या बिहार सरकार के पर्यटन विभाग (डी. ओ. टी.) और अन्य विभागों से अर्जित किये गये पर्यटक बंगलों, युवा होस्टलों, रज्जु मार्गों, परिवहन परिचालन एवं भोजन प्रबंध सेवाओं को लाभ

के आधार पर संचालन कर राज्य में पर्यटन को उन्नत करना था। कम्पनी के अनुषंगी उद्देश्य में पर्यटक कम्पलेक्सों और पर्यटक सैरगाहों के विकास के लिए योजना बनाने और योजनाओं के निष्पादन के साथ–साथ पर्यटकों और यात्रियों के लिए आवश्यक पैम्फलेट, किताबों और अन्य सामग्रियों का मुद्रण और प्रकाशन, सिने फिल्मस और डॉकुमेन्टरी फिल्मस के निर्माण, वितरण और प्रदर्शन, नौकायन, तरणताल आदि के व्यवसाय का संचालन सम्मिलित था।

31 मार्च 2004 को कम्पनी के पास बजट अनुकूल आवास श्रेणी के शयनशाला के साथ 515 शय्या वाले 19 होटलों को सम्मिलित कर कुल 1341 शय्या क्षमता वाले 34 होटल (23 स्व–प्रबन्धित और 11 पट्टे पर) और 30 रेस्तराँ (13 स्व–प्रबन्धित और 17 पट्टे पर) **(परिशिष्ट–10)**, एक रज्जु मार्ग, पर्यटकों के हितलाभ के लिए 12 बसों का एक बेड़ा और विविध अन्य सम्पत्तियाँ यथा मार्ग पार्श्व, तीर्थ यात्री केन्द्र (एक स्व–प्रबन्धित और छः पट्टे पर), तीर्थ यात्री शेड, विपणन परिसर, तरणताल आदि था। रज्जुमार्ग, राजगीर में अवस्थित रेस्तराँ, कम्पनी द्वारा पट्टाधारक से अधिकार में लेने के बाद जून 2000 से ही बन्द था। उपरोक्त 34 होटलों में से कम्पनी के नियंत्रणाधीन रेस्तराँ सहित सात होटल (चार स्व–प्रबन्धित और तीन पट्टे पर) का दिसम्बर 2003 में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था जिसके विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में कम्पनी ने मुकदमा दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश (दिसम्बर 2003) में यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था।

संगठनात्मक ढ़ाँचा

2.2 कम्पनी का प्रबन्धन बोर्ड के निदेशकों (बोर्ड) में निहित था। 31 मार्च 2004 को बोर्ड में एक संव्यावसायिक और बिहार सरकार द्वारा जनता में से नामित दो निदेशकों सहित कुल सात निदेशक थे। प्रबन्ध निदेशक मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं और कम्पनी के दैनिक कार्यों में उसे एक उप–महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), प्रबंधक (प्रशासन) और कार्यपालक अभियंता द्वारा सहायता प्राप्त होती हैं। पदनामित प्रबंधक कम्पनी की होटलों और अन्य गतिविधियों को संचालित करते हैं।

प्रदत्त पूँजी 50 लाख रुपये से अधिक होने के बावजूद कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुच्छेद 383 ए जैसा 1988 में संशोधित किया गया का उल्लंघन कर पूर्णावधि सचिव के बिना कार्य कर रही थी। परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों से संबंधित मुख्य सचिवीय कार्य यथा अनुच्देद 285 की शर्त्तों के अनुसार बोर्ड की बैठकों का आयोजन, विवरणियों का कम्पनी निबन्धक (आर. ओ. सी.) के यहाँ प्रस्तुत करना, सांविधिक लेखा–खातों का संधारण, शेयरों के आबंटन में विलम्ब का परिहार्य आदि का अनुपालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि कम्पनी निबंधक के यहाँ विवरणियों को प्रस्तुत करने में चूक के कारण कम्पनी निबंधक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 2002–04 के दौरान लगाया गया 1.34 लाख रुपये का जुर्माना कम्पनी को भुगतान करना पड़ा था।

विवरणियों को कम्पनी निबंधक के पास प्रस्तुत करने में चूक के कारण कम्पनी ने 1.34 लाख रुपये जुर्माना भुगतान किया।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.3 कम्पनी के कार्यकलापों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) की वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन में यथा आकुपेंसी और कैटरिंग सेवा को आच्छादित करते हुये उसकी विशिष्टता को प्रकटित की गई थी। लोक उपक्रम समिति ने अभी तक प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं किया है।

दो महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों (राजगीर और बोध गया) में अवस्थित छः* स्व–प्रबन्धित होटलों और भोजनालयों के लेखाओं की नमूना जाँच पर आधारित वर्तमान समीक्षा, जो दिसम्बर 2003 से अप्रील 2004 के दौरान संचालित की गई थी, 1998–99 से 2003–04 की अवधि में कम्पनी के कार्यकलापों को आच्छादित करती है।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण का खाका तैयार करते समय मुख्य कठिनाईयाँ बकाया लेखाओं, विश्वसनीय प्रबन्धन सूचना प्रणाली का अभाव और प्रबन्धन द्वारा अपर्याप्त अनुवीक्षण क्रिया–कलाप थी।

स्टेट पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राजेज के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.पी.एस.ई.) की बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेष अनुरोध करते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सरकार/कम्पनी को अगस्त 2004 में प्रतिवेदित किया गया था ताकि समीक्षा को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार/प्रबन्धन का दृष्टिकोण ज्ञात किया जा सके। पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राजेज की लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक 14 सितम्बर 2004 को आयोजित की गई थी। कम्पनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, जो पर्यटन विभाग, बिहार सरकार के सचिव भी है, से उत्तर की प्राप्ति के पश्चात् समीक्षा को अन्तिम रूप दिया गया। लेखापरीक्षा जाँच के परिणाम की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

निधियों का स्रोत

पूँजी संरचना

2.4 31 मार्च 2004 को प्राधिकृत शेयर पूँजी 5 करोड़ रुपये के विरूद्ध प्रदत्त पूँजी 2.49 करोड़ रुपये थी जो पूर्ण–रुपेण राज्य सरकार द्वारा अंशदान की गई थी। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि यद्यपि प्रत्येक 100 रुपये के 2,49,008 शेयर निर्गत/आवंटित किये गये थे, 31 मार्च 2003 को कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 2.49 करोड़ रुपये की बजाय 1.05 करोड़ रुपये दर्शायी गई थी। प्रबन्धन द्वारा बताया गया (सितम्बर 2004) कि यह त्रुटि थी।

वित्तीय स्थिति और कार्यकलाप परिणाम

वित्तीय स्थिति

2.5 कम्पनी ने 2002–03 तक की लेखाएँ तैयार कर ली थीं और उन्हें कम्पनी के निदेशक पर्षद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। फिर भी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 1993–94 और उसके बाद की अवधि के लेखाओं की अभी लेखापरीक्षा किया जाना बाकी था।

2.5.1 2003–04 तक 5 वर्षों की अवधि में कम्पनी की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट–11** में दी गई है। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि

ब्याज का प्रावधान किये बगैर ऋण दिये जाने के कारण 79.29 लाख रुपये की हानि।

- कम्पनी ने राँची अशोक विहार होटल निगम (आर. ए. बी. एच. सी.) को 10 लाख रुपये का अस्थाई ऋण दिया था (1989–90)। राँची अशोक बिहार होटल ने न तो ऋण की राशि को लौटाया और न ही उसपर कम्पनी द्वारा दावा की गई (दिसम्बर 2003) कुल ब्याज की राशि (दण्ड ब्याज सम्मिलित कर) 79.29 लाख रुपये वापस किया। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2004) कि राँची अशोक विहार होटल के साथ ऋण की राशि 10 लाख रुपये पर ब्याज के भुगतान के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में कम्पनी का आर. ए. बी. एच. सी. के विरूद्ध ब्याज और दण्ड ब्याज के भुगतान का कोई कानूनी दावा नहीं बनता था और उसे दिसम्बर 2003 तक 79.29 लाख रुपये की हानि हो चुकी थी।

* *होटल : (i) गौतम बिहार, राजगीर (ii) अजातशत्रु विहार, राजगीर (iii) तथागत विहार, राजगीर (iv) बुद्ध विहार, बोध गया (v) सुजाता विहार, बोध गया और (vi) सिद्धार्थ विहार, बोध गया*
रेस्तराँ : (i) गौतम विहार, राजगीर (ii) तथागत विहार, राजगीर

विविध देनदारों में सम्मिलित 43.85 लाख रुपये की वसूली संदिग्ध थी।

56.65 लाख रुपये के विविध देनदारों में 5 वर्षों से ज्यादा वसूली हेतु लंबित 43.85 लाख रुपये सम्मिलित था, जिसे आवश्यक विवरण के अभाव में अनुसरण नहीं किया गया था। अतः इसकी वसूली संदिग्ध थी। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2004) कि 43.85 लाख रुपये के विविध देनदारों का पार्टीवार विवरण तैयार करने के लिए सनदी लेखाकारों की दो फर्मों की नियुक्ति की गई है।

कार्यकलाप परिणाम

2.5.2 2003–04 तक के विगत पाँच वर्षों की कम्पनी के कार्यकलापों के परिणाम की संक्षिप्त स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :

(रुपये लाख में)

	विवरण	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
क	कुल आय	366.97	367.11	421.33	426.09	अनुपलब्ध
ख	कुल व्यय	374.68	362.44	415.40	419.09	अनुपलब्ध
ग	शुद्ध लाभ	(–)7.71	4.67	5.93	7.00	अनुपलब्ध
घ	पूर्व अवधि का समायोजन (निवल)	(–)9.31	(–)1.05	(–)0.07	0.53	अनुपलब्ध
ङ	करों का प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	2.77	अनुपलब्ध
च	पूर्व अवधि के समायोजन और करों के प्रावधान के बाद लाभ	(–)17.02	3.62	5.86	4.76	अनुपलब्ध

अलाभदायी निवेश

2.41 करोड़ रुपये अलाभदायी निवेश में अवरूद्ध किया गया।

2.5.3 राँची अशोक बिहार होटल निगम (आर.ए.बी.एच.सी.) के निर्माण और संचालन के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बी. एस. टी. डी. सी.) ने भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आइ. टी. डी. सी.) के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में कार्यभार संभाला था (1981)। वर्ष 2001–02 की नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार आर. ए. बी. एच. सी. की प्राधिकृत पूँजी एक करोड़ रुपये के विरूद्ध प्रदत्त पूँजी 71.60 लाख रुपये (आइ. टी. डी. सी. – 36.52 लाख रुपये और बी. एस. टी. डी. सी. – 35.08 लाख रुपये) थी, जो 3.59 करोड़ रुपये की संचित हानि के कारण पूर्ण रूप से क्षय हो चुका थी। बी. एस. टी. डी. सी. ने इसके आरम्भ होने के बाद से ही कोई लाभांश प्राप्त नहीं किया था।

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि बी. एस. टी. डी. सी. ने आई.टी.डी.सी. के साथ संयुक्त रुप से कार्य संभालने के पूर्व आर. ए. बी. एच. सी. की स्वतंत्र संभव्यता का अध्ययन नहीं किया था और न ही संयुक्त उद्यम के रूप में बने रहने के संबन्ध में कोई मध्यावधि समीक्षा किया था। घोर वित्तीय संकट के कारण आर. ए. बी. एच. सी. ने बिहार स्टेट क्रेडिट एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कॉपरपोरेशन लिमिटेड (बी.आई.सी.आई.सी.ओ.), जिसने इसके निर्माण के लिए 83.15 लाख रुपये का मियादी ऋण स्वीकृत किया था, का लम्बित ऋण और ब्याज की राशि 1.88 करोड़ रुपये को वापस नहीं किया था। परिणामस्वरूप बी. आई. सी. आई. सी. ओ. ने आर. ए. बी. एच. सी. की सम्पत्ति का अधिग्रहण (जून 1996) कर लिया और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 और 30 के अंन्तर्गत इसकी बिक्री के लिए विज्ञापन दिया जिसमें अधिकतम प्रस्ताव 2.05 करोड़ रुपये का प्राप्त हुआ था।

आर. ए. बी. एस. सी. को नियंत्रण में लेने के लिए आई. टी. डी. सी. और बी. एस. टी. डी. सी. दोनों ने व्यक्तिगत रूप से बी. आई. सी. आई. सी. ओ. को 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान, जो

बी. आई. सी. आई सी. ओ. द्वारा प्राप्त अधिकतम प्रस्ताव पर आधारित था, मार्च 1997 में किया। बी. आई. सी. आई. सी. ओ. ने आई. टी. डी. सी. को आर. ए. बी. एच. सी. का नियंत्रण सौंप दिया जिसे बी. एस. टी. डी. सी. द्वारा आपत्ति की गई थी। इस सम्बन्ध में आई. टी. डी. सी. द्वारा दर्ज किया गया मुकदमा पटना उच्च न्यायालय में लम्बित था जिसमें न्यायालय ने यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का अन्तरिम आदेश पारित किया था। इसी बीच विनिवेश आयोग, भारत सरकार ने आर. ए. बी. एच. सी. का 51 प्रतिशत शेयर, जो आई. टी. डी. सी. का था, विनिवेश करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार विनिवेश आयोग की अनुशंसा से सहमत नहीं हुई।

अतः स्वतंत्र संभव्यता का अध्ययन किए बगैर और निवेशी कम्पनी में निरंतर बने रहने के सम्बन्ध में मध्यावधि समीक्षा अथवा निवेश वापसी का विश्लेषण किए बिना आई. टी. डी. सी. के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में कार्य–भार संभालने के परिणामस्वरूप बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (बी. एस. टी. डी. सी.) का 2.41 करोड़ रुपये अवरूद्ध पड़ा था। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2004) कि चूँकि आर. ए. बी. एच. सी. का मामला न्यायालय में लम्बित था इसलिए कम्पनी इस निवेश के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी।

केन्द्रीय और राज्य सहायता

2.6 1999–22004 के दौरान 30 परियोजनाओं (केन्द्रीयः17 और राज्य की : 13) के लिए कम्पनी ने 5.40 करोड़ रुपये (केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 4.25 करोड़ रुपये और राज्य सहायता के अन्तर्गत 1.15 करोड़ रुपये) प्राप्त किया था जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		कुल		
	संख्या	जारी की गई राशि	संख्या	जारी की गई राशि	संख्या	जारी की गई राशि	उपयोगित राशि
स्वीकृत	17	4.25 (भारत सरकार–1.96) (बिहार सरकार–2.29)	13	1.15	30	5.40	4.54
आरम्भ की गई	8	4.09	10	0.97	18	5.06	4.54
पूरी की गई	–	–	10	0.97	10	0.97	1.07
अपूर्ण	8	4.09	–	–	8	4.09	3.47
आरम्भ नही की गई	9	0.16	3	0.18	12	0.34	–

30 परियोजनाओं के लिए प्राप्त राशि 5.40 करोड़ रुपये में से कम्पनी ने 18 परियोजनाओं पर 4.54 करोड़ रुपये का उपयोग किया।

30 परियोजनाओं में से 18 परियोजनायें (केन्द्रीय : 8 और राज्य की : 10) कम्पनी ने आरम्भ किया था, जिनमें से राज्य की सहायता प्राप्त 10 परियोजनायें 97 लाख रुपये विमुक्त निधियों *के विरूद्ध 1.07 करोड़ रुपये की लागत पर पूर्ण की गई थी और शेष आठ केन्द्रीय परियोजनायें* पूर्ण होने की विभिन्न स्थितियों में थीं। इन आठ परियोजनाओं पर किया गया व्यय विमुक्त राशि 4.09 करोड़ रुपये के विरूद्ध 3.47 करोड़ रुपये था। कम्पनी ने 12 परियोजनाओं (केन्द्रीय : नौ और राज्य की : 3) निधि की अनुपलब्धता (तीन) और अन्य कारणों (नौ) की वजह से आरम्भ नहीं किया था। परिणामस्वरूप 34.17 लाख रुपये अव्ययित रहा और सरकार को नहीं लौटाया गया (सितम्बर 2004)।

लेखापरीक्षा का निम्नवत प्रेक्षण था :

- 1995–99 के दौरान स्वीकृत की गई छः केन्द्रीय परियोजनायें 5 से 8 वर्षों तक अपूर्ण रहीं तथा उनका विस्तार 1990–2004 तक कर दिया गया था और इन अपूर्ण परियोजनाओं पर किया गया व्यय विमुक्त निधियो 56.59 लाख रुपये के विरूद्ध 33.53 लाख रुपये था (मार्च 2004)।
- प्रतिमानको का उल्लंघन कर राज्य सरकार ने गलत वचन देकर कि परियोजनाओं के लिए भूमि सहज उपलब्ध थी, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से निधियाँ विमुक्त करवायी थी।
- भारत सरकार के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के बिना निधियों को रोक कर रखा गया और अन्य योजनाओं में विचलित किया गया था। इससे अन्ततः राज्य में पर्यटकों की सुविधाओं के निर्माण/उन्नयन में बाधा पहुँची।
- कम्पनी ने योजनाओं के कार्यान्वयन का ब्यौरा योजना अवधि के अनुसार संधारण नहीं किया था।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा करने में विलम्ब के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा निधियाँ जारी नहीं की गई थी।

- 12 केन्द्रीय परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्रों को जमा करने में 1 से 12 वर्षों तक का विलम्ब होने के फलस्वरूप योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से 1.50 करोड़ रुपये की पुर्नः निधि जारी नहीं की गई थी। परियोजनाओं को 2.45 करोड़ रुपये की लागत पर पूरा किया गया था जिसमें 1.50 करोड़ रुपये अन्य परियोजनाओं के लिए उपलब्ध निधियों से विचलित किया गया सम्मिलित था। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2004) कि सभी उपयोगित प्रमाण पत्र सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिये गये थे। सरकार का उत्तर सुस्पष्ट नहीं था क्योंकि वह उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलम्ब को उचित ठहराने में असफल रहा।

संरचना

संरचना का विकास

2.7 कम्पनी पर्यटक संरचना के विकास के लिए केन्द्रीय और राज्य सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण और उन्हें पूरा करने के लिए कार्यकारी अभिकरण के रूप में कार्य करती है। केन्द्रीय सहायता के अधीन निर्मित परिसम्पत्तियाँ भारत सरकार की सम्पत्ति होगीं परन्तु एक रूपया प्रति माह भुगतान पर उन्हें राज्य सरकार के संचालन और प्रबन्धन हेतु दिया जाएगा। इसके अलावा कम्पनी ने स्व–वित्त पोषित परियोजनाओं को भी अपने अधीन लिया।

केन्द्र और राज्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन

19 परियोजनाओं (पूर्ववर्ती अधुरों को सम्मिलित करते हुये) से सम्बन्धित मामलों की जाँच लेखापरीक्षा में की गई। निम्नलिखित कंडिकाओं में उपरोक्त योजनाओं से संबंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण की चर्चा की गई है ।

केन्द्र से सहायता प्राप्त परियोजनायें

पूर्णिया में पर्यटक कम्पलेक्स का निर्माण

2.7.1 पूर्णिया में पर्यटक कम्लेक्स के निर्माण के लिए एक योजना 1990 में स्वीकृत की गई थी जिसके लिए कम्पनी को 16.48 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई थी। जबकि बिहार सरकार ने कथित योजना के लिए भूमि अप्रील 2000 में उपलब्ध कराई अर्थात् लगभग 10 वर्ष

बीत जाने के बाद। विलम्ब से भूमि का आबंटन होने के कारण भारत सरकार ने 74.13 लाख रुपये का पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत और अनुमोदित किया (अप्रील 2001)। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि परियोजना के लिए पूर्ण स्वामित्त्व वाली भूमि की उपलब्धता का गलत वचन देकर निधियाँ जारी कराई गई थीं। पुनः 1990 में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का उल्लंघन कर कम्पनी को उपलब्ध कराई गई 14.68 लाख रुपये की निधियाँ अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए विचलित की गई थी।

कम्पनी ने विवादित भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ किया और 56.59 लाख रुपये खर्च किया। आगे सम्भाव्य टैरिफ का निर्धारण किये बिना लीजिंग किया गया था।

परियोजना की भूमि मुकदमेबाजी के अधीन थी। जबकि प्रबंधन ने न्यायालय के आदेश के अभाव में निर्माण कार्य जारी रखा और 56.59 लाख रुपये का व्यय किया (जुलाई 2004)। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि परियोजना स्थल तक पहुँच पथ और भू–दृष्य निर्माण को सुनिश्चित किये बिना निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था। प्रबन्धन ने संभाव्य टैरिफ का निर्धारण किये बिना इसे कुल पट्टा किराया 2.88 लाख रुपये पर एक निजी संस्था को दो वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे दिया (सितम्बर 2003)।

पर्यटक स्थलों पर जन–सुविधाओं का निर्माण

2.7.2 केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी. एफ. ए.) के पुनरीक्षित मार्गदर्शिका (जुलाई 1999) के अनुसार पेय–जल सुविधाओं सहित जन–सुविधाओं (सुलभ शौचालय कम्पलेक्स) के निर्माण पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाना था। इस प्रकार निर्मित सुविधाओं का "भुगतान करो और व्यवहार करो" के आधार पर अनुरक्षण और संचालन किया जाना था।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 10[क] स्थानों पर जन–सुविधाओं के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा 1990–91 और 1992–93 के दौरान दी गई और 16.71 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद राजगीर (4.84 लाख रुपये) के अलावा उपरोक्त परियोजनाओं में से कोई भी परियोजना पूरी नहीं की गई। अन्य नौ स्थानों के लिए अनुबंधित परियोजनायें बिना किसी अभिलेखित कारण के बन्द कर दी गयीं। कम्पनी अव्ययित राशि 11.87 लाख रुपये सरकार को वापस नहीं की थी।

इसप्रकार कम्पनी निधियों की उपलब्धता के बावजूद पर्यटकों को आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान करने में असफल थी।

यात्री उन्मुख मार्ग की सुविधाओं का निर्माण

2.7.3 केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी. एफ. ए.) के मार्गदर्शिका के अनुसार सड़क द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों को मार्ग की सुविधाओं का प्रावधान किया जाना था।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण में पाया गया कि आठ परियोजनायें 1985–2001 के दौरान स्वीकृत की गई थीं और छः परियोजनाओं के लिए 37.79 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी। कम्पनी ने तीन परियोजनाओं पर 9.14 लाख रुपये की राशि व्यय किया था। शेष परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया (मार्च 2004)। इनमें से कोई भी परियोजना भूमि–विवाद/मुकदमेबाजी, निधियों का आबंटन नहीं होने के कारण पूर्ण/चालू नहीं की जा सकी थी। इसप्रकार 9.14 लाख रुपये का व्यय अलाभदायी और अवरूद्ध रहा और कम्पनी शौचालय, पेय–जल आदि जैसी मार्ग की आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में असफल थी।

क राजगीर, नालन्दा, गया, बोध गया, वैशाली, देवघर, बासुकीनाथ, मोहनिया, सासाराम, सुल्तानगंज

राज्य सहायता–प्राप्त परियोजनाओं का परित्याग

हाजीपुर में पर्यटक कम्पलेक्स का निर्माण

2.7.4 बिहार सरकार ने हाजीपुर में पर्यटक कम्पलेक्स निर्माण के लिए भूखण्ड खरीदने के लिए मई 1990 में कम्पनी को 2.66 लाख रुपये का प्रावधान किया था।

कम्पलेक्स की परियोजना लागत 13.50 लाख रुपये थी, जो कम्पनी को शेयर पूँजी के रूप में उपलबध करायी गई थी। भूमि–अधिग्रहण के बाद, कम्पनी ने 2.16 लाख रुपये की लागत पर चहारदिवारी का निर्मण किया था। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि बिहार सरकार के स्मारो के बावजूद परियोजना को लेने के लिए कम्पनी ने कोई पहल नहीं की थी।

कम्पनी ने बिहार सरकार के नियंत्रण के अधीन कार्यरत होटल प्रबन्धन संस्थान, पटना को भूमि को बिना लागत के स्थानान्तरित किया था (2003)। इसप्रकार कम्पनी द्वारा अप्रर्याप्त कार्रवाई के कारण हाजीपुर में कम्पलेक्स का कार्य नहीं लिया जा सका और 13.50 लाख रुपये में से 11.34 लाख रुपये कम्पनी के पास अप्रयुक्त पड़ा रहा।

परिचालन निष्पादन

स्व–प्रबन्धित होटलों का परिचालन निष्पादन

2.8 1999–2003 के दौरान होटलों के परिचालन निष्पादन को नीचे संक्षेपित की गई है :

वर्ष	होटल की कार्यरत ईकाइयों	कुल प्रचालनात्मक	ईकाइयाँ जो लाभ अर्जित की			ईकाइयाँ जिनमें हानि हुई		
			संख्या	प्रतिशत	राशि	संख्या	प्रतिशत	राशि
1999–2000	25	41.13	19	76	43.22	6	24	2.09
2000–01	22	29.86	15	68	34.49	7	32	4.63
2001–02	22	53.13	20	91	53.64	2	9	0.51
2002–03	19	10.18	13	68	42.47	6	32	32.29

कम्पनी कुल 5 करोड़ रुपये वार्षिक व्यवसाय करने में असफल थी।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 1999–2003 के दौरान प्रत्येक होटल पर औसत वार्षिक लाभ 0.53 लाख रुपये और 2.41 लाख रुपये के बीच था लेकिन 2001–02 में 2.41 लाख रुपये का लाभ 2002–03 में 0.53 लाख रुपये से घट गया। पुनः हानि वाले होटलों की संख्या 2001–02 में दो से बढ़कर 2002–03 में छः हो गई। 2002–03 तक विगत् चार वर्षों के दौरान कम्पनी कुल 5 करोड़ रुपये वार्षिक व्यवसाय करने में असफल थी। मुख्य रूप से निम्न स्तर का कार्य परिणाम यात्रियों के ठहराव में कमी के कारण था जैसा कि उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

स्व–प्रबन्धित रेस्तराओं का परिचालन निष्पादन

2.8.1 31 मार्च 2003 तक कम्पनी ने नौ स्व–प्रबन्धित रेस्तराओं का परिचालन किया था। सम्भाव्यता अध्ययन के अभाव में रेस्तराओं की स्थापना की व्यवहार्यता का भौतिक/वित्तीय प्रक्रम में मूल्यांकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका था।

31 मार्च 2003 को समाप्त विगत चार वर्षों के दौरान कम्पनी ने अपने स्व–प्रबन्धित रेस्तराओं से 38.31 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया था। 2002–03 तक विगत चार वर्षों के दौरान स्व–प्रबन्धित रेस्तराओं का परिचालनात्मक निष्पादन का सार **परिशिष्ट–12** में दिया गया है। कम्पनी के पास खान–पान सेवा और वास सेवा के स्थापना व्यय को अलग–अलग दर्शाने के लिए कोई लागत विभाजन पद्धति नहीं थी।

पट्टे पर देना

2.9 31 मार्च 2004 को कम्पनी ने निविदा दर आमंत्रित कर और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सम्पत्ति पट्टे पर देकर 11 होटलों, 18 रेस्तराओं और अन्य सम्पत्तियों जैसे शौपिंग कम्पलेक्स, माग पार्श्व, यात्रियों के लिए शेड आदि को पट्टे पर दिया था। भारत सरकार के निदेश के अनुसार, भारत सरकार के विशिष्ट अनुमोदन के बिना केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी. एफ. ए.) से निर्मित परिसम्पत्तियाँ किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जानी चाहिए। कम्पनी ने स्वसंचालित ईकाइयों और पट्टे पर दी जाने वाली ईकाइयों के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं किया था। आगे पाँच लिज अनुबन्धों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कोई भी अनुबंध सम्पत्तियों के हस्तान्तरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया गया था।

पर्यटन की संवृद्धि और कम्पनी का हिस्सा

कम्पनी के अस्तित्त्व में आने के 23 वर्षों के बाद भी सरकार और कम्पनी पर्यटन की संवृद्धि के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं तैयार कर सकी।

2.10 यद्यपि पर्यटन को एक उद्योग के रुप में मान्यता है तो भी सरकार ने राज्य के लिए किसी पर्यटन नीति का निर्धारण नहीं किया था। इस प्रकार पर्यटन की संवृद्धि के लिए उत्तरदायी घटकों यथा मूल संरचना सुविधाओं की उपलब्धता, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, विपणन, ग्राहक की संतुष्टि आदि को किसी पर्यटन नीति के बिना ही पालन किया जा रहा था। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए कम्पनी को 12 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया था (मई 1998) जिसमें से मार्च 2004 तक सिर्फ 3.81 लाख रुपये का उपयोग किया जा सका था। इसके अस्तित्त्व में आने के 23 वर्षों के बाद भी, सरकार और कम्पनी राज्य में पर्यटन की संवृद्धि के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार नही कर सकी थी।

प्रबन्धन ने बताया कि 20 वर्षों की सापेक्षिक योजना विभाग द्वारा तैयार की गई थी जो बिहार सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में थी (सितम्बर 2004)।

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि 1999–2003 के दौरान बिहार (झारखंड को छोड़कर जो पूर्ववर्ती बिहार में था) में आनेवाले 3.36 लाख विदेशी और 2.53 करोड़ घरेलू पर्यटकों में से सिर्फ 0.10 लाख (3.01 प्रतिशत) विदेशी और 0.94 लाख (0.40 प्रतिशत) घरेलू पर्यटक कम्पनी के होटलों में ठहरे। इसप्रकार, राज्य में आनेवाले कुल पर्यटकों की तुलना में कम्पनी का अंश नगण्य (0.43 प्रतिशत) था। यह प्रचार कार्य में कमी, मूल सुविधाओं, मनोविनोद और मनोरंजक सुविधाओं के अभाव के कारण था जैसा कि कंडिका 2.11, 2.11.1 और 2.11.3 में चर्चा किया गया है।

पर्यटक टैरिफ में कम्पनी का हिस्सा नगन्य था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2004) कि कम्पनी के होटलों का निष्पादन निजी होटलों से अच्छा था। प्रबन्धन का उत्तर सन्तोषजनक नही था क्योंकि उसने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि कम्पनी ने ओकुपेन्सी लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं किया है जैसा कि कंडिका 2.11 में चर्चा की गई है।

आवास

ओकुपेन्सी अनुपात

ओकुपेन्सी लक्ष्य 60 प्रतिशत के विरूद्ध वास्तविक ओकुपेन्सी सिर्फ 21.56 और 22.61 प्रतिशत के परास में होने के परिणामस्वरूप 5.38 करोड़ रुपये के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई थी।

2.11 वर्ष 1998–99 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की कंडिका 2.7 में वर्णित था कि 1998–99 को समाप्त छः वर्षों की अवधि के दौरान ओकुपेन्सी लक्ष्य 60 प्रतिशत के विरूद्ध कम्पनी के होटलों में वास्तविक ओकुपेन्सी 20.6 और 26.6 प्रतिशत के बीच के रेंज में था जिसके परिणामस्वरूप 2.98 करोड़ रुपये के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया था, ओकुपेन्सी में कमी का कारण कम्पनी के होटलों के संचालन के लिए पेशेवर प्रबन्धकों को तैनात नहीं किया जाना और होटल की टैरिफ के निर्धारण के लिए बाजार सर्वेक्षण नहीं कराया जाना था। होटल का टैरिफ भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।

प्रतिवेदन में यह भी वर्णित था कि कम्पनी द्वारा न तो ओकुपेन्सी में कमी के कारणों का विश्लेषण किया गया था और न ही उन्हें प्रकाश में लाने के लिए कोई कदम उठाया गया था। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि अपर्याप्त कार्यवाही के कारण उपरोक्त कमियाँ अभी भी विद्यमान थीं।

बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम लक्षित ओकुपेन्सी 60 प्रतिशत (मार्च 1993) के विरूद्ध 1999–2003 के दौरान सभी स्व–प्रबन्धित होटलों में औसत ओकुपेन्सी अनुपात का परास सिर्फ 21.56 और 22.61 प्रतिशत के बीच था। नीचे दी गई तालिका निवास से लक्षित आय के विरूद्ध वास्तविक आय और ईकाइयों का प्रतिशत, जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं, को संकेत करती है।

वर्ष	निवास उपलब्ध कराने वाली ईकाइयाँ	निवास से लक्षित आय	निवास से वास्तविक आय	कमी	ईकाइयाँ जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं	ईकाइयों का प्रतिशत जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं
1999–2000	18	182.55	84.63	97.92	18	100
2000–01	18	222.24	91.03	131.21	18	100
2001–02	19	271.21	115.85	155.36	19	100
2002–03	19	290.37	137.18	153.19	19	100
कुल		**966.37**	**428.69**	**537.68**		

उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि मार्च 2003 को समाप्त हुये पाँच वर्षों की अवधि में कम्पनी की कोई भी ईकाई लक्षित ओकुपेन्सी को प्राप्त नहीं कर सकी।

कम्पनी ने ओकुपेन्सी में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रभावी कदम उठाया था। होटलों में ओकुपेन्सी की कमी के कारणों का विश्लेषण करते समय लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि होटलों को स्थापित करने/अधिग्रहित करने के पूर्व संभाव्य टैरिफ और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया था। होटलों के टैरिफ का निर्धारण/पुनरीक्षण करने के पूर्व कम्पनी द्वारा किसी बाजार सर्वेक्षण करने का अभिलेख नहीं रखा गया था। इसलिए लेखापरीक्षा में जाँच के लिए प्रतियोगी दरें उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त मूल सुविधाओं और ग्राहक सेवा में कमी, अपर्याप्त प्रचार जैसा कि कंडिका 2.12 में चर्चा की गई है, कम्पनी के पास उत्तम और सर्वोत्कृष्ट होटलों की कमी, मनोरंजन की सुविधाओं यथा : मनोविनोद पार्क, थिम पार्क, तरणताल आदि और परिवहन सुविधाओं का अभाव होना होटलों में ओकुपेन्सी की कमी के लिए उत्तरदायी थे।

प्रबंधन द्वारा बताया गया कि भविष्य में यदि सरकार द्वारा निधियाँ उपलब्ध करायी जाएगीं तो वह ऐसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर विचार करेगा (सितम्बर 2004)।

सेवा दक्षता

अपर्याप्त आवश्यक सुविधायें

2.11.1 पर्यटन उद्योग में आवश्यक सेवायें उपलबध कराना प्रारंभिक आवश्यकता है। होटलों में उपलब्ध आवश्यक सेवाओं और अन्य सुविधाओं की समीक्षा से उसमें अपर्याप्तता प्रकट हुई यथा : लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों के निरीक्षण और होटलों में स्वास्थ्य विवरण के संबंध में उनके निष्कर्षों को दर्शाते अभिलेखों का संधारण नहीं करना, बावर्चियों का समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच का अभाव और परोसे गये भोजन की गुणवत्ता पर खाद्य विशेषज्ञों के जाँच प्रतिवेदन का उपलब्ध नहीं होना।

प्रबन्धन ने बताया कि बावर्चियों का समय–समय पर स्वास्थ्य जाँच आरम्भ की जा रही है (सितम्बर 2004)।

ग्राहकों की संतुष्टि का निर्धारण

2.11.2 निवास सुविधाओं और परोसे गये भोजन के संबन्ध में ग्राहकों की संतुष्टि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए होटलों में सुझाव/शिकायत पंजियों का संधारण किया जाता है। छः होटलों के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि सुझाव/शिकायत पंजियों का उपयुक्त रूप में संधारण नहीं किया गया था और उन्हें ग्राहकों को प्रस्तुत नहीं किया गया। कम्पनी द्वारा कोई वैकल्पिक पद्धति की व्यवस्था नहीं की गई यथा : ग्राहक संतुष्टि प्रतिक्रिया शीट, मानक सेवा मानदण्ड, पोस्टेज प्रि–पेड फीडबैक प्रपत्र आदि।

प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि प्रि–पेड फीड बैक प्रपत्र सुविधा की पद्धति आरम्भ की गयी थी (सितम्बर 2004)। प्रबन्धन द्वारा यह भी बताया गया कि शिकायत पंजियों को ग्राहकों को प्रस्तुत किया जाता था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि शिकायतें ओकुपेन्सी रजिस्टर में भी दर्ज की गई पायी गई थीं।

होटलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण

2.11.3 होटलों में ओकुपेन्सी को बढ़ावा देने के विचार से 1999–2004 के दौरान कम्पनी ने सात होटलों के नवीनीकरण का काम अपने हाथ में लिया था और 1.03 करोड़ रुपये व्यय किया था जिसमें अन्य परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई 34.53 लाख रुपये की राशि शामिल थी। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि नवीनीकरण के बाद एक होटल में औसत ओकुपेन्सी 10.72 प्रतिशत से बढ़कर 14.54 प्रतिशत हो गया जबकि दो होटलों के ओकुपेन्सी में केवल उपांतिक वृद्धि थी। परन्तु तीन होटलों के ओकुपेन्सी में कमी पायी गयी थी जिसमें से एक होटल निजी संस्था को पट्टे पर दिया गया था। नवीनीकरण का प्रभाव और उपरोक्त होटलों के ओकुपेन्सी में उपांतिक वृद्धि/कमी के कारणों का विश्लेषण कम्पनी द्वारा नहीं किया गया।

भोजन प्रबन्ध

2.12 1998–99 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की कंडिका 2.9 में वर्णित था कि स्व–प्रबंधित रेस्तराओं को कुशल मशालची/रसोईया की बजाय सम्बद्ध होटल के स्टाफ, जो पहले से ही होटल के क्रिया–कलापों में लगे थे, के द्वारा निम्न मापक्रम पर संचालित किया जा रहा था। यह भी वर्णित था कि पट्टा पर दिये गए एक वर्ष से अधिक अवधि के रेस्तराओं से सम्बद्ध अनुबन्धों को पंजीकृत नहीं किया गया था और इसलिए वे कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत मान्य नहीं थे। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि ये कमियाँ/अनियमिततायें अभी भी विद्यमान थीं।

प्रचार कार्य

2.13 पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन सशक्त माध्यम है। मई 1993 से मई 1999 के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा कम्पनी को विज्ञापन और सूचना, पर्यटन साहित्य का मुद्रण, बुद्धिस्ट सर्किट पर विवरणिका, छोटी फिल्मों का निर्माण, विज्ञापन पट्ट आदि के लिए 57.88 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। कम्पनी ने 44.44 लाख रुपये का उपयोग किया (अप्रील 2004)। वहाँ निधियों का उपयोग नहीं किया जाना, आंशिक उपयोग में लाना, विलम्ब से उपयोग में लाना और विचलन के दृष्टान्त थे।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि पर्यटन साहित्य और विवरणिका का प्रकाशन करने के लिए प्राप्त की गई 8.38 लाख रुपये की राशि अप्रयुक्त रही, जबकि पर्यटन साहित्य का मुद्रण और

वितरण तथा विज्ञापन के लिए प्राप्त 27.62 लाख रुपये में से 22.89 लाख रुपये का आंशिक उपयोग किया गया। इसप्रकार प्रचार–कार्य पर किया गया व्यय अपर्याप्त था। मार्च 2003 में कम्पनी द्वारा झारखंड सरकार को झारखंड पर्यटन विकास निगम के पंजीकरण के लिए अस्थायी ऋण के रूप में 1.58 लाख रुपये का विचलन किया गया था।

वाहन का अप्राधिकृत आबंटन

2.14 अनावश्यक व्यय में कमी करने की दृष्टि से राज्य सरकार ने लोक उपक्रमों सहित अपने सभी विभागों को निदेश निर्गत किया (अगस्त 1999) कि प्रत्येक कम्पनी को चार वाहनों को रखने की अनुमति है अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक और कार्यालय के उपयोग हेतु, एक–एक वाहन। साथ ही साथ आदेश में वर्णित था कि विभाग मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और सचिव प्रत्येक को एक–एक वाहन उपलब्ध कराएगा।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार के आदेश के विपरीत बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री को कम्पनी द्वारा एक मारूति जिप्सी उपलब्ध करायी गई थी। अप्रील 1999 से सितम्बर 2004 के दौरान कम्पनी द्वारा पेट्रोल, तेल तथा लुब्रिकेन्ट्स, अनुरक्षण और अतिरिक्त कल–पुर्जो, चालक के वेतन और मजदूरी के खाते में 11.75 लाख रुपये व्यय किया गया। इसप्रकार, अप्रील 1999 से सितम्बर 2004 के दौरान मंत्री को वाहनों के आबंटन के फलस्वरूप 11.75 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.15 कम्पनी में अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। लेखापरीक्षा हेतु चार्टड एकाउन्टेन्टस के प्रतिष्ठानों की नियुक्ति की गई थी और उन्हें आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य के अलावा लेखाओं के संकलन का कार्य, बैंक से लेखाओं का मेल मिलाप, ऋण और अग्रिम आदि का कार्य भी सौंपा गया था। कम्पनी के पास कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा मानक/नियम पुस्तक मौजूद नहीं था।

यद्यपि 2002–03 तक की अवधि के लिए कम्पनी के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखाओं पर चर्चा की गई थी और ऋण एवं अग्रिमों, नकद और बैंक पुस्तिकाओं का संधारण, बैंक से मेल मिलाप, टी. डी. एस. का भुगतान आदि से संबन्धित कमियों की अभिस्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई थी, फिर भी प्रबन्धन कमियों को दूर करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने में असफल था।

इसप्रकार, कम्पनी के वित्तीय/भण्डार और स्टॉक के लेन–देनों पर प्रभावी जाँच लागू करने हेतु आन्तरिक नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने का आन्तरिक लेखापरीक्षा का प्रयोजन प्राप्त नहीं किया जा सका था।

प्रबंधन द्वारा बताया गया कि उसने सुझावों को नोट कर लिया था और आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध के गठन हेतु योजना बना रहा था (सितम्बर 2004)।

निष्कर्ष

23 वर्षों के अस्तित्त्व के बावजूद कम्पनी ने पर्यटक आधारित संरचना और मूल सुविधाओं का निर्माण करने के लिए एक उत्तम योजना का विकास नहीं किया था। सुविधाओं के विकास के लिए उद्दिष्ट निधियों को भी, या तो व्यय नहीं किया गया था अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए विचलन कर दिया गया था। प्रचार कार्य में, मूल सुविधाओं, मनोविनोद और मनोरंजन की सुविधाओं में कमी के कारण कम्पनी का राज्य के पर्यटन टैरिफ में शेयर तुच्छ था। कम्पनी की आय 5 करोड़ रुपये से कम थी और यह निम्न ठहराव के कारण हानि में थी।

ठहराव अनुपात को समुन्नत करने और राज्य में पर्यटक टैरिफ में, उसके शेयरों में वृद्धि के लिए कम्पनी को पर्यटक सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त की गई राशियाँ न्यायोचित व्यय करनी चाहिए। कम्पनी को इसके अनवरत अस्तित्त्व के लिए उसकी आय में वृद्धि करने और साथ ही राज्य में पर्यटन को उन्नत करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (अगस्त 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2004)।

अध्याय–III

3. सांविधिक निगमों से संबंधित समीक्षाएँ

3.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

मुख्य अंश

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत गाँवों के विद्युतीकरण/पुनर्वास और विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण/पुनर्वास की योजना को आरम्भ किया।

(कंडिका 3.1.1)

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विमुक्त 221.94 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार ने वर्ष 2001–04 के दौरान 155.86 करोड़ रुपये बोर्ड को संवितरित किया और 66.80 करोड़ रुपये व्यक्तिगत खाता लेखा में रखा।

राज्य सरकार द्वारा संवितरित 155.86 करोड़ रुपये में से बोर्ड ने मात्र 55.32 करोड़ रुपये का उपयोग किया और अप्रयुक्त 100.54 करोड़ रुपये की निधि को कम ब्याज दरों पर सावधिक जमा में रखा, जबकि बोर्ड ने उच्च ब्याज दरों पर सरकार से ऋण प्राप्त किया था। फलतः ब्याज दरों में अंतर के कारण बोर्ड ने 13.31 करोड़ रुपये की हानि उठाई।

(कंडिका 3.1.4)

1995–96 से 2000–01 की अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण पर हुये हानि को बोर्ड राज्य सरकार से 2963.09 करोड़ रुपये परिदान (सब्सिडी) का दावा करने में विफल रहा तथा 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले पाँच विगत वर्षों में बोर्ड ने 1627.91 करोड़ रुपये ब्याज की हानि उठाई।

(कंडिका 3.1.5)

वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार करने में बिलम्ब, सामग्रियों की अपर्याप्त/बेमेल क्रय व आपूर्ति और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य से अन्य कार्यों में भंडारों के विचलन के कारण बोर्ड 26512 ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 7186 ग्रामों का विद्युतीकरण/पुनर्वास ही कर सका तथा वर्ष 1999–2004 के दौरान 71.54 करोड़ रुपये के राजस्व से बंचित रहा।

(कंडिका 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14 और 3.1.15)

वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिलों के 2600 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 72.06 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के विरूद्ध 86 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की व्यवस्था किए बिना बोर्ड ने 158.06 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई लागत पर पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड के साथ एकरारनामा किया। फलतः, परियोजना में बिलम्ब/अपूर्ण होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(कंडिका 3.1.18)

बोर्ड ने पावर ग्रिड कारपोरेशन के 20.77 करोड़ रुपये की अमान्य वृद्धि दावे को स्वीकार कर लिया जिसमें परामर्श शुल्क (8.08 करोड़ रुपये), सामग्रियों की अधिक कीमत (2.27 करोड़ रुपये), टर्न की उत्तरदायित्व लागत (1.58 करोड़ रुपये), मीटरों की अधिक कीमत (1.84 करोड़ रुपये), खंभों के कंक्रीटीकरण का अतिरिक्त प्रभार

(4.93 करोड़ रुपये) और विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण (2.07 करोड़ रुपये) से सम्बन्धित अनधिकृत व्यय था।

(कंडिका 3.1.19, 3.1.20, 3.1.22, 3.1.23, 3.1.24 तथा 3.1.25)

विद्युतीकृत ग्रामों में अपेक्षित भार के विरूद्ध बेमेल विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण के कारण ट्रांसफर्मर अतिभारित हो गये। फलतः मानकों से अधिक 3124 ट्रांसफर्मर खराब हो गये, जिस कारण उनकी मरम्मत पर 5.37 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.28)

लक्ष्यों के निर्धारण में बिलम्ब और सामग्रियों की अपर्याप्त खरीद के कारण 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में 328 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण/पुनर्वास के लक्ष्य के विरूद्ध बोर्ड केवल 20 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण/पुनर्वास ही कर सका और विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता आवश्यकता से कम पड़ गयी।

(कंडिका 3.1.29)

आबंटित ईकाइयों द्वारा खंभों का उठान नहीं किये जाने के कारण स्थान अवरूद्ध रहा तथा कच्चे माल की कमी के कारण प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट खम्भा उत्पादक ईकाइयाँ अपनी स्थापित क्षमता को प्राप्त करने में विफल रहीं और बोर्ड को ऊँची दरों पर बाजार से 86,500 खंभे खरीदने पड़े, जिसके फलस्वरूप 2.21 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.1.32)

प्रस्तावना

3.1.1 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को 1970–71 से लागू किया। इस योजना में हरिजन ग्राम सहित ग्राम्य विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण और कुटीर ज्योति योजना के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं तक विद्युत संबंध का विस्तार करना था। बोर्ड ने गाँवों में और उन विद्युत उपकेन्द्रों में पुनर्वास कार्य का निष्पादन भी किया, जो पहले से विद्युतीकृत थे, परन्तु ग्राम्य विद्युतीकरण हेतु निर्मित आधारभूत संरचना में विनाश/क्षति/चोरी के कारण चालू हालत में नहीं थे। 1999–2004 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के अधीन पाँच योजनाएँ चालू थीं जिनमें से एक* योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रदत्त थी और बाकी चार# को केन्द्र सरकार द्वारा निधि दी गई थी।

संगठनात्मक ढांचा

3.1.2 ग्राम्य विद्युतीकरण कार्य बोर्ड के सदस्य (संचरण और वितरण) के समग्र पर्यवेक्षण में थे, जो बोर्ड मुख्यालय के मुख्य अभियन्ता (ग्राम्य विद्युतीकरण), छह एरिया बोर्ड और 14 विद्युत आपूर्त्ति अंचलों की सहायता से योजना बनाने/कार्यान्वयन और संरचना कार्यों के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.1.3 नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन 1990–91 (वाणिज्यिक) – बिहार सरकार में राज्य में ग्राम्य विद्युतीकरण पर समीक्षा शामिल की गई थी। लोक उपक्रम समिति द्वारा इस प्रतिवेदन पर अभी तक चर्चा नहीं की गई थी। (अगस्त 2004)।

* *राज्य योजना के अधीन*

\# *प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास योजना और टाल तथा दियारा योजना।*

दिसम्बर 2003 और अप्रैल 2004 के बीच संचालित वर्तमान समीक्षा आच्छादित करता है कि 1999–2004 में ग्राम्य विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन में बोर्ड का निष्पादन कैसा था और किस सीमा तक बोर्ड ने दक्षतापूर्वक और मितव्ययितापूर्वक कार्यों का निष्पादन किया और प्रभावकारी ढंग से अभिष्ट परिणाम दिया।

अभिलेखों के नमूना जाँच के फलस्वरूप लेखापरीक्षा निष्कर्षों को राज्य सरकार और बोर्ड को जुलाई 2004 में राज्य लोक उपक्रमों के लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में शामिल होने के लिए विशेष आग्रह के साथ प्रतिवेदित किये गये, ताकि सरकार/बोर्ड के दृष्टिकोण को समीक्षा को अंतिम रूप देने के पूर्व ध्यान में रखा जाय। राज्य लोक उपक्रमों के लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक 13 सितम्बर 2004 को आयोजित की गई, जिसमें बोर्ड का प्रतिनिधित्व सदस्य (वित्त) द्वारा किया गया। बोर्ड के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में सरकार के प्रतिनिधि के भाग नहीं लेने के कारण सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया। छह* अंचलों के अभिलेखों की नमूना जाँच के फलतः प्राप्त निष्कर्षों को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है :

निधियों के स्रोत और उपयोग

राज्य योजना और केन्द्रीय योजनायें

3.1.4 2000–2001 तक ग्राम्य विद्युतीकरण से संबंधित सभी कार्य राज्य सरकार से प्राप्त निधि द्वारा निष्पादित किए गये और 2001–02 से केवल ग्रामों/विद्युत उपकेन्द्रों के पुनर्वास और नये विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण कार्य किए गए।

केन्द्रीय योजनायें

- *प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (प्र.मं.ग्रा.यो.)*

यह योजना 2001–02 से प्रभावी थी। इस योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष नये ग्रामों को विद्युतीकरण के लिए निर्धारण किया गया।

- *न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू. आ. का.)*

यह योजना भी 2001–02 से प्रभावी थी। इस योजना के अधीन वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों के 2600 ग्रामों का विद्युतीकरण करना था।

- *सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी. क्षे. वि. का.)*

इस योजना के अधीन 2000–01 में एक ही बार अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विभिन्न प्रखंडों के 161 गाँवों के पुनर्वास का निर्धारण किया गया।

- *टाल और दियारा योजना (टा. दि. यो.)*

केन्द्र सरकार द्वारा 1999–2000 में एक ही बार प्रत्येक श्रेत्र में दो विद्युत उपकेन्द्रों के साथ टाल (100 ग्राम) और दियारा (100 ग्राम) के 200 ग्रामों के विद्युतीकरण का निर्धारण किया गया।

* *पटना, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और गया*

केन्द्र सरकार से (2001–04 में) और राज्य सरकार से (1998–2000 में) प्राप्त निधि और उसका उपयोग 31 मार्च 2004 तक का विवरण नीचे दिया गया है :

(रुपये करोड़ में)

योजना	ऋण	अनुदान	कुल	उपयोग की राशि	उपयोगिता का प्रतिशत	अंतशेष
केन्द्र सरकार						
प्रधानमंत्री ग्रा.यो.	46.21	14.63	60.84	15.63	25.69	45.21
न्यूनतम आ.यो.	57.40	10.08	67.48	25.22	37.37	42.26
सीमा क्षे. वि.यो.	5.48	–	5.48	1.67	30.47	3.81
टा. दि. यो.	–	22.06	22.06	12.80	58.02	9.26
कुल	**109.09**	**46.77**	**155.86**	**55.32**	**35.49**	**100.54**
राज्य सरकार						
राज्य योजना	181.50	––	181.50	196.25		(–)14.75

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण निम्न था :

ग्राम विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा संवितरित 66.08 करोड़ रुपये व्यक्तिगत खाता लेखा में रखे गये।

- केन्द्र सरकार द्वारा 2003–04 में विमुक्त 46.08 करोड़ रुपये के ऋण, न्यू.आ.का. के अधीन (34 करोड़ रुपये) और प्र.मं.ग्रा.यो. के अधीन (12.08 करोड़ रुपये) का संवितरण बोर्ड को नहीं किया गया बल्कि उसे व्यक्तिगत खाता लेखा में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड को 2003–04 में संवितरित 20 करोड़ रुपये वापस ले लिए गये और बिना कोई कारण दिखाए व्यक्तिगत खाता लेखा में जमा कर दिए गये। इस प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त 221.94 करोड़ रुपये में से राज्य सरकार ने 155.86 करोड़ रुपये बोर्ड को संवितरित किए और 66.08 करोड़ रुपये व्यक्तिगत खाता लेखा में रख लिए (अप्रैल 2004)।

अप्रयुक्त राशि आवधिक जमा में रखी गई।

बोर्ड को 13.31 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

- ऋण पर 13 प्रतिशत ब्याज देय था और राशि को चुकाने में विफल रहने पर 2.5 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज भी देय था। केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण पर 12.48 करोड़ रुपये का ब्याज, जिसमें 2.01 करोड़ रुपये दंडात्मक ब्याज शामिल था, बोर्ड ने 31 मार्च 2004 तक नहीं चुकाया। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि बोर्ड ने 2002–04 में अप्रयुक्त 66.57 करोड़ रुपये की राशि (अनुदान छोड़कर) 5.5 प्रतिशत ब्याज दर पर सावधिक जमा खाता में जमा कर दिया। इस प्रकार, उधार लेने की दर (15.5 प्रतिशत) और उधार देने की दर (5.5 प्रतिशत) में अंतर के कारण 2002–04 के दौरान बोर्ड को 13.31 करोड़ रुपये ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

बोर्ड का कहना था (सितम्बर 2004) कि सरकार को कोई ब्याज नहीं दिया गया था और बोर्ड ने निवेश पर ब्याज अर्जित किया था। अतः बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ। बोर्ड का जवाब तर्कसंगत नहीं था। यद्यपि बोर्ड ने ब्याज नहीं दिया था तथापि वह सरकारी ऋण की शर्तों के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए जिम्मेदार था।

भारत सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए प्र. मं.ग्रा.यो. से 14.75 करोड़ रुपये का विचलन राज्य योजना शीर्ष में किया गया।

- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की स्वीकृति देने के वक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार इस योजना की निधि को उसपर अर्जित ब्याज सहित एक पृथक खाते में रखा जाना था और किसी अन्य कार्यक्रम में विचलन नहीं किया जाना था। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि मार्गदर्शी सिद्धांतों की पूर्णतः अवहेलना करते हुए बोर्ड ने 14.75 करोड़ रुपये का विचलन प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से राज्य योजना शीर्ष में किया।

बोर्ड द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि प्र. मं. ग्रा. यो. से निधि का विचलन अस्थाई आधार पर 2003–04 में किया गया। तथापि, सरकार के साथ निधि की प्रतिपूर्ति के लिए कोई पत्राचार नहीं किया गया है (सितम्बर 2004)।

राज्य सरकार से प्राप्य अर्थ साहाय्य (सब्सिडी)

बोर्ड ने 2963 करोड़ रुपये की सब्सिडी का दावा नहीं किया और 1627.91 करोड़ रुपये ब्याज का घाटा उठाया।

3.1.5 राज्य सरकार उस रकम के समतुल्य वार्षिक सबसिडी देने के लिए राजी हुई (नवंबर 1975) जो ग्राम्य विद्युतीकरण प्रचालन व्यय एवं उससे प्राप्त राजस्व से अधिक हो। घाटे की गणना वार्षिक रूप में करनी थी तथा बोर्ड और राज्य सरकार की पारस्परिक सहमति होनी थी। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि यद्यपि हानि की वार्षिक गणना की गयी और उसे लेखाबद्ध किया गया तथापि 1995–96 से 2000–01 तक की अवधि के लिए बोर्ड राज्य सरकार से 2963.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी का दावा करने में विफल रहा। सब्सिडी का दावा नहीं करने के कारण बोर्ड को 13* प्रतिशत की दर से 1999–2004 की अवधि में 1627.91 करोड़ रुपये की ब्याज पर हानि उठानी पड़ी। चूँकि बोर्ड की लेखायें 2001–02 से बकाया में थी अतः उत्तरवर्ती वर्षों में सब्सिडी की राशि की गणना नहीं की जा सकी।

बोर्ड द्वारा बताया गया (सितंबर 2004) कि सरकार ने पर्याप्त मात्रा में ऋण दिया था और ऐसे ऋण पर बोर्ड द्वारा कभी ब्याज नहीं दिया गया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 1573.53 करोड़ रुपये बकायों के दायित्त्व का भार ग्रहण कर लिया है।

बोर्ड का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सरकारी ऋण के विरूद्ध बकाया ब्याज 31 मार्च 2001 को 2377.73 करोड़ रुपये था और ब्याज के समायोजन के बाद भी बोर्ड 585.36# करोड़ रुपये प्राप्त कर सकता था। इसके अलावे सरकार द्वारा 1573.53 करोड़ रुपये के दायित्त्व भार ग्रहण के समर्थन में लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण

3.1.6 बोर्ड ने 1970–98 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1178 योजनाओं के विरूद्ध पाँच से 11.5 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दर पर 223.73 करोड़ रुपये का ऋण ग्राम्य विद्युतीकरण निगम (ग्रा. वि. नि.) से प्राप्त किया। बोर्ड द्वारा मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 1998–99 से योजनाओं को वित्त देना बन्द कर दिया। बोर्ड के विरूद्ध बकाया कुल राशि (मार्च 2002) 301.78 करोड़ रुपये थी।

बोर्ड और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के बीच समझौता ज्ञापिका पर हस्ताक्षर किया गया (मई 2003) और यह निर्णय लिया गया कि अतिदेय और उपार्जित ब्याज को अप्रील 2003 से 2.33 करोड़ रुपये की 60 मासिक किस्तों में चुकाया जाएगा जबकि 127.21 करोड़ रुपये का अतिदेय मूलधन/बकाया ऋण पर उपार्जित ब्याज (141.29 करोड़ रुपये) 3.58 करोड़ रुपये के 75 मासिक किस्तों में जनवरी 2008 से भुगतान किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से दंडात्मक ब्याज को छोड़ देने का भी निर्णय लिया गया।

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि उपभोक्ताओं से वसूली अपर्याप्त थी और वसूलनीय राशि 1991–92 में 514.67 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000–01 में 2370.87 करोड़ रुपये हो गई। अगर बोर्ड ने प्रभावी ढंग से वसूली का अनुवीक्षण किया होता तो ग्रा. वि. नि. के बकाया का भुगतान चुकता किया जा सकता था और 141.29 करोड़ रुपये के ब्याज भार से बचा जा सकता था।

* *ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा भारित*

\# *2963.09 करोड़ रुपये में से 2377.73 करोड़ रुपये घटाने पर*

बोर्ड द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि ग्रा. वि. नि. के ऋण को समय पर लौटाने की अपेक्षा करना सही नहीं होगा जबतक ग्रामीण विद्युतीकरण के घाटे के लिए सब्सिडी का दावा बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखाओं के माध्यम से, जो विधायिका के समक्ष उपस्थापित किया जाता है, प्राप्त न कर लिया जाय। बोर्ड का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकार से सब्सिडी का दावा कभी नहीं किया गया और लेखाओं में सब्सिडी के प्रावधानों को सरकार से उसका दावा नहीं समझा जा सकता।

ब्याज के किस्तों से रकम के समायोजन के कारण 1.05 करोड़ रुपये की हानि।

समझौता ज्ञापिका के अनुसार बोर्ड ने ब्याज चुकाना शुरू कर दिया। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के स्रोतों से 17.17 करोड़ रुपये कटौती करके (जनवरी 2003) बोर्ड के विरूद्ध लंबित ग्रा. वि. नि. के बकाये का भुगतान किया। बोर्ड द्वारा उल्लेखित किए जाने पर ग्रा. वि. नि. जुलाई 2003 से ब्याज की उत्तरवर्ती किस्तों में रकम का समायोजन करने के लिए सहमत हुआ। अगर समायोजन ब्याज की जगह बकाये मूलधन से किया गया होता तो ग्रा. वि. नि. द्वारा 10.11 प्रतिशत की दर से प्रभारित 1.05 करोड़ रुपये के ब्याज को बोर्ड बचा सकता था। बोर्ड ने मूलधन से राशि का समायोजन करने के लेखापरीक्षा के विचार को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2004) कि आवश्यक समायोजन के लिए प्राप्य/देय ब्याज का अंतिम लेखा समय–समय पर तैयार किया जायेगा।

योजनाओं का कार्यान्वयन

3.1.7 ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापिका भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा हस्ताक्षरित (सितम्बर 2001) किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में बिहार सरकार ने समझौता ज्ञापिका में निम्नलिखित वादा किया था :

- वर्ष 2006 तक सभी ग्रामों का विद्युतीकरण।
- दिसम्बर 2001 तक सभी 11 के.वी. फीडरों में मीटर लगाना।
- दिसम्बर 2002 तक सभी उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत मीटर लगा देना।
- प्रभावकारी वितरण पद्धति का विकास।

ग्रामों का विद्युतीकरण

राज्य के 45098 ग्रामों में से केवल 17231 ग्राम ही बिजली प्राप्त कर रहे थे।

3.1.8 ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति के अनुसार, राज्य के 45098 ग्रामों में से (मार्च 2004) 31225 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया जिनमें से 17231 ग्राम ही विद्युत प्राप्त कर रहे थे, जबकि 13994 ग्राम तारों की चोरी/क्षतिग्रस्तता और आवश्यक पुनर्वास के अभाव के कारण विद्युत नहीं प्राप्त कर रहे थे। 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों में बोर्ड ने 345 एवं 6841 ग्रामों में विद्युतीकरण और पुनर्वास का काम औसतन 69 और 1368 ग्राम प्रतिवर्ष की दर से क्रमशः पूरा किया था। उपरोक्त प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाय तो वर्ष 2006 तक सभी ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दूर–दूर तक संभावना नहीं है।

सभी 11 के. वी. फीडरों में मीटर लगाना

3.1.9 यद्यपि बिहार सरकार दिसम्बर 2001 तक सभी 11 के.वी. फीडरों में मीटर लगाने के लिए वचनबद्ध थी फिर भी इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई (अप्रील 2004)। विस्तृत सूचनाओं के अभाव में, इससे संबंधित संचरण हानि की गणना लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी।

सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाना

3.1.10 शहरी उपभोक्ताओं को मीटरयुक्त विद्युत संबंध दिया गया और उपयुक्त यूनिटों के लिए शुल्क माँगा गया जबकि ग्रामीण उपभोक्ता को बिना मीटर का विद्युत संबंध था और उनपर 62 रुपये प्रति माह की निर्धारित रकम की मांग की गई। त्व॰ ऊ॰ वि॰ सु॰ का॰* के लिए आठ अंचलों#

* *त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम*

\# *मुजफ्फरपुर, गया, छपरा, भागलपुर, पुर्णिया, दरभंगा, सहरसा और सासाराम*

समझौते के ज्ञापन में की गई वचनबद्धता के बावजूद सभी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण नहीं किया गया।

2000–01 (एक अंचल) एवं 2001–02 (7 अंचल) के लिए तैयार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में लागत लाभ विश्लेषण के अनुसार 1,911.859 एम यू ऊर्जा में से 960.949 एम यू की बिक्री की गई तथा शेष 950.909 एम यू तकनीकी (355.943 एम यू) और वाणिज्यिक (594.966 एम यू) कारणों से खो दिया गया। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कहा गया कि सभी उपभोक्ताओं का 100 प्रतिशत मीटरीकरण करने से प्रतिवर्ष 220.29 एम यू ऊर्जा बचाई जा सकती थी। लेकिन इस संबंध में बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिससे बिहार सरकार की वचनबद्धता पूरी नहीं हो सकी।

ग्रामों का विद्युतीकरण

3.1.11 2000–01 तक बोर्ड राज्य सरकार से प्राप्त निधियों के द्वारा नये गाँवों के विद्युतीकरण के साथ–साथ उन गाँवों में पुनर्वास कार्य का कार्यान्वयन कर रहा था, जो पूर्व से विद्युतीकृत थे, परन्तु तारों की चोरी/क्षति के कारण जिन्हें बिजली नहीं प्राप्त हो रही थी। 2001–02 से नये ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य केन्द्रीय सरकार से प्राप्त निधि और पुनर्वास कार्य राज्य सरकार से प्राप्त निधि के उपयोग से किया जाने लगा। 2003–04 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों में राज्य में विद्युतीकरण/पुनर्वास के भौतिक निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :

राज्य योजना

वर्ष	ग्रामों का विद्युतीकरण		गाँवों का पुनर्वास	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
1999–2000	300	43 (14.33)	5,443	2,690 (49.42)
2000–2001	200	37 (18.50)	3,000	850 (28.33)
2001–2002	319	29 (9.09)	4,000	957 (23.92)
2002–03	शून्य	12	5,132	1,119 (21.80)
2003–04	शून्य	शून्य	6,013	1,100 (18.29)
कुल	**819**	**121 (14.77)**	**23,588**	**6,716 (28.47)**

केन्द्र प्रायोजित योजना

वर्ष	प्र. मं. ग्रा. योजना		न्यू. आ. का.		सी. क्षे. वि. का.		ता. एवं दि. योजना	
	लक्ष्य	उपलब्धि(%)	लक्ष्य	उपलब्धि(%)	लक्ष्य	उपलब्धि(%)	लक्ष्य	उपलब्धि(%
2001–02	600	शून्य	231	शून्य	161#	शून्य	200#	शून्य
2002–03	1269#	51(4.02)	475#	14(2.95)	161	74(45.96)	200	शून्य
2003–04	1218	80(6.57)	462	41(8.87)	87	51(58.62)	200	38(19)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2003–04 को समाप्त विगत पाँच वर्षों में राज्य और केन्द्र योजनाओं के अधीन विद्युतीकरण और पुनर्वास में उपलब्धियों का प्रतिशत क्रमशः 9.09 से 49.42 और शून्य से 58.62 के बीच रहा। 26,512 ग्रामों (राज्य योजना 24,407 और केन्द्र योजना 2105) के लक्ष्य के विरूद्ध बोर्ड केवल 7,186 ग्रामों (राज्य योजना 6837 और केन्द्र योजना 349 ग्राम) का ही विद्युतीकरण/पुनर्वास कर सका और बचे हुए 19,326 ग्राम बिना बिजली के रह गए। इसके अतिरिक्त 2003–04 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों में बोर्ड 71.54 करोड़ रुपये के राजस्व से बंचित रहा। उपलब्धि में कमी के कारणों का विश्लेषण बोर्ड के द्वारा नहीं किया गया है।

26512 ग्रामों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 7186 ग्रामों का ही विद्युतीकरण किया गया।

ये आँकड़े 2001–04 के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वार्षिक कार्यक्रम को तैयार करने में विलम्ब

वार्षिक कार्यक्रम पहली तिमाही के बदले तीसरी तिमाही में तैयार किया गया।

3.1.12 बोर्ड के द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम के आधार पर क्षेत्रीय ईकाइयों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता था। वार्षिक कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के पूर्व ही तैयार हो जानी चाहिए थी। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि 2003–04 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों के लिए कार्य योजना तीसरी तिमाही (अक्टूबर–दिसंबर) में तैयार की गई और क्षेत्रीय ईकाइयों को सूचित की गई। केवल 2000–01 (अगस्त 2000) एवं 2001–02 (सितम्बर 2002) इसके अपवाद है।

इसके अतिरिक्त वार्षिक कार्यक्रम और सामग्री बजट को तैयार करने के बाद प्राप्ति प्रक्रिया शुरू की गई। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि वर्ष समाप्त होने के बाद क्रय आदेश भेजे गये।

अपर्याप्त प्राप्ति

3.1.13 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कंध द्वारा तैयार सामग्री बजटों को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आवश्यक सामग्री का क्रय करने हेतु क्रय स्कंध (आ. एवं क्र. स्कंध) को भेजा गया। मार्च 2004 तक प्रमुख सामग्रियों की आवश्यकता एवं क्रय की मात्रा का विवरण निम्न तालिका में है :

सामग्री की प्राप्ति अपर्याप्त थी।

सामग्री	प्र.मं.ग्रा.यो.		न्यू.आ.यो.		सी.क्षे.वि.यो.		ता.दि.यो.	
	आवश्यक	क्रीत	आवश्यक	क्रीत	आवश्यक	क्रीत	आवश्यक	क्रीत
विजल कंडक्टर (के.एम.)	7,772	3,611	1,428	252	497	785	1,854	1,560
स्कवीरल कंडक्टर (के.एम.)	9,748	1,060	1,783	शून्य	582	शून्य	शून्य	शून्य
ट्रांसफर्मर 63 के.वी. ए.100 के.वी.ए.(सं.)	1,261	798	231	164	161	150	204	176
पावर ट्रांसफर्मर 3.15 एम.वी.ए.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	शून्य
जी. आई. वायर 8 एस डब्लू जी (एम. टी)	504	217	92	78	28	16	7	शून्य

जैसा उपरोक्त तालिका से देखा गया कि बिना किसी लिखित कारण के सामग्री बजट में वर्णित मात्रा की तुलना में सामानों की कम मात्रा का आदेश बोर्ड द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण राज्य योजना से संबंधित व्यय बही पूर्ण नहीं था। जिससे इस शीर्ष में क्रय की गई सामग्री की पर्याप्तता की जाँच नहीं की जा सकी।

सामग्रियों की आपूर्ति बेमेल होना

3.1.14 कार्य के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक मेल सामग्रियों की अंचलों में आपूर्ति होनी थी। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि बोर्ड द्वारा क्रय की गई सामग्रियों को आवश्यक अनुपात में अंचलों में नहीं बाँटा गया। इससे कार्य की प्रगति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है :

- प्र. मं. ग्रा. यो. के अधीन सामग्री बजट के मुताबिक प्रति ट्रांसफर्मर 6.17 किमी विजल कन्डक्टर की आवश्यकता थी। सासाराम अंचल में प्रति ट्रांसफर्मर 25.64 किमी विजल कंडक्टर की दर से 35 ट्रांसफर्मरों के विरूद्ध 897 किमी विजल कंडक्टर प्राप्त किया गया जबकि समस्तीपुर अंचल में 123 ट्रांसफर्मरों के लिए आवश्यक 759 किमी विजल कंडक्टर के विरूद्ध केवल 86

* *ये आँकड़ें 2001–04 के दौरान लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।*

किमी विजल कंडक्टर प्राप्त किया गया। भागलपुर अंचल में 29 ट्रांसफर्मर प्राप्त किए गये परन्तु 179 किमी आवश्यक विजल कंडक्टर प्राप्त नहीं किया गया।

- बोर्ड ने 1060 कि मी स्क्वीरल कंडक्टर का क्रय किया और इसे तीन अंचलों यथा पटना, नालंदा एवं मुजफ्फरपुर में बाँट दिया। बचे 11 अंचलों में प्र. म. ग्रा. यो. के अधीन स्क्वीरल कंडक्टर की आपूर्ति नही की गई।
- टा. दि. यो. के अधीन 204 ट्रांसफर्मरों की आवश्यकता के विरूद्ध 176 ट्रांसफर्मर खरीदे गये। लेकिन मुंगेर और पुर्णिया अंचलों में क्रमशः 45 और 10 की आवश्यकता के विरूद्ध ट्रांसफर्मरों की आपूर्ति नहीं की गई जबकि 39 ट्रांसफर्मरों की आपूर्ति दरभंगा और सासाराम अंचलों में की गई जहाँ इस योजना में कोई कार्य नहीं था।
- सी. क्षे. वि. यो. के अधीन चार अंचलों यथा दरभंगा, मोतिहारी, सहरसा एवं पुर्णिया का पुनर्वास करना था। जबकि ट्रांसफर्मरों की आपूर्ति मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा और सहरसा अंचलों को की गई। केवल दो अंचलों, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर को विजल कंडक्टर की आपूर्ति की गई। इस प्रकार, ट्रांसफर्मर और विजल कंडक्टर की आपूर्ति मुजफ्फरपुर अंचल को बिना किसी आवश्यकता के की गई जबकि उन्हें पुर्णिया अंचल में आपूर्ति नहीं की गई जहाँ उनकी जरूरत थी। इसके अतिरिक्त मोतिहारी अंचल में ट्रांसफर्मर की आपूर्ति की गई परन्तु विजल कंडक्टर उपलब्ध नहीं कराये गये।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों में सामग्रियों की प्राप्ति और आपूर्ति बेमेल होने के कारण चार* अंचलों के 213 ग्रामों का विद्युतीकरण बाकी रह गया।

भंडारों का विचलन

2.81 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियों को ग्रा. वि. से अ. ग्रा. वि. कार्यों में विचलित किया गया।

3.1.15 ग्रा. वि. कार्यों की स्वीकृति देते समय भारत सरकार ने यह स्पष्टतः उल्लेख किया था कि उपलब्ध कराई गयी निधि का विचलन दूसरी योजनाओं में नहीं की जानी चाहिए। इसके अनुरूप, ग्रा. वि. एवं गैर ग्रा. वि. कार्यों के लिए अलग–अलग सामग्रियों का क्रय किया गया और उन्हें संबंधित योजनाओं में प्रयोग करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय भंडारों में भेजा गया। पाँच अंचलों# की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि भारत सरकार के निदेशों की अवमानना करते हुए 2.81 करोड़ रुपये मूल्य के मुख्य सामानों को 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों में ग्रा. वि. से गैर ग्रा. वि. कार्यों में विचलित किया गया जिसके कारण ग्रा. वि. कार्यों के कार्यान्वयन में सामग्री का अभाव हो गया।

उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए बोर्ड द्वारा (सितंबर 2004) कहा गया कि तकनीकी स्टॉफ की कमी भी एक महत्त्वपूर्ण कारक थी जिसके कारण लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। बोर्ड द्वारा आगे कहा गया कि भंडारों को पुनःपूर्ति के आधार पर अत्यावश्यक कार्यों में विचलित किया गया। बोर्ड का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बोर्ड ने उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्यक्रम बनाया था। इसके अतिरिक्त बोर्ड का यह कहना कि भंडारों को प्रतिपूर्ति के आधार पर अत्यावश्यक कार्यों के लिए विचलित किया गया, तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विचलन मार्गदर्शी सिद्धांतों के विरूद्ध था और विचलित भंडारों की विगत पाँच वर्षों में प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

ग्रामों के विद्युतीकरण के पूर्ण कार्य

3.1.16 1999–2004 के दौरान 7186 ग्रामों का विद्युतीकरण/पुनर्वास कार्य पूर्ण हो गया। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि अंतिम विपत्र तैयार नहीं किए गये। इसके फलस्वरूप ग्रामों के

* *भागलपुर, समस्तीपुर, मुंगेर और पुर्णिया।*

\# *गया, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर और सहरसा*

विद्युतीकृत ग्रामों के उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी नहीं होने के कारण 35.60 लाख रुपये का घाटा हुआ।

विद्युतीकरण की पूर्णता सत्यापित नहीं हो सकी और सामग्रियों के खपत (उपभोग) की जाँच भी नहीं की जा सकी। तीन अंचलों (दरभंगा, सहरसा और पटना) के इन गाँवों के विपत्रीकरण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि 1999–2004 में 75 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया गया लेकिन उन गाँवों के उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी नहीं किए गये। इस प्रकार उन ग्रामों के उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र और अंतिम विपत्र के अभाव में 75 ग्रामों में किए गये विद्युतीकरण का सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त विपत्रीकरण नहीं होने के कारण मार्च 2004 तक बोर्ड को 35.60 लाख रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

अपूर्ण कार्य

3.1.17 दरभंगा अंचल के अभिलेखों की छानबीन के दौरान लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि 1998–2003 के दौरान 38 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए 96.28 लाख रुपये की सामग्री केन्द्रीय भंडार से विभिन्न संवेदकों को आपूर्ति की गई। यद्यपि अंचल के केन्द्रीय भंडार से सामग्रियों को निर्गत किया गया तथापि कार्य पूरा नहीं हुआ और 62.07 लाख रुपये मूल्य की सामग्री संवेदकों के पास रह गई। लेखापरीक्षा का आगे प्रेक्षण था कि चूक करने वाले संवेदकों पर कार्रवाई करने के बजाय तथा उनसे 7.15 लाख रुपये मूल्य के भंडारों की वसूली किए बिना 7 ग्रामों का कार्य दूसरे संवेदकों को पुनःआवंटित कर दिया गया जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था। बची हुई 54.93 लाख मूल्य के सामग्री भी संवेदकों के पास रह गई जिसकी वसूली कठिन है। इसके अतिरिक्त बोर्ड 16.85 लाख रुपये के राजस्व से बंचित रहा।

62.07 लाख रुपये मूल्य की सामग्री संवेदकों के पास रह गई।

इसी प्रकार समस्तीपुर अंचल में 48.56 लाख रुपये मूल्य की सामग्री की अनुमानित लागत पर छह संवेदकों को आवंटित 32 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य अधूरा रहा। कार्यादेश 1998–2002 में जारी किए गये थे। सामग्रियों के निर्गम से एक माह के भीतर कार्यों को पूरा किया जाना था यद्यपि सामग्रियों को निर्गत किया गया और मजदूरी लागत में 3.15 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया परन्तु कार्य अधूरे रह गए जिसके परिणामस्वरूप 51.71 लाख रुपये अवरूद्ध रहे और बोर्ड को 10.69 लाख रुपये की राजस्व की हानि हुई।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड द्वारा मुजफ्फरपुर एवं वैशाली जिलों के ग्रामों के विद्युतीकरण का टर्न की कार्यान्वयन

3.1.18 वर्ष 2007 तक सभी ग्रामों को विद्युतीकृत करने के क्रम में 72.06 करोड़ रुपये की लागत पर मुजफ्फरपुर एवं वैशाली जिलों के 2600 ग्रामों के विद्युतीकरण की परियोजना न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई (दिसम्बर 2002)।

भारत सरकार द्वारा जारी न्यूनतम आवश्यक योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्य का कार्यान्वयन लागत और समयावधि में बिना वृद्धि किये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना था। इसके अतिरिक्त योजना के अधीन एजेन्सी प्रभार भी देय नहीं था। बोर्ड को टर्न–की आधार पर पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा योजना के कार्यान्वयन की संभाव्यता की जाँच करने के लिए सूचित किया गया। बिहार सरकार के आग्रह पर पावर ग्रिड कारपोरेशन ने परियोजना लागत के आठ प्रतिशत परामर्श शुल्क पर टर्न–की आधार पर योजना का कार्यान्वयन स्वीकार कर लिया (फरवरी 2003)।

72.06 करोड़ रुपये के प्राकलन को संशोधित कर 119.64 करोड़ रुपये कर दिया गया।

योजना की समीक्षा के दौरान पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कई त्रुटियाँ देखी गई। इसके अनुसार न्यूनतम तकनीकी हानियों सहित वितरण पद्धति को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के क्रम में 72.06 करोड़ रुपये के प्राकलन को संशोधित (अगस्त 2003) कर 119.64 करोड़ रुपये 2,378 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए (90.14 करोड़ रुपये), विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण/पुनर्वास

के लिए (20.64 करोड़ रुपये) और परामर्श शुल्क 8.86 करोड़ रुपये कर दिया गया। कार्य का कार्यान्वयन भी दो चरणों में करने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में 1,149 गाँवों के विद्युतीकरण और विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण/संवर्धन का कार्य किया जाना था और दूसरे चरण में बाकी 1,229 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाना था। इस परियोजना के कार्यान्वयन का एकरारनामा बोर्ड और पावर ग्रिड कारपोरेशन के बीच दिसम्बर 2003 में हस्ताक्षरित किया गया जिसमें अन्य के साथ निम्नलिखित अंतर्निहित थे :

बिना समय अनुसूची और तय दर के एकरारनामा किया गया।

- एकरारनामा अंतरिम दर पर इस अनुबंध के साथ किया गया कि स्थल की स्थिति या अन्य किसी कारण के आधार पर लागत में परिवर्त्तन हो सकता है और इस प्रकार अंतिम कार्यान्वयन लागत की गणना परियोजना के पूर्ण होने पर की जाएगी।
- यद्यपि अप्रील 2003 यानि एकरारनामे के आठ महीने पूर्व 10 करोड़ रुपये पावर ग्रिड कारपोरेशन को विमुक्त किए गये, फिर भी ऐसे प्रारंभिक और तदर्थ अग्रिम की वसूली/समायोजन करने हेतु कोई उपबंध नहीं किया गया और बोर्ड 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से योजना के प्रारंभ के पूर्व ही 1 करोड़ रुपये ब्याज की हानि उठा चुका था (मार्च 2004)।
- एकरारनामा में परियोजना को पूरा करने की निश्चित समय अनुसूचित नहीं था और उसमें कार्य पूरा करने में विलम्ब होने पर दंड के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तथापि बोर्ड द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा संवेदक को दिये गये कार्यादेश के अनुसार एकरारनामे के 18 महीने के भीतर प्रथम चरण पूरा होना था (दिसंबर 2003)।
- पावर ग्रिड कारपोरेशन को किसी भी चरण में कोई भी निधि निवेश नही करनी थी और बोर्ड द्वारा निधि को हमेशा अग्रिम में जमा किया जाना था।

बिना अतिरिक्त निधि का प्रबंध किए लागत 86 करोड़ रुपये बढ़ गई।

संवेदकों को प्रथम चरण का कार्य परामर्श शुल्क (8.07 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त 93.46 करोड़ रुपये के लिए दिया गया (फरवरी 2004) जिसमें 1,149 ग्रामों का विद्युतीकरण (70.69 करोड़ रुपये) और विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना (22.77 करोड़ रुपये) करनी थी। इस प्रकार 72.06 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के विरूद्ध परियोजना की वर्तमान लागत बिना दूसरे चरण (52.03 करोड़ रुपये) का संशोधन किये 12.57 करोड़ रुपये के परामर्श शुल्क सहित कुल 158.06 करोड़ रुपये गणना की गयी फलतः लागत 86 करोड़ रुपये बढ़ गया। चूँकि लागत में वृद्धि योजना में स्वीकार्य नहीं थी और बोर्ड ने आवश्यक अतिरिक्त निधि के प्रबंध के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी इसलिए परियोजना के विलम्ब/अपूर्ण रहने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बताए गये मूल्य वृद्धि के कारण बाजार की उर्ध्वगामी प्रवृत्ति, अतिरिक्त कार्य, टर्न–की उत्तरदायित्त्व, संवेदकों के लाभ आदि थे। बोर्ड द्वारा लागत वृद्धि के अनुमोदन की प्रत्याशा में पावर ग्रिड कारपोरेशन को प्रस्तावित लागत पर आगे कार्य बढ़ाने के लिए कहा गया।

पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा समर्पित प्रथम चरण की लागत वृद्धि के प्रस्ताव की छानबीन करने के दौरान 22.96 करोड़ रुपये का अनधिकृत/परिहार्य/अतिरिक्त व्यय देखा गया जिसकी चर्चा आगे के कंडिकाओं में की गई है।

परामर्श शुल्क पर अनधिकृत व्यय

योजना के अधीन 8.08 करोड़ का परामर्श शुल्क स्वीकार्य नहीं था।

3.1.19 भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार निधि से कोई परामर्श शुल्क देय नहीं था। लेकिन बोर्ड और पावर ग्रिड कारपोरेशन के बीच एकरारनामे के अनुसार कार्य की लागत के अतिरिक्त आठ प्रतिशत परामर्श शुल्क देय था। परामर्श शुल्क (8.08 करोड़ रुपये) के लिए अपने या अन्य स्रोतों से निधि का प्रबंध करने के बजाय बोर्ड ने केन्द्र सरकार से प्राप्त निधि से

92 लाख रुपये भुगतान कर दिया था और प्रथम चरण के 93.46 करोड़ रुपये की लागत पर 7. 16 करोड़ रुपये का दायित्त्व (परामर्श शुल्क पर आठ प्रतिशत के सेवा कर सहित) सृजन कर लिया था।

बोर्ड द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि भारत सरकार ने पावर ग्रिड कारपोरेशन से कार्य कराने की अनुमति दी है इसलिए परामर्श शुल्क का भुगतान अनधिकृत नहीं है। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा टर्न की आधार पर कार्य कराने की संभाव्यता की जाँच करने का सुझाव दिया था। लेकिन बोर्ड ने लागत योग आधार पर परामर्श शुल्क आठ प्रतिशत के साथ एकरारनामा कर लिया जो कि योजना में स्वीकार्य नहीं था।

सामग्रियों का मूल्य परिवर्त्तन

3.1.20 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने पूर्व संशोधित 35.86 करोड़ रुपये की लागत की सामग्रियों के विरूद्ध 40.45 करोड़ रुपये का संशोधित लागत प्रस्तुत किया और 4.59 करोड़ रुपये मूल्य वृद्धि/लागत वृद्धि (13 प्रतिशत) का प्रस्ताव किया। लागत वृद्धि का प्रस्ताव इस तर्क पर आधारित था कि मूल प्राकलन वर्ष 2002–03 के लागत के आँकड़ों पर आधारित था और बाजार की उर्ध्वगामी प्रवृत्ति थी। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि यद्यपि बोर्ड का आपूर्ति और क्रय स्कंध सभी क्रयों के लिए उत्तरदायी था लेकिन पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा मूल्य परिवर्त्तन के प्रस्ताव की तार्किकता का सत्यापन स्कंध द्वारा नहीं किया गया।

सामग्रियाँ मूल्य 2.27 करोड़ रुपये अधिक दर पर स्वीकार किया गया।

पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत दरों की तत्कालीन बाजार दर से तुलना का विवरण **परिशिष्ट–13** में वर्णित है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित दरें तत्कालीन बाजार दर से 2.27 करोड़ रुपये अधिक थीं। अतः बोर्ड द्वारा लागत वृद्धि पर सहमत होना न्यायोचित नहीं था। इसके फलस्वरूप निर्माण व्यय में सामग्री लागत में आठ प्रतिशत की दर से 18.16 लाख रुपये अधिक लगे।

बोर्ड द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि सामग्रियों का मूल्य बढ़ गया था इसलिए सामग्रियों का मूल्य परिवर्त्तन न्यायोचित था। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दरों की तुलना करने वक्त लेखापरीक्षा ने वह मूल्य लिया था जिस पर बोर्ड ने मार्च 2004 में सामग्रियों को प्राप्त किया था।

सामग्रियों की अधिकता

3.1.21 एरियल बंच केबुल में सुचालकों के फेज के भीतरी भाग पोलीथीन से कुचालक बनाए जाते हैं और उदासीन सुचालक के चारों ओर घुमाए गये होते हैं। इसलिए आवश्यक कंडक्टर की लम्बाई तार की लम्बाई के बराबर होती है। तो भी तीन फेज और एक फेज क्रमशः 233 और 332 किमी एरियल बंच केबुल के प्रावधान के विरूद्ध विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में तीन गुनी लम्बाई यानि क्रमशः 699 और 996 किमी ली गई थी। फलतः एरियल बंच केबुल तीन फेज (3. 75 करोड़ रुपये) और एरियल बंचल केबुल एक फेज (2.22 करोड़ रुपये) पर अतिरिक्त लागत 5.97 करोड़ रुपये हो गई।

अत्यधिक सामग्री के कारण 6.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय स्वीकार किया गया।

इसी प्रकार 565 किमी निम्न बिभव लाइन (233 किमी तीन फेज और 332 किमी एक फेज) की हालत में 1031* किमी आवश्यकता के विरूद्ध 1695 किमी स्क्वीरल कंडक्टर की लागत ली गई। फलतः अतिरिक्त 58.12 लाख रुपये हो गई।

बोर्ड द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि एल–1 ऑफर के अनुसार लागत की तुलना करने हेतु जो विवरण तैयार किए गये, उसमें उत्पाद की वास्तविक लागत ली गई है और इसलिए कोई एरियल बंच केबुल अधिक नहीं था। बोर्ड का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि तैयार किया गया

* *(233 x 3) +(332 x 1) = 1031*

विवरण केवल तुलना के प्रयोजन के लिए था और इस विषय को पावर ग्रिड कारपोरेशन से लागत कम करने के लिए नहीं उठाया गया।

टर्न–की उत्तरदायित्व लागत

एकरारनामें में बिना किसी उपबंध के 1.58 करोड़ रुपये का टर्न की उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया।

3.1.22 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने सामग्री लागत (अतिरिक्त मद सहित 45.08 करोड़ रुपये) के 10 प्रतिशत की दर से टर्न की उत्तरदायित्व लागत 4.51 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया। यद्यपि इसे एकरारनामा में शामिल नहीं किया गया फिर भी बोर्ड ने इसे इस आधार पर स्वीकार किया था कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अभियंताओं द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण की परिकल्पना पर तैयार किया गया था और यह पावरग्रिड कारपोरेशन के लिए टर्न की उत्तरदायित्व था। टर्न–की उत्तरदायित्व में बीमा (दो प्रतिशत), बैंक गारन्टी लागत (0.5 प्रतिशत) और पूंजी अवरोध (तीन प्रतिशत) शामिल थे। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि बैंक गारंटी स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि बैंक गारन्टी संवेदकों को दिए गये अग्रिम की सुरक्षा के लिए ली जाती है और यदि यह बोर्ड की लागत पर जमा की जाती है तो यह बेकार है। इसके अतिरिक्त पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा कोई भी बैंक गारन्टी बोर्ड के पास जमा नहीं की गई। अतः सामग्री लागत के पाँच प्रतिशत बैंक गारंटी का पावरग्रिड कारपोरेशन का दावा स्वीकार्य नहीं था।

इसी प्रकार पूँजी अवरोध के मामले में सामग्री लागत (45.08 करोड़ रुपये) के तीन प्रतिशत की दर से 1.35 करोड़ रुपये स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि सभी भुगतान बोर्ड द्वारा अग्रिम के रूप में किए जाते थे और पावर ग्रिड कारपोरेशन को कार्य के किसी भी प्रक्रम पर अपनी निधि का निवेश करने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार टर्न–की उत्तरदायित्व लागत के कारण 1.58 करोड़ रुपये की अस्वीकार्य राशि को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया।

बोर्ड द्वारा कहा गया (सितंबर 2004) कि संवेदक को निष्पादन गारंटी देना है। यह पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा जमा की गई बैंक गारन्टी के अतिरिक्त है। पूँजी अवरोध के मामले में बोर्ड द्वारा कहा गया कि एजेन्सी द्वारा किए गये निवेश और प्राप्त किए गये भुगतान में हमेशा अंतर रहेगा। इसलिए यह प्रावधान न्यायोचित था।

बोर्ड का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इन मदों को एकरारनामें में बिना किसी उपबंध के स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त एकरारनामें के अनुसार बोर्ड को भुगतान अग्रिम के रूप में करना था और बोर्ड एकरारनामें के अनुसार इसे कर भी रहा था। जहाँ तक निष्पादन गारंटी का सवाल है, जो केवल ट्रांसफर्मर पर लागू था, बोर्ड ने दूसरों से भी ट्रांसफर्मर निष्पादन गारंटी उपबन्ध के साथ क्रय किया पर उन क्रयों पर कोई गारंटी शुल्क नहीं दिया। इसके अतिरिक्त पावर ग्रिड कारपोरेशन कुल परियोजना लागत पर आठ प्रतिशत परामर्श शुल्क ले रहा था।

सेवाई विद्युत संबंध

मीटरों की ऊँची दरों के परिणामस्वरूप 1.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दायित्व हो गया।

3.1.23 प्रस्तावित योजना में 1814 रुपये प्रति घरेलू सेवाई विद्युत संबंध की दर से 30573 सम्बन्ध शामिल थे जिसमें 1358 रुपये मीटर लागत शामिल थी। लेखा परीक्षा का प्रेक्षण था कि बोर्ड ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के अधीन 755.83 रुपये की दर से घरेलू विद्युत संबंध के लिए नवम्बर 2003 में इलेक्ट्रानिक मीटर खरीदे। फलतः बोर्ड 1.84 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का देनदार हो गया।

बोर्ड द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि 8.31 करोड़ रुपये के प्रस्ताव में से 1.84 करोड़ रुपये कम कर दिया गया है और अंतिम रूप से 7.47 करोड़ रुपये ही स्वीकार किया गया है। बोर्ड का जवाब सही नहीं है क्योंकि केवल 84 लाख रुपये ही कम किया गया है और बोर्ड अभी भी एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का देनदार है।

अतिरिक्त मदें

खंभों के क्रंकीटीकरण का खर्च

ग्रा. वि. नि. के प्रतिमानकों के विरूद्ध पी. एस. सी. खंभों के कंक्रीटीकरण के फलस्वरूप 4.93 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

3.1.24 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा संशोधित लागत प्राकलनों में पी. एस. सी. खंभों के कंक्रीटीकरण के लिए 4.93 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च दिखाया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण के विनिर्देशन तथा बोर्ड में प्रचलित प्रथा के अनुसार खंभों के कंक्रीटीकरण की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार बोर्ड 4.93 करोड़ रुपये के परिहार्य व्यय का देनदार हो गया।

बोर्ड द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि यद्यपि खंभों का कंक्रीटीकरण बोर्ड में प्रचलन में नहीं था लेकिन कंक्रीटीकरण से नींव मजबूत होगी जिसके कारण खंभों का टेढ़ा होना रूकेगा और अन्य उत्तरवर्ती प्रभाव होगें। बोर्ड का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ग्रा.वि.नि. के खंभों के पिच करने के विनिर्देशन में पी. एस. सी. खंभों के कंक्रीटीकरण का प्रावधान नहीं था।

विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण

3.1.25 इसी प्रकार 14 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण/संवर्धन के लिए 20.64 करोड़ रुपये के प्राकलन को संशोधित करके 22.27 करोड़ रुपये कर दिया गया। संशोधन के प्रस्ताव की नमूना जाँच से खुलासा हुआ कि बोर्ड द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति (85.70 लाख रुपये), बैंक गारन्टी लागत (76.05 लाख रुपये) एवं पूंजी अवरोध (45.64 लाख रुपये) के कारण 2.07 करोड़ रुपये के अस्वीकार्य मूल्यवृद्धि/लागतवृद्धि को स्वीकार किया गया।

कुटीर ज्योति योजना

3.1.26 बोर्ड ने राज्य में हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीबों के घरों में एक प्वाइंट के विद्युत संबंध का विस्तार करने के लिए ग्रा. वि. नि. द्वारा प्रदत्त वित्त से कुटीर ज्योति (योजना) को शुरू किया।

इस योजना के अधीन वि. ग्रा. नि. ने बोर्ड की अनुमति के बाद प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और विद्युत संबंध की लागत का 50 प्रतिशत अग्रिम के रूप में विमुक्त कर दिया। बचे हुये 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति विद्युत संबंध विमुक्त करने और बोर्ड द्वारा विपत्र जमा करने के उपरान्त होनी थी। इस योजना के अधीन लाभान्वितों को 2001–2002 तक बिना मीटर के विद्युत संबंध दिए गये और 2002–03 से मीटरयुक्त विद्युत सम्बन्ध दिये जाने लगे। ग्रा. वि. नि. के दिशा निर्देशो के अनुसार बोर्ड द्वारा इसके लिए पृथक खातों तथा अन्य लेखा बहियों का रख रखाव किया जाना था।

2003–04 तक के विगत पाँच वर्षों के दौरान कुटीर ज्योति योजना के कार्यान्वयन से संबंधित बोर्ड का भौतिक निष्पादन का ब्यौरा निम्न तालिका में है :

उपलब्धि लक्ष्य के 17.30 से 50.42 प्रतिशत के बीच रही।

वर्ष	वर्ष के लिए लक्ष्य	गत वर्ष से गिराव	कुल लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	लक्ष्य से उपलब्धि का प्रतिशत
1999–2000	33,650	––	33,650	5,822	27,828	17.30
2000–2001	50,000	27,828	77,828	28,030	49,798	36.02
2001–2002	92,880	49,798	1,42,678	52,703	89,975	36.94
2002–2003	88,470	89,975	1,78,445	89,975	88,470	50.42
2003–2004	82,929	88,470	1,71,399	36,797	1,34,602	21.47

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि लक्ष्य की उपलब्धि 17.30 से 50.42 प्रतिशत के बीच रही। कम उपलब्धि के कारण अभिलेखों में नहीं थे। लक्ष्यों की उपलब्धि नहीं होने के कारण, राज्य की ग्रामीण जनता बिजली से वंचित रही और बोर्ड को 2003–04 तक के विगत पाँच वर्षों में

30.44 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त, 51673 लंबित विद्युत संबंधों से संबंधित 4.80 करोड़ रुपये की भारत सरकार की 2003–04 तक की निधि दो वर्षों के लिए अवरूद्ध रही।

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण निम्न था :

- बोर्ड ने कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए पृथक खातों और अन्य लेखा बहियों का संधारण नहीं किया।

- सामग्रियों की नमूना जाँच के क्रम में ग्रा. वि. नि. ने उल्लेखित किया कि वितरित विद्युत सम्बंध में प्रयुक्त सामान घटिया थे।

- विपत्रों को नियमित रूप से निर्गत नहीं किया गया जिससे बकाये की भारी रकम संचयित हो गई।

निष्फल निवेश

3.1.27 भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कुटीर ज्योति योजना के अधीन मीटर युक्त विद्युत सम्बंध 2002–03 से विमुक्त किए गये। 2002–04 के दौरान 463 रुपये प्रति मीटर की दर से 1.70 करोड़ रुपये लागत वाले 36797 मीटर युक्त विद्युत संबंध विमुक्त किए गये। फिर भी बोर्ड की वर्तमान दर सूची के अनुसार 50 रुपये प्रतिमाह की निर्धारित रकम का विपत्र दिया जाता था। चूँकि बोर्ड ने मीटर युक्त विद्युत सम्बन्धों के लिए दर सूची परिवर्तित नहीं किया और निर्धारित रकम लेती रही जिससे 1.70 करोड़ रुपये की लागत पर लगाए गये 36997 मीटर निष्फल रह गए।

निर्माण/विद्युतीकरण का बेमेल होना

3.1.28 उत्पादक/क्रय स्थान से ग्रिड में प्राप्त विद्युत को 33 के वी में परिवर्तित करके 33 के वी तार द्वारा विद्युत उपकेन्द्रों को संचारित किया जाता है जहाँ इसे पुन: 11 के वी में परिवर्तित कर 11 के वी के तार द्वारा संबद्ध वितरण उपकेन्द्रों में इसकी आपूर्ति की जाती है। वितरण उपकेन्द्रों से निम्न विभव तारों द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ईच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षमता के वि. उ. के. की उपलब्धता ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित है। इसलिए आवश्यक क्षमता के वि. उ. के. वितरण उपकेन्द्र और निम्न विभव के तार गाँवों में एक साथ ही लगाये जाने चाहिए।

ट्रांसफर्मरों और अन्य उपस्करों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बोर्ड ने विद्युत उपकेन्द्रों और वितरण उपकेन्द्रों पर स्थापित ट्रांसफर्मरों की स्थापित क्षमता के 75 प्रतिशत पर संचालन का प्रतिमानक तैयार किया है। इसके अतिरिक्त उपस्करों की सुरक्षा और विद्युत के सुरक्षित संचरण

* *लेखाओं के अंतिमकरण नहीं होने से 2002–03 और 2003–04 के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।*

विद्युत उपकेन्द्रों और वितरण उपकेन्द्रों की क्षमता सम्बद्ध भार के लिए अपर्याप्त थी।

के लिए, विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वितरण उपकेन्द्रों की क्षमता से अधिक होनी चाहिए और वितरण उपकेन्द्रों की क्षमता संबद्ध भार से अधिक होनी चाहिए।

2001–02* तक के चार वर्षों में विद्युत उपकेन्द्रों, वितरण उपकेन्द्रों की क्षमता और सम्बद्ध भार का ब्यौरा निम्न प्रकार था :

वर्ष	विद्युत उपकेन्द्र		वितरण उपकेन्द्र		सम्बद्ध भार
	क्षमता मेगावोल्ट आम्पीयर मेगावाट	सुरक्षित भार मेगावोल्ट आम्पीयर मेगावाट	क्षमता मेगावोल्ट आम्पीयर मेगावाट	सुरक्षित भार मेगावोल्ट आम्पीयर मेगावाट	मेगावाट
1998–1999	1,436.05 1,148.84	1,077.04 807.78	2,502.57 2,002.06	1,876.93 1,501.54	3,736.24
1999–2000	1,436.05 1,148.84	1,077.04 807.78	2,564.78 2,051.82	1,923.59 1,538.87	3,841.47
2000–2001	1,443.55 1,154.84	1,082.66 811.99	2,613.77 2,091.02	1,960.33 1,568.26	3,424.67
2001–2002	1,443.55 1,154.84	1,082.66 811.99	2,991.45 2,393.16	2,243.59 1,914.52	3,584.58

विद्युत उपकेन्द्रों और वितरण उपकेन्द्रों की निम्न क्षमता के फलस्वरूप 5.29 करोड़ रुपये के कंडक्टरों की चोरी हुई।

ऊपर की तालिका से देखा जा सकता है कि विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वितरण उपकेन्द्रों की क्षमता से कम थी और वितरण उपकेन्द्रों की क्षमता सम्बद्ध भार से कम थी। इस प्रकार विद्युत उपकेन्द्र और वितरण उपकेन्द्र दोनों अतिभारित थे।

चूँकि विद्युत उपकेन्द्र और वितरण उपकेन्द्र पूर्ण स्थापित क्षमता पर संचालित करने पर भी संपूर्ण सम्बद्ध भार को विद्युत आपूर्ति करने में असक्षम थे जिससे अधिकांश क्षेत्र बिजली प्राप्त नहीं कर सके और उन क्षेत्रों के विद्युत तार ऊर्जान्वित नहीं हुए। इसके फलस्वरूप कंडक्टरों एवं अन्य लाईन सामग्री की बारंबार चोरियाँ हुई। 14 अंचलों# के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 1999–2004 के दौरान कंडक्टरों और अन्य लाईन सामग्रियों की चोरी के कारण बोर्ड को 5.29 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त चूँकि विद्युत उपकेन्द्र और वितरण उपकेन्द्र अतिभारित थे अतः विद्युत उपकेन्द्रों एवं वितरण उपकेन्द्रों में लगाए गये ट्रांसफर्मरों और अन्य उपस्करों की विफलता/जलना बारंबार हुआ। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि 2001–02 और 2002–03 के दौरान 11* अंचलों में स्थापित क्रमशः 22201 और 25272 ट्रांसफर्मरों में से बोर्ड द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत मानक के विरूद्ध 2407 (10.89 प्रतिशत) और 2612 (10.36 प्रतिशत) ट्रांसफर्मर खराब हो गए। इस प्रकार मानक से अधिक 3124 ट्रांसफर्मर खराब हुए जिसके फलस्वरूप 2001–03 में उनकी मरम्मत पर 17176 रुपये प्रति ट्रांसफर्मर की दर से 5.37 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

वितरण उपकेन्द्रों पर लगाए गए ट्रांसफर्मरों के खराब हो जाने के कारण खराब हुए ट्रांसफर्मरों के प्रतिस्थापना तक संबद्ध उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण बन्द कर दिया गया। तीन अंचलों के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रतीत हुआ कि 31 मार्च 2004 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान बोर्ड को इस मद में 1.55 करोड़ रुपये (सहरसा अंचल : 58.89 लाख रुपये, दरभंगा अंचल : 90.82 लाख रुपये और पटना अंचल : 4.97 लाख रुपये) के संभाव्य राजस्व की हानि हुई।

\# *पटना, गया, सासाराम, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पुर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, आरा, समस्तीपुर और मोतिहारी*

* *पटना, गया, सासाराम, बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पुर्णिया, भागलपुर और मुंगेर*

राज्य योजना के अधीन योजनाओं का निष्पादन

33/11 के वी विद्युत उपकेन्द्र और 33 के वी लाइने

लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि का प्रतिशत 1.85 से 14.29 के बीच रहा।

3.1.29 विद्युत उपकेन्द्रों और 33 के वी लाईन के निर्माण/पुनर्वास के लक्ष्यों और उपलब्धियों के विवरण 31 मार्च 2004 को नीचे दिखाये गये है :

(संख्या में)

वर्ष	नया			पुनर्वास		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1999–2000	20	शून्य	शून्य	52	4	7.69
2000–2001	28	1	3.57	54	1	1.85
2001–2002	21	1	4.76	36	4	11.11
2002–2003	27	2	7.41	32	4	12.50
2003–2004	44	1	2.21	14	2	14.29
कुल	**140**	**5**	**3.57**	**188**	**15**	**7.98**

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि 33 के वी लाईनों (17) और विद्युत उपकेन्द्रों (15) में पुनर्वास की आवश्यकता रहने के कारण 32 विद्युत उपकेन्द्र अप्रचालित थे। इसके अतिरिक्त 34 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के विभिन्न स्तरों पर थे और 19 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण शुरू नहीं हुआ था यद्यपि इन विद्युत उपकेन्द्रों के लिए भूमि उपलब्ध थी। विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारणों का विश्लेषण बोर्ड ने नहीं किया था।

लक्ष्यों की अप्राप्ति के मुख्य कारणों का विश्लेषण लेखापरीक्षा में निम्न प्रकार था :

- वार्षिक कार्य कार्यक्रम बनाने में बिलम्ब के कारण लक्ष्यों को अगस्त और दिसम्बर के बीच क्षेत्रीय इकाईयों को संसूचित किया गया और सामग्रियों की आवश्यकता क्रय स्कंध को प्रायः वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में भेजी गई।
- यद्यपि वार्षिक कार्य कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित थे तो भी विद्युत उपकेन्द्रों व 33 के वी लाईनों के नाम वार्षिक कार्य कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट नहीं किए गये।
- सामग्रियों का अभाव।

विद्युत उपकेन्द्रों और 33 के वी लाइनों के निर्माण/पुनर्वास में त्रुटियाँ

3.1.30 क्रमबद्ध कमियों जैसे बिजली ट्रान्सफर्मर की अनापूर्ति, चोरी गई कन्डक्टरों को नही बदलना, विद्युत उपकेन्द्रों (वि.उ.के.) के निर्माण के लिए भूमि की पहचान नहीं करना, 33 केवी लाइन के कार्य का अनुश्रवण और पुनर्वास नहीं करना जैसा नीचे वर्णित है का दृष्टान्त देखा गया जो विद्युत उपकेन्द्रों (वि. उ. के.) के कार्यान्वयन/पुनर्वास में विलम्ब का कारण बना और लागत 2.32 करोड़ रुपये बढ़ गया एवं संभाव्य राजस्व 13.45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

क्रम संख्या	वि. उ. के./के. वी लाइन का नाम	तथ्य संक्षिप्त में	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
1.	33/11 के वी वि. उ. के. खुदागंज (गया अंचल)	खुदागंज विद्युत उपकेन्द्र और सम्बद्ध 33 के वी लाइन के सिविल कार्य का निर्माण 51 लाख रुपये के प्राक्कलित लागत पर पुरा हुआ (मई 1995)। लेकिन 3.09 लाख रुपये मूल्य के 1.6 एम वी ए विद्युत ट्रान्सफर्मर की अनुपलब्धता के कारण वि. उ. के. को उर्जान्वित नहीं किया जा सका और वह वि. उ. के. अपरिचालित रहा। लम्बी अवधि तक लाइन अउर्जान्वित रही और लाइन सामग्रियों की चोरी हो गई। इसके अतिरिक्त वि. उ. के. का पुनर्वास भी आवश्यक हो गया। विद्युत उपकेन्द्र (16.49 लाख रुपये) और 33 के वी लाइन (38.82 लाख रुपये) का पूर्ण/पुनर्वास के लिए बोर्ड ने 55.31 लाख रुपये का संशोधित प्राक्कलन तैयार किया (मई 2003) जिसका कार्यान्वयन प्रगति में था और वि. उ. के. अभी भी अपरिचालित था।	3.09 लाख रुपये मूल्य के 1.6 एम वी ए ट्रान्सफर्मर की आपूर्ति नहीं होने से बोर्ड 52.22 लाख रुपये परिहार्य लागत वृद्धि का देनदार हो गया था। इसके अतिरिक्त 1999–2000 से 2003–04 की अवधि में 10.09 करोड़ रुपये मूल्य के 56.06 एम यू उर्जा की संभाव्य हानि हुई।

2.	33/11 के वी वि. उ. के. बिहारीवीघा (पटना जिला)	9300 रुपये मूल्य के सात सौ मीटर चालक तार अज्ञात असमाजिक तत्वों द्वारा चुरा लिये गये (अप्रील 1994) और वि. उ. के. अपरिचालित हो गया। चोरी की गई सामग्रियों का प्रतिस्थापन नहीं हुआ और पुनः विद्युत उपकेन्द्र में लगाये गये लाइन सामग्रियों और उपस्करों को सितम्बर 1994 और सितम्बर 1997 के बीच चुरा लिया गया। वि. उ. के. (44.32 लाख रुपये) और 33 के वी लाइन (19.31 लाख रुपये) के पुनर्वास के लिए अक्टूबर 1998 और जून 2000 के बीच तैयार किये गये 20.22 लाख रुपये और 63.63 लाख रुपये के प्राक्कलन प्राथमिकी और वस्तु–सूची के विवरणों के अभाव में कार्यान्वित नहीं हो सके।	9300 रुपये मूल्य के लाइन की मरम्मती में विलम्ब के कारण विद्युत उपकेन्द्र 10 वर्षों (मार्च 2004) तक अपरिचालित रहा और 95.94 लाख रुपये की लागत वृद्धि हुई।
3.	33/11 के वी वि. उ. के. बेलछी (पटना जिला)	टाल एवं दियरा योजना के अधीन पटना जिला के टाल क्षेत्र के 45 गाँवों के विद्युतीकरण के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त निधि (2000–01) से बेलछी में एक वि. उ. के. का निर्माण होना था। लेकिन बोर्ड वि. उ. के. के लिए भूमि की पहचान करने में विफल रहा।	45 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किये जा सकने से क्षेत्र के निवासी बिजली से और बोर्ड 32.56 लाख रुपये के संभाव्य राजस्व से वंचित रहे।
4.	हाथीदह और मोकामा के बीच 33 के वी लाइन (पटना जिला)	चालक तार और अन्य लाइन सामग्रियों की चोरी के कारण 3.10 लाख रुपये मजदूरी लागत सहित 23.28 लाख रुपये की प्राक्कलित राशि पर पुनर्वास का कार्य एक संवेदक को दिया गया (जनवरी 1992)। कार्य छः सप्ताह के अन्तर्गत पूरा किया जाना था। संवेदक ने कार्य पूरा नहीं किया। कार्य पूर्ण होने की	अनुवीक्षण कार्य में बोर्ड की लापरवाही और संवेदक के विरूद्ध कार्रवाइ में विलम्ब के कारण बोर्ड ने 51.21 लाख रुपये की लागत वृद्धि व्यय किया। निरन्तर बाधित होने वाले अनियमित विद्युत एवं असमुचित वोल्टेज के कारण एक उच्च विभव उपभोक्ता ने अपने कार्यकलापों को बन्द

		अनुसूचित तिथि से आठ वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर 16.88 लाख रुपये मूल्य की अप्रयुक्त सामग्रियों की वसूली के लिए बोर्ड ने संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई (अगस्त 2000)। लाइन के पुनर्वास के लिए 34.62 लाख रुपये का एक नया प्राक्कलन तैयार किया गया लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। 74.49 लाख रुपये का एक दूसरा प्राक्कलन स्वीकृत किया गया और कार्य अभी भी प्रगति में ही था। इसके अतिरिक्त मोकामा वि. उ. के. 11 के वी से आवेशित था।	कर दिया। इसके परिणामस्वरूप बोर्ड को 1.01 करोड़ रुपये संभाव्य राजस्व का घाटा हुआ (मार्च 2004)।
5.	कटैया से बलुआ बाजार तक 33 के वी लाइन (सुपौल जिला)	सुपौल जिला के बलुआ बाजार और उसके इर्द–गिर्द बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए बोर्ड ने मार्च 1983 में 25.12 लाख रुपये की लागत से बलुआ बाजार में 1.6 एम वी ए का वि. उ. के. और एक फीडर लाइन का निर्माण किया। फिर भी 0.10 लाख रुपये (जनवरी 1990) मूल्य के तार की चोरी हो जाने के कारण उपरोक्त वि. उ. के. अपरिचालित हो गया क्योंकि बोर्ड ने चोरी हुये तार का प्रतिस्थापन नहीं किया और फीडर लाइन को अउर्जान्वित छोड़ दिया गया। फिर आगे 21.10 लाख रुपये मूल्य की सामग्री की भी चोरी हो गयी जिसके लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई (अगस्त 1999)। लाइन के पुनर्वास के लिए 33.35 लाख रुपये के प्राक्कलन को अनुमोदित किया गया (दिसम्बर 2003) और लाइन अभी तक अपरिचालित था।	लाइन की मरम्मती नहीं होने के कारण बोर्ड को 33.25 लाख रुपये की लागत वृद्धि और 2.02 करोड़ रुपये मूल्य की 11.21 एम यू संभाव्य ऊर्जा की हानि सहनी पड़ी। इसके अतिरिक्त छातापुर में निर्माणाधीन एक वि. उ. के. जिसको वि. उ. के. बलुआ बाजार से सम्बद्ध किया जाना था, कटैया से बलुआ बाजार लाइन के पूर्ण नहीं होने से पूरा नहीं किया जा सका।

सामग्रियों का क्रय

मूल्य परिवर्त्तन पर परिहार्य भुगतान

3.1.31 वित्त एवं लेखा संहिता में विहित प्रावधानों के अनुसार संविदा की तुलनात्मक विवरणी निविदा खुलने के दिन ही तत्काल तैयार की जानी चाहिए। यह भी विहित था कि मांगपत्र निविदा खुलने के सात दिनों के भीतर भेजा जाना चाहिए। लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था (नवंबर 2003) कि 1999 और 2000 के दौरान विभिन्न प्रकार के चालक तारों की प्राप्ति के लिए पाँच निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं। अनुसूचित तिथि से 40 से 74 दिन विलम्ब के बाद निविदाओं को खोला गया। लेखापरीक्षा का पुनः प्रेक्षण था कि बोर्ड ने 18 फर्मों को मांगपत्र 78 से 330 दिन विलम्ब के बाद दिया था और क्रय आदेश 120 से 365 दिन विलम्ब के बाद निर्गत किये गये। इसके फलस्वरूप बोर्ड ने मूल्य परिवर्तन के कारण 83.31 लाख रुपये भुगतान किया। अगर बोर्ड ने संहिता के प्रावधानों का पालन किया होता तो मूल्य वृद्धि की राशि केवल 25.59 लाख रुपये मात्र हो सकती थी। इस प्रकार क्रय आदेश देने में विलम्ब के कारण बोर्ड ने 57.72 लाख रुपये *अतिरिक्त व्यय किया।*

क्रय आदेशों के अंतिमकरण में विलम्ब होने के कारण बोर्ड ने 57.72 लाख रुपये का परिहार्य व्यय किया।

जवाब में विद्युत अधीक्षण अभियन्ता (क्रय) द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2003) कि क्रय आदेश के अंतिमकरण के दौरान बहुत प्रक्रिया होती हैं और यदि जल्दीबाजी में अंतिमकरण किया गया होता तो इससे मूल्य वृद्धि से अधिक राशि व्यय हो सकती थी। जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि क्रय आदेश का संहिता के प्रावधानों के अनुसार अंतिमकरण नहीं किया गया जिससे अनावश्यक विलम्ब हुआ और 57.72 लाख रुपये का मूल्य परिवर्तन परिहार्य अतिरिक्त व्यय के रूप में हुआ।

पी. एस. सी. पोल उत्पादक इकाइयाँ

3.1.32 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के निष्पादन के लिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पी. एस. सी.) पोलों की माँग को पूरा करने के क्रम में बोर्ड ने 1990–91 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से स्वीकृत ऋण से पटना, मुजफ्फरपुर, बारून, माधोपुर और कटिहार में पाँच पी. एस. सी. पोल उत्पादक इकाइयाँ स्थापित की। प्रत्येक इकाई की स्थापित क्षमता 1200 पोल प्रति माह थी।

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि 1200 पोल प्रतिमाह की स्थापित क्षमता के विरूद्ध 833.91 रुपये प्रति पोल की औसत लागत पर वास्तविक औसत उत्पादन 580 पोल प्रतिमाह था। इस प्रकार 2003–04 तक के पाँच वर्षों के दौरान 3,60,000 पोलों की क्षमता के विरूद्ध केवल 1,73,938 पोलों का ही उत्पादन हुआ और 1,86,062 पोलों की कमी हो गई। बोर्ड द्वारा जवाब में कहा गया कि निम्न उत्पादन का कारण आबंटिती इकाइयों द्वारा पोलों का उठान नहीं करने के कारण जगह का अवरूद्ध होना तथा सामग्रियों का अभाव था।

पी. एस. सी. पोलों के निम्न उत्पादन के कारण उच्च दरों पर खरीद के कारण 2.21 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इसके अलावे, लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि ग्रामीण विद्युतीकरण की मांग को पूरा करने के क्रम में 2002–04 के दौरान बोर्ड ने 1089.25 रुपये प्रति पोल की उच्च औसत लागत पर निजी उत्पादकों से 86500 पी. एस. सी. पोलों का क्रय किया। इस प्रकार, बोर्ड ने पोलों की प्राप्ति पर 2.21 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किया। अपनी इकाइयों में स्थापित क्षमता तक उत्पादन के लिए कार्रवाई करके अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

निष्कर्ष

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त निधियों का समुचित उपयोग नहीं हुआ। दयनीय निधि प्रबंधन और सरकार से अर्थ सहाय्य (सबसिडी) का दावा करने में विफलता के कारण बोर्ड को ग्रा. वि. नि. को परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा। अनुवीक्षण के अभाव के कारण बोर्ड गाँवों के विद्युतीकरण का

लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा जिससे राजस्व का घाटा हुआ। राज्य की ग्रामीण जनता भी बिजली से वंचित रही। इसके अतिरिक्त विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण/पुनर्वास नहीं होने के फलस्वरूप, निर्माण में बेमेलता, उपस्करों में बारंबार खराबी, तारों की चोरी और लागत वृद्धि हुई।

ब्याज की क्षति से बचने के लिए बोर्ड को निधियों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए राज्य सरकार को समझौता विवरणिका में की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बिना समय वृद्धि और लागत वृद्धि के काम को पूरा करने के लिए समुचित समन्वय और अनुवीक्षण की जरूरत है। पावर ग्रिड कारपोरेशन के साथ समझौते और संबंधित दावों की विस्तृत जाँच आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ग्रामों का विद्युतीकरण के पूर्व आवश्यक क्षमता वाले विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2004); उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2004)।

3.2 बिहार राज्य वित्तीय निगम का वसूली निष्पादन

मुख्य अंश

राज्य के उद्योगों को तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता का प्रावधान कर विकसित करने के लिए नवम्बर 1954 में बिहार राज्य वित्तीय निगम की स्थापना हुई। *(कंडिका 3.2.1)*

मार्च 2004 तक विगत पाँच वर्षों में निगम ने 15.99 करोड़ रुपये से लेकर 36.81 करोड़ रुपये की निधि रोक कर रखा, परन्तु इसने अपने उच्च ब्याज (6.5 से 17 प्रतिशत एवं दो प्रतिशत दंडात्मक ब्याज) वाले उधार की चुकौती करने में इसका उपयोग नहीं किया। इसके विपरीत निगम ने इस राशि को बैंकों में लघु अवधि जमा के रूप में 3 से 12.5 प्रतिशत की ब्याज दरों पर जमा रखा, जिसके फलस्वरूप 8.12 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई। *(कंडिका 3.2.5)*

मार्च 2003–04 तक निगम ने कुल 438.60 करोड़ रुपये के ऋणों का वितरण किया। इसमें 31 मार्च 2004 को 267.35 करोड़ रुपये मूलधन एवं 2122.06 करोड़ रुपये ब्याज और अन्य प्रभारों के रूप में 6185 सहायता प्राप्त इकाइयों के यहाँ बकाया थे। *(कंडिका 3.2.6)*

31 मार्च 2004 को, 2386.36 करोड़ रुपये अतिदेय में 2383.19 करोड़ रुपये (99.87 प्रतिशत) तीन से 27 वर्षों से अतिदेय थे। *(कंडिका 3.2.8)*

2365.09 करोड़ रुपये बकाया वाली 5983 ईकाइयों ने छह वर्ष से अधिक समय से कोई भुगतान नहीं किया था। *(कंडिका 3.2.9)*

1998–2003 के दौरान 323 इकाइयों की परिसम्पतियों की बिक्री के अंतिमकरण होने के बाद भी निगम को मूल संप्रवर्तकों से 73.86 करोड़ रुपये वसूली करने थे। लेकिन निगम उनके विरूद्ध व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने में असफल रहा। *(कंडिका 3.2.19)*

निगम ने वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 417.30 करोड़ रुपये अतिदेय वाले 368 मुकदमे दायर किए परन्तु वह विहित प्राधिकारी से कोई भी वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप 417.30 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई। *(कंडिका 3.2.20)*

प्रस्तावना

3.2.1 तकनीकी, प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता का प्रावधान करके राज्य में उद्योगों की तीव्र और एकीकृत स्थापना, अभिवृद्धि और विकास के लिए बिहार राज्य वित्तीय निगम (निगम) की स्थापना प्रमुख यंत्र के रूप में कार्य करने के लिए नवम्बर 1954 में राज्य वित्त निगम (एस. एफ. सी.) अधिनियम, 1951, की धारा 3 के अधीन हुई।

वर्तमान में निगम ने अपने कार्य–कलापों को अपने अतिदेयों की वसूली करने तक सीमित कर लिया है। निगम के ऋणों पर पाँच से 20 प्रतिशत तक ब्याज लगता है और ये ऋण त्रैमासिक/अद्धवार्षिक किस्तों में दो वर्षों के अधिस्थगन काल सहित आठ से 10 वर्षों में देय है।

संगठनात्मक ढाँचा

3.2.2 निगम का प्रबंधन अधिकतम 10 निदेशकों से बने हुए निदेशक–मंडल (बोर्ड) में निहित है। 31 मार्च 2004 को इसमें आठ निदेशक थे उनमें से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक क्रमशः भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (भा. ल. उ. वि. बैं.) और राज्य सरकार द्वारा एक दूसरे से परामर्श करके नियुक्त किए गये थे और बाकी निदेशक राज्य सरकार (दो), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (दो) वित्तीय संस्थाओं और बैंकों (दो) और शेयरधारियों (दो) द्वारा नामित/नियुक्त किये गये थे। प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक होते है, जिसकी सहायता एक महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक और उप–प्रबंधक करते हैं।

निगम के पाँच अंचल और 25 शाखा कार्यालय बिहार में तथा 10 शाखा कार्यालय झारखंड में हैं। अंचल और शाखा कार्यालयों के प्रधान क्रमशः सहायक महाप्रबंधक और शाखा प्रबंधक होते हैं। शाखा प्रबंधक सहायक महाप्रबंधकों के पर्यवेक्षण में ऋणधारियों को संवितरित ऋणों की वसूली का अनुश्रवण करते हैं और मुख्यालय निगम की समग्र वसूली स्थिति की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

नवंबर 2000 में बिहार, बिहार और झारखंड में विभाजित हो गया। तो भी, बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 64(1) के प्रावधानों के अधीन निगम अभी तक दोनों राज्यों में कार्य कर रहा है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.2.3 निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों की वसूली के निष्पादन की समीक्षा पिछली बार 31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में की गई थी। अब तक लोक उपक्रम समिति ने प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की है (अगस्त 2004)।

इस समीक्षा का विषय क्षेत्र मार्च 2004 तक के पिछले पाँच वर्षों में बकायों का शीध्र/नियमित वसूली को प्रभावी बनाने के लिए सहायता प्राप्त ईकाइयों के कार्यकलाप के अनुश्रवण करने में निगम की कार्यक्षमता तथा उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाये गये विभिन्न नियंत्रण–तंत्रों की कार्य दक्षता का मूल्यांकन करना था। इसके लिए 31 मार्च 2004 को एक करोड़ और अधिक (ब्याज और अन्य प्रभारों सहित) बकाया अंतशेष रखने वाले 489 मामलों में से सभी पाँच अंचलों के 13 शाखा कार्यालयों से 91 मामलों को चुना गया।

वर्तमान समीक्षा नवम्बर 2003 से मई 2004 के दौरान की गई। इन मामलों की नमूना जाँच के फलस्वरूप प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सरकार/निगम को जुलाई 2004 में प्रतिवेदित किया गया तथा राज्य सर्वाजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लेखापरीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में शामिल होने के लिए विशेष आग्रह किया गया ताकि समीक्षा के अंतिमकरण के पूर्व सरकार/प्रबंधन के दृष्टिकाण को भी ध्यान में रखा जाय। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम समिति की बैठक 14 सितम्बर 2004 को आयोजित की गई जिसमें प्रबंध निदेशक ने निगम का प्रतिनिधित्व किया। प्रबंधन के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए समीक्षा का अंतिकरण किया गया है। सरकार के प्रतिनिधि के बैठक में उपस्थित नहीं रहने के कारण, सरकार के दृष्टिकोण पर विचार नही किया जा सका।

ऋण वसूली की प्रक्रिया

3.2.4 ऋण के प्रथम संवितरण की तिथि से 12/24 महीने अधिस्थगन काल के बाद त्रैमासिक या अर्द्धवार्षिक आधार पर ऋण के चुकता होने की किस्तें निर्धारित की जाती हैं। ऋणी इकाइयों द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों को निगम के पक्ष में बंधक रख लिया जाता है और संप्रवर्त्तकों द्वारा

द्विपक्षीय प्रतिभूतियाँ भी देनी होती हैं। शाखा कार्यालयों और मुख्यालय के पदाधिकारी ऋणी से मुलाकात करते हैं और संबंधित शाखा कार्यालय/ मुख्यालय को वसूली के संबंध में प्रतिवेदन देते हैं। यदि वसूलियाँ अभी तक नहीं होने वाली होती हैं, तो राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 एवं 30 के अधीन कार्रवाई की जाती है और निविदा आमंत्रित करके ऋणी इकाइयों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू की जाती है तथा वसूली को देय राशि के विरूद्ध समायोजित किया जाता है।

उस हालत में, जब बंधक परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि बकाये शेष से कम होती है तो *शेष राशि (बकाया शेष और विक्रय मूल्य का अंतर) बिहार वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 32 जी तथा बिहार एवं उड़ीसा सार्वजनिक अभियाचना वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन उनकी व्यक्तिगत गारंटियों को लागू करके मूल प्रवर्तकों से वसूलनीय होता है।* इस संबंध में समुचित कार्रवाई करने में निगम की विफलता की चर्चा कंडिका 3.2.18 में आगे की गई है।

वित्त के स्रोत और उपयोगिता

3.2.5 निधियों के स्रोत, जो 2003–04 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों के दौरान ऋणियों को संवितरण के लिए उपलब्ध थे, **परिशिष्ट–14** में दिये गये हैं। परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि :

- अकार्यशील परिसम्पत्तियों (अका. प.) की वृद्धि के कारण आइ. डी. बी. आइ./एस. आइ. डी. बी. आइ. ने 1992 से पूर्णतः पुनर्वित्तीकरण बन्द कर दिया। उस हालत में भी निगम ने अकार्यशील परिसंपत्तियों में सुधार नहीं किया, जो कि 31 मार्च 2003 को कुल बकाये के 99 प्रतिशत थे।
- निगम के वित्त का मुख्य स्रोत ऋण की वसूली और सहायता प्राप्त इकाइयों से प्राप्त ब्याज है। 1999–2004 के दौरान निगम ने अपने ऋणियों से कुल 2,386.36 करोड़ रुपये (31 मार्च 2004 को) अतिदेयों के विरूद्ध 78.64* करोड़ रुपये ऋण और ब्याज ही वसूल किया। फलस्वरूप निधियाँ अवरोधित रह गई और उनका पुनर्निवेश नहीं हुआ।

निगम को 8.12 करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

- मार्च 2004 तक के पिछले पाँच वर्षों के दौरान निगम ने 15.99 करोड़ रुपये से 36.81 करोड़ रुपये तक नगद रोके रखा लेकिन इसने उस राशि का उपयोग उच्च ब्याज (6.5 से 17 प्रतिशत तथा दो प्रतिशत दंडात्मक ब्याज) दर वाली उधार निधियों का भुगतान करने में नहीं किया। इसके विपरीत निगम ने उसे लघु अवधि जमा में तीन से 12.5 प्रतिशत ब्याज पर बैंकों में जमा कर दिया। इसके फलस्वरूप 8.12# करोड़ रुपये ब्याज की हानि हुई।

वसूली निष्पादन

3.2.6 2003–04 तक, निगम ने कुल 438.60 करोड़ रुपये का ऋण संवितरित किया, जिसमें से 31 मार्च 2004 को 267.35 करोड़ रुपये मूलधन के रूप में और 2122.06 करोड़ रुपये ब्याज और अन्य प्रभारों के रूप में 6185 सहायता प्राप्त इकाइयों के यहाँ बकाये थे।

परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

3.2.7 मार्च 1994 के आई.डी.बी.आई. के दिशा निर्देशों की शर्त्तों के अनुसार, जो समय–समय पर संशोधित होते हैं, आय पहचान एवं प्रावधान करने के लिए निगम के कुल ऋणों को मानक

* *(19.34 + 14.58 + 16.68 + 18.37 + 9.67) करोड़ रुपये = 78.64 करोड़ रुपये वर्षवार वसूली*

\# *निगम द्वारा अर्जित ब्याज लघु अवधि जमा से और अवरूद्ध औसत नगद पर देय ब्याज दर 13.75 प्रतिशत का अन्तर (औसत ब्याज दर योग दो प्रतिशत दंडात्मक ब्याज – न्यूनतम ब्याज दर 6.5 प्रतिशत और अधिकतम ब्याज दर 17 प्रतिशत)*

या क्रियाशील परिसंपत्तियों (क्रि.प.) और अक्रियाशील परिसम्पत्तियों (अ.क्रि.प.) में वर्गीकृत किया गया है। क्रियाशील परिसंपत्ति छह महीने से अधिक अवधि तक चूक/बकाये में रहने पर अ. क्रि. प. हो जाती है। परिसंपत्तियाँ निम्न पाँच कोटियों में वर्गीकृत हैं, यथा,

- मानक परिसंपत्तियाँ : जो सामान्य जोखिम से अधिक वहन नहीं करती हैं और जिनमें किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।
- उप–मानक परिसंपत्तियाँ : वैसी ऋण परिसम्पत्तियाँ जो छह महीने से अधिक परन्तु 18 महीनों से कम समय से अ. क्रि. प. हैं।
- संदिग्ध परिसंपत्तियाँ (क) : ऐसी ऋण परिसंपत्ति जो 18 महीने से अधिक परन्तु तीन साल से कम समय तक अ. क्रि. प. रही। प्रावधान के उद्देश्य से 31 मार्च 2001 से संदिग्ध परिसंपत्तियों को दो कोटियों में वर्गीकृत किया गया है :
 - (i) एक वर्ष तक संदिग्ध रहने वाली
 - (ii) एक वर्ष से तीन वर्ष तक संदिग्ध रहने वाली
- संदिग्ध परिसंपत्तियाँ (ख) : तीन साल से अधिक अवधि वाली अ. क्रि. प.
- हानि वाली परिसंपत्ति : हानि वाली परिसंपत्ति वह होती है, जिसमें हानियों की पहचान कर ली जाती है, परन्तु पूर्णतः अथवा अंशतः अपलेखित नहीं किया गया है।

निगम द्वारा कुल ऋणों का वर्गीकरण नीचे दिखाया गया है :

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03
1.	ऋणों का वर्गीकरण					
(i)	मानक परिसंपत्तियाँ	10.99	7.90	6.38	4.82	2.94
(ii)	उप–मानक परिसंपत्तियाँ	11.63	9.98	8.04	5.62	3.99
(iii)	संदिग्ध परिसंपत्तियाँ (क)	113.57	27.77	9.23	6.19	8.54
(iv)	संदिग्ध परिसंपत्तियाँ (ख)			9.05	11.69	3.55
(v)	हानि वाली परिसंपत्तियाँ	173.56	258.91	268.25	267.12	270.33
2.	(ii) से (iv) तक कुल अ. क्रि. प.	298.76	296.66	294.57	290.62	286.41
3.	कुल बकाये में अ. क्रि. प. का प्रतिशत	96.45	97.41	97.88	98.37	98.98
4.	अ. क्रि. प. के लिए प्रावधान	11.31	39.69	279.09	275.09	274.65

ऊपर की तालिका से यह देखा जा सकता है कि :

मानक परिसंपत्तियाँ घट गई जबकि हानि वाली परिसंपत्तियाँ बढ़ गई।

- मानक परिसंपत्तियाँ 1998–99 में 10.99 करोड़ रुपये से घटकर 2002–03 में 2.94 करोड़ रुपये रह गई।
- हानिवाली परिसंपत्तियाँ 1998–99 में 173.56 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002–03 में 270.33 करोड़ हो गई।
- कुल बकाये में अ. क्रि. प. का प्रतिशत भी 1998–99 में 96.45 प्रतिशत से बढ़कर 2002–03 में 98.98 प्रतिशत हो गया।

मानक परिसंपत्तियों में कमी और हानिवाली परिसंपत्तियों में वृद्धि यह इंगित करती है कि मानक परिसंपत्तियों और उप मानक परिसंपत्तियों का लगातार हानि वाली परिसंपत्तियों में बदलाव हुआ जिसके लिए निगम द्वारा कोई प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा के विश्लेषण के अनुसार मानक परिसंपत्तियों का अक्रियाशील परिसंपत्तियों में बदलाव निम्नलिखित कारणों से हुआ :

- निगम के पास निष्पादन, भविष्यलक्षी वसूली इत्यादि को कुप्रभावित करने वाले कारकों का मामला–दर–मामला नियमित समीक्षा करने वाला कोई तंत्र नहीं था।
- जहाँ देनदारों के तुलन पत्र और लाभ–हानि लेखे प्राप्त किए गये उनका विश्लेषण नहीं किया गया।
- अक्रियाशील परिसंपत्ति कोटि में बदलाव के नये मामलों को रोकने के लिए अनुवीक्षण का नहीं होना।

वसूली की स्थिति

3.2.8 2003–04 तक के विगत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में वसूली के लिए नियत ऋण, वसूली की गई राशि और ब्याज सहित वसूली के लिए अतिदेय राशि का विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट–15** में है। नीचे की तालिका निगम की संक्षिप्त वसूली स्थिति को इंगित करती है:

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
1.	वर्ष के प्रारंभ में देय राशि	1247.01	1429.77	1626.50	1823.22	2095.61
2.	चालू मांग	199.70	208.29	213.26	289.23	300.42
3.	वर्ष में कुल वसूलनीय राशि (1+2)	1446.71	1638.06	1839.76	2112.45	2396.03
4.	पुराने देयों में से वसूली	7.87	8.82	11.01	9.98	6.29
5.	चालू मांग में से वसूली	9.07	2.74	5.53	6.86	3.38
6.	वर्ष में कुल वसूली (4+5)	16.94	11.56	16.54	16.84	9.67
7.	वर्ष के अंत में प्राप्य राशि (3–6)	1429.77	1,626.50	1,823.22	2,095.61	2,386.36
8.	वर्ष के प्रारंभ में प्राप्य राशि से पुराने प्राप्यों की वसूली का प्रतिशत (4 से 1)	0.63	0.62	0.68	0.55	0.30
9.	चालू मांग की वसूली का प्रतिशत (5 से 2)	4.54	1.32	2.59	2.37	1.13
10.	कुल मांग की वसूली का प्रतिशत (6 से 3)	1.17	0.71	0.90	0.80	0.40
	वसुली के लिए लक्ष्य	–	–	406.63*	455.81#	–
	उपलब्धि	–	–	16.54	16.84	–
	लक्ष्य से उपलब्धि का प्रतिशत	–	–	4.07	3.69	–

जैसा कि अनुलग्नक से दिखाई पड़ता है, अतिदेय राशि की वसूली की स्थिति बड़ी दयनीय थी। फलतः, निगम ब्याज के माध्यम से किसी नगद लाभ का उत्पादन करने के बदले अपने मूलधन की राशि को वसूल करने में भी असफल रहा क्योंकि उपरोक्त पाँच वर्षों के दौरान इसकी वसूली 1.58 और 3.11 प्रतिशत के बीच रही। इस प्रकार, वसूली के लिए अतिदेय निधि के रूप में बड़ी राशि अवरूद्ध रह गई थी।

- समीक्षा की अवधि के दौरान स्वीकृति और संवितरण के संबंध में निगम ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। 2001–03 के दौरान पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को बकाये शेष का 25 प्रतिशत वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2001–02 और

* *1,626.50 का 25 प्रतिशत*

\# *1,823.22 का 25 प्रतिशत*

2002–03 के लिए उपरोक्त लक्ष्य के विरूद्ध निगम की उपलब्धि क्रमशः 4.07 और 3.69 प्रतिशत रही।

- 31 मार्च 2004 को 2386.36 करोड़ रुपये अतिदेय में से 2,383.19 करोड़ रुपये तीन से 27 वर्षों की अवधि से अतिदेय था, जो कुल बकाये के 99.87 प्रतिशत को दर्शाता है।

कुल बकाये का 99. 87 प्रतिशत तीन से लेकर 27 वर्षों से अतिदेय था।

प्रबंधन द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि दयनीय वसूली का कारण राज्य में दयनीय आधारिक संरचना सुविधा, पर्याप्त कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराने में बैंकों का असहयोग तथा चूक करने वाली इकाईयों के लिए निगम द्वारा किसी बन्दोबस्त योजना का लागू नहीं किया जाना और बिक्री के लिए विज्ञापित इकाईयों के खरीददारों का उपलब्ध नहीं होना था।

3.2.9 बकायों का विश्लेषण

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि 31 मार्च 2004 को सहायता प्राप्त 6,185 इकाईयों (मूलधन बकाया 267.35 करोड़ रुपये) से 2,386.36 करोड़ रुपये (मूलधन 264.30 करोड़ रुपये, ब्याज और अन्य प्रभार 2122.06 करोड़ रुपये) वसूली हेतु अतिदेय थे। उपरोक्त 5983 इकाइयों के यहाँ 2,365.09 करोड़ रुपये (मूलधन 253.75 करोड़ रुपये तथा ब्याज और अन्य प्रभार 2,111.34 करोड़ रुपये) बकाया थे और जिन्हें अक्रियाशील परिसंपत्तियों की कोटि में कर दिया गया था, ने छह वर्षों से अधिक समय से मूलधन और ब्याज एवं अन्य प्रभारों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया था। निम्न तालिका 2003–04 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों में अतिदेय रकम की कालावधि अनुसार विश्लेषण दर्शाती है :

(रुपये करोड़ में)

अतिदेय काल	1999–2000	2000–2001	2001–02	2002–03	2003–04
6 माह तक पुराने	0.59 (0.04)	0.58 (0.04)	0.63 (0.03)	1.01 (0.05)	0.37 (0.02)
6 माह से अधिक तथा 18 माह से कम पुराने	4.42 (0.31)	5.20 (0.32)	4.30 (0.24)	2.94 (0.14)	1.00 (0.04)
18 महीने से अधिक एवं 3 वर्ष तक	6.20 (0.43)	9.52 (0.58)	7.09 (0.39)	7.31 (0.35)	1.80 (0.08)
3 वर्ष से अधिक पुराने	1418.56 (99.22)	1611.20 (99.06)	1811.20 (99.34)	2084.35 (99.46)	2383.19 (99.87)
कुल अतिदेय	**1429.77**	**1626.50**	**1823.22**	**2095.61**	**2386.36**

नोट : कोष्ठकों में दिये गये अंक कुल अतिदेय के प्रतिशत का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि अतिदेय की राशि 1999–2000 में 1429.77 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003–04 में 2386.36 करोड़ रुपये हो गई। निगम द्वारा अतिदेयों का कालावधि के अनुसार विश्लेषण नहीं किया गया जिससे सार्थक तरीके से वसूली की कार्रवाई को प्राथमिकता देने में मदद मिले।

भौद्रिक मूल्य के रूप में बकाये ऋण और ब्याज का वर्गीकरण

3.2.10 31 मार्च 2003 को निगम को प्राप्य बकायों का मौद्रिक मूल्य के रूप में वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	बकाया ऋण, ब्याज एवं अन्य प्रभार	झारखंड स्थित इकाइयों सहित कुल बकाया		झारखंड सहित ईकाइयों के विरूद्ध बकाया	
		इकाई	राशि	इकाई	राशि
1.	50 लाख रुपये से कम	5,300	782.71	1,609	279.76
2.	50 लाख से एक करोड़ रुपये तक	521	359.36	281	105.44
3.	1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक	422	877.27	55	279.92
4.	पाँच करोड़ रुपये और उससे उपर	13	82.60	4	29.40
	कुल	**6,256**	**2,101.94**	**1,949**	**694.52**

6256 इकाइयों के विरूद्ध 2101.94 करोड़ रुपये कुल बकाये में से 1,319.23 करोड़ रुपये 956 इकाइयों के विरूद्ध बकाया थे।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2003 को 6256 ईकाइयों के विरूद्ध बकाया ऋण एवं ब्याज 2,101.94 करोड़ रुपये था। उपरोक्त में से (50 लाख रुपये एवं उससे अधिक बकाया रखने वाली) 956 इकाइयों के विरूद्ध 1,319.23 करोड़ रुपये थे, जो कुल अतिदेय का 63 प्रतिशत है। निगम ने इन इकाइयों के विरूद्ध वसूली की कोई प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की थी। बिहार के विभाजन (नवंबर 2000) के बाद 1,949 सहायता प्राप्त इकाइयों वाले निगम के 10 शाखा कार्यालय झारखंड में है। इन इकाइयों के विरूद्ध बकाया शेष 694.52 करोड़ रुपये (कुल बकाये का 33 प्रतिशत) था। प्रबंधन के इस जवाब (सितम्बर 2004) कि चूक करने वाली इकाइयों के विरूद्ध कार्रवाई करने में कम्पनी को झारखंड सरकार से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, के परिपेक्ष में इन इकाइयों से प्राप्य बकाये की वसूली संदिग्ध लगती है।

उपरोक्त के परिपेक्ष में झारखंड स्थित इकाइयों से बकाये की वसूली के लिए बिहार सरकार को झारखंड सरकार के साथ इस मामले को उठाना चाहिए।

कम और गैर वसूली के कारण

3.2.11 निगम द्वारा दयनीय वसूली निष्पादन मुख्यतः निम्न कारणों से था :

- सहायता प्राप्त इकाइयों के निष्पादन और बकायों की वसूली पर निगरानी रखने के लिए अभिलेखों का असमुचित संधारण/असंधारण।
- व्यवहार्य और अव्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने में मूल्य निर्धारक पद्धति की अपर्याप्तता के कारण अव्यवहार्य परियोजनायों की स्वीकृति।
- वितरण पूर्व शर्त्तों के अनुपालन में अनपेक्षित छूट के कारण संदिग्ध व्यक्तियों को ऋण की विमुक्ति होने से ऋण की वसूली नहीं होना।
- सहायता प्राप्त इकाइयों के अनुवीक्षण और भौतिक सत्यापन का अभाव तथा ईकाइयों की विलम्ब से कुर्की के कारण परिसंपत्तियों का स्थल से हट जाना।
- पुनर्जीवन/अपुनर्जीवन योग्य इकाइयों की पहचान और कड़े प्रभावकारी व समयानुकूल वसूली की कार्रवाई करने में विफलता।
- भारतीय रिजर्व बैंक, आई.डी.बी.आई. और विशेष बिक्री रणनीति के दिशा–निर्देशों के अनुरूप एकमुश्त योजना का लागू न होना।

- कालप्रवाह के कारण चूक करने वाली इकाइयों की परिसंपत्तियों के निपटान में विलम्ब के फलतः परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट।
- बिक्री प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप संभावित खरीददारों का पीछे हटना।
- व्यक्तिगत गारंटी को लागू कराने में विफलता तथा विलम्ब से सर्टिफिकेट मुकदमा दायर करने के फलस्वरूप निधियों का अवरोधीकरण।

त्रुटिपूर्ण पद्धति

3.2.12 लेखापरीक्षा ने पद्धति में निम्न त्रुटियों का प्रेक्षण किया :

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए 95 कार्य संचिकाओं में ऋणी इकाइयों के प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे।

- प्रतिभूति, उत्पादन, विपणन, बकाया भुगतान इत्यादि की अद्यतन स्थिति को दिखाने के लिए ऋणी इकाइयों को निर्धारित प्रपत्र में सूचनाओं के साथ निगम को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई 95 प्रकरण संचिकाओं में ऋणी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत कोई अपेक्षित प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। निगम ने ऐसे प्रतिवेदनों की प्राप्ति की निगरानी हेतु किसी भी समेकित अभिलेख का संधारण नहीं किया था।
- निगम ने न तो निरीक्षण की आवधिकता विहित की और न निरीक्षण में शामिल होने वाले तकनीकी और वित्तीय मामलों को ही परिभाषित किया। निगम ने एक निश्चित कालावधि के अंदर सभी ऋणी इकाइयों के निरीक्षण करने के लिए किसी कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं बनाई थी।
- निगम ने प्रबंधन द्वारा समुचित कार्रवाई करने के लिए ऋणी इकाइयों के वित्तीय दशा को दर्शाने वाले नियमित संपोषण की किसी पद्धति को भी विकसित नही किया। यथाः चूक करने वाली परन्तु लाभ अर्जित करने वाली इकाइयाँ, लघु अवधि के लिए समस्याग्रत इकाइयाँ (कार्यशील पूँजी, कच्चे माल की अनुपलब्धता ईत्यादि) लेकिन चूक में नहीं हो ; कार्यान्वयन के अधीन परन्तु चूक करने वाली परियोजनाएँ, दीर्घ अवधि से समस्याग्रस्त इकाइयाँ और विचाराधीन/ कार्यान्वयनाधीन एकमुश्त पुनर्वास सहायता, परियोजनाओं की दीर्घावधि जीवनक्षमता, विचाराधीन ऋण की वापसी और वापस लिये जाने वाले मामले।
- निगम ने चूक करने वाली इकाइयों में नामित निदेशकों से संबंधित कोई समेकित अभिलेखों का संधारण नहीं किया था, जैसे, इकाई का नाम, निदेशक की नियुक्ति, संपादित बैठकें और नामित निदेशक की भूमिका।
- उपरोक्त के अतिरिक्त (i) कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 एवं 30 के अधीन जारी नोटिश (ii) वसूली सर्टिफिकेट जारी करने, वसूली सर्टिफिकेट द्वारा वसूली करने आदि में प्रगति की निगरानी करने के लिए बिहार एवं उड़ीसा सार्वजनिक मांग एवं वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन दायर अधियाचना (iii) उधार लेने वाली इकाइयों के लेखों की प्राप्ति, के अभिलेख संधारित नही किये गए थे।

निगम ने चूक करने वाली इकाइयों की परिसंपत्तियों के अधिग्रहण का निर्णय करने के लिए किसी मापदंड का निर्धारण नहीं किया।

(i) अपेक्षित प्रगति प्रतिवेदनों की प्राप्ति की निगरानी के लिए किसी पद्धति (ii) सावधिक निरीक्षण आदि का विस्तार (iii) उधार लेने वाली इकाइयों से प्राप्त सूचनाओं/अभिलेखों का विश्लेषण के अभाव में निगम यह सही निर्धारित करने में असमर्थ था कि कोई चूक करने वाली ईकाई अधिग्रहण करने के लिए उपयुक्त थी। चूक करने वाली इकाइयों की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण निर्धारित करने या राज्य वित्त निगम अधिनियम के अधीन पहले से अधिग्रहित इकाइयों के जीर्णोद्धार करने के लिए निगम ने कोई मापदंड भी निर्धारित नहीं किया था।

चूक करने वाली इकाइयों से वसूली

3.2.13 31 मार्च 2004 को 286.21 करोड़ रुपये (मूलधन : 31.52 करोड़ रुपये तथा ब्याज और अन्य प्रभार : 254.69 करोड़ रुपये) बकाया शेष रखने वाले 97 मामलों (1958 से 1997 के दौरान ऋण स्वीकृत एवं संवितरित) की नमूना जाँच में देखा गया कि निगम ने केवल 10.15 करोड़ रुपये ही (मूलधनः 81 लाख रुपये तथा ब्याज और अन्य प्रभार : 9.34 करोड़ रुपये) वसूल किया। उपरोक्त 97 इकाइयों में से 53.76 करोड़ रुपये (मूलधनः 6.55 करोड़ रुपये और ब्याज तथा अन्य प्रभार : 47.21 करोड़ रुपये) बकाया शेष रखने वाली 26 इकाइयों ने अब तक किसी राशि का भुगतान नहीं किया था।

अतिदेयों की वसूली बढ़ाने के लिए निगम द्वारा अपनाये गए उपाय

3.2.14 अपने अतिदेयों की वसूली को बढ़ाने के लिए निगम ने निम्नलिखित दो योजनाएँ अपनाई :

एकबारगी बन्दोवस्त योजना

निगम ने एकबारगी बन्दोवस्त योजना जून 1993 में लागू की, जो सितम्बर 1997 तक प्रभावी रही। इस योजना के अधीन चूक करने वाले ऋणधारियों को एकमूस्त रकम भुगतान कर राहत पाने या शुरू में बकाये शेष का 25 प्रतिशत और बची हुई राशि को समझौते के छह महीने के भीतर भुगतान करके अपने बकाये शेष को साफ करने का एक मौका दिया गया। इस योजना में ब्याज दर को दो से तीन प्रतिशत कमी करके ऋणी को राहत देने पर विचार किया जाता था।

सितंबर 1997 के अन्त में एकबारगी बन्दोवस्त योजना के अधीन 24 मामले थे जो बिना बन्दोवस्त के रह गये। निगम 9 मामलों के संबंध में सूचना/जानकारी देने में असमर्थ था। बचे हुए 15 मामलों की समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि 1.30 करोड़ रुपये बकाया शेष रखने वाली इन चूक करने वाली इकाइयों **(परिशिष्ट–16)** ने योजना की वैधता अवधि के भीतर ही एकबारगी बन्दोवस्त के लिए आवेदन दिया था। जिनमें से 71.54 लाख रुपये बकाया शेष रखने वाले आठ मामलों को निगम ने नवंबर 1997 से जुलाई 1999 के दौरान 25.45 लाख रुपये राहत देकर 46.08 लाख रुपये की एकबारगी बन्दोवस्त को अंतिम रूप दे दिया। लेकिन एक इकाई (प्रभात उद्योग बोकारो) ने एकबारगी बन्दोवस्त की राशि 11.43 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया था। एकबारगी बन्दोबस्त योजना की राशि का भुगतान नहीं होने का कारण अभिलेखों में नहीं था।

पुनः दो इकाइयों, जिनके एकबारगी बन्दोवस्त योजना के मामले निगम द्वारा निष्पादित नहीं हुए थे, ने अपने बकायों का परिसमापन जुलाई 2000 में कर लिया था। बची हुईं पाँच इकाइयों के एकबारगी बन्दोबस्त को निगम द्वारा अंतिम रूप नही दिया गया जिसके कारण लिखित नहीं थे (मई 2004) और मार्च 2004 के अन्त तक बकाया शेष 39.39 लाख रुपये से बढ़कर 98.14 लाख रुपये हो गया।

इस प्रकार सितंबर 1997 के बाद एकबारगी बन्दोबस्त योजना के अभाव में निगम का वसूली निष्पादन और भी धट गया, क्योंकि चूक करने वाला अन्य कोई अपने बकाये के निपटान के लिए आगे नहीं आया।

3.2.15 विशेष बिक्री रणनीति

सितंबर 1994 में एक विशेष बिक्री रणनीति लागू की गई जिसके अधीन निगम पहले इकाई को बकाया शेष पर बेचने का प्रयास करता था और यदि यह संभव नहीं होता था तो एकबारगी

बन्दोबस्त योजना के बराबर प्रतिफल पर या बाजार मूल्य पर, जिसका विनिश्चय निगम करता था, बेचने का प्रयास किया जाता था। इन दो राशियों में से ऊँची राशि को प्राथमिकता दी जानी थी। अगर फ़िर भी इकाई की बिक्री नहीं होती थी तो उसे उससे कम मूल्य पर बेचा जाना था। बकाये शेष और बिक्रय मूल्य का अंतर मूल संप्रवर्तकों से वसूल करना था। 1998–2003 के दौरान बेची गयी 44 इकाइयों की स्थिति की चर्चा नीचे की जाती है :

इकाइयों की बिक्री के 4.03 करोड़ रुपये बिना वसूली के रह गये।

- निगम ने 1998–2003 के दौरान चूक करने वाली 20 इकाइयों को 73.43 लाख रुपये में बेचा जो कि मूलधन (97.57 लाख रुपये) से 24.14 लाख रुपये कम था। इसप्रकार, वसूली के लिए अतिदेय कुल रकम में से 4.03 करोड़ रुपये मूल प्रवर्तकों से वसूली के लिए बाकी रह गए **(परिशिष्ट 17)**।
- निगम ने चूक करने वाली 2.85 करोड़ रुपये मूल्य की 21 इकाइयों को 2.15 करोड़ रुपये में बेचा और उसे 70 लाख रुपये की हानि हुई। इन इकाइयों की कुल गैर वसूली राशि 6.47* करोड़ रुपये थी **(परिशिष्ट 18)**।
- निगम ने 1.23 करोड़ रुपये का प्रारंभिक नगद भुगतान वसूल करके और शेष 4.70 करोड़ रुपये खरीददारों को सावधिक ऋण में बदलकर तीन चूक करने वाली इकाइयों# को 5.93 करोड़ रुपये में बेचा। ये खरीददार भी चूक करने वाले हो गये और उनके विरूद्ध बकाया शेष की राशि 31 मार्च 2004 को 10.16 करोड़ रुपये हो गई।

3.2.16 प्रोत्साहन योजना

निगम ने वैसे ऋण के मामलों के निपटारे के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की जिनमें कुल मूलधन और ऋण के ब्याज के भुगतान का प्रस्ताव था। योजना अक्टूबर 2001 से प्रभावी थी। निम्नलिखित पात्रताओं, मानदंडों/शर्त्तों को पूरा करने पर उधार लेने वाले के द्वारा वैध प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त होने की तिथि से उसके ऋण के खाते का कुल दंडात्मक ब्याज (लम्बित) और अन्य प्रभार प्रबंध निदेशक द्वारा छोड़ दिया जाना था :

- अकार्यशील परिसंपत्तियों के सभी मामले प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।
- उधारकर्त्ता को आवेदन धन के रूप में बकाये शेष का कम से कम 5 प्रतिशत जमा करना आवश्यक होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद प्रबंध निदेशक चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक आदेश पारित करेगा और उधारकर्त्ता को दो महीने (साठ दिन) के अन्दर शेष का भुगतान करना होगा।
- निगम केवल उन्हीं खातों का निपटारा करेगा जिनको निगम की स्वीकृति प्राप्त हो।
- प्रोत्साहन योजना के अधीन अन्य प्रभारों के अधिकतम 25000 रुपये उस खाते से छूट दिये जाने के योग्य होगा।
- यह योजना ब्याज और अन्य प्रभारों के अभुगतित भाग पर ही लागू होगी।

इस योजना के अधीन, निगम ने 36 इकाइयों को 31 मार्च 2004 तक 17.32 लाख रुपये का लाभ मंजूर किया। जिसमें से 3 इकाइयों ने 13.28 लाख का लाभ उठाया ओर अपने बकायों का परिसमापन कर दिया, जबकि तीन इकाइयों ने 4.04 लाख रुपये का लाभ नही उठाया।

* *बकाया शेष 8.62 करोड़ रुपये घटाव वसूल की गई राशि 2.15 करोड़ रुपये।*

\# *1. बिपाशा इन्भेस्टमेन्ट (प्रा॰) लि॰ (सिंहभूम फ्लोर मिल्स) 3.15 करोड़ रुपये 2. गहलौत और चौधरी स्टील (प्रा॰) लि॰ 1.80 करोड़ रुपये 3 . एस. बी. एग्रो इंडिया लि. 5.21 करोड़ रुपये (अप्रील 2002 से 31 मार्च 2004 तक 3.64 करोड़ रुपये का ब्याज योग 31 मार्च 2003 को बकाया शेष)*

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि यह प्रोत्साहन योजना उन चूक करने वाले ऋणकर्त्ताओं के लिए बनी थी जिनके विरूद्ध बकाये शेष की राशि छोटी थी और जो कुल राशि को 60 दिनों के अन्दर भुगतान कर सकते थे। यह योजना उन चूक करने वाले ऋणकर्त्ताओं पर लागू नहीं थी जिनके विरूद्ध बहुत बड़ी राशि बकाया थी। फलतः चूक करने वाली बड़ी इकाइयाँ अपने अतिदेयों के निपटारे के लिए आगे नहीं आईं और निगम का वसूली निष्पादन दयनीय रहा।

राज्य वित्त निगम की धारा 29 एवं 30 के अन्तर्गत जारी नोटिसों का तकाजा नही होना

3.2.17 राज्य वित्त निगम की धारा 29 एवं 30 के अधीन जारी नोटिसों की संख्या से संबंधित समेकित अभिलेखों के अभाव में जारी किए गये परन्तु तकाजा रहित नोटीसों की सीमा और उसके कारण का विनिश्चय लेखापरीक्षा में नहीं हुआ। 18 मामलों की नमूना जाँच **(परिशिष्ट 19)** से खुलासा हुआ कि यद्यपि उनकी परिसंपत्तियों को मार्च 1982 से सितम्बर 1994 के दौरान अधिग्रहण करने हेतु नोटिस उन इकाइयों को भेजे गए परन्तु इन इकाइयों की बिक्री के लिए विज्ञापन निकालने के अलावे अन्य कोई कार्रवाई नही की गई। नोटिस की तिथि को इन इकाइयों से वसूलनीय 1.07 करोड़ रुपये की राशि बढ़कर 31 मार्च 2003 को 13.33 करोड़ रुपये हो गई जिसकी वसूली संदेहात्मक प्रतीत होती है।

प्रबंधन द्वारा कहा गया (सितम्बर 2004) कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत संयुक्त ऋण मामलों को छोड़कर निगम ने राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 एवं 30 के अधीन 4382 चूक करने वाली इकाइयों को स्मार नोटिस जारी किए और अनवरत बिक्री नीति के अधीन 90 चूक करने वाली इकाइयों को बिक्री हेतु विज्ञापित किया गया था फिर भी इन इकाइयों के संप्रवर्तको ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाया। चूक करने वाली इकाइयों की बंधक रखी गई परिसंपत्तियों का अधिग्रहण अनुत्पादक है, क्योंकि निगम चूक करने वाली इकाइयों को बेच नहीं सकता था और श्रमशक्ति और सुरक्षा व्यय की कमी के कारण उन इकाइयों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने में भी निगम असमर्थ था। प्रबंधन का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निगम राज्य वित्त निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में असफल रहा।

राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 एवं 30 के अन्तर्गत इकाईयों की बिक्री

3.2.18 निगम ने चूक करने वाली इकाइयों को आमंत्रित डाक बोली और उत्तरवर्त्ती बातचीत के द्वारा बेच दिया और बिक्रय से प्राप्त प्रतिफल को संबंधित चूक करने वाले ऋणियों के बकाया प्राप्यों के विरूद्ध समायोजित किया। अगर पूरी रकम परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूल नहीं होती तो शेष रकम गारंटी दाताओं के व्यक्तिगत प्रतिभूति/गारंटी से वसूल होनी थी जो निगम के पास उपलब्ध थी।

नीचे की तालिका 2002–03 तक के पिछले पाँच वर्षों के दौरान निगम द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 एवं 30 के अधीन बिक्री की गई इकाइयों की संख्या, बकाया शेष, वसूला गया बिक्रय मूल्य और मूल संप्रवर्तको से वसूलनीय रकम को दर्शाती है :

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	योग
1	बिक्री की गई इकाइयों की सं.	77	68	32	90	56	323
2	कितनी रकम में बेची गई	7.90	11.6	2.37	8.08	5.74	35.15
(i)	प्रारंभिक नगद भुगतान की रकम	3.13	2.72	0.94	3.32	2.72	12.83
(ii)	सावधिक ऋण स्वीकृती द्वारा	4.77	8.34	1.43	4.76	3.02	22.32
3	बकाया शेष रकम	26.54	26.31	8.70	28.33	19.13	109.01
4	वसूलनीय रकम (3–2)	18.64	15.25	6.33	20.25	13.39	73.86

बिक्री की गई इकाइयों की नमूना जाँच से निम्न खुलासा हुआ :

- 31 मार्च 2003 को 2101.94 करोड़ रुपये बकाया वाली 6256 चूककर्त्ता इकाइयाँ थी लेकिन निगम केवल 109.01 करोड़ रुपये बकाया रखने वाली 323 चूककर्त्ता इकाइयों की ही बिक्री कर सका जो कुल बकाया शेष का 5.18 प्रतिशत और कुल चूककर्त्ता इकाइयों का 5.16 प्रतिशत है।

109.01 करोड़ रुपये बकाया वाली 323 इकाइयों की बिक्री से निगम केवल 12.83 करोड़ रुपये ही वसूल कर सका और शेष 22.32 करोड़ रुपये का नया ऋण स्वीकृत करके समायोजित किया गया।

व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने में विफलता

3.2.19 चार* बिक्री के मामलों की नमूना जाँच से खुलासा हुआ कि चूक होने की दशा में मूलधन, ब्याज और अन्य धन की हानि के विरूद्ध निगम के पास भुगतान और क्षतिपूर्ति करने के आश्वासन के रूप में ऋणी इकाइयों के प्रवर्तकों और निदेशकों से प्राप्त व्यक्तिगत गारंटी थी। इन व्यक्तिगत गारंटियों में कोई अन्य ब्यौरे नहीं थे यथा उन संपत्तियों का मूल्य विवरण जिनके विरूद्ध गारंटी दी गई थी आदि। इसके अतिरिक्त लंबित ऋण की अवधि में गारंटी देने वालों की सम्पत्ति को ले लेने की कोई पद्धति निगम में नहीं थी।

1998 से 2003 की अवधि के दौरान 323 सहायता प्राप्त इकाइयों की परिसंपत्ति की बिक्री को अंतिम रूप देने के बाद भी निगम को 73.86 करोड़ रुपये यथा बिक्री की गयी इकाइयों के विरूद्ध बकाया शेष और प्रतिफल मूल्य जिसपर इकाइयाँ बेची गई का अंतर, वसूल करना था। ऋण के समझौते की शर्त्त के अनुसार बकायों के पुनर्भुगतान हेतु ऋणी इकाइयों के संप्रवर्तको/निदेशकों द्वारा व्यक्तिगत गारंटी भी दी गई थी। यद्यपि 1998–2003 के दौरान आयोजित अपनी बैठकों में बोर्ड ने यह संकल्प लिया कि शेष राशि (बकाया ओर बिक्री राशि का अंतर) मूल संप्रवर्तकों से व्यक्तिगत गारंटी को लागू कराके वसूल की जाएगी उसके बावजूद निगम ने संप्रवर्तको/निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी की मांग करने की कोई कार्रवाई नहीं शुरू की।

व्यक्तिगत गारंटी को नहीं लागू करने के कारण अभिलेखों में नहीं थे।

* *कटिहार जूट मिल्स, बिहार प्रिसीजन टुल्स (प्रा॰) लि॰, दिनेश सर्जिकल्स (प्रा॰) लि॰ एवं इंडिया ऑटोमोटिभस।*

प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2004) कि व्यक्तिगत गारंटी को लागू कराने में भारी खर्च अन्तर्निहित था और बकायों की वसूली की किसी निश्चितता के बिना मुकदमेबाजी में कई वर्ष लगते। इसलिए निगम द्वारा इसका आश्रय नहीं लिया गया।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निगम को अपने ही नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण करना चाहिए था।

राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा 32 (जी) के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई

3.2.20 वसूली नहीं होने की दशा में निगम किसी चूक करने वाली ईकाई से अपने प्राप्यों की वसूली के लिए जिला समाहर्त्ता से कुल रकम पर प्रमाण पत्र मामला जारी करवाने हेतु विहित प्रक्रिया से राज्य सरकार या विशिष्ठ प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। समाहर्त्ता रकम को वसूल करने के लिए आगे कार्रवाई उसी प्रकार करेगा जैसा भू–राजस्व के बकाये के लिए की जाती है।

प्रमाणपत्र के मुकदमों को दायर नहीं करने के फलस्वरूप 417.30 करोड़ रुपये अतिशोध्य की वसूली नहीं हुई।

स्थापना से लेकर 31 मार्च 2004 तक निगम ने 417.30 करोड़ रुपये अन्तर्निहित अतिदेयों के 368 मुकदमें (सभी 2002–03 में) विशिष्ट प्राधिकारी के यहाँ दायर किये थे जिनपर विशिष्ठ प्राधिकारी ने जुलाई और अक्टूबर 2002 के बीच चूक करने वालों को नोटिस जारी किया लेकिन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था।

इस प्रकार प्रमाणपत्र मुकदमा नहीं दायर करने के कारण निगम विशिष्ठ प्राधिकारी से कोई वसूली प्रमाण पत्र पाने में असमर्थ रहा जिससे 417.30 करोड़ रुपये (मई 2004) अतिदेयों की वसूली नहीं हुई।

परिसंपत्तियों का अस्तित्व नहीं होना/आंशिक अस्तित्व होना

305 इकाइयों की विद्यमान परिसंपत्तियों का मूल्य 30.09 करोड़ रुपये था जबकि इन ईकाइयों के विरूद्ध बकाया शेष 131.03 करोड़ रुपये था।

3.2.21 वर्ष 1994 से 1996 में सहायता प्राप्त इकाइयों की वित्तीय स्थिति का विनिश्चय करने के लिए निगम द्वारा एक अभियान चलाया गया। शाखा स्तर के मूल्यांकन दल ने इकाइयों के स्थलों का निरीक्षण किया और इकाइयों में विद्यमान परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया। तीन शाखा कार्यालयों (पटना, फतुहा एवं नालंदा) के मामलों की नमूना जाँच से खुलासा हुआ कि विद्यमान परिसंपत्तियों का मूल्य 30.09 करोड़ रुपये था जबकि मार्च 2003 में उन इकाइयों के विरूद्ध बकाया शेष 131.03 करोड़ रुपये था। तब से इन 305 सहायता प्राप्त इकाइयों की विद्यमान परिसंपत्तियों का सत्यापन और मूल्यांकन नहीं किया गया। इस कारण वर्तमान समय में विद्यमान परिसंपत्तियों का मूल्य विनिश्चय नहीं किया जा सका।

305 इकाइयों के निपटारे से बकाये शेष का वसूल होना असंभव दीखता है, क्योंकि समय के गुजरने (8 से 10 वर्ष) के कारण परिसंपत्तियाँ अनुपयोगी/कबाड़ (घिसाई के कारण) और अप्रचलित हो गई हैं और मूल्यांकित राशि नहीं दे सकती जो इस बात से प्रमाणित होता है कि बिक्री के समय 8.62 करोड़ रुपये बकाया शेष रखने वाली 2.85 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों वाली 21 इकाइयों के निपटारे से निगम ने केवल 2.15 करोड़ रुपये ही वसूल किया **(परिशिष्ट–18)**।

बंधकित/मालवंधित परिसंपत्तियों का गायब/चोरी होना

1.90 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ इकाइयों के संप्रवर्तकों द्वारा हटा ली गइ या इकाइयों के बन्द होने और अप्रर्याप्त सुरक्षा के कारण चुरा ली गइ।

3.2.22 प्राथमिकी की तिथि, घटना की तिथि, गायब परिसंपत्तियों का मूल्य, विद्यमान परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया शेष आदि दर्शाते हुए 15 मामलों का ब्यौरा **परिशिष्ट–20** में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि 1.90 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियाँ ऋणी इकाइयों के संप्रवर्तकों द्वारा हटा ली गइ या इकाइयों के बंद होने और अप्रर्याप्त सुरक्षा के कारण चुरा ली गइ (जून 1987 से जून 2002)। 6.29 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियाँ इकाइयों में पड़ी हुई थी।

यद्यपि निगम ने पुलिस अधिकारियों के पास 1990 से 2003 के दौरान प्राथमिकी दर्ज कराई परन्तु किसी भी मामले में न तो पुलिस अधिकारी गायब की गई/चुराई गई परिसंपत्तियों को वसूल करने में सफल रहे और न ही संप्रवर्तकों/निदेशकों से निगम ही इन परिसंपत्तियों के मूल्य की वसूली कर सका। चूँकि 31 मार्च 2003 को इन ईकाइयों के विरूद्ध बकाया शेष 19.61 करोड़ रुपये था और इसके बाद इन 15 ईकाइयों की विद्यमान परिसंपत्तियों का कोई भी सत्यापन और मूल्यांकन नहीं किया गया (अप्रील 2004) जिससे उनका वास्तविक अस्तित्त्व और वर्तमान मूल्य विनिश्चित नहीं किया जा सका। 19.61 करोड़ रुपये बकाया शेष की वसूली इन इकाइयों के निपटारे से होना समय बीतने के कारण असंभव है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

3.2.23 निदेशक मंडल के निर्णय (जून 2000) के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष का गठन किया गया है, जो निगम की शाखाओं के साथ–साथ मुख्यालय की भी लेखापरीक्षा करता है। परन्तु जाँच की मदो, जाँच की सीमा, आंतरिक लेखापरीक्षकों के कर्त्तव्य और उनका उत्तरदायित्त्व, लेखापरीक्षा का क्षेत्र, लेखापरीक्षा की आवधिकता इत्यादि को परिभाषित करने वाला कोई मैनुअल निगम के पास नहीं है। तो भी आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष समाशोधन, वर्गीकरण, विभिन्न शीर्षों में बुक करना, लेखाओं की त्रुटियाँ, लेखाओं का शुद्धिकरण आदि से संबंधित निगम की शाखाओं और मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा करता है। वसूली निष्पादन में त्रुटियों (स्वीकृति, संवितरण, अभिलेखन और अनुपालन कार्य) की छानबीन आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष द्वारा नहीं की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति में सुधार की गुंजाइश है, जैसा कि 31 मार्च 2001 तथा 2002 को समाप्त वर्षों की निगम की लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रेक्षणों के उत्तर में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार किया गया।

निष्कर्ष

राज्य में उद्योगों की त्वरित एवं अखंडित स्थापना, अभिवृद्धि और उनके विकास हेतु निगम को प्रमुख अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित की गई थी। ऋणों की वसूली में निगम का निष्पादन, ऋणों के अनुमोदन, स्वीकृति और संवितरण में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं होने, उचित अनुवीक्षण का अभाव और एकबारगी बन्दोवस्त योजना के लागू नहीं होने के कारण ऋणों की वसूली में निगम का निष्पादन अतिदयनीय था। इसके कारण इसकी निधि न केवल जोखिम पर लग गई बल्कि इसने अपने स्रोतों के सृजन को भी कुप्रभावित किया जिससे संगठन का आर्थिक अवस्था कुप्रभावित हुआ और ऋण संवितरण का कार्यकलाप सीमित हो गया।

निगम को चाहिए कि (क) संवितरण के बाद अनुपालन पद्धति की समीक्षा करे (ख) अपनी वसूली निष्पादन में सुधार के लिए एकबारगी निपटारा योजना और बिक्री रणनीति को लागू करे (ग) बिक्री के सभी मामलों की समीक्षा करे और उन इकाइयों के विरूद्ध प्रमाण पत्र मुकदमा चलाये जहाँ इसे घाटा हो रहा है और शेष राशि की यथाशीघ्र वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सभी मामलो को प्रभावी ढंग से पैरवी करे (घ) झारखंड स्थित चूक करने वाली इकाइयों से प्रभावकारी वसूली की कार्रवाइ एवं उनके निपटारे के मामलों को झारखंड सरकार के साथ उठाने की जरूरत है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित है (जुलाई 2004), उनके जवाब प्राप्त नहीं हुये है (सितम्बर 2004)।

अध्याय–IV

4. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा का प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों/निगमों के कार्य सम्पादन के नमूना जाँच में पाये गये महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

4.1 अविवेकी निवेश

अविवेकी निवेश एवं ट्रैक्टरों की खरीद में विलंब के परिणामस्वरूप 87.74 लाख रुपये की हानि।

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (कम्पनी) ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (रा. पि. व. वि. वि. नि.) के साथ एक अनुबंध (मार्च 1993) का क्रियान्वयन किया। कम्पनी को राज्य प्रणालिका अभिकर्त्ता (रा. प्र. अ.) के रूप मे, पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आय उत्पन्न करने वाली व्यवहार्य लाभकारी परियोजनाओं/योजनाओं की स्थापना के लिए ऋण एवं अतिरिक्त धन स्वीकृत करने हेतु, जो रा. पि. व. वि. वि. नि. द्वारा अनुमोदित है, कार्य करना था।

अनुबंध में यह निर्दिष्ट था कि यदि रा. प्र. अ. द्वारा रा. पि. व. वि. वि. नि. से वित्तीय सहायता हेतु कोई ऋण लिया या प्राप्त किया जाता है तथा इसे आगे मूल लाभार्थी को नहीं बाँटा जाता है या दो महीने के अन्तराल में इसका उपयोग सप्रयोजन में किया जाता है, तो रा. प्र. अ. को साधारण बैंक दर, जो 18 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगा, से रा. पि. व. वि. वि. नि. को न बाँटे गए या उपयोग में नहीं लाई गई राशि पर उस अवधि के लिए जिसमें इसे बाँटा या उपयोग नहीं किया गया, ब्याज चुकाना होगा।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ कि कम्पनी ने रा. पि. व. वि. वि. नि. से प्राप्त निधि चार करोड़ रुपये का पूँजी निवेश बिना सरकार/बोर्ड के अनुमोदन के एच. एम. टी. लिमिटेड (एच. एम. टी.) में 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर किया। एच. एम. टी. ने संपूर्ण निवेश पर दो करोड़ रुपये मूलधन तथा ब्याज के रूप में दिसम्बर 1996 तक लौटा दिया। फिर भी वित्तीय रूप से बीमार होने के कारण यह भुगतान में चूककर्त्ता हो गयी एवं मूलधन के रूप में केवल एक करोड़ रुपये एवं शेष ऋण रकम के विरूद्ध एच एम टी 3522 मोडेल का 65 ट्रैक्टर प्रति ट्रैक्टर 2.39 लाख रुपये की दर से चुकता करने के प्रस्ताव के साथ जनवरी 1998 में वापस किया। लाभार्थियों से प्रत्युत्तर न मिलने के कारण कम्पनी कोई निर्णय नहीं ले सकी (मार्च 1999)।

एच. एम. टी. ने पुनः वित्तीय रूप से बीमार होने के आधार पर एकल निपटारा योजना (ए. नि. यो.) के तहत बकाया राशि को 1 अप्रील 1997 के भूतलक्षी प्रभाव से 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ चुकता करने हेतु प्रति ट्रैक्टर 2.23 लाख रुपये की दर से एच एम टी 3522 मोडेल की 59 ट्रैक्टरों की पेशकश किया (फरवरी 2002)। कम्पनी ने यह पेशकश स्वीकार कर लिया तथा अप्रील 2002 में ट्रैक्टरों की आपूर्ति प्राप्त कर ली जिसके परिणामस्वरूप 75 लाख रुपये* ब्याज की हानि हुई।

* *अप्रील 2002 तक मूलधन एवं ब्याज 2.36 करोड़ रुपये से 59 ट्रैक्टरों की कीमत 1.61 करोड़ रुपये घटाने पर।*

रा. पि. व. वि. वि. नि. से प्राप्त निधि के न बाँटे जाने के कारण कम्पनी को 12.74 लाख रुपये की हानि हुई।

इसके अतिरिक्ति निधि को मूल लाभार्थियों में न बाँटे जाने के कारण कम्पनी ने रा. पि. ब. वि. वि. नि. को ऋण की बकाया राशि पर अप्रील 1997 से अप्रील 2002 तक 76.42 लाख रुपये ब्याज (12 प्रतिशत की दर से) का भुगतान किया जबकि इसने एच. एम. टी. से ब्याज के रूप में 63. 60 लाख रुपये (10 प्रतिशत की दर से) प्राप्त किया और इस प्रकार 12.74 लाख रुपये की हानि हुई।अतः अविवेकी निवेश एवं ट्रैक्टरों की खरीद में विलंब के परिणामस्वरूप कम्पनी को 87.74 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (मार्च 2004) कि लक्ष्यी समूह में योजना के क्रियान्वयन की जानकारी के अभाव के कारण अंश गत पूँजी एवं हुडको से प्राप्त ऋण का निवेश बिहार सरकार के अनुमोदन से एच. एम. टी. में किया गया। आगे 10 अक्टूबर 1999 से 14 मार्च 2001 की अवधि में निदेशक मंडल के अस्तित्त्व में ना होने की वजह से कम्पनी में निर्णय लेने में विलम्ब हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने रा. पि. व. वि. वि. नि. से प्राप्त निधि का विचलन एच. एम. टी. में किया न कि अंशगत पूँजी एवं हुडको से प्राप्त ऋण को 10 अक्टूबर 1999 से 14 मार्च 2001 की अवधि में निदेशक मंडल का अस्तित्त्व में ना होना निर्णय के क्रियान्वयन को प्रभावित नहीं कर सकता था क्योंकि बोर्ड ने ऋण को एच. एम. टी. ट्रैक्टरों के खरीद के विरूद्ध समायोजित करने का निर्णय 25 जनवरी 1999 को पहले ही कर लिया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2004) ; उनका उत्तर अप्राप्त था (सितम्बर 2004)।

बिहार राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड

4.2 राजस्व की हानि

साफ्टवेयर टेकनोलाजी पार्क को किराए पर देने में विलंब के परिणामस्वरूप 39.10 रुपये की किराया मद में हानि।

बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने बिहार राज्य कोआपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड के साथ बिस्कोमान टॉवर में तीन तल्लों, जिसकी माप 35,000 वर्ग फीट थी, को पट्टे पर छह रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से तथा रख रखाव हेतु 0.20 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह की दर से 10 वर्षों की अवधि के लिए किराए पर लेने के लिए एक अनुबंध का क्रियान्वयन (अप्रील 2002) किया। कम्पनी को किराए के इस परिसर में एक साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क विकसित करना था जिसके लिए राज्य सरकार ने 2000–03 के दरम्यान चार करोड़ रुपये मुहैया कराए थे। विकास का कार्य 3.80 करोड़ रुपये की लागत से जनवरी 2003 में पूरा किया गया।

कम्पनी ने (जनवरी 2003) में दो तल्लों जिसका क्षेत्रफल 23,333 वर्ग फीट था, को रिलायन्स इन्फोकॉम लिमिटेड (आर आई एल) को 20.90 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रति माह की दर से किराए पर देने तथा एक तल्ल को छह माह तक स्थानीय उपक्रमों के लिए खाली रखने का निर्णय लिया। आर आई एल ने दो मंजिलों का अधिपत्य अक्टूबर 2003 में ले लिया।

परिसर को किराए पर देने में विलंब के कारण कम्पनी को 39.01 लाख रुपये किराए की हानि हुई।

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि आर आई एल की पेशकश नवम्बर 2002 में उपलब्ध थी लेकिन कम्पनी ने दो मंजिलों का आवंटन आर आई एल को जनवरी 2003 में करने का निर्णय लिया तथा परिसर को सौंपने की औपचारिकताओं को पूरा करने में भी आठ महीने और लगा दिए। यदि परिसर के पूर्ण होने (जनवरी 2003) के पूर्व निर्णय लिया गया होता तथा आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया गया होता एवं तत्काल सौंप दिया गया होता तो आठ महीने

के विलम्ब को टाला जा सकता था। साफ्टवेयर टेक्नालौजी पार्क को किराए पर देने में विलम्ब की परिणति आठ महीने के किराए 39.10 लाख रुपये की हानि में हुई।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2004) ; उनका उत्तर अप्राप्त था (सितम्बर 2004)।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड

4.3 खाद्यान्न के आन्तरिक जाँच/नियंत्रण तथा भौतिक सत्यापन के अभाव के कारण हानि

खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन से संबंधित कम्पनी के स्थायी आदेशों को पालन नहीं करने के परिणामस्वरूप 22.98 रुपये की हानि।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) राज्य में कियान्वित किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.), मध्याह्न भोजन (एम. डी. एम.) एवं गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) की योजनाओं के लिए खाद्यान्न आपूर्त्ति करने हेतु प्रणालिका अभिकरण है। यह कम्पनी राज्य सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न उठाकर अपने गोदामों में भंडारित करती है।

खाद्यान्न में कमी के कारण 22.98 लाख की हानि हुई।

कम्पनी ने जिला प्रबन्धकों और सहायक गोदाम प्रबन्धकों (स. गो. प्र.) को, जो खाद्यान्न की प्राप्ति, वितरण एवं गोदामों में शेष माल का कार्य देखते हैं, को गोदामों में भंडार की सुरक्षा हेतु निर्देश जारी किए (दिसम्बर 1987)। तदनुसार सभी स. गो. प्र. को हर वर्ष अप्रील में दूसरे गोदाम में स्थानान्तरित किया जाना था ताकि माल का भौतिक सत्यापन स्वतः हो सके। अन्य गोदामों का भौतिक सत्यापन नजदीकी जिले के जिला प्रबंधक द्वारा हर वर्ष किया जाना था।

लेखापरीक्षा का प्रेक्षण था कि सिवान जिला के बसन्तपुर एवं महाराजगंज के स. गो. प्र. ने अक्टूबर 1997 से दिसम्बर 2001 की अवधि में ना तो प्राप्तियों का स्टॉक बही एवं खाद्यान्नों के वितरण पंजी का संधारण किया और ना ही, दिसम्बर 2001 में मृत्यु होने तक उनका स्थानान्तरण किया गया। उनकी मृत्युपरांत कम्पनी ने प्राप्तियों एवं खाद्यान्नों की वितरण से संबंधित कागजातों के आधार पर स्टाक बही/खातों को तैयार किया (अगस्त 2002) और 22.98 लाख रुपये की खाद्यान्नों की कमी पायी गयी।

अतः आंतरिक नियंत्रण तथा स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में कम्पनी को 22.98 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2004) ; उनका उत्तर अप्राप्त था (सितम्बर 2004)।

4.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब

लेखाओं की अंतिमीकरण के लिए सांविधिक प्रावधान

4.4.1 कम्पनी कानून, 1956, की धारा 210 (3) जो धारा 166 के साथ पढ़ा गया, में सन्निहित उपबंध के अनुसार किसी वर्ष के लिए कम्पनी की लेखापरीक्षित लेखा शेयरधारकों की वार्षिक आम सभा में वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छः माह के अंदर अनुमोदित तथा अंगीकार की जानी चाहिए। आगे उसी कानून की धारा 619 A (3) के उपबंध के अनुसार राज्य सरकार को राज्य के हर सरकारी कम्पनी के कार्यकलाप एवं कारोबार पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ जिसपर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी. ए. जी.) की टिप्पणी प्राप्त हो, को

विधान सभा के पटल पर वार्षिक आम सभा के तीन महीनों के अंदर रखी जानी चाहिए। सांविधिक निगमों के मामलों में उनसे सम्बन्धित कानून की विभिन्न धाराओं की प्रावधानों के अनुसार उनकी लेखापरीक्षा एवं विधान सभा में पेश किया जाना होता है। बिहार की किसी भी सरकारी कम्पनी ने अपनी लेखाओं का निर्दिष्ट समय के अन्दर अंतिमिकरण नहीं किया तथा लंबे समय से लेखायें बकाया में हैं। वित्तीय वर्ष 2003–04 तक बिहार सरकार की 50 सरकारी कम्पनियों के कुल बकाया लेखाओं की संख्या 30 सितम्बर 2004 को 769 थीं।

लेखाओं की अंतिमीकरण की प्रक्रिया

4.4.2 वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 215(3) के अन्तर्गत निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। सांविधिक लेखा परीक्षको, जो कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा चयनात्मक आधार पर करते है, की नियुक्ति सी. ए. जी. द्वारा की जाती है और सी. ए. जी. की टिप्पणियों के साथ उन लेखाओं को कम्पनी की वार्षिक आम सभा में अंगीकार करने हेतु रखा जाता है। उसके बाद अधिनियम की धारा 619 (अ) (3) की शर्त्तो के अनुसार उन वार्षिक लेखाओं को राज्य विधानमंडल में रखा जाता है।

ग्यारह कम्पनियों[#] मे बुनियादी लेखा अभिलेखो का संधारण क्षेत्रीय इकाईयों/केन्द्रों में किया गया था। इन इकाइयों द्वारा दिए गए शुरूआती लेखा सूचनाओं के आधार पर संघीय कार्यालय (मुख्यालय) विभिन्न समायोजनों के पश्चात वित्तीय लेखाओं को समेकित करता है। बि. रा. सा. वि. नि. लि.[*] के संदर्भ में बुनियादी लेखाकरण अभिलेखों के साथ–साथ अंतिम लेखों को मुख्यालय में समेकित किया गया।

लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब के कारण अंतर्भावित जोखिम

4.4.3 लोक उपक्रमों के अंतिम लेखे उनकी संपूर्ण वित्तीय दशा एवं व्यवसाय संचालित करने में उनकी दक्षता दर्शाते हैं। यदि लोक उपक्रम लेखाओं की पूर्णता समय पर कर पाने में असफल होते हैं तो सी. ए. जी. लेखों का अनुपूरक लेखा परीक्षा संचालित नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की समीक्षा से बाहर रह जाता है। इसके अलावा विलंब धोखाधड़ी की जोखिम और सरकारी धन के बाहर निकलने की प्रणाली का मार्ग भी प्रशस्त करती है।

बकाया का परिमाण

4.4.4 राज्य की 50 सरकारी कम्पनियों में से किसी कम्पनी ने भी वर्ष 2003–04 के लेखाओं को 30 सितम्बर 2004 तक अंतिम रूप नहीं दिया था। सभी कम्पनियों के लेखे 4 से 27 वर्षों की अवधि के परास में बकाया में थे, जैसा कि **परिशिष्ट–21** मे विस्तार से वर्णित है। 31 मार्च 2004 को पाँच वर्ष की अवधि (अद्यतन लेखा तक) के लिए 12 कम्पनियों के लेखाओं के अंतिमीकरण के सन्दर्भ में नमूना जाँच का सारांश **परिशिष्ट–22** में विस्तार से वर्णित है। परिशिष्ट की समीक्षा यह उद्घाटित करेगी कि प्रत्येक वर्ष की वार्षिक आम सभा में इन कम्पनियों

अभिलेखों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 12 कम्पनियों में 473.98 करोड़ रुपये का सरकारी निवेश लोक समीक्षा के बाहर रहा।

[#] *बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि. (बी. एस. एम. डी. सी.), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनक आपूर्ति निगम लि. (बी.एस.एफ एवं सी. एस. सी.), बिहार राज्य पर्यटन वकास निगम लि. (बी. एस. टी. डी. सी), बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लि. (बी. एस. एच. पी. सी.), बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कारपोरेशन लि. (बी. एच. ए. एल. सी.), बिहार राज्य कृषि विकास निगम लि. (बी. एस. ए. आइ. डी. सी.), बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लि. (बी. एस. एस. आइ. सी.), बिहार राज्य उद्योग विकास निगम लि. (बी. एस. आई. डी. सी.), बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि. (बी. एस. एल. आइ. डी. सी.), बिहार राज्य निर्माण निगम लि. (बी. एस. एस. सी.), बिहार राज्य औषघ एवं रसायन विकास निगम लि. (बी. एस. पी. एवं सी. एस डी.)*

[*] *बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (बि. रा. सा. वि. नि. लि.)*

परिशिष्ट की समीक्षा यह उद्घाटित करेगी कि प्रत्येक वर्ष की वार्षिक आम सभा में इन कम्पनियों के सन्दर्भ में लेखाओं के अन्तिमीकरण को अंगीकार करने के लिए आठ से 263 महीनों का विलंब हुआ। अंतिम लेखों की अनुपस्थिति में 31 मार्च 2004 को नमूना जाँच किए गए 12 कम्पनियों में शेयर पूँजी (206.04 करोड़ रुपये) तथा ऋण (267.94 करोड़ रुपये) के रूप में कुल 473.98 करोड़ रुपये का सरकारी निवेश लोक समीक्षा से बाहर रहा।

जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया, लेखाओं की तैयारी एवं सांविधिक लेखापरीक्षा की पूर्णता में विलम्ब, वार्षिक आम सभा किए जाने में विलम्ब, वित्तीय अव्यवस्था, मानव शक्ति की कमी तथा निदेशक मंडल का अस्तित्त्व में ना होना, जैसा कि उत्तरवर्ती अनुच्छेद में चचिर्त है, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब के कारण थे।

लेखाओं की तैयारी में विलम्ब

4.4.5 लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ कि लेखा विभागों में सक्षम तथा प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी के कारण लेखाओं की तैयारी और उसके लेखापरीक्षा में विलम्ब हुआ। चूंकि लेखा विभागों का कार्यकलाप मुख्य रूप से कुछ लिपिकीय कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है, अतः हर वर्ष बकाया लेखाओं की ढ़ेर लग गई। प्रबन्धन और सांविधिक लेखा परीक्षकों (सां. ले. प.) के बीच समन्वय की कमी भी लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब का कारण होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त चूक करने वाली कम्पनियों के पास लेखाओं की बकाया को समाप्त करने हेतु कोई समयवद्ध तथा विशेष कार्यनीति नहीं है।

सांविधिक लेखापरीक्षा संपूरण में विलम्ब

4.4.6 सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी द्वारा लेखाओं के संवरण करने के दो महीने के अंदर लेखापरीक्षा कर लेना अपेक्षित है ताकि कम्पनी कानून, 1956 की धारा 619(4) के तहत नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा पूर्ण की जा सके और लेखा परीक्षित लेखाओं को वार्षिक आम सभा में छः माह की विहित अवधि के भीतर सा.ले.प. की रिपोर्ट के साथ पेश किया जा सके। **परिशिष्ट–23** में सां. ले. प. द्वारा दो क्रमिक वर्षों के मध्य लेखाओं के प्रमाणीकरण में लिया गया समय दर्शाया गया है।

दो क्रमिक वर्षों के मध्य प्रमाणिकरण के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा के समापन में औसतन 12.20 से 41.50 महीनों का विलंब हुआ।

परिशिष्ट से यह विदित होगा कि दो क्रमिक वर्षों के मध्य लेखाओं के प्रमाणीकरण में 12.20 से 41.50 माह का औसत समय एक वर्ष की लेखापरीक्षा के समापन के लिए लिया गया। लेखापरीक्षकों को वांछित सूचनाओं का लेखापरीक्षनीय इकाईयों द्वारा प्रस्तुत न किया जाना (वी एस आइ डी सी, वी एस एस आइ सी), वार्षिक आम सभा में पिछले वर्ष के लेखाओं को अंगीकार किए जाने में विलम्ब (वी एस आइ डी सी), जिसके कारण सां. ले. प. द्वारा लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलंब हो जाना, सां. ले. प. के साथ समन्वय की कमी और फरवरी 1994 से जनवरी 2001 (वी एस एफ एवं सी एस सी) तक निदेशक मंडल का अस्तित्व में न होना इस विलम्ब के कारण थे।

यदि कम्पनियों ने सां. ले. प. के साथ समन्वय स्थापित किया होता तथा निदेशक मंडल के गठन तथा वा. आ. स. कराने के लिए प्रयास किया होता तो इस प्रकार के विलम्ब को टाला जा सकता था।

बिहार राज्य जल विद्युत (शक्ति) निगम लिमिटेड के संदर्भ में लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ कि 1994–95 के लेखाओं का अनुमोदन कम्पनी द्वारा दिसम्बर 1996 में किया गया था, परन्तु कम्पनी एवं सां. ले. प. के मध्य समन्वय की कमी के कारण, लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन जुलाई 2003 में सात वर्षों के पश्चात् पेश किया गया। आगे प्रबन्धन ने नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के आलोक में 1994–95 के लेखाओं का पुनरीक्षण किया। सां.ले.प. ने संशोधित लेखाओं का प्रमाणीकरण 15 जुलाई 2004 को किया। बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड के सन्दर्भ में 1996–97 तथा 1997–98 के लेखाओं का प्रमाणीकरण करने में सा. ले. प. ने क्रमशः चार और दो वर्ष लगाए। इसके परिणामस्वरूप उत्तरवर्त्ती वर्षों के लेखाओं के अंतिमीकरण में विलम्ब हुआ।

नि. म. प. द्वारा टिप्पणी/समीक्षा न होने का प्रमाणीकरण प्राप्त होने के पश्चात सा. वा. बै. के आयोजन में 84 महीने तक का विलम्ब हुआ।

वार्षिक आम सभा आयोजित करने में विलम्ब

4.4.7 कम्पनी कानून की धारा 171 में निहित प्रावधानों के तहत किसी कम्पनी की वार्षिक आम सभा लिखित रूप से दिए गए 21 दिनों की सूचना या अल्पकालीन सूचना, यदि ऐसा उन सभी सदस्यों द्वारा सहमति हो जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है, के उपरान्त बुलाई जानी चाहिए। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभी निदेशक सरकार द्वारा मनोनित हैं, एक सरकारी कम्पनी द्वारा वा. आ. स. का आयोजन सी. ए. जी. की टिप्पणी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बुलाना युक्तिसंगत होगा।

परिशिष्ट–24 में पिछले पाँच वर्षों के लेखाओं के अंतिमीकरण के लिए टिप्पणी/समीक्षा प्रमाण पत्र न जारी किए जाने की तिथि एवं वा. आ. स. के आयोजन की तिथि दी गई है।

परिशिष्ट से देखा जा सकता है कि वि. रा. प. वि. नि. (1988–89 से 1992–93), वि. रा. ख. वि. नि. (1996–97), बि. रा. नि. नि. (1982–83) एवं बि. रा. सा. वि. नि. लि. (1996–97) को छोड़कर सभी कम्पनियाँ 30 दिनों के अंदर वा. आ. स. आयोजित करने में असफल रहीं। वा. आ. स. आयोजित करने में 84 महीनों तक का विलम्ब हुआ। इससे लेखाओं के बकाया समापन में प्रतिकूल असर पड़ा।

लेखापरीक्षा में छः पृथक मामलों का निम्नांकित विश्लेषण किया गया :

कम्पनी का नाम	कारण
बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1997–98 एवं 1998–99 के वार्षिक लेखों पर नि. म. प. की टिप्पणियाँ क्रमशः फरवरी 2000 और जुलाई 2002 में जारी की गई, लेकिन इन्हें अगस्त 2003 में वा. आ. स. में अंगीकार किया गया। इससे उत्तरवर्ती वर्षों के लेखाओं के अंतिमीकरण पर असर पड़ा।
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड	1980–81 की वार्षिक लेखा पर नि. म. प. की टिप्पणी दिसम्बर 1994 में जारी की गई लेकिन फरवरी 1994 से जनवरी 2004 तक निदेशक मंडल के अस्तित्त्व में नहीं होने के कारण इसे वा. आ. स. द्वारा 2001 में साढ़े छः वर्षों के बाद अंगीकार किया गया। 1981–82 के वार्षिक लेखाओं पर सी. ए. जी. की टिप्पणी फरवरी 2004 में जारी की गई। लेकिन वा. आ. स. द्वारा इसे 23 अगस्त 2004 को अंगीकार किया गया। इससे अनुगामी वर्षों के लेखाओं के अंतिमीकरण पर असर पड़ा।
बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1986–87 के लेखाओं का प्रमाणीकरण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिसम्बर 1995 में किया गया एवं सी. ए. जी. की टिप्पणी मई 1996 में जारी की गई। 1986–87 के लेखाओं को अंगीकार करने हेतु कम्पनी की वा. आ. स. मई 1986 से आयोजित नहीं हुई है।
बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1986–87 के लेखाओं पर सी. ए. जी. की टिप्पणी दिसम्बर 2002 में जारी की गई लेकिन उसे वा. आ. स. में अबतक अंगीकार किया जाना शेष था। जनवरी 1997 के पश्चात लेखाओं को अंगीकार करने हेतु कोई वा. आ. स. नहीं आयोजित की गई।

बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1981–82 के वार्षिक लेखों पर सी. ए. जी. की टिप्पणी मई 1997 में जारी की गई लेकिन लेखाओं को मई 2004 की वा. आ. स. में अंगीकार किया गया। इससे उत्तरवर्ती लेखाओं के अंतिमीकरण पर प्रतिकूल असर पड़ा।
बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1985–86 के वार्षिक लेखाओं पर सी. ए. जी. की टिप्पणी जून 2003 में जारी की गई परन्तु लेखाओं को अंगीकार करने के लिए कम्पनी ने अब तक (सितम्बर 2004) वा. आ. स. आयोजित नहीं की। इससे उत्तरवर्ती लेखाओं के अंतिमिकरण पर प्रतिकूल असर पड़ा।

विधान सभा में वार्षिक प्रतिवेदन पेश किए जाने में विलम्ब

विधान सभा में वार्षिक प्रतिवेदनों को पेश किए जाने में 31 से 303 महीनों का विलम्ब हुआ।

4.4.8 सरकारी कम्पनियों एवं मानित सरकारी कम्पनियों को उनके लेखापरीक्षित लेखों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष खत्म होने के नौ महीने बीतने के पूर्व राज्य विधान सभा में पेश किया जाना सुनिश्चित करना होता है। चूँकि समीक्षा के अन्तर्गत चुनी गई सभी कम्पनियों ने अपने लेखाओं को वा. आ. स. में नियत तिथि से आठ से 263 महीनों से भी ज्यादा समय बीत जाने के उपरान्त अंगीकार किया इसलिए कम्पनियाँ उनके वार्षिक प्रतिवेदनों को विधान सभा में समय से पेश किए जाने में भी असफल रहीं। वार्षिक प्रतिवेदनों का विधानसभा में पेश करने में विलंब का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–25** में दिया गया है। लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुआ कि विधान सभा में वार्षिक प्रतिवेदनों को पेश किए जाने में 31 से 303 महीनों का विलम्ब हुआ।

बकायों का निपटारे की तुलनात्मक स्थिति

4.4.9 30 सितम्बर 2004 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के लेखाओं के अंतिमीकरण की बकाया के निपटारे की तुलनात्मक स्थिति **परिशिष्ट–26** में दर्शायी गयी है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि सभी पाँच कार्यशील कम्पनियाँ, जिनके लेखे सितम्बर 2000 के अन्त तक दो से 19 वर्षों से बकाया थे, बकायों के निपटारे में असफल रहीं तथा सितम्बर 2004 तक बकायों में चार से 21 वर्षों तक की वृद्धि हुई। इसी प्रकार सात अकार्यशील कम्पनियाँ भी बकायों के निपटारे में असफल रहीं तथा उस अवधि में बकायों में 12 से 18 वर्षों से 14 से 22 वर्षों तक की वृद्धि हुई।

4.4.10 राज्य सरकार सम्बद्ध प्रशासी विभागों तथा वित्त विभाग के माध्यम से कम्पनियों पर नियंत्रण रखती है। लोक उद्यम ब्यूरो (लो. उ. ब.) शीर्षस्थ संस्था है जो कम्पनियों के कार्य–कलाप की समीक्षा वित्त विभाग की ओर से करती है।

राज्य सरकार ने बकाया लेखाओं के समयबद्व निपटारे के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाया है।

इन कम्पनियों के मेमोरेन्डम एवं आर्टिकिल ऑफ एसोसियशन की शर्त्तो के अनुसार राज्य सरकार कम्पनी के हित में निदेश जारी कर सकती है। इन दायित्त्वों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा कम्पनियों के लेखाओं का समय पर अंतिमीकरण को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाया जाना अपेक्षित था। उसी प्रकार प्रशासनिक विभागों को सुनिश्चित करना है कि लेखाओं के अंतिमीकरण तथा उन्हें कम्पनियों के वार्षिक आम सभा में कम्पनी कानून, 1956 में विहित समय सीमा के अंदर अंगीकार किया जाय। लेकिन राज्य सरकार द्वारा बकाया लेखाओं के निपटारे के लिए कोई समयबद्व कार्यक्रम/कार्य योजना नहीं बनाया गया।

राज्य सरकार ने उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन ग्यारह कम्पनियों को लेखों को तैयार करने के लिए कुल 26.92 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया (नवम्बर 2002) लेकिन किसी भी कम्पनी द्वारा लेखाओं के बकाए का निपटारा नहीं किया गया।

4.4.11 बिहार सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के अध्याय–I में बकाए लेखाओं की निरन्तर स्थिति को प्रमुखता से दर्शाया जाता रहा है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार द्वारा मुख्य सचिव को सौंपे गए चूककर्त्ता कम्पनियों की त्रैमासिक सूची के आधार पर लो. उ. ब. द्वारा लेखाओं को अंतिमीकरण में शीघ्रता लाने के लिए निदेश जारी किए गए थे, लेकिन कम्पनियों के प्रबन्धन द्वारा अनुकरण नहीं किए जाने के कारण लेखाओं के बकाया की स्थिति में सुधार नहीं हो सका।

सी. ए. जी. के सुझाव पर कम्पनियों के बकाया लेखाओं के निपटारा के लिए सां. ले. प. को दो या अधिक वर्षों के लिए विशेष स्थिति में नियुक्त किया गया। इस अग्रिम कार्यवाही ने बकाये की स्थिति पर कोई असर नहीं डाला तथा कोई भी कम्पनी बकायों को निपटाने में सक्षम नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने लंबित लेखाओं के निपटारा को यथाशीघ्र पुरा करने के क्रम में राज्य सरकार को पेशेवर संस्थाओं से मदद लेने की सलाह दी (जनवरी 2004) तथा दूसरी अपेक्षित सहायता के अतिरिक्त अंतरिम लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित करने की पेशकश की। कम्पनियों द्वारा ऐसी किसी सहायता की माँग अब तक (सितम्बर 2004) नहीं की गई थी।

मामला सरकार/कम्पनी को प्रतिवेदित किया गया (जून 2004); बी. एस. टी. डी. सी., बी. आइ. सी. आइ. सी. ओ., बी. एस. एस. आइ. सी., बी. एस. आइ. डी. सी., बी. एस. एल. आइ. डी. सी, सी. डी. सी. तथा बी. एस. पी. एवं सी. डी. सी. को छोड़कर उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2004)।

सांविधिक निगम

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड

4.5 आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियाँ

आंतरिक नियंत्रण युक्तिसंगत आश्वासन मुहैया कराने के लिए एक प्रबन्ध उपकरण है ताकि संस्था जवाबदेही के दायित्त्वों को पूरा करे, सुव्यस्थित एवं सक्षम संचालन मुहैया कराये, परिसम्पत्तियों एवं प्रबन्धन नीति की सुरक्षा करे तथा समय पर प्रतिवेदन के माध्यम से विश्वसनीय वित्तीय आँकड़े उद्घाटित करे। आंतरिक लेखापरीक्षा एक संस्था की अन्दरूनी गतिविधियों को जाँचने एवं मूल्यांकित करने के लिए एक स्वतन्त्र मूल्यांकन गतिविधि है। इससे वित्तीय नियंत्रण में सहायता प्रदान करने के अलावे, संस्थागत उद्देश्यों को हासिल करने में संस्था के भीतर नियंत्रण की प्रभाविता तथा शासन प्रक्रिया को सुधार करने में मदद की अपेक्षा है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य में विद्युत के उत्पादन, संचरण एवं वितरण के समन्वित विकास को कुशलतापूर्वक बढ़ाने का उत्तरदायित्त्व दिया गया है। बोर्ड के संचालन में वृहद खर्च तथा आय का अंतभार्वित होना प्रभावशाली एवं सक्षम आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की माँग करता है, ताकि नियंत्रण में प्रणालीगत कमियों एवं निर्बलताओं को ठीक परिभाषित किया जा सके तथा उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही सुझायी जाए।

परिशिष्ट–27 में बोर्ड के संस्थागत ढाँचे तथा **परिशिष्ट–28** में बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा ढाँचे को दर्शाया गया है।

4.5.1 आंतरिक नियंत्रण

किसी संस्था के कुशल कार्यकलाप के लिए प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पूर्वापेक्षित है। इसके लिए संस्था को उत्कृष्ट आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा स्थापित करनी चाहिए जिसमें अन्यान्य समाविष्ट हो :

- उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दीर्धावधि एवं अल्पावधि योजनाओं को विकसित करना,
- योजनाओं की सावधिक समीक्षा,
- बजट नियंत्रण तंत्र का निर्माण,
- हर उत्तरदायी क्षेत्र के लिए नियंत्रण को परिभाषित करना तथा इसका मूल्यांकन,
- संचालन एवं लेखाकरण प्रणाली की रूप रेखा तैयार करना एवं समीक्षा करना तथा लेखाकरण आँकड़ों की परिशुद्धता एवं विश्सनीयता को सुनिश्ति करना एवं
- परिचालन में दक्षता एवं परिसम्पत्तियों की सुरक्षा

बोर्ड में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशालिता की जाँच की गई तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में कमियाँ पाई गई :

4.5.2 योजना एवं परिवीक्षण

बोर्ड की योजना विभाग की मुख्य गतिविधियाँ निम्नांकित है :

- पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक कार्यक्रम को प्रतिपादित, क्रियान्वित एवं परिवीक्षण करना,
- वार्षिक विकास कार्यक्रम एवं सामग्री बजट तैयार करना,
- क्षेत्रीय कार्यालयों से सांख्कीय आँकड़ों का संग्रहण करना, और
- मासिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुआ कि बिजली सांख्यिकी प्रतिवेदन और सामग्री बजट सिर्फ 1999–2000 तक ही तैयार किए गए थे। पिछले पाँच वर्षों के लिए वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, मासिक और वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जैसे दूसरे प्रतिवेदन 2003–04 तक नहीं तैयार किए गए थे। यद्यपि बोर्ड ने उर्जा उत्पादन, खरीद, बिक्री आदि के लिए वार्षिक बजट बनाए, लेकिन उन्हें सम्बद्ध इकाईयों को संप्रेषित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप बोर्ड उनके निष्पादन का परिवीक्षण नहीं कर सका।

मुख्य अभियन्ता (योजना) ने यह स्वीकार किया (मार्च 2004) कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी की वजह से योजनाओं का परिवीक्षण संभव नहीं था।

बोर्ड की योजनान्वयन शाखा सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए निष्क्रिय थी।

4.5.3 बजट का नियंत्रण

बिजली (वितरण) कानून, 1948 की धारा 61 में अर्न्तनिहित उपबंध के अनुसार, बोर्ड को आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित पूँजी एवं राजस्व प्राप्तियों एवं खर्च के साथ एक वार्षिक वित्तीय विवरणी तथा चालू वर्ष के लिए अनुपूरक विवरणी हर वर्ष फरवरी में विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु राज्य सरकार को पेश करना होता है। पिछले पाँच वर्षों के लिए 2003–04 तक बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं यथार्थ का विस्तार **परिशिष्ट–29** में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह स्पष्ट होगा कि

- उपरोक्त अवधि में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ बजट एवं संशोधित अनुमानों से हमेशा कम थी।

- पिछले चार वर्षों के दौरान 2002–03 तक बजट एवं संशोधित अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों एवं यथार्थ के बीच राजस्व घाटे में वृदह विसंगति व्याप्त थी।
- ऋण पर ब्याज देनदारी की गलत अनुमान के कारण 1999–2002 के दरम्यान बजट एवं संशोधित अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों एवं यथार्थ के बीच ब्याज एवं वित्त शुल्क में वृहद विसंगति व्याप्त थी।
- जैसा कि बिजली (वितरण) कानून, 1948 में अपेक्षित है, बोर्ड को वार्षिक वित्तीय विवरणी राज्य सरकार को प्रस्तुत करने से पहले राज्य बिजली परामर्शदात्ती परिषद की टिप्पणी हेतु, यदि कोई हो, के लिए पेश किया जाना था। वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 की विवरणी सीधे राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई थी क्योंकि राज्य बिजली परामर्शदात्री परिषद उस दरम्यान अस्तित्त्व में नहीं थी।
- वर्ष 2003–04 के लिए संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2004–05 के लिए बजट अनुमान बोर्ड द्वारा अभी तक (सितम्बर 2004) न तैयार किया गया था न अनुमोदित किया गया था।

4.5.4 वार्षिक लेखाओं का निर्माण

बिजली (वितरण) कानून 1948, की धारा 69 के अनुसार, बोर्ड के वार्षिक लेखाओं को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के छः महीनों के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। तथापि बोर्ड की लेखायें सिर्फ वर्ष 2000–01 तक ही पूर्ण किए गए थे। आगे लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ कि लेखाओं की तैयारी के लिए स्वीकार्य तीन महीनों के विरूद्ध बोर्ड ने पिछले तीन लेखाओं को तैयार करने में सात से 20 महीनों के परास में विलम्ब किया जैसा कि **परिशिष्ट–30** में वर्णित है।

राजस्व प्रबन्धन

4.5.5 विद्युत विक्रय की बकाया राशि

टैरिफ के उपबंध के अनुसार उपभोक्ताओं को विपत्रों का भुगतान 15 से 30 दिनों के अन्दर करना होता है। चूककर्त्ता उपभोक्ताओं को सात दिनों की स्पष्ट लिखित सूचना देने के उपरान्त उनके विद्युत सम्बन्ध को विच्छेदित किया जा सकता है। तीन महीनों की अनुमानित खपत के बराबर प्रतिभूति राशि को जमा कराने का प्रावधान भी टैरिफ में किया गया है।

नियमों के अनुपालन में बोर्ड की असफलता के परिणामस्वरूप 3796.22 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया संचय हुआ।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुआ कि मार्च 2003 को 3796.22 करोड़ रुपये के राजस्व बकायों का वृहद संचय था। नियमों के अनुपालन में बोर्ड की असफलता के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकायों का वृहद संचय हुआ जिससे वसूली कठिन हो गई और बोर्ड को हानि हुई। इसके परिणामस्वरूप हर वर्ष बोर्ड का राजस्व कालातीत तथा अप्राप्य होता गया।

लेखापरीक्षा में आगे निम्न तथ्य दृष्टिगोचर हुए :

- 31 मार्च 2003 को 3796.22 करोड़ रुपये के बकाए में से 1736 करोड़ रुपये अर्थात 46 प्रतिशत राज्य सरकार के विभागों से संबंधित था, जिससे बोर्ड की आर्थिक स्थिति बदतर हुई।
- एक निष्क्रिय फतुहा–फलवारीशरीफ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति के पास अप्रैल 1995 तक 17.17 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जिसे राज्य सरकार से प्राप्य दिखाया गया। लेकिन बोर्ड का दावा राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 2004 को स्वीकार नहीं किया गया तथा यह राशि अप्राप्त थी।
- बोर्ड ने उपभोक्ताओं के कालातीत बकायों का विस्तृत विवरण समर्पित नहीं किया।

तथापि बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पैरा 4.5.16 में प्रतिवेदित 111.94 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पिछले चार वर्षों में 2002–03 तक लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर कालातीत दावों की राशि 15.44 करोड़ रुपये थी **(परिशिष्ट–31)**

- बोर्ड ने वार्षिक लेखाओं की परिशिष्ट–26(ब) के मद संख्या–5 में अपेक्षित, स्थायी सम्बद्ध विच्छेदित उपभोक्ताओं के बकाये का विस्तृत विवरण भी नहीं रखा। अतः उनकी वसुली की संभावना को लेखापरीक्षा में जाँचा नहीं जा सका।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में राजस्व के बकायों की वसूली के लिए बोर्ड को बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र मामले दर्ज करने होते हैं। 31 मार्च 2003 को 68.75 करोड़ रुपये अन्तर्निहित वाले 21588 प्रमाणपत्र मामले थे। 1999–2002 की अवधि में प्रमाणपत्र मामलों का वर्षवार विस्तृत विवरण बोर्ड उपलब्ध नहीं करा पाया। इस तरह राजस्व वसूली का परिवीक्षणीय तन्त्र प्रभावशाली नहीं था।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान 2001–02 तक निजी पार्टियों से संदिग्ध बकायों के लिए बोर्ड ने 1862.89 करोड़ रुपयों, 2595.60 करोड़ रुपयों तथा 1700 करोड़ रुपयों का उपबंध किया। बोर्ड ने व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के बकाए का विश्लेषण नहीं किया तथा लेखाओं में किये गये उपबंधों के साथ समायोजन नहीं किया।

4.5.6 विद्युत चोरी विरोधी उपाय

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार के मानदन्ड के अनुसार संचरण एवं वितरण हानियाँ 15.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन 1999–2000 एवं 2000–01 में बोर्ड की संचरण तथा वितरण हानियाँ 27.90 प्रतिशत (2964.63 एम. यू.) एवं 28.08 प्रतिशत (2975.77 एम.यू.) था जिसकी कीमत क्रमशः 699.34 करोड़ रुपये एवं 827.10 करोड़ रुपये थी। हानियाँ संचरण एवं वितरण प्रणाली में अन्तर्निहित खामियों के साथ–साथ उपभोक्ताओं एवं अन्य लोगों द्वारा बिजली की चोरी की वजह से थी।

ऐसी विद्युत की चोरी का पता लगाने के लिए मुख्यालय में मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा लेखा) के साथ–साथ मुख्य अभियन्ता व महाप्रबंधक के अधीन सभी क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालयों में एक विद्युत चोरी विरोधी (वि. चो. वि.) कोषांग अस्तित्त्व में था। इन कोषांगों ने समय–समय पर उपभोक्ताओं व अन्य लोगों द्वारा बिजली की चोरी का पता लगाने के लिए छापों का संचालन किया। किसी एक विशेष अवधि में छापों के संचालन का लक्ष्य तय करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

पिछले तीन वर्षों के दौरान 2003–04 तक पता लगाए गए बिजली के चोरी के मामले **परिशिष्ट–32** में वर्णित है। परिशिष्ट से यह दृष्टिगोचर होगा कि राज्य सरकार द्वारा 2002–03 एवं 2003–04 के दौरान बोर्ड को हर वर्ष 1812 पुलिस पार्टियाँ उपलब्ध कराई गईं जबकि बोर्ड ने सिर्फ 810 एवं 524 पुलिस पार्टियों का क्रमशः इस्तेमाल किया। वर्ष 2001–02 को आधार मानने पर वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में विद्युत चोरी के मामलों का पता लगाने में 16 तथा 18 प्रतिशत गिरावट हुई। तदनुसार बोर्ड ने विद्युत चोरी में बढ़ोत्तरी होने तथा क्रमागत राजस्व घाटे को ध्यान में रखकर अपने क्षेत्रीय इकाईयों को छापों में वृद्धि करने का निदेश (जुलाई 2004) दिया। बोर्ड ने बड़े कारखानों/उच्च बिभव औद्योगिक सेवायें (उ. बि. औ. से.) के उपभोक्ताओं पर छापों के संचालन की आवश्यकता पर भी बल दिया। लेकिन इसे लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि बोर्ड ने ऐसी लेखाओं का संधारण नहीं किया था। किन्तु 2002–04 के दौरान उ. बि. औ. से. के उपभोक्ताओं के विरूद्ध बिजली चोरी के लिए दायर किए गए प्राथमिकियों की संख्या दूसरे उपभोक्ताओं के विरूद्ध 2495 एवं 1534 के सामने नगण्य थी। बोर्ड ने बताया (सितम्बर 2004) कि वि. चो. वि. गतिविधियों को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए

एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के नेतृत्व में एक प्रवर्तन कोषांग का सृजन विचाराधीन था।

4.5.7 इकाईयों द्वारा राजस्व का संप्रेषण

बोर्ड ऊर्जा विक्रय एवं अपने अंचलों, प्रमण्डलों एवं उप–प्रमण्डलों के माध्यम से राजस्व की वसूली करता है। इस प्रयोजन हेतु, बोर्ड ने पटना के विभिन्न बैंकों में चालू खाते खोल रखे है। राज्य भर के बोर्ड के इकाई कार्यालयों में एकत्र की गई राजस्व को इन बैंकों की शाखाओं में जमा कराते है, जो बाद में इसे पटना स्थित अपनी शाखाओं में बोर्ड के चालू खाते में जमा करने हेतु संप्रेषित कर देते है। बोर्ड ने अपनी इकाईयों को हफ्ते में कम से कम एक बार निधि को पटना स्थानांतरित करने एवं शाखाओं में शेष शून्य रखने का आदेश दिया (जून 1999)। लेकिन बैंकों ने सिर्फ शेष के एक हिस्से को स्थानांतरित किया और वह भी काफी विलम्ब से जो औसतन एक से चार हफ्ते थी।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ (मई 2004) कि इन जमा करने वाले शाखाओं में वृहद राशि 'पारागमन रोकड़' के रूप में पड़ी थी। वर्ष 2001–02 तक पिछले तीन वर्षों में, पारागमन में रोकड़ की राशि क्रमशः 52.57 करोड़ रुपये, 44.95 करोड़ रुपये एवपं 31.78* करोड़ रुपये थी।

6.15 करोड़ रुपये के राजस्व को संप्रेषित करने में विलंब के कारण 52.51 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

उप–प्रमण्डलों से राजस्व की अप्राप्ति/विलम्ब से प्राप्ति का वर्णन **परिशिष्ट–33** में दिया गया है। अनुलग्न से स्पष्ट होगा कि 6.15 करोड़ रुपये बोर्ड द्वारा समय पर प्राप्त नहीं किए गए और परिणामस्वरूप बैंकों से राशि वसूल करने में प्रबंधन की असफलता के कारण 52.51 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई। भारतीय स्टेट बैंक की औरंगाबाद शाखा द्वारा पटना शाखा को संप्रेषित (जून 2001) 16.07 लाख रुपये भी सितम्बर 2004 तक अप्राप्त थे। बाद में यह पाया गया कि शाखा ने 11.81 लाख रुपये कथित दोबारा संप्रेषण के लिए एवं 4.26 लाख रुपये उसपर ब्याज के रूप में कटौती कर ली। लेकिन बोर्ड ने राशि की दोबारा प्राप्ति की संपुष्टि नहीं की। बैंक द्वारा ऊपर वर्णित कथित दोबारा संप्रेषण पर ब्याज वसूला गया लेकिन खोई हुई जमा राशियों पर कभी भी ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में उप–प्रमण्डलों की बैंक पुनर्मेल विवरणी (बैं. पु. वि.) की समीक्षा से दृष्टिगोचर हुआ कि उप–प्रमण्डलों द्वारा बोर्ड मुख्यालय को बै. पु. वि. लगातार नहीं भेजा गया। 225 उप–प्रमण्डलों में से 137 उप–प्रमण्डल बोर्ड को बै. पु. वि. जमा करने में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2003–04 तक एक से 32 महीनों के परास में चूक करने वाले पाये गये।

4.5.8 बोर्ड मुख्यालय में बैंक खातों का पुनर्मेल

बोर्ड का इसके पटना मुख्यालय में कुल मिलाकर 28 चालू खाते विभिन्न बैंकों के साथ थे। 11 खातों में इकाई कार्यालयों में वसूला गया राजस्व पटना में प्राप्त किया जाता है। लेकिन सिर्फ नौ खातों के बैंक पुनर्मेल विवरणी तैयार किए गए एवं दो बैंकों के बैं. पु. वि. इसके शुरूआत से ही नहीं बनाए गए। कार्यकारी बैंकों के साथ तीन दूसरे खातों, जिसमें सरकार एवं दूसरे वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त निधि को जमा किया जाता था, का भी इसकी शुरूआत से ही पुनर्मेल नहीं किया गया था। इसतरह गबन, धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में आगे दृष्टिगोचर हुआ कि :

- बैंकों ने 424.38 करोड़ रुपये बोर्ड के खाते में चार से 28 वर्षों की अवधि में जमा नहीं किए। परिणामस्वरूप बोर्ड को 286.11 करोड़ रुपयों के ब्याज की हानि हुई।
- यूनियन बैंक द्वारा मार्च 1999 से फरवरी 2004 के दौरान ओभरड्राफ्ट पर ब्याज के

* *यह एक अस्थाई अंक है और बोर्ड के विभाजन के कारण यह न्यून हुआ।*

बोर्ड के खाते में बैंकों द्वारा 424.38 करोड़ रुपये चार से 28 वर्षों तक जमा नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप 286.61 करोड़ रुपये की ब्याज की हानि हुई।

कारण 51.97 करोड़ रुपये बोर्ड के खाते से विकलित कर लिया गया, जिसको बोर्ड ने लेखांकित नहीं किया। इसे ना तो बैंक के साथ पुनर्मेल किया गया और ना ही खातों में समायोजित किया गया।

- यद्यपि 436.20 करोड़ रुपयों, जो बैंक पासबुक में प्रकट हो रहे थे, को बोर्ड ने लेखांकित नहीं किया। कारण अभिलेखित नहीं था। परिणामस्वरूप बोर्ड की कार्यशील निधि उस राशि से कम वर्णित थी। जुलाई से सितम्बर 2003 की अवधि से संबद्ध यूको बैंक में 92.75 लाख रुपये को लेखांकित नहीं किया गया था एवं लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर बोर्ड ने इसे नवम्बर 2003 में लेखांकित किया। लेकिन 436.20 करोड़ रुपये से संबंधित दूसरे मामले अलेखांकित छोड़ दिए गए थे।
- बोर्ड ने अप्रैल 1983 एवं मार्च 2002 के मध्य 51.83 करोड़ रुपये का अत्यधिक राजस्व जमा रोकड़ पंजी में लिया था।
- 31 मार्च 2001 को चार खातों से संबंधित 10.07 करोड़ रुपये की कुल राशि का अंत शेष ऋणात्मक था। इन खातों का परिचालन नहीं हो रहा था। ओभरड्राफ्ट पर ब्याज की देनदारी की ना तो गणना की गई थी और ना ही प्रावधान किया गया था।
- लेखापरीक्षा द्वारा बोर्ड से सम्बन्धित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा बैंक खातों के पुनर्मेल में विलंब को बार–बार इंगित किए जाने के बाद भी बोड ने अपने सभी बैंक खातों का न पुनर्मेल किया ना ही अद्यतन किया।

सम्पत्ति प्रबन्धन

4.5.9 सम्पत्तियों में वृद्धि

बोर्ड की सम्पत्तियों को **परिशिष्ट–34** में दर्शाया गया है। परिशिष्ट से देखा जा सकेगा कि:

- वर्ष 2000–01 में बोर्ड की सम्पत्तियों में 8.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, बोर्ड को माल की ढुलाई के मद में अतिरिक्त खर्च उठानी पड़ी।
- माल पारगमन के लिए 1999–2000 में चार करोड़ रुपये एवं 2000–01 में 4.20 करोड़ रुपये का ऋणात्मक शेष था। इससे यह इंगित हुआ कि बोर्ड द्वारा उक्त अवधि में खपत हुए माल को लेखांकित नहीं किया गया।
- बोर्ड द्वारा संपत्ति के नियंत्रण का उपाय जैसे न्यूनतम/अधिकतम सीमा या रखे गए सम्पत्ति का ए बी सी विश्लेषण का अनुगमन नहीं किया जा रहा था।

बोर्ड ने बताया (सितम्बर 2004) कि बोर्ड द्वारा ऐसे माल का वृहद स्टाक रखा जाना संदेहात्मक था एवं अनुलग्नक में दर्शाया गया माल रद्दी माल हो सकता है जिसकी पुष्टि पूर्ण भौतिक सत्यापन के उपरान्त की जा सकेगी। बोर्ड ने आगे कहा कि भंडार का सत्यापन करने वालों की कमी के कारण, बड़ी संख्या में भंडारों का सत्यापन नहीं किया जा सका। चूँकि माल के आँकड़े बोर्ड के 2000–01 के अनुमोदित वार्षिक लेखें से लिए गए थे इसलिए मामले को जाँचे जाने की आवश्यकता है।

4.5.10 भंडार मूल्य बही का संधारण नहीं किया जाना

बोर्ड के वित्त एवं लेखा (वि. एवं. ले.) संहिता के अनुसार प्रत्येक भंडार में 'भंडार मूल्य बही' का संधारण किया जाना है। भंडार की वस्तुओं की प्राप्ति, जारी करना एवं हस्तानान्तरण किए जाने की प्रविष्टि इस बही में की जानी थी। लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ कि बोर्ड के किसी भी भंडार में इस बही का संधारण नहीं किया गया था।

4.5.11 भंडारों के भौतिक सत्यापन का अभाव

वि. एवं ले. संहिता की धारा 7–141 में भंडारों के वार्षिक भौतिक सत्यापन की व्यवस्था है। यह वर्ष के अन्त में बोर्ड के तुलन पत्र में दर्शाए गए बोर्ड की सम्पत्तियों की सच्ची एवं स्पष्ट तस्वीर प्रदर्शित करने के लिए भी आवश्यक है। लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ कि पिछले पाँच वर्षों में 2003–04 तक सभी भंडारों का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 116 भंडारों में से 42 भंडारों का भौतिक सत्यापन एक बार, आठ भंडारों का दो बार किया गया था और 66 भंडार असत्यापित थे। भौतिक सत्यापित भंडारों के अच्छादन का परास पिछले पाँच वर्षों के दौरान छह से 21 प्रतिशत था।

4.5.12 कमियों के नियमितीकरण में अत्यधिक विलंब

82.19 लाख रुपये की कमियों को नियमित करना बाकी था।

वि. एवं ले. संहिता के प्रावधानो के अनुसार भौतिक सत्यापन के उपरान्त अधिक पाए गए माल को राजस्व प्राप्तियों की तरह जमा किया जाना चाहिए जबकि कमियों को जिम्मेदार व्यक्ति से वसूली होने तक या रद्द किए जाने तक, जैसा मामला हो, भंडार पाल के व्यक्तिगत खाते से विकलित किया जाना चाहिए। जब भी ऐसे मामले हुए बोर्ड ने आधिक्य भंडार को तत्परता से लेखांकित किया। लेकिन भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए कमियों के मामले में इसने इन्हें नियमित करने में अत्यधिक समय लिया, जैसा कि **परिशिष्ट–35** में विस्तारित है।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि पिछले पाँच वर्षों में 2003–04 (फरवरी 2004) तक कम पाए गए 1086 मदों में से बोर्ड ने सिर्फ 747 मदों का मूल्यांकन 82.30 लाख रुपये किया। मूल्यांकित किए गए मदों में से सिर्फ नौ मदों को 0.11 लाख रुपयों से नियमित किया गया। शेष 738 मदों को, जिनका मूल्यांकन 82.19 लाख रुपये था, नियमित किया जाना अबतक शेष था।

4.5.13 रद्दी माल का निपटान

वि. एवं. ले. संहिता के प्रावधानो के अनुसार ताँबा, पीतल, शीशा, लोहा, अलमुनियम आदि को मिलाकर सभी रद्दी मालों को कार्य में आकलित किए जाने के लिए भंडार को हस्तांतरण* टिप्पणी के साथ लौटा दिया जाना चाहिए। उपरोक्त के अलावे यथा दूसरे प्रकार के रद्दी माल, गाड़ियाँ, डोजर, डंपर, संयंत्र एवं यंत्र, उपकरण आदि रद्दी घोषित किए गए एवं विभिन्न स्थानों पर पड़े हुए थे। इस रद्दी माल को नीलामी के जरिए समय–समय पर निपटाया जाना था। रद्दी माल का मूल्यांकन प्रचलित मूल्यों के आधार पर मुख्य अभियंता (भंडार व क्रय) के द्वारा निर्धारित मूल्य पर किया जाना था और भंडार पंजी में एक पृथक पृष्ठ में रखा जाना था। बोर्ड द्वारा यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। इस प्रकार एक विशेष तिथि को रद्दी माल का कुल मूल्य निश्चित नहीं किया जा सका। रद्दी माल का निपटान मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) द्वारा बोर्ड मुख्यालय में इकाईयों द्वारा समर्पित भंडार में पड़े विभिन्न रद्दी मालों के परिमाणात्मक विवरण के आधार पर खुली निलामी के माध्यम से किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1999–2000 के दौरान 50 करोड़ रुपये का रद्दी माल पड़ा था। बोर्ड ने रद्दी माल को मार्च 2000 तक निपटा देने का फैसला किया (दिसम्बर 1999)। मुख्य अभियंता (भंडार एवं क्रय) के अन्तर्गत बोर्ड की निपटान शाखा ने मार्च 2004 तक 5.47 करोड़ रुपये के रद्दी माल का निपटारा किया। समय बीतने के कारण रद्दी माल के मूल्य में गिरावट से इन्कार नहीं किया जा सकता।

* *हस्तांतरण टिप्पणी का अर्थ कार्य से भंडार को इसके पुर्नमूल्यांकन के साथ लौटाई गई वस्तुओं की सूची है।*

4.5.14 मानव संसाधन प्रबंधन

पिछले पाँच वर्षो के दौरान बोर्ड के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति इस प्रकार थी :

क्रम सं.	संवर्ग–वाइज	स्वीकृत बल			को कार्यरत बल			
		1.4.2001 के पूर्व	1.4.2001 के उपरांत	1.4.2000	1.4.2001	1.4.2002	1.4.2003	1.4.2004
1.	अधिकारीगण	5002	2699	3358	2012	1828	1614	1358
2.	कर्मचारीगण	39129	21128	28620	19404	18606	17675	15471
	कुल	**44131**	**23827**$^{\Psi}$	**31978**	**21416**	**20434**	**19289**	**16829**

कर्मचारियों के 74 संवर्गों में अधिक कार्यबल पर 29.51 करोड़ रुपये का निरर्थक खर्च हुआ।

उपरोक्त स्वीकृत बल भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए श्रीवास्तवा कमिटी के प्रतिवेदन (अप्रैल 2001) पर आधारित थी जिसका गठन बिहार एवं झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्डों के मध्य कर्मचारियों एवं रिक्त पदों के बँटवारे के लिए किया गया था। बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मौलिक स्वीकृत बल लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ कि श्रीवास्तवा कमिटी के प्रतिवेदन के आधार पर बँटवारें की अवधि के पहले और उपरान्त बोर्ड में कर्मचारियों के 74 संवर्गों में अधिक कार्यबल था जैसा कि **परिशिष्ट–36** में विस्तारित है। परिशिष्ट–36 से यह देखा जा सकेगा कि बँटवारे की पूर्व अवधि में 394 कर्मचारी अधिक थे और बँटवारे के उपरान्त अवधि में 797 कर्मचारी अधिक थे। बोर्ड द्वारा दिए गए आँकड़ों के आधार पर इनके वेतन एवं भत्तों पर 29.51 करोड़ रुपये के निरर्थक खर्च की गणना की गई। बोर्ड ने बँटवारे के समय विभिन्न संवर्गों में पाए गए अवशेष आधिक्य पदों को समाप्त करने और बोर्ड के आलोचनात्मक ढ़ाँचे के समर्थन को जारी रखने के लिए तकनीकी एवं वित्तीय संवर्गों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र एवं सिलसिलेवार भरने का निर्णय लिया (मई 2002)।

बोर्ड ने कहा (सितम्बर 2004) कि समीक्षा में अधिक दर्शाए गए कर्मचारी समान वेतनमान एवं उनकी उपयुक्त योग्यता के अनुकूल व्यवहारिक रूप से सदृश पदों पर कार्यरत है।

बोर्ड ने पुनः कहा कि उपलब्ध कार्यबल संसाधन के उत्तम बँटवारे के लिए विनिमयशीलता, प्रोन्नति एवं प्रशिक्षण जैसे कदम उठाए जा रहे थे। बोर्ड के उत्तर में इससे विरोधाभास परिलक्षित हुई। इस विनिमयशीलता के लिए प्रबंधन को यथोचित अनुमोदन लेना चाहिए था। फिर भी बोर्ड ने स्वीकार किया कि प्रशिक्षण की आवश्यकता दूसरे कार्यों पर पदस्थापना के लिए थी।

4.5.15 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा राजस्व प्राप्तियों के साथ–साथ बोर्ड के खर्चों की आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में पिछले पाँच वर्षों 2003–04 तक के लिए स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल का विस्तार **परिशिष्ट–37** में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि अधिकारियों की कमी थी तथा लेखाकारों/वरीय लेखा परीक्षकों एवं लेखा सहायकों/लेखा परीक्षकों के संवर्ग बेमेल थे।

Ψ *बोर्ड के बँटवारे के कारण बोर्ड के स्वीकृत बल में कमी की गई।*

बोर्ड के पास बँटवारे से पूर्व 163 लेखा परीक्षनीय इकाईयाँ एवं बँटवारे के उपरान्त 98 इकाईयाँ थी। आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए बनाये गये कार्यक्रम एवं उसके विरूद्ध किये गये वास्तविक लेखापरीक्षा का विवरण **परिशिष्ट–38** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ कि कुल इकाईयों के विरूद्ध सम्पादित लेखापरीक्षा के अच्छादन का प्रतिशत पिछले पाँच वर्षों 2003–04 तक के दौरान 46 एवं 76 के बीच था। अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम के विरूद्ध वास्तविक लेखापरीक्षा के अच्छादन का प्रतिशत 36 एवं 84 के बीच था और पिछले तीन वर्षों के दौरान तीव्रता से कम हुआ। अध्यक्ष/सदस्य (वित्त) के आदेश से किन्हीं विशेष शिकायतों या दर्ज की गई अनियमितताओं के आधार पर बोर्ड ने विशेष लेखापरीक्षा का संचालन भी किया। बोर्ड के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान 42 विशेष लेखापरीक्षाओं को संचालित किया। इन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्ष लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किए गए।

4.5.16 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुश्रवण

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (आं. ले. प. प्र.) का विवरण **परिशिष्ट–39** में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के पास 70 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे। अतः उनका अनुश्रवण विभाग द्वारा नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पिछले पाँच वर्षों 2003–04 तक के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं/बोर्ड के कर्मचारियों से 76.50 करोड़ रुपये की वसूली सुझायी, जिसके विरूद्ध सिर्फ 1.46 करोड़ रुपये ही वसूले जा सके और 75.04 करोड़ रुपये बकाया रह गए, जैसा कि **परिशिष्ट–40** में वर्णित है। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सुझायी गई वसूली 1979–80 से 2000–01 की अवधि से संबंधित थी। अतः ऐसे सभी मामले कालातीत एवं अवसूलनीय हो गए। यह आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उनके पाँच वर्षों 2000–03 तक के प्रतिवेदनों **परिशिष्ट–41** में प्रतिवेदित की गई 36.90 करोड़ रुपये के सन्निहित कालातीत मामलों के अतिरिक्त था।

लेखापरीक्षा में पुनः पाया गया कि महत्त्वपूर्ण अनियमितताएँ बोर्ड को विचार करने के लिए प्रतिवेदित नहीं की गइ। विशेष रूप से आदेशित इकाईयों के लेखापरीक्षा को छोड़कर नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों के विषय में अध्यक्ष या सदस्य (वित्त) को भी सूचना नहीं थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2004), उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2004)।

4.6 ग्रिड अनुशासन का अनुपालन नहीं होने के कारण अतिरिक्त परिहार्य व्यय

ग्रिड अनुशासन का अनुपालन नहीं होने के कारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 23.36 करोड़ रुपयों की हानि उठानी पड़ी एवं एसकाडा प्रणाली पर 1.75 करोड़ रुपयों का व्यय निष्फल हुआ।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने सी. एम. सी. लिमिटेड (सी एम सी) को सेन्ट्रल लोड डिस्पैच (सी. एल. डी.) प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 14 ग्रिड सबस्टेशनों (ग्रि.स.स्टे.) एवं बोर्ड के

मुख्यालय में 1.44 करोड़ रुपये की कुल लागत पर आँकड़ा अर्जन एवं अनवरत विद्युत आपूर्ति प्रणाली की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन के लिए आदेश (दिसम्बर 1992) दिया। बोर्ड मुख्यालय एवं 11 ग्रि. स. स्टे. में 1.22 करोड़ रुपये की लागत से उपकरणों को प्रतिष्ठापित किया गया। तीन सब स्टेशनों पर उपकरणों को प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका, क्योंकि इन ग्रि. स. स्टे. के निर्माण का कार्य अधूरा था। चार वर्षों की देरी के बाद प्रणाली को अंशतः पूरा एवं प्रारंभ (अक्टूबर 1997) किया गया था एवं यह 1999 से निष्क्रिय हो गया।

इस बीच केन्द्रीय विद्युत विनियमन आयोग (के. वि. वि. आ.) ने केन्द्रीय प्रक्षेत्र की जनित्र इकाईयों के दर सूची संशोधन के उद्देश्य से और बेहतर प्रणाली संचालन एवं ग्रिड अनुशासन को प्रेरित करने के लिए सुलभता आधारित दर सूची (ए. वी. टी.) प्रणाली प्रस्तावित (जनवरी 2000) किया।

ए. बी. टी. प्रणाली में स्थायी शुल्क को लाभार्थियों के बीच उनकी विद्युत हकदारी के अनुपात में विभाजित की गई थी एवं ऊर्जा शुल्क सिर्फ तय सीमा तक की उर्जा उपयोगिता के लिए प्रभारित किये गये थे। उपरोक्त दो शुल्कों के अलावा, अनिर्धारित विद्युत विनिमय (अ.वि.शुल्क) को प्रोत्साहन/अप्रोत्साहन योजना की तरह शुरू किया गया। इस योजना में लाभ वैसे पार्टी को होगा जो किसी भी उत्पादन करने वाले इकाईयों (जनित्रों) या राज्य विद्युत बोर्डों (लाभार्थियों) के अनुशासनहीनता के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे। यदि एक जनित्र तय सीमा से अधिक या कम उत्पादन करता है जिससे आवृत्ति बढ़ती या घटती है या एक लाभार्थी ऊर्जा का अधिक या कम इस्तेमाल करता है जिससे आवृत्ति घटती या बढ़ती है तो अ. वि. शुल्क देय/वसूलनीय होगी। कमी की स्थिति के दौरान अ. वि. शुल्क 49.2 हर्टज पर 4.20 रुपये प्रति कि. वा. घं. एवं 50.5 हर्टज या उससे अधिक उत्पादन के दौरान शून्य तक देय थीं

ए. बी. टी. प्रणाली अप्रैल 2003 के प्रभाव से पूर्वी क्षेत्र में लागू की गई। ए. बी. टी. के क्रियान्वयन के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं आँकड़ा अधिग्रहण प्रणाली (एसकाडा) की आवश्यकता थी जिससे इस्टर्न रिजनल लोड डिस्पैच केन्द्र (इ.आर.एल.डी.सी.) के सूक्ष्म समन्वय से बेहतर एवं उचित लोड प्रबन्धन किया जा सके।

के. वि. बि. आ. द्वारा ए. बी. टी. के क्रियान्वयन पर बोर्ड द्वारा, एसकाडा प्रणाली के पुनरूद्धार, संवृद्धि एवं विकास को आवश्यक महसूस किया गया (अगस्त 2001)। तदनुसार, मौजूदा एसकाडा एप्लीकेशन साफ्टवेयर* के पुनरूद्धार एवं रुपान्तरण के लिए सी. एम.सी. को 48 लाख रुपये (कर व महशुल अतिरिक्त) का एक क्रय आदेश दिया गया। बोर्ड ने एक वर्ष के विलंब के पश्चात अप्रील 2003 में प्रणाली को अधिकार में लिया एवं पूर्णता प्रमाणपत्र जारी कर दिया जबकि ए. बी. टी. साफ्टवेयर# शुरूआत से ही काम नहीं कर रहा था। बोर्ड ने सी. एम. सी. को 41 लाख रुपये विमुक्त कर दिया (सितम्बर 2002)। 12 लाख रुपये का अगला भुगतान प्रक्रिया में था (अगस्त 2004)। प्रणाली को इ. आर. एल. डी. सी. से जोड़ा नहीं गया था। बोर्ड के सी. एल. डी. ने हस्तचालित पर्यवेक्षणीय नियंत्रण कार्य किया और खरीदे गये ऊर्जा के निर्धारण के

* *हर्टज – आवृत्ति इकाई*

\# *नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने ए. वी. टी. के क्रियान्वयन के विरूद्ध मुकदमा दायर किया, जिसपर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई (मार्च 2001) एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अक्तूबर 2001 में खारिज कर दिया गया।*

लिए केन्द्रीय प्रक्षेत्र की जनित्र इकाईयों पर आश्रित रहा।

दोषपूर्ण एसकाडा प्रणाली पर 1.75 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

इस बीच बोर्ड ने एकीकृत भार संप्रेषण केन्द्र का कार्य मौजूदा एसकाडा प्रणाली की जगह नई तकनीक से पर्याप्त एवं तत्कालिक पर्यवेक्षणीय नियंत्रण कार्य करने के लिए ले लिया। इस प्रकार एसकाडा प्रणाली के संस्थापन, पुनरूद्धार एवं विकास पर बोर्ड द्वारा किया गया 1.75 करोड़ रुपये का निवेश वांछनीय सेवा नहीं उपलब्ध करा पाया एवं निष्फल साबित हुआ।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगोचर हुआ कि बोर्ड ने अप्रैल 2003 से मई 2004 के दौरान निर्धारण से 340.52 एम यू अधिक[@] विद्युत लेने के लिए 52.04 करोड़ रुपये का अ. वि. शुल्क का भुगतान किया और 84.78 एम यू विद्युत के न्यून उपयोग के लिए 17.68 करोड़ रुपयो का अ. वि. शुल्क प्राप्त किया। इस प्रकार बोर्ड ने निर्धारण से 255.74 एम यू अधिक विद्युत का उपयोग किया एवं निर्धारित निकासी व ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन किया। उपयोग किए गए अधिक विद्युत के लागत का समायोजन करने के पश्चात अ. वि. शुल्क[$] का वास्तविक भुगतान 23.36 करोड़ रुपये आकलित किया गया।

ग्रिड अनुशासन का अनुपालन नहीं किए जाने से 23.36 करोड़ रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार वांछित नियंत्रण तंत्र की अनुपस्थिति में बोर्ड विद्युत उपयोगिता और ग्रिड अनुशासन के अनुपालन पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रख सका जिसके परिणामस्वरूप 23.36 करोड़ रुपये के अ. वि. शुल्क का भुगतान करना पड़ा।

बोर्ड ने यह सत्यापित किया (दिसम्बर 2003 एवं मई 2004) कि ए. बी. टी. प्रणाली कार्यरत नहीं थी एवं इ. आर. एल. डी. सी. से जुड़ी हुई नहीं थीं। एसकाडा के माध्यम से आने वाले आँकड़े वास्तिवक से मेल नहीं खा रहे थे। बोर्ड ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया (जून 2004) कि वर्त्तमान ढ़ाँचा अर्थात् संचार प्रणाली एवं भार का नियंत्रण पर्याप्त नहीं था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2004)।

4.7 निधि का अवरूद्धीकरण एवं ब्याज की हानि

भूमिगत केबुल के अनावश्यक खरीद के परिणामस्वरूप 3.20 करोड़ रुपये का अवरूद्धीकरण एवं 1.15 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) की वित्त एवं लेखा संहिता (अध्याय–VII) के अनुसार निर्माण कार्यो सहित विस्तार, नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन के लिये भंडारों की खरीद निर्माण कार्यक्रमों के आधार पर की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ (नवम्बर 2003) कि बोर्ड ने पटना, राँची एवं धनबाद के शहरी

@ *प्रत्येक ए. बी. टी. परिमापी के लिए संख्यात्मक मूल्य का प्रावधान करना यथा अनुसूची की मान्यता, उत्पादन की गणना, दूरमितिय आवृत्ति पर आधारित 15 मिनट समय खण्ड में निकासी एवं अ.वि. शुल्क*

$ *प्रदत्त अ. वि. शुल्क – प्राप्त अ. वि. शुल्क (अनुसूची से अधिक उपयोग किए गए 255.74 एम यू का लागत x औसत परिवर्त्तनीय विद्युत शुल्क अर्थात् 4.30 लाख रुपये प्रति एम यू)*

क्षेत्रों में केबुल बिछाने के लिए फरवरी से जून 2000 के दौरान 6.83 करोड़ रुपये की अवतरित लागत पर एक्स. एल. पी. ई.$^{\Psi}$ की 25 एवं 10 किमी क्रमशः 33 के वी 400 एम एम^2 एवं 33 के वी 300 एम एम^2 प्रकार की भूमिगत केबुल एवं जुड़े हुए उपकरणों की खरीद के लिए चार क्रय आदेश देते समय उपरोक्त प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। निविदादाताओं ने मार्च से अगस्त 2000 के दौरान 35.201 किमी केबुल की आपूर्त्ति की। आपूर्त्ति की गई वस्तुओं पर अकुशल कारीगरी एवं असंतोषजनक कार्य करने के विरूद्ध प्राप्ति की तिथि से 18 महीनों की अवधि के लिए गारंटी दी गई थी।

3.20 करोड़ रुपये के अवरूद्धीकरण के परिणामस्वरूप 1.15 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि।

बोर्ड ने खरीदे गए कुल केबुल एवं जुड़े हुए उपकरणों में से 12.621 कि.मी. केबुल झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड को स्थानान्तरित कर दिया और 6.079 किमी केबुल का इस्तेमाल नवम्बर 2003 तक किया। शेष 3.20 करोड़ रुपये मूल्य की 16.501 कि मी केबुल एवं उपकरण बिना उपयोगिता के पड़े थे (मार्च 2004) जिसके तात्कालिक उपयोग का कार्यक्रम नहीं था। इससे बोर्ड की 3.20 करोड़ रुपये की निधि अवरूद्ध हुई साथ ही 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्षों के लिए 1.15 करोड़ रुपये के ब्याज की परिणामी हानि हुई। इसके अलावे वस्तुओं की गारन्टी की अवधि भी समाप्त हो गई।

बोर्ड ने कहा (अगस्त 2004) कि केबुल महत्त्वपूर्ण वस्तु था और पटना के शहरी क्षेत्रों में बिछाए गए केबुल के खराब होने की स्थिति में रखरखाव के लिए तुरंत वांछित था। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान हुये दो कि मी वार्षिक खर्च के अनुसार सामग्री आवश्यकता से अधिक थी और इन वस्तुओं की आपूर्त्ति के अवतरित समय के परास 45 से 75 दिनों का था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2004), उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2004)।

4.8 अतिरिक्त परिहार्य व्यय

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एन. टी. पी. सी. के विपत्रों पर पूर्ण छूट लेने में असफल रहा और उसे 2.69 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) ने विद्युत क्रय के लिए नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (नै. थ. पा. का.) के साथ एक समझौते का कार्यान्वयन (मई 1993) किया। समझौते के अनुसार, आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बैंक को विपत्र पेश किए जाने पर साख पत्र के माध्यम से किए गए भुगतान पर 2.5 प्रतिशत की छूट देनी थी। जब भुगतान उधार पत्र या और किसी अन्य माध्यम से नै. थ. पा. का. द्वारा विपत्रों के जारी किए जाने की तिथि से एक महीने के अन्दर किया जाय तो एक प्रतिशत की छूट देनी थी।

वर्ष 2000–03 के दौरान नै. थ. पा. का. ने 1581.92 करोड़ रुपयों का विपत्र प्रस्तुत किया। बोर्ड ने सिर्फ 958 करोड़ रुपयों का भुगतान समय पर किया और शेष 623.92 करोड़ रुपये के भुगतान में विलंब किया। विलंब से किए गए भुगतान के कारण बोर्ड कुल अनुमान्य छूट 39.55 करोड़ रुपये के विरूद्ध सिर्फ 26.61 करोड़ रुपये की छूट ही ले पाया।

Ψ *एक्स. एल. पी. ई. आरपार जुड़ी पौली ईथीलीन एवं एक भूमिगत केबुल का प्रकार*

लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगोचर हुआ (नवम्बर 2003) कि 214 करोड़ रुपयों का भुगतान 28 अवसरों (5 करोड़ से 15 करोड़ रुपयों तक) पर नियत तिथि से एक माह के अन्दर किया गया जबकि उक्त अवधि में 409.92 करोड़ रुपयों की शेष राशि का भुगतान एक माह की अनुबंधित तिथि के उपरान्त विभिन्न तारीखों पर किया गया। नै.थ.पा.का. ने 2.5 प्रतिशत की दर से 214 करोड़ रुपयों के भुगतान पर 5.35 करोड़ रुपयों की पूरी छूट के बदले, एक से 1.50 प्रतिशत की विविध दरों से 2.66 करोड़ रुपयों की आंशिक छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप 2.69 करोड़ रुपयों की छूट में हानि हुई।

2.69 करोड़ रुपये छूट का लाभ नहीं मिला।

प्रासंगिक अवधि के दौरान बोर्ड के उपलब्ध बैंक शेष की छानबीन पर लेखापरीक्षा में यह पुनः पाया गया कि जब 5 से 15 करोड़ रुपयों तक का कुल 214 करोड़ रुपयों का भुगतान नै. थ. पा. का. को किया गया तो 27.12 करोड़ रुपयों से 69.02 करोड़ रुपये तक की निधि उपलब्ध थी। यदि बोर्ड ने उपलब्ध निधि का उपयोग करते हुए समय पर भुगतान कर दिया होता तो 2.69 करोड़ रुपयों की छूट में हानि को टाला जा सकता था।

मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2004) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2004)।

4.9 राजस्व की हानि

नियमों का अनुपालन नहीं होने के परिणामस्वरूप 1.11 करोड़ रुपयों के राजस्व की कम वसूली।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विभिन्न विद्युत आपूर्त्ति अंचलों एवं प्रमण्डलों के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने कम राजस्व शुल्क लेने एवं कालातीत दावें पाए जो नीचे वर्णित है।

4.9.1 राजस्व का अल्प निर्धारण

खराब/बन्द पड़े मीटरों के कारण 43.91 लाख रुपयों का कम शुल्क लिया जाना।

दर सूची अधिसूचना (01 जून 2001 के प्रभाव से) के प्रावधानों के अनुसार गैर–धरेलू सेवाई (गै. घ. से.) उपभोक्ताओं के खराब/बन्द पड़े मीटरों के मामले में प्रथम तीन महीनों में 144 यूनिट प्रति किलोवाट (कि.वा.) और तीन महीनों से अधिक के लिए 288 यूनिट प्रति किलो वाट शुल्क लिया जाना था। उसी प्रकार निम्न विभव औद्योगिक सेवा (नि.वि.औ.से.) उपभोक्ताओं से प्रथम तीन महीनों के लिए 80 यूनिट प्रति एच पी और उसके उपरान्त 240 यूनिट प्रति एच पी शुल्क लिया जाना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जून 2001 से जनवरी 2004 के दौरान छपरा (पूर्व), बाँकीपुर (प.वि.आ.उ.), छपरा (पश्चिम) एवं मोतिहारी के विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डलों में गै. घ. से. के 88 एवं नि. वि. औ. से. के 10 मीटर खराब/बंद पड़े थे लेकिन दर सूची में निर्दिष्ट दरों पर विपत्र तैयार नहीं किए गए। जिसके परिणामस्वरूप 43.91 लाख रुपये का कम राजस्व शुल्क लिया गया।

4.9.2 प्रतिभूति राशि को वसूल नहीं किया जाना

बोर्ड के दर सूची (जून 1993) की धारा 15.3 (स) के अनुसार उपभोक्ताओं की प्रतिभूति राशि

एक वर्ष में दो बार, अप्रैल से सितम्बर की अवधि के लिए अक्टूबर–नवम्बर में और अक्टूबर से मार्च की अवधि के लिए अप्रैल–मई में, समीक्षा की जानी थी। उक्त अवधि की किसी भी अर्द्धवार्षिक अवधि से संबंधित सभी विपत्रों की कुल राशि की आधी विद्यमान प्रतिभूति राशि से 20 प्रतिशत अधिक हो जाय तो उसे इस राशि से बढ़ाया जाना था।

20.68 लाख रुपयों के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि को वसूलने में बोर्ड असफल रहा।

अप्रैल 2002 से सितम्बर 2003 तक तीन विद्युत आपूर्त्ति अंचलों (छपरा, भागलपुर एवं मोतिहारी) और चार प्रमण्डलों (सहरसा, छपरा (पू.), बाँकीपुर एवं मोतिहारी) के विपत्रों के नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ उच्च विभव (उ. वि.) एवं 36 नि. वि. औ. से. उपभोक्ताओं, जिनके विपत्रों की कुल राशि जमा जमानत राशि से 20 प्रतिशत अधिक थी, की प्रतिभूति राशि को नहीं बढ़ाया गया। परिणामस्वरूप 20.68 लाख रुपये की अतिरिक्त जमानत राशि की वसूली नहीं हो सकी।

4.9.3 दावों के कालातीत हो जाने से हानि

बोर्ड के राजस्व प्राप्तियों से संबंधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं के बकाया राशि के बढ़ोतरी पर नजदीकी नजर रखी जानी चाहिए ताकि ये प्रतिभूति जमा से अधिक ना हो जाएँ। आगे यह भी प्रावधान है कि उपयुक्त मामलों में सर्टीफिकेट मामला समय पर दाखिल कर दिया जाए ताकि विद्युत विपत्र कालातीत ना हो जाएँ। ऐसा करने में असफल होने पर संबंधित अधिकारी अनुशासनात्मक कारवाई के लिए उत्तरदायी होगा। बकाया कालातीत होने पर जिम्मेदार पाये गये अधिकारी एवं कर्मचारीगण के मामले में कालातीत बकाये राशि की वसूली उनसे की जाएगी।

दावे के कालातीत हो जाने की वजह से 46.25 लाख रुपयों की हानि हुई।

नवम्बर 2001 से दिसम्बर 2003 तक पाँच आपूर्त्ति प्रमण्डलों (लखीसराय, बरौनी, औरंगाबाद, सहरसा एवं भभुआ) के कालातीत दावों की पंजी के नमूना जाँच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 19 नि. वि. औ. से., 82 गै. घ. से., 33 घरेलू सेवा एवं आठ सिंचाई एवं कृषि सेवा के उपभाक्ताओं पर रकम वसूली का मुकदमा समय पर नहीं दायर किए जाने के कारण 46.25 लाख रुपयों की बकाया राशि कालातीत हो गई। बोर्ड ने इसके लिए जिम्मेदारी तय नहीं किया है। मामला सरकार/बोर्ड को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2004), उनके उत्तर अप्राप्त थे (सितम्बर 2004)।

सामान्य

4.10 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए और मौके पर नहीं निपटाये गए लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सा. क्षे. उ. के कार्यालय प्रधानों एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रेषित किया गया। सा. क्षे. उ. के कार्यालय प्रधानों द्वारा संबद्ध विभागों के प्रधान के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर छः हफ्तों के अन्दर देना होता है। 54 सा. क्षे. उ. से संबंधित मार्च 2004 तक जारी किए निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 1,676 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 8,512 कंडिकायें सितम्बर 2004 के अन्त तक बाकी रह गयी थी। 30 सितम्बर 2004 तक बाकी रह गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागावार विवरण **परिशिष्ट–42** में दिया गया है।

उसी प्रकार सा. क्षे. उ. के कार्यकलापों पर प्रारूप कंडिकाओं एवं समीक्षाओं के तथ्यों और आंकड़ों की सम्पुष्टि एवं छः हफ्तों की अवधि के भीतर उनकी टिप्पणियों के लिए प्रधान सचिव/संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव को अर्द्धसरकारी पत्रों से अग्रसारित किया गया। फिर भी यह देखा गया कि जून से सितम्बर 2004 के दौरान विभिन्न विभागों को अग्रसारित किए गए नौ प्रारूप कंडिकाओं एवं तीन समीक्षाओं के उत्तर नहीं दिए गए (सितम्बर 2004), जैसा कि **परिशिष्ट–43** में विस्तारित है।

यह अनुशंसित किया जाता है कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि (अ) विहित समय सीमा के अन्दर, जो पदाधिकारीगण निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं के जवाब भेजने में असफल रहे, उनके विरूद्ध कारवाई करने की प्रक्रिया विद्यमान हो; (ब) एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूली हेतु कारवाई; और (स) लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर उत्तर देने की प्रणाली को मजबूत किया जाए।

(विक्रम चन्द्र)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),बिहार

पटना
दिनांक 27 APR 2005

प्रतिहस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 3 MAY 2005

परिशिष्ट – 1

(कंडिका 1.3, 1.5 एवं 1.6)

31 मार्च 2004 को सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के संदर्भ में अद्यतन प्रदत्त पूंजी, आय–व्ययक से वर्हिगमन, आय–व्ययक से दिये गए ऋण एवं बकाया ऋणों को दर्शानेवाली विवरणी

(कोष्ठक के अंदर दिये गए अंक वर्ष में आय–व्ययक वर्हिगमन के द्योतक है)

(कॉलम 3(क) से 4(छ) तक की राशि लाख रुपये में)

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2003–2004 के अन्त तक बकाया ऋण				2003–2004 के ऋण/इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ													
	कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	162.46 (65.20)		---	138.94 (4.19)	301.40 (69.39)	--	--	--	2,792.55	--	--	2,792.55	7.52:1 (7.55:1)
2.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	174.75 (125.25)	---	---	---	174.75 (125.25)	--	--	--	213.84	2.50	--	216.34	**0.72:1 (0.41:1)**
	प्रक्षेत्रवार योग	**337.21 (190.45)**		---	**138.94 (4.19)**	**476.15 (194.64)**	--	--	--	**3,006.39**	**2.50**	--	**3,009.89**	**4.48:1 (5.26:1)**
	इलेक्ट्रॉनिक्स													
3	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	407.77 (159.14)	---	---	---	407.77 (159.14)	---	0.10	--	593.48	--	--	593.48	1.05 :1 (1.05:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**407.77 (159.14)**	---	---	---	**407.77 (159.14)**	--	**0.10**	--	**593.48**	--	--	**593.48**	**1.05:1 (1.05:1)**
	वन													
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	175.08	54.00	---	---	229.08	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**175.08**	**54.00**	---	---	**229.08**	--	--	--	--	--	--	--	--

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2003–2004 के अन्त तक बकाया ऋण				2003–2004 के ऋण/इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ)/3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	खनन													
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	997.35	---	---	---	997.35	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**997.35**	**---**	**---**	**---**	**997.35**	--	--	--	--	--	--	--	--
	निर्माण													
6	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	10.00	---	---	---	10.00	--	--	--	42.90	--	--	42.90	4.29:1 (4.29:1)
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	350.00	---	---	---	350.00	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**360.00**	**---**	**---**	**---**	**360.00**	--	--	--	**42.90**	--	--	**42.90**	**4.29:1 (4.29:1)**
.	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास**													
8	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	975.00	---	---	---	975.00	--	--	--	--	--	949.55	949.55	0.97:1 (0.61:1)
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1,336.00	---	---	---	1,336.00	--	--	--	--	--	1,926.60	1,926.60	1.44:1 (1.49:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**2,311.00**	**---**	**---**	**---**	**2,311.00**	--	--	--	--	--	**2,876.15**	**2,876.15**	**1.24:1 (1.12:1)**
	जन–वितरण													
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	526.58	---	---	---	526.58	--	--	--	431.01	160.87	--	591.88	1.12:1 (1.22:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**526.58**	**---**	**---**	**---**	**526.58**	--	--	--	**431.01**	**160.87**	--	**591.88**	**1.12:1 (1.22:1)**

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2003–2004 के अन्त तक बकाया ऋण				2003–2004 के ऋण / इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	पर्यटन													
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	500.00	---	---	---	500.00	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**500.00**	---	---	---	**500.00**	--	--	--	--	--	--	--	--
	उर्जा													
12	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.	9,904.00	---	---	---	9,904.00	--	**2,338.00**	--	12,132.00	--	--	12,132.00	1.22:1 (0.99:1)
13	तेनूघाट विद्युत निगम लि.	10,000.00	---	---	---	10,000.00	--	--	--	60,889.00	--	4,145.00	65,034.00	6.5:1 (6.5:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**19,904.00**	---	---	---	**19,904.00**	--	--	--	**7,3021.00**	--	**4,145.00**	**77,166.00**	**3.87:1 (3.76:1)**
	वित्त प्रबन्ध													
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	1,500.00 (12.35)	---	---	---	1,500.00 (12.35)	--	--	--	2,547.34	--	5,048.38	7,595.72	5.02:1 (4.57:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1,500.00 (12.35)**	---	---	---	**1,500.00 (12.35)**	--	--	--	**2,547.34**	--	**5,048.38**	**7,595.72**	**5.02:1 (4.57:1**
	विविध प्रक्षेत्र													
15	बिहार राज्य टेक्स्ट–बुक प्रकाशन निगम लि.	47.67	---	---	---	47.67	--	--	--	--	--	--	--	--
16	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	100.00	---	---	---	100.00	--	--	--	14.50	--	--	14.50	0.14:1 (0.14:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**147.67**	---	---	---	**147.67**	--	--	--	**14.50**	--	--	**14.50**	**0.01:1 (0.39:1)**
	योग (अ)	**27,166.67 (361.94)**	**54.00**		**138.94 (4.19)**	**27,359.60 (366.13)**	--	**2,338.10**	--	**79,656.62**	**163.37**	**12,069.53**	**91,889.52**	**3.3:1 (3.19:1)**

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2003–2004 के अन्त तक बकाया ऋण				2003–2004 के ऋण / इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
B	**कार्यशील सांविधिक निगम**													
	उर्जा													
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	---	---	---	---	--	--	67,160.90	--	4,42,858.45	--	2,986.03	4,66,844.48	--
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	---	---		--	67,160.90	--	4,42,858.45	--	23,986.03	4,66,844.48	--
	परिवहन													
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	7,475.57	2,651.78	---	---	10,127.35	--	230.00	--	7,940.68	--	--	7,940.68	0.78:1 (0.76:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**7,475.57**	**2,651.78**	---	---	**10,127.35**	--	**230.00**	--	7,940.68	--	--	7,940.68	**0.78:1 (0.76:1)**
	वित्त प्रबन्ध													
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	3,994.77	---	---	3,789.04	**7,783.81**	--	2,748.16	--	11,142.00	--	19,924.75	31,066.75	4.1 (3.83:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3,994.77**	---	---	**3,789.04**	**7,783.81**	--	**2,748.16**	--	**11,142.00**	--	**19,924.75**	**31,066.75**	**4.1 (3.83:1)**
	विविध													
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	68.55	---	---	68.55	**137.10**	--	--	--	--	--	--	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग	**68.55**	---	---	**68.55**	**137.10**	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग (ब)	**11,538.89**	**2,651.78**	---	**3,857.59**	**18,048.26**	--	**70,139.06**	--	**4,61,941.13**	--	**43,910.78**	**5,05,851.91**	**28:1 (40:1)**
	कुल योग (अ+ब)	**38,705.56 (361.94)**	**2,705.78**	---	**3,996.33 (4.19)**	**45,407.67 (366.13)**	--	**72,477.16**	--	**5,41,597.75**	**163.37**	**55,980.31**	**5,97,741.43**	**13.16 (17.72:1)**
स	**अकार्यशील कम्पनियाँ**													
	कृषि एवं समवर्गी													
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	1,000.00	---	---	---	1,000.00	--	--	---	4,967.89	---	--	4,967.89	4.97:1 (4.97:1)

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2003–2004 के अन्त तक बकाया ऋण				2003–2004 के ऋण / इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	672.36	---	---	---	672.36	--	--	---	175.35	---	--	175.35	0.26:1 (0.26:1)
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई लिमिटेड	1,000.00	---	---	---	1,000.00	--	--	---	855.42	---	--	855.42	0.86:1 (0.86:1)
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	756.52 (7.00)		---	---	756.52 (7.00)	--	--	---	974.99	---	--	974.99	1.28:1 (1.44:1)
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	161.37	49.00	---	---	210.37	--	--	---	70.00	41.80-	51.88	163.69	0.77:1 (0.53:1)
6.	बिहार कीटनाशक लि.	---	---	57.03 (238.90)	---	57.03 (238.90)	--	--	---	---	---	154.10	154.10	0.52:1 (0.52:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3,590.35 (7.00)**	**49.00**	**57.03 (238.90)**	**---**	**3,696.38 (245.90)**	**--**	**--**	**---**	**7,043.65**	**41.80**	**205.98**	**7,291.44**	**1.85:1 (1.87:1)**
	उद्योग (विविध)													
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	718.48	---	---	---	718.48	--	--	---	1040.00	---	183.00	1,223.00	1.70:1 (1.58:1)
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	1,404.00	---	---	---	1,404.00	--	--	---	6,702.00	---	217.95	6,919.95	4.93:1 (4.93:1)
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	---	---	163.00	---	163.00	--	--	---	609.34	---	--	609.34	3.74:1 (3.74:1)
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	---	---	776.92	---	776.92	--	--	---	---	---	1,071.61	1,071.61	1.38:1 (1.38:1)
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लि.	---	---	88.00	59.00	147.00	--	--	---	918.00	---	--	918.00	6.24:1 (6.24:1)

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2003–2004 के अन्त तक बकाया ऋण				2003–2004 के ऋण / इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
12.	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लि.	---	---	115.00 (25.00)	---	115.00 (25.00)	--	--	---	---	---	366.33	366.33	2.62:1 (2.62:1)
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लि.	---	---	114.57 (59.72)	---	114.57 (59.72)	--	--	---	---	---	81.15	81.15	0.47:1 (0.47:1)
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	---	---	107.35 (41.55)	---	107.35 (41.55)	--	--	---	---	---	46.16	46.16	0.31:1 0.31:1
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लि.	---	---	107.35	50.00	157.33	--	--	---	---	---	213.84	213.84	1.36:1 (1.36:1)
16.	बिहार सॉलभेंट एण्ड कैमिकल्स लि.	20.00	---	68.15	20.07	108.22	--	--	---	---	---	88.69	88.69	0.82:1 (0.82:1)
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लि.	---	---	21.47	9.52 (78.69)	30.99 (78.69)	--	--	---	---	---	105.08	105.08	0.95:1 (2.67:1)
18.	मगध मिनरल्स लि.	---	---	0.07 (36.22)	---	0.07 (36.22	--	--	---	---	---	46.58	46.58	1.29:1 (1.29:1)
19.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लिमिटेड	---	---	9.43	---	9.43			---	---	---		---	---
20	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि.	1,000.00	---	---	---	1,000.00	--	0.55	---	1,242.55	---	170.00	1,412.55	1.41:1 (1.41:1)
21	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	700.00	---	---	---	700.00	--	--	---	105.10	---		105.10	0.15:1 (0.15:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**3,842.48**	**-**	**1,571.31 (162.49)**	**138.59 (78.69)**	**5,552.38 (241.18)**	**--**	**0.55**	---	**1,0617.00**	---	**2,590.39**	**13207.39**	**2.27:1 (2.29:1)**
	अभियंत्रण													
22.	कुमारधुबी मेटल कॉस्टिंग एवं इन्जिनियरिंग लि.	---	---	110.00	107.00	217.00	--	--	---	---	---	663.44	663.44	3.06:1 (3.06:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**110.00**	**107.00**	**217.00**	**--**	**--**	---	---	---	**663.44**	**663.44**	**3.06:1 (3.06:1)**

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2003–2004 के अन्त तक बकाया ऋण				2003–2004 के ऋण / इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	इलेक्ट्रानिक्स													
23	बेलट्रान विडियो सिस्टम लि.	---	---	504.71	---	504.71	--	--	---	---	---	450.87	450.87	0.89:1 (0.89:1)
24	बेलट्रान माइनिंग सिस्टम लि.	---	---	248.24	---	248.24	--	--	---	---	---		---	---
25	बेलट्रान इन्फारमेटिक्स लि.	---	---	0.28	---	0.28	--	--	---	---	---		---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**753.23**	---	**753.23**	**--**	**--**	---	---	---	--	**450.87**	**0.60:1 (0.60:1)**
	टेक्सटाईल्स													
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	537.00	---	---	---	537.00	--	--	---	223.66	---	--	223.66	0.42:1 (0.42:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**537.00**	---	---	---	**537.00**	**--**	**--**	---	**223.66**	---	**--**	**223.66**	**0.42:1 (0.42:1)**
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प													
27	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लि.	999.98	---	---	---	999.98	--	--	---	115.78	---	--	115.78	0.12:1 (0.12:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**999.98**	---	---	---	**999.98**	**--**	**--**	---	**115.78**	---	**--**	**115.78**	**0.12:1 (0.12:1)**
	चीनी													
28	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	2,000.00	---	---	---	2,000.00	--	--	---	31,406.27	---	--	31,406.27	15.7:1 (15.7:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**2,000.00**	---	---	---	**2,000.00**	**--**		---	**31,406.27**	---	**--**	**31,406.27**	15.7:1 (15.7:1)
	सीमेंट													
29	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	---	---	0.07	---	0.07	--	--	---	3.17	---	--	3.17	45.29:1 (45.29:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	---	---	**0.07**	---	**0.07**	**--**	**--**	---	**3.17**	---	**--**	**3.17**	**45.29:1 (45.29:1)**

		चालू वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूंजी					वर्ष भर में बजट से प्राप्त इक्विटी / ऋण		वर्ष भर में प्राप्त अन्य ऋण	2003–2004 के अन्त तक बकाया ऋण				2003–2004 के ऋण / इक्विटी के अनुपात (पूर्व वर्ष)
क्रम सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	होल्डिंग कम्पनियाँ	अन्य	कुल	इक्विटी	ऋण		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	कुल	4(छ) / 3(ङ)
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ङ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	4(च)	4(छ)	5
	औषधि, रसायन एवं औषध													
30	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लि.	1,500.00 (77.88)	---	---	---	1,500.00 (77.88	--	--	---	419.51	---	--	419.51	0.26:1 (0.27:1)
31	बिहार मेज प्रोडक्टस लि.	---	---	0.07 (73.68)	---	0.07 (73.68)	--	--	---	---	---	2.16	2.16	0.03:1 (0.03:1)
32.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लि.	---	---	400.00	---	400.00	--	--	---	127.99	---	--	127.99	0.32:1 (0.32:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**1,500.00 (77.88)**	**---**	**473.75**	---	**1,973.75 (77.88)**	**--**	**--**	---	**547.50**	---	**2.16**	**549.66**	**0.27:1 (0.27:1)**
	वित्त प्रबंध													
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	130.83	---	---	13.37	144.20	--	--	---	---	---	-	---	---
	प्रक्षेत्रवार योग	**130.83**	---	---	**13.37**	**144.20**	**--**	**--**	---	---	---	--	---	
	विविध प्रक्षेत्र													
34	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.•	200.00	---	---	---	200.00	--	--	---	121.77	---	--	121.77	0.61:1 (0.61:1)
	प्रक्षेत्रवार योग	**200.00**	**---**	**---**	**---**	**200.00**	**--**	**--**	**---**	**121.77**	**---**	**--**	**121.77**	**0.61:1 (0.61:1)**
	योग (स)	**12,806.64 (84.88)**	**49.00**	**2,891.71 (475.05)**	**258.96 (78.69)**	**16000.31 (638.62)**	**--**	**1.27**	**--**	50,078.80	41.8	**3,912.84**	**54,033.44**	**3.2:1 (3.29:1)**
	कुल योग (अ+ब+स)	**51,506.20 (446.82)**	**2,754.78**	**2,891.71 (475.05)**	**4,255.49 (82.88)**	**61,408.18 (1004.75)**	**--**	**5,317.00**	**--**	**5,91,676.55**	**205.17**	**59,893.15**	**6,51,774.87**	**10.4:1 (13.91:1)**

* वर्ष 2003–04 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घकालीन ऋणों को प्रदर्शित करते हैं।

नोट:– वह निगमें जिन्होंने वर्ष 2003–04 के लेखाओं को सम्पूर्ण किया, को छोड़कर अन्य निगमों के आंकड़े औपबन्धित है एवं निगमों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

• *पटना उच्च न्यायालय द्वारा निगम की बंदी के आदेश दिए गए।*

परिशिष्ट–2

(कंडिका संख्या 1.7, 1.13, 1.18 एवं 1.19 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें, जिनका लेखा सम्पूर्ण हो गया था, उनका अद्यतन वर्ष का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम 7 से 12 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी (अंश जमा पूँजी सहित)	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अ	**कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ**														
	कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	18.7.1977	1993-94	2003-04	(-) 340.00	---	370.79	(-) 2,745.00	1,711.30	(-) 60.25	---	10	1,473.70	142
2.	बिहार राज्य मत्स्य निगम लि.	पशु एवं मत्स्य पालन	23.3.1980	1992-93	1996-97	(-) 22.16	---	174.75	(-) 191.54	174.19	(-) 4.77	---	11	--	44
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 362.16**	---	**545.54**	**(-) 2,936.54**	**1,885.49**	**(-) 65.02**	**--**	**21**	**--**	**186**
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
3.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	21.2.1978	1992-93	2003-04	(-) 92.64	---	565.50	(-) 372.53	869.00	-0.54	----	11	6.54	68
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 92.64**	---	**565.50**	**(-) 372.53**	**869.00**	**(-) 0.54**	**---**	**11**	**6.54**	**68**
	वन														
4	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन एवं पर्यावरण	10.2.1975	1998-99	2002-03	359.88	---	229.08	--	205.18	398.68	194.30	5	3,542.37	648
	प्रक्षेत्रवार योग					**359.88**	---	**229.08**		**205.18**	**398.68**	**194.30**	**5**	**3,542.37**	**648**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी (अंश जमा पूँजी सहित)	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	खनन														
5.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	खनन् एवं भूगर्भ	12.6.1972	1999-2000	2003-04	654.31		997.35	(-) 132.41	1,465.94	654.31	44.63	4	2,423.43	529
	प्रक्षेत्रवार योग					**654.31**		**997.35**	**(-) 132.41**	**1,465.94**	**654.31**	**44.63**	**4**	**2,423.43**	**529**
	निर्माण						---								
6.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि.	गृह (पुलिस)	26.6.1974	1988-89	2000-01	(-) 78.53	---	10.00	(-) 48.86	4.04	(-) 78.53	---	15	50.70	408
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	सड़क निर्माण	11.6.1975	1991-92	2001-02	(-) 125.17	---	350.00	(-) 613.24	58.28	(-) 122.86	---	12	109.66	714
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 203.70**	---	**360.00**	**(-) 662.10**	**62.32**	**(-) 201.39**	**---**	**27**	**160.36**	
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास														
8	बिहार राज्य अल्प–संख्यक वित्त निगम लि.	अल्पसंख्यक कल्याण	22.3.1984	1995-96	2003-04	(-) 24.51	131.01 लाख रुपये से हानि कम बताई गई	205.50	-68.67	193.86	-24.51	--	8	नगण्य	23
9	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	कल्याण	17.6.1993	1994-95	2003-04	39.65	135.50 लाख रुपये से आय अधिक बताई गई	275.00	54.91	1,313.40	106.00	--	9	107.84	16
	प्रक्षेत्रवार योग					**15.14**	---	**480.50**	**-13.76**	**1,507.26**	**81.49**		**17**	**107.84**	**39**
	जन वितरण														
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति	22.4.1973	1982-83	2003-04	(-) 244.15	---	402.00	(-) 1,596.40	2,328.97	167.57	---	21	13,594.40	1,638
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 244.15**	---	**402.00**	**(-) 1,596.40**	**2,328.97**	**167.57**	**--**	**21**	**13,594.40**	**1,638**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी (अंश जमा पूँजी सहित)	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति-शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	पर्यटन														
...															
11	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	पर्यटन	28.11.1980	1992-93	2003-04	21.01	निगम का लाभ 36.24 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया	285.00	(-) 62.27	239.53	21.01	--	11	79.88	275
	प्रक्षेत्रवार योग					**21.01**	---	**285.00**	**(-) 62.27**	**239.53**	**21.01**	**--**	**11**	**79.88**	**275**
	ऊर्जा														
12	बिहार राज्य जल विद्युत पावर निगम लि.*	ऊर्जा	31.3.1982	1994-95	2002-03	(-) 345.64	लाभ 436.00 लाख रुपये से घटा	8,276.00	(-) 219.50	12,843.08	494.67	---	9	230.48	142
13	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	ऊर्जा	26.11.1987	1993-94	2000-01	--		10,000.00		58,852.10		---	10	--	अनुपलब्ध
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 345.64**	---	**18,276.00**	**(-) 219.50**	**71,695.18**	**494.67**	**--**	**19**	**230.48**	**142**
	वित्त प्रबन्ध														
14	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	उद्योग	30.1.1975	1997-98	2002-03	(-) 814.80	हानि 1006.69 लाख रुपये से कम दिखाई गई	1,512.35	(-) 7,177.23	14,575.50	586.48	4.02	6	--	74
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 814.80**	---	**1,512.35**	**(-) 7177.23**	**14,575.50**	**586.48**	**4.02**	**6**		**74**
	विविध														
15.	बिहार राज्य टेक्सट बुक प्रकाशन निगम लि.	शिक्षा	2.4.1985	1994-95	2001-02	(-) 71.22	---	47.67	568.26	554.56	(-) 71.22	--	9	824.49	249

* आँकड़े निगम के वर्ष 1994–95 के पुनः निर्मित लेखाओं के आधार पर।

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी (अंश जमा पूँजी सहित)	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	उद्योग	6.3.1983	1991-92	2000-01	1.87	---	94.50	(-) 11.56	88.33	1.87	2.12	12	--	8
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 69.85**	---	**142.17**	**556.70**	**642.89**	**(-) 69.35**	--	**21**	--	**257**
	योग (अ)					**(-) 1,082.09**	---	**23,745.50**	**(-) 12,351.22**	**95,477.26**	**2,067.91**		**163**	--	
ब	**सांविधिक निगमें**														
	ऊर्जा														
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	ऊर्जा विभाग	1.4.1958	2000-01	2002-03	(-) 89,492.58	हानि 3289.21 करोड़ रुपये से बढ़ी	---	(-) 8,18,502.00	(-) 1,91,260.00	(-) 2,60,740.00		3	2,74,265.00	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 89,492.58**	---	**---**	**(-) 8,18,502.00**	**(-) 1,91,260.00**	**(-) 2,60,740.00***		**3**	**2,74,265.00**	**--**
	परिवहन														
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लि.	परिवहन विभाग	1.5.1959	1998-99	2003-04	(-) 6,629.17	---	10,127.35	(-) 47,384.36	(-) 14,541.75	(-) 4,490.30	-	5	802.76	5,232
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 6,629.17**	---	**10,127.35**	**(-) 47,384.36**	**(-) 14,541.75**	**(-) 4,490.30**	-	**5**	**802.76**	**5,232**
	वित्त प्रबन्ध														
3.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग विभाग	2.11.1954	2002-03	2003-04	(-) 3829.34	निगम की संचित हानि 14.37 करोड़ रुपये से कम दिखाई गई	7,783.81	(-) 66,295.67	30,634.82	621.89	--	1	1228.36	421
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 3829.34**		**7,783.81**	**(-) 66,295.67**	**30,634.82**	**621.89**	--	**1**	**1228.36**	**421**

* वर्ष के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर आधारित।

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी (अंश जमा पूँजी सहित)	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	विविध														
4.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	29.3.1957	2000-01	2003-04	196.44	निगम का लाभ 429.84 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया।	137.10	717.49	1,868.72	196.44	--	3	1098.31	316
	प्रक्षेत्रवार योग					**196.44**	**---**	**137.10**	**717.49**	**1,868.72**	**196.44**	**--**	**3**	**1098.31**	**316**
	योग (ब)					**(-) 99754.65**	---	**18,048.26**	**(-) 9,31,464.54**	**(-) 1,73,298.21**	**(-) 2,64,411.97**	**--**	**12**	**--**	**--**
	कुल योग (अ+ब)					**(-) 100836.74**	---	**41,843.75**	**(-) 9,43,815.76**	**(-) 77,820.95**	**(-) 2,62,344.06**	**--**	**175**	**--**	**--**
स	**अकार्यशील कम्पनियाँ**														
	कृषि एवं समवर्गी														
1.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	जल संसाधन	12.4.1973	1978-79	1997-98	216.84	---	500.00	(-) 1,119.69	2670.29	242.30	9.07	25	--	15
2.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	पशुपालन एवं मतस्य	13.3.1972	1991-92	2001-02	4.39	---	672.36	(-) 900.07	568.69	4.39	0.77	12	--	--
3.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम	लघु सिंचाई	3.6.1975	1982-83	1993-94	(-) 26.39	---	560.00	(-) 85.78	953.41	(-) 13.27	---	21	0.52	--
4.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	कृषि	28.4.1966	1986-87	1995-96	(-) 192.79	---	741.52	(-) 1416.00	510.80	(-) 142.86	---	17	--	--
5.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	कृषि	8.10.1980	1990-91	1996-97	(-) 74.12	---	182.00	(-) 416.70	(-) 14.68	(-) 31.45	---	13	6.58	--
6.	बिहार कीट–नाशक लि.	उद्योग	27.2.1983	1986-87	1991-92	(-) 103.12	---	57.04	(-) 103.12	234.98	(-) 86.74	---	17	--	62
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 175.19**	---	**2,712.92**	**(-) 4041.36**	**4,923.49**	**(-) 27.63**	**--**	**105**	**--**	**--**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी (अंश जमा पूँजी सहित)	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	उद्योग (विविध)														
7.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	उद्योग	29.10.1961	1989-90	2002-03	(-) 94.46	हानि 48 लाख रुपये से बढ़ी	718.48	(-) 1513.63	349.21	7.69	2.20	14	1626.94	145
8.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	उद्योग	5.11.1960	1986-87	-	(-) 588.92	हानि 1079.05 लाख रुपये से बढ़ी	1,404.00	(-) 2290.78	2,724.94	(-) 317.13	-	17	--	--
9.	बिहार स्कूटर्स लि.	उद्योग	19.1.1978	----	----	---	---	--	---	---	---	----	27	--	--
10.	बिहार पेपर मिल्स लि.	उद्योग	08.07.1977	1985-86	1997-98	(-) 6.09	---	156.12	(-) 31.06	143.61	(-) 6.09	----	अप्रैल 2004 से निगम परिस–मापन की प्रक्रिया में	--	--
11.	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लि.	उद्योग	20.4.1982	1983-84	1986-87	(-) 149.39	---	146.59	(-) 213.06	615.00	(-) 76.48	---	20	--	252
12.	बिहार राज्य गलेज्ड टाईल्स एवं सिरामिक्स लि.	उद्योग	2.4.1984	1985-86	1997-98	(-) 8.48	---	15.52	(-) 51.08	350.00	(-) 17.60	---	18	--	354
13.	विश्वामित्र पेपर उद्योग लि.	उद्योग	18.6.1983	1984-85	1988-89	(-) 0.91	---	40.37	(-) 1.45	69.00	---	---	19	--	18
14.	झंझारपुर पेपर उद्योग लि.	उद्योग	27.2.1982	1985-86	1991-92	(-) 1.33	---	42.41	(-) 2.09	59.32	(-) 1.33	---	18	--	12
15.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रेट लि.	वन एवं पर्यावरण	27.1.1984	1988-89	1993-94	(-) 31.56	---	103.30	(-) 66.59	249.15	(-) 15.86	---	15	--	--

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी (अंश जमा पूँजी सहित)	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	बिहार सौलभेंट एण्ड केमिकल्स लि.	वन एवं पर्यावरण	अगस्त 1979	1986-87	1995-96	(-) 32.31	---	66.22	(-) 32.31	167.23	(-) 25.86	---	17	--	--
17.	सिन्थेटिक रेजिन्स (ईस्टर्न) लि.	उद्योग	14.12.1982	1983-84	1987-88	(-) 0.69	---	9.00	(-) 0.73	17.41	(-) 0.69	---	20	--	12
18.	मगध मिनरल्स लि.	उद्योग	22.11.1984	----	----	----	---	----	----	---	---	----	20	--	--
19.	भवानी ऐक्टीव कार्बन लि.	उद्योग	26.3.1985	1985-86	1989-90	(-) 1.38	---	2.39	(-) 1.38	1.05	(-) 1.38	---	18	--	--
20.	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लि.	उद्योग	23.3.1974	1981-82	1996-97	(-) 36.25	---	514.00	(-) 254.80	215.94	(-) 36.25	---	22	--	419
21	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	जल संसाधन	22.8.1974	1985-86	2002-03	56.91	---	700.00	(-) 404.05	398.57	61.34	15.39	18	1870.12	1479
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 894.86**	---	**3,918.40**	**(-) 4,863.01**	**5,360.43**	**(-) 429.64**	**15.39**	**263**	--	--
	अभियंत्रण														
22.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इन्जिनियरिंग लि.	उद्योग	25.10.1983	1994-95	1995-96	(-) 238.84	---	217.00	(-) 815.97	91.13	(-) 151.00	---	9	1089.25	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 238.84**	---	**217.00**	**(-) 815.97**	**91.13**	**(-) 151.00**	**---**	**9**	--	--
	इलेक्ट्रॉनिक्स														
23.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लि.	उद्योग	19.9.1984	1987-88	1998-99	(-) 54.51	---	121.45	(-) 21.77	101.98	(-) 9.57	---	16	75.46	--
24.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लि.	उद्योग	30.1.1986	1989-90	2002-03	(-) 9.57	---	125.84	(-) 49.33	52.48	(-) 9.57	---	14	41.38	--
25.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लि.	उद्योग	1.3.1988	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 64.08**	---	**247.29**	**(-) 71.10**	**154.46**	**(-) 19.14**		**47**	--	--

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्ण हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी (अंश जमा पूँजी सहित)	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	वस्त्र														
26	बिहार राज्य वस्त्र निगम लि.	उद्योग	21.2.1978	1987-88	1995-96	(-) 9.18	---	498.05	(-) 32.22	372.35	(-) 9.18	---	16	--	40
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 9.18**	---	**498.05**	**(-) 32.22**	**372.35**	**(-) 9.18**	**---**	**--**	**--**	**--**
	हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प														
27	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प लि.	उद्योग	21.5.1974	1983-84	1996-97	(-) 9.52	---	627.98	(-) 43.81	707.51	1.46	0.21	मार्च से बंदी की प्रक्रिया में	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 9.52**	---	**627.98**	**(-) 43.81**	**707.51**	**1.46**	**0.21**		**--**	**--**
	चीनी														
28.	बिहार राज्य चीनी निगम लि.	ईख	26.12.1974	1984-85	1996-97	(-) 919.85	---	997.00	(-) 7,231.46	(-) 1,023.69	(-) 320.24	---	19	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 919.85**	---	**997.00**	**(-) 7,231.46**	**(-) 1,023.69**	**(-) 320.24**		**19**	**--**	**--**
	सीमेन्ट														
29.	बिहार राज्य सीमेन्ट निगम लि.	उद्योग	17.10.1981		---	---	---	---	---	---	---	----	23	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग					-	---	-	-	-	-	-			
	औषधि, रसायन एवं औषध														
30.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	उद्योग	22.2.1978	1985-86	1992-93	(-) 16.83	---	361.62	(-) 73.84	687.48	(-) 16.83	---	18	--	59
31.	बिहार मेज प्रोडक्ट लि.	उद्योग	2.9.1982	1983-84	1987-88	(-) 2.70	---	66.59	(-) 6.14	80.11	---	---	20	--	--
32.	बिहार औषधि एवं रसायन लि.	उद्योग	12.8.1983	1985-86	1991-92	(-) 3.02	---	93.67	(-) 16.09	115.65	(-) 3.02	---	18	--	48
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 22.55**	---	**521.88**	**(-) 96.07**	**883.24**	**(-) 19.85**		**56**	**--**	**--**

क्रम सं	प्रक्षेत्र तथा निगम का नाम	विभाग का नाम	निगमन की तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखाओं का सम्पूर्णन हुआ	शुद्ध लाभ (+)/हानि (–)	अंकेक्षण टिप्पणी का प्रभाव	समादत्त पूँजी (अंश जमा पूँजी सहित)	संचित लाभ (+)/हानि (–)	नियोजित पूँजी (क)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल (ख)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रति–शतता	कितने वर्षों से लेखे बकाया हैं	कुल बिक्री	उपलब्ध मानव संसाधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	वित्त प्रबन्ध														
33.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि.	पंचायती राज	20.4.1974	1984-85	1991-92	(-) 1.19	---	144.20	(-) 2.69	585.60	22.52	3.85	19	--	--
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 1.19**	---	**144.20**	**(-) 2.69**	**585.60**	**22.52**	**3.85**	**19**	**--**	**--**
	विविध														
34	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	उद्योग	29.12.1974	1991-92	1999-00	(-) 10.50	---	200.00	(-) 0.95	375.36	0.93	0.25	मई 2004 से परिस–मापन की प्रक्रिया में	494.35	54
	प्रक्षेत्रवार योग					**(-) 10.50**	---	**200.00**	**(-) 0.95**	**375.36**	**0.93**	**0.25**	**11**	**494.35**	**54**
	कुल (स)					**(-) 2345.76**	---	**10,084.72**	**(-) 17,198.64**	**12,429.88**	**(-) 951.77**		**557**	**--**	**--**
	कुल योग (अ+ब+स)					**(-) 103182.50**		**51,928.47**	**(-) 96,1014.40**	**(-) 65,391.07**	**(-) 263295.83**		**732**	**--**	**--**

परिशिष्ट–3

(कंडिका 1.5 एवं 1.16 में संदर्भित)

वर्ष के दौरान प्राप्त साहाय्य, प्राप्त प्रतिभूतियाँ, बकाए की माफी, ऋण जिस पर मोहलत दी गई एवं वर्ष के दौरान अंश में परिवर्तित किया गया ऋण एवं मार्च 2004 के अंत तक प्राप्य साहाय्य तथा बकाये प्रतिभूतियों को दर्शाने वाली विवरणी

(कोष्ठक के अंक वर्ष के अंत में बकाए प्रतिभूतियों को दर्शाते है)

(कॉलम 3 (क) से 7 तक की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में बकाए					वर्ष में बकायों का परित्याग				ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	बैंकों से नकद उधार	अन्य स्त्रोतो से ऋण	आयात के मामलों में बैंक द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	विदेशी कन्सलटेन्ट या कान्ट्रैकटरों के साथ एकरारनामा के अन्तर्गत भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ब्याज माफ	दाण्डिक ब्याज माफ	कुल योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
अ	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**															
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	--	--	--	--	(389.81)	--	--	--	(389.81)	--	--	--	--	--	--
2	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लि.	-	-	-	-	-	(1,926.63)	--	--	(1,926.63)	--	--	--	--	--	--
3	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	-	-	-	-	-	(949.55)	--	--	(949.55)	--	--	--	--	--	--
	कुल – अ	-		-		(389.81)	**(2,876.18)**	---	---	**(3265.99)**	--	--	--	--	--	--
ब	**कार्यशील सांविधिक निगमें**															
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	-	-	-	-	-	(6,886.91)•	-	-	(6,886.91	--	--	--	--	--	--
2	बिहार राज्य वित्तीय निगम लि.	-	9.49	-	-	-	(8,752.50)-	-	-	(8,752.50)	--	--	--	--	---	--
	कुल – ब	-	**9.49**	--	-	-	**(15,639.41)**	-	-	**(15,639.41)**	--	--	--	--	--	--
	सकल योग (अ+ब)		9.49	-	-	(389.81)	(18,515.59)	-	-	(18,905.40)	--	--	--	--	--	-

• यह बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की 31 मार्च 2004 को समाप्ति पर बकाया प्रतिभूतियाँ (49.63%) 13,876.51 लाख रुपये पर दर्शाता है।

क्रम सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिभूतियाँ एवं वर्षान्त में बकाए					वर्ष में बकायों का परित्याग				ऋण जिस पर मोहलत प्रदान की गई	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	बैंकों से नकद उधार	अन्य स्त्रोतो से ऋण	आयात के मामलों में बैंक द्वारा खोले गए लेटर ऑफ क्रेडिट	विदेशी कन्सलटेन्ट या कान्ट्रैकटरों के साथ एकरारनामा के अन्तर्गत भुगतान बन्धन	कुल योग	ऋण की अदायगी जिसे बट्टे खाते में डाला गया	ब्याज माफ	दाण्डिक ब्याज माफ	कुल योग		
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)	4(ङ)	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7
स	**अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ**															
1	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि.					(62.48)				(62.48)	--	--	--	--	--	-
2	**बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.**					(1.45)				(1.45)	--	--	--	--	--	-
	कुल – स	-	-	--	-	(63.93)	-	-	-	(63.93)		-	-	-	-	-
	सकल योग (अ+ब+स)	-	9.49	-	-	(453.74)-	(18,515.59)	-	-	(18,969.33)	--	--	--	--	--	--

*नोट : वह कम्पनियाँ जिन्होंने वर्ष 2003–04 के लेखाओं को सम्पूण किया, को छोड़कर अन्य कम्पनियों के आँकड़े औपबन्धित है एवं कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए है।

परिशिष्ट–4

(कंडिका 1.7 से संदर्भित)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी

(रुपये करोड़ में)

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड⊕			
विवरण	**1999-2000**	**2000-01**	**2001-02→**
(अ) दायित्त्व			
साधारण पूँजी	--	--	--
सरकार से ऋण	4,938.34	5,399.76	3,291.26
अन्य दीर्घकालीन ऋण (बांड सहित)	1,016.73	844.41	333.53
आरक्षित एवं अधिशेष (मूल्य ह्रास को छोड़कर)	241.67	0.91	0.45
चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	5,738.73	7,154.20	5,069.85
कुल (अ)	**11,935.47**	**13,399.28**	**8,695.09**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
कुल अचल सम्पत्तियाँ	3,016.33	3,160.38	2,101.11
घटाए मूल्य ह्रास	1,688.82	1,887.13	1,333.86
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	1,327.51	1,273.25	767.25
पूँजीगत कार्य में प्रगति	228.92	224.49	238.36
चालू सम्पत्तियाँ	5,462.76	3,743.86	3,545.31
निवेश	269.98	205.27	219.86
विविध व्यय	-	-	-
घाटा	4646.30	8185.02	3755.50
कुल – ब	**11,935.47**	**13,631.89**	**8,526.28**
(स) नियोजित पूँजी*	1,280.46	(-) 1912.60	(-) 518.93
2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम			
विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
(अ) दायित्त्व			
पूँजी (पूँजी ऋण एवं अंश पूँजी सहित)	101.27	101.27	101.27
उधार (सरकार)	65.66	77.11	79.41
(अन्य)	2.87	-	-
निधि**	0.30	0.30	0.30
व्यापार बकाया एवं अन्य चालू दायित्त्व (प्रावधान सहित)	492.08	684.28	723.39
कुल – अ	**662.19**	**862.96**	**904.37**
ब – परिसम्पत्तियाँ			
कुल ब्लाक	68.58	74.65	111.37
मूल्य ह्रास घटाएँ	52.18	54.12	59.70
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	16.40	20.53	51.67

⊕ आँकड़े निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए है।

→ विभाजित बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आंकड़े।

* नियोजित पूँजी निवल अचल सम्पत्तियाँ (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी के योग को निरूपित करती है। परिवर्त्तित लागत एवं निवेश की राशि को चालू परिसम्पत्तियों में से घटाकर कार्यचालन पूँजी की गणना की गई है।

** मूल्य ह्रास निधि को छोड़कर।

पूँजीगत कार्य (चेसिस का लागत सहित) प्रगति में	-	-	-
निवेश	-	-	-
चालू सम्पत्तियाँ ऋण एवं अग्रिम	90.22	229.59	192.87
संचित हानियाँ	555.56	612.84	659.83
कुल – ब	**662.19**	**862.96**	**904.37**
स – **नियोजित पूँजी#**	(-) 385.46	(-) 434.16	(-) 478.85
3. बिहार राज्य वित्तीय निगम♦			
विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
(अ) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी*	77.88	77.83	77.83
अंश आवेदन राशि	--	--	--
सुरक्षित कोष, अन्य सुरक्षित एवं अधिकोष	10.05	10.05	10.05
उधार			
बाण्डस एवं ऋण पत्र	107.62	99.65	87.52
आवधिक जमा	-		
आई डी बी आई एवं एस आई डी बी आई	114.31	114.31	111.81
भारतीय रिजर्व बैंक	--	--	--
अंश पूँजी के बदले ऋण (अ) राज्य सरकार (ब) आई डी बी आई	 -- --	 -- --	 -- --
पुनर्वित ऋण	--	--	--
राज्य सरकार के साथ अन्य	1.00	--	--
अन्य दायित्त्व एवं प्रावधान	363.93	408.29	201.90
कुल – अ	**674.79**	**710.13**	**489.13**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
रोकड़ एवं बैंक शेष	22.19	26.26	15.99
निवेश	0.06	0.06	0.04
ऋण एवं अग्रिम	295.44	289.35	285.23
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.79	0.60	0.60
अन्य सम्पत्तियाँ	6.29	5.55	6.61
विविध व्यय	--	--	--
कुल – ब	**324.77**	**321.82**	**308.49**
(स) नियोजित पूँजी**	310.86	301.84	294.53
4. बिहार राज्य भण्डार निगम♠			
विवरण	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**
(अ) दायित्त्व			
प्रदत्त पूँजी	1.37	1.37	1.37

नियोजित पूँजी निवल अचल संपत्ति (पूँजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूँजी का योग है।

♦ निगम द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

* प्रदत्त पूंजी में अंश आवेदन पूंजी सम्मिलित है।

** नियोजित पूँजी प्रदत्त पूंजी, रिजर्व (उन रिजर्वो को छोड़कर जो कि बाहरी निवेश से समर्थित है), बांड, उधार एवं जमा (पुनर्वित सहित) के वर्ष के शुरूआती एवं अंतिम आंकड़ों के योग का माध्य है।

♠ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

संचित एवं अधिशेष	16.53	8.59	10.38
सरकार से सब्सिडी	--	Nil	Nil
उधार – सरकारी अन्य	--	Nil	Nil
व्यापारिक बकाये एवं अन्य दायित्त्व (प्रावधान के साथ)	4.23	4.44	4.50
कुल – अ	**22.13**	**14.44**	**16.25**
(ब) परिसम्पत्तियाँ			
सकल परिसम्पत्तियां	6.82	5.23	7.16
मूल्य ह्रास घटाएं	2.14	0.15	0.17
निवल अचल सम्पत्तियाँ	4.68	5.08	6.99
पूँजीगत कार्य प्रगति में			
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	17.45	19.21	20.30
लाभ एवं हानि लेखा			
कुल – ब	**22.13**	**24.28**	**27.29**
3. **नियोजित पूँजी** $^{\pi}$	17.90	19.85	22.79

$^{\pi}$ प्रदत्त पूंजी में अंश आवेदन पूंजी सम्मिलित है।

परिशिष्ट–5

(कंडिका 1.7 से संदर्भित)

साविधिक निगमों के कार्यचालन परिणाम की विवरणी

(रुपये करोड़ में)

1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड▲			
क्रम सं.	विवरण	1999-00	2000-01	2001-02↑
1	(अ) राजस्व प्राप्तियाँ	2,286.17	2,742.65	1,336.80
	(ब) सरकार से साहाय्य	629.00	834.30	682.10
	कुल	**2915.17**	**3576.95**	**2,018.90**
2	राजस्व व्यय (शुद्ध पूंजीगत व्यय), अमूर्त्त परिसम्पत्तियों का अपलेखन सहित परन्तु मूल्य ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर	2,799.99	3,366.99	1,644.90
3	वर्ष का कुल बचत (–) घाटा (1–2)	115.18	(+) 209.96	374.00
4	पिछले वर्ष से सम्बन्धित समायोजन	(-) 226.29	(-) 2643.80	(-) 420.00
5	वर्ष का अन्तिम बचत/(–) घाटा (3+4)	(-) 111.11	(-) 2433.84	(-) 46.00
6	विनियोजन			
(क)	मूल्य ह्रास	184.73	196.01	135.62
(ख)	पूँजीगत ऋण पर ब्याज	522.24	625.04	371.76
(ग)	अन्य ऋण, बाण्ड, अग्रिम आदि पर ब्याज	196.96	305.29	96.09
(घ)	ऋण एवं वित्तीय भरों पर कुल ब्याज (ख+ग)	719.20	930.33	467.85
(ङ)	पूंजीकृत ब्याज घटाएँ	23.00	21.45	22.63
(च)	राजस्व में भारित शुद्ध ब्याज (घ–ङ)	696.20	908.88	445.22
(छ)	कुल विनियोजन (छ+च)	880.93	1,104.89	580.84
7	राज्य सरकार से प्राप्त सहायता के लेखाकरनण से पूर्व बचत(+)/घाटा (–) 5'6(छ)–1ख	(-) 1621.04	(-) 494.65	(-) 1308.94
8	शुद्ध बचत/(–)घाटा 5–6(छ)	(-) 992.04	(-) 1,328.95	(-) 626.84
9	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल*	(-) 295.84	(-) 2,629.85	(-) 181.62
10	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	--	(-) 137.50	(-) 35.00
2.	**बिहार राज्य पथ परिवहन निगम▶**			
	विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
	प्रचालन			
(क)	राजस्व	18.36	21.01	55.98
(ख)	व्यय	50.66	54.98	81.26
(ग)	बचत(+)/घाटा(–)	(-) 32.30	(-) 33.96	(-) 25.28
	अप्रचालन			
(क)	राजस्व	5.04	4.45	8.36
(ख)	व्यय	25.71	27.77	30.07
(ग)	बचत(+)/घाटा(–)	(-) 20.67	(-) 23.32	(-) 21.71
	राजस्व	23.40	25.46	64.34
	व्यय	76.37	82.74	111.33
	बचत(+)/घाटा(–)	(-) 52.97	(-) 57.28	(-) 46.99

▲ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

↑ विभाजित विद्युत बोर्ड के आंकड़े।

* नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल निवल बचत/घाटा तथा लाभ एवं हानि लेखे में प्रमाणित कुल ब्याज (पूंजीकृत ब्याज को छोड़कर)

▶ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

	पूंजी एवं ऋण पर ब्याज	11.57	27.77	30.07
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-) 41.40	(-) 29.51	(-) 16.92
3.	**बिहार राज्य वित्तीय निगम▼**			
	विवरण	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**
1	आय			
i)	ऋण पर ब्याज	11.17	12.28	7.24
ii)	अन्य आय	0.91	0.96	0.92
	कुल – 1	**12.08**	**13.24**	**8.16**
2.	**व्यय***			
i)	(अ) दीर्घकालीन ऋण एवं अल्पकालीन ऋणों पर ब्याज	47.50	44.51	7.51
	(ब) अक्रियाशील कम्पनियों के लिए प्रावधान	--	--	0.12
	(स) अन्य व्यय	7.51	7.02	6.92
	कुल – 2	**55.01**	**51.53**	**14.55**
3.	कर के पूर्व लाभ (+)/हानि(–) (1–2)	(-) 42.93	(-) 38.29	(-) 6.39
4.	कर का प्रावधान	---	-	
5.	अन्य विनियोजन	---	-	
6.	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि#	---	-	
7.	लाभांश	---	-	
8.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-) 4.57	6.22	8.16
9.	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	1.47	--	2.77
4.	**बिहार राज्य भण्डार निगम◄**			
	विवरण	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**
1.	आय			
(अ)	भण्डारण प्रभार	4.42	4.47	6.30
(ब)	अन्य आय	7.17	6.34	10.70
	योग – 1	**11.59**	**10.81**	**17.00**
2.	**व्यय**			
(अ)	स्थापना प्रभार	2.64	2.80	2.72
(ब)	अन्य आय	7.09	6.02	11.48
	योग–2	**9.73**	**8.82**	**14.20**
3	कर के पूर्व लाभ(+)/हानि(–)	1.86	1.98	2.79
4.	पूर्वावधि समायोजन	0.04	0.25	--
5.	अन्य विनियोजन	1.00	1.00	1.00
6.	लाभांश के लिये उपलब्ध राशि	0.83	0.73	1.79
7.	वर्ष के लिए लाभांश	--	--	--
8.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	1.86	1.98	2.79
9.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	10.39	8.68	12.24

▼ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

* वर्ष के अक्रियाशील सम्पत्तियों के लिये प्रावधान को व्यय शीर्ष के अन्तर्गत अलग से दिखाया जाय।

\# उपलब्ध लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से विशेष सुरक्षित निधि हेतु विनियोजन के पश्चात् है।

◄ निगम द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

परिशिष्ट–6

(कंडिका 1.12 में संदर्भित)

सांविधिक निगमों के प्रचालन निष्पादन को दर्शानेवाली विवरण

1. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड◊

विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-02←
प्रतिष्ठापित क्षमता		(एमडब्लू)	
(क) थर्मल	1,393.50	1,393.50	540.00
(ख) हाइड्रो	149.20	149.20	19.20
(ग) गैस	--	--	-
(घ) अन्य	5.93	5.93	-
योग	1,548.63	1,548.63	559.20
सामान्य अधिकतम मांग	1,400.00	अप्राप्त	अप्राप्त
		(एम. के. डब्लू. एच.)	
उत्पादित उर्जा			
(क) थर्मल	2,245.59	2,111.25	674.47
(ख) हाइड्रो	177.54	100.86	8.19
(ग) गैस	--	--	-
(घ) अन्य	--	--	-
योग	2,423.13	2,212.11	682.66
घटाव : अनुषांगिक खपत			
(क) थर्मल (प्रतिशतता)	334.08 (14.88)	307.45 (14.51)	87.10 (12.91)
(ख) हाइड्रो (प्रतिशतता)	1.17 (0.66)	1.00 (1.00)	1.03 (12.54)
(ग) गैस (प्रतिशतता)	--	--	--
(घ) अन्य (प्रतिशतता)	--	--	--
योग (प्रतिशतता)	335.25 (13.84)	308.45 (14.51)	88.13 (12.91)
उत्पादित उर्जा	2,087.88	1,904.66	594.53
क्रय की गई उर्जा	8,538.96	8,692.02	5,620.56
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल उर्जा	10,626.84	10,596.60	6,215.09
बिक्री की गई उर्जा	7,662.21	7,620.91	3,840.83
संचरण एवं वितरण हानि	2,964.63	2,957.70	2,374.26
प्लान्ट लोड फैक्टर (प्रतिशतता)	23.89	22.52	17.90
बिक्री हेतु उपलब्ध कुल उर्जा से संचरण एवं वितरण हानि की प्रतिशतता	27.90	28.08	38.20
विद्युन्मय गांवो/शहरों की संख्या	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
उर्जान्वित किए पम्प–सेटो एवं कुओं की संख्या	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
सब–स्टेशनों की संख्या	अप्राप्त	47	47
संचरण/विरतण लाईन (कि.मी. में)		4,691.73	4,691.73
(क) उच्च/मध्य वोल्टेज	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
(ख) निम्न वोल्टेज	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
समबद्ध भार (एम वी ए में)	अप्राप्त	3,075.40	3155.40
उपभोक्ताओं की संख्या (लाख में)	अप्राप्त	25	18.91

◊ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

← विभाजित विद्युत बोर्ड के आंकड़े।

कर्मचारियों की संख्या	अप्राप्त	30,638	20,595
उपभोक्ता / कर्मचारी अनुपात	अप्राप्त	अप्राप्त	92:1
वर्ष के दौरान कर्मचारी पर कुल व्यय (रुपये करोड़ में)	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
कुल राजस्व व्यय में कर्मचारी पर व्यय की प्रतिशतता	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
बिक्री की गई इकाईयाँ	(एम के डब्लू एच)		
(अ) कृषि	1,525.94	1,419.92	1,105.54
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अश का प्रतिशत	(19.92)	18.63	(28.78)
(ब) औद्योगिक	3,622.80	3,551.40	827.65
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	(47.28)	46.60	(21.55)
(स) वाणिज्यिक	415.15	486.69	276.15
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	(5.42)	6.39	(7.19)
(द) घरेलू	1,036.15	1,292.72	1,015.05
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	(13.52)	16.96	(26.43)
(च) अन्य	1,062.17	870.18	616.44
कुल बिक्री की गई इकाइयों के अंश का प्रतिशत	(13.86)	11.42	(16.05)
कुल	**7,662.21**	**7,620.91**	**3,840.83**
विवरण	**(के डब्लू एच प्रति पैसे)**		
(अ) राजस्व (सरकार से अर्थ सहाय्य को छोडकर)	298.37	2,742.65	1,336.80
(ब) व्यय	389.54	586.79	1,757.89
(स) लाभ (+) / हानि(–)	(-) 91.17	226.90	206.84
(द) सरकार से अर्थ सहाय्य का औसतन दावा (रुपये में)	0.82	834.30	682.10
(च) मांगी गई औसतन ब्याज (रुपये में)	0.91	अप्राप्त	467.85

- राजस्व व्यय में मूल्य ह्रास को सम्मिलित किया गया लेकिन लम्बी अवधि के ऋणों पर ब्याज को छोड़ दिया गया।

2. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम°

विवरण	2001-02	2002-03	2003-04
धारित वाहनों की औसत संख्या	1,540	873	362
चालू वाहनों की औसत संख्या	178	158	284
उपयोग में लाई गई वाहनों की प्रतिशतता	12	18	78
कर्मचारियों की संख्या	5,978	5,300	4,962
कर्मचारी/वाहन अनुपात	34	1:27	1:17
वर्ष के अन्त तक प्रचालित मार्गों की संख्या	143	145	255
मार्ग किलोमीटर	31,431	3,1659	55,220
प्रचालित किलोमीटर (लाख में)			
(क) सकल	156.46	148.82	250.50
(ख) प्रभावी	152.54	144.49	246.19
(ग) डेड	3.92	4.33	4.31
सकल कि. मी. से डेड कि. मी. की प्रतिशतता	2.51	2.91	1.72
प्रति बस प्रतिदिन तय की गई औसत किलोमीटर	236.00	251.00	238.00
प्रति कि. मी. संचालित औसत राजस्व (पैसे)	1173	1411	2234
पिछले वर्ष की संचालन राजस्व में वृद्धि(+)/कमी(–)(%)	0.33	(+) 12.02	(+) 58.37
प्रति किलोमीटर लाभ (+)/हानि (–) पैसे	3237	3694	3244
पिछले वर्ष के व्यय पर संचालन व्यय में वृद्धि (+)/कमी (–) (%)	(-) 13.49	(+) 11.23	(-) 12.18
प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(–) (पैसे)	(-) 3,385.00	(-) 3848.00	(-) 1815.00
संचालित डिपो की संख्या	32	32	32
प्रति लाख कि. मी. पर ब्रेक डाउन की औसत संख्या	1.39	0.12	0.78
प्रति लाख कि.मी. पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.09	0.08	0.02
प्रचालित यात्री कि.मी. (करोड़ में)	1.53	56.78	71.05
ओकुपेन्सी अनुपात (प्रतिशत में)	66	62	57
प्रति लिटर प्राप्त कि. मी.			
(क) डीजल	4.04	3.99	4.07
(ख) इंजन ऑयल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

° निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

3. बिहार राज्य भण्डारण निगम•

विवरण	2000-01	2001-02	2002-03
शामिल केन्द्रों की संख्या	46	46	46
वर्ष के अंत तक सृजित किया गया भण्डारण क्षमता (लाख टन में)	2.62	2.52	1.01
निजी गोदाम	0.97	1.05	12.12
किराये का गोदाम	1.66	1.47	15.92
योग	2.62	2.52	28.04
वर्ष के दौरान उपयोग किये गये क्षमता का औसत (लाख टन में)	2.21	2.12	22.42
उपयोग का प्रतिशतता	84	84	80
(क) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत राजस्व (रुपये)	524.43	40.00	493
(ख) प्रतिवर्ष प्रति मैट्रिक टन औसत व्यय (रुपये)	440.27	31.60	51.42

4. बिहार राज्य वित्तीय निगम ▫

(लाख रुपये में)

विवरण	2001-02		2002-03		2003-04 (प्रावधानित)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित आवेदन	--	--	--	--	--	--
प्राप्त आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
कुल	--	--	--	--	--	--
स्वीकृत आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
रद्द/वापस लिये गये/अस्वीकृत आवदेन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के अंत तक लंबित आवेदन पत्र	--	--	--	--	--	--
वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	2	4.34	1	1.57	--	--
वर्ष के अन्त तक बकाया ऋण	6,307	1,83,518.05	6,256	2,10,194.00	6,185	2,38,941.14
वर्ष के अंत में अतिदेय ऋण	--	--	--	--	--	--
(अ) मूलधन	6,307	26,560.74	6,256	26,532.24	6,185	26,429.94
(ब) ब्याज	6,307	1,55,761.15	6,256	1,82,969.20	6,185	2,12,205.53
योग	**6,307**	**1,82,321.89**		**2,09,501.44**	**6,185**	**2,38,635.47**
सर्टिफिकेट केसों में अदायगी की निहित राशि	--	--	--	--	--	--
कुल बकाया ऋण पर अतिदेय राशि की प्रतिशतता	--	99.34	--	99.67	--	99.87

• निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

▫ निगम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार।

परिशिष्ट–7

(कंडिका 1.20 में संदर्भित)

बंद की जाने वाली बिहार की सरकारी कम्पनियों के नाम

क्रम सं.	कम्पनियों के नाम
1	बिहार राज्य चर्मोद्योग विकास निगम लिमिटेड
2	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड
3	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड
4	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड
5	बिहार राज्य चीनी निगम निगम लिमिटेड
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
7	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड
8	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड
9	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
10	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड
11	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
12	बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड
13	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
14	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड
15	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड
16	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
17	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड

बिहार की सरकारी निगमें जिन्होंने परिसमापन के लिए पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दायर की

क्रम संख्या	कम्पनियों के नाम
1.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड
2.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड
3.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड
4.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड
5.	बिहार राज्य चीनी निगम निगम लिमिटेड
6.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड
7.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड
8.	बिहार फिनिस्ड लेदर लिमिटेड
9.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड
10.	बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड
11.	बिहार पेपर मिल लिमिटेड*.
12.	बेलट्रान विडियो सिस्टम लिमिटेड
13.	बेलट्रान माईनिंग सिस्टम लिमिटेड
14.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
15.	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड

* पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निगम का परिसमापन किया जाना है।

परिशिष्ट–8

(कंडिका 1.28 से संदर्भित)

कम्पनियों के आंतरिक अंकेक्षण/आंतरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रेक्षण

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	लेखा के वर्ष	संप्रेक्षण
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	1993-94, 1994-95, एवं 1995-96	आन्तरिक अंकेक्षण कार्य सनदी लेखाकारों की एक फर्म को दिया गया। आन्तरिक अंकेक्षणों द्वारा प्रमाणित लेखे निदेशक बोर्ड द्वारा अंगीकृत लेखों से भिन्न थे।
2	बिहार राज्य इलेक्ट्रौनिक्स विकास निगम लिमिटेड	1991-92 एवं 1992-93	निगम की आंतरिक अंकेक्षण पद्धति को उसके कार्यकलापों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता है।
3	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1991-92 एवं 1992-93	निगम में स्टोर्स की खरीद, कच्चा माल पूर्जों सहित लिनेन, क्रौकरी, उपस्कर एवं अन्य समरूप सम्पत्तियों से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया अपर्याप्त है।
4	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1981-82 एवं 1982-83	स्टोर्स की खरीद, कच्चा माल एवं अन्य सम्पत्तियों से संबंधित आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया में कमी है।
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1999-2000	निगम की आन्तरिक अंकेक्षण पद्धति उसके कार्यकलापों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है एवं उसमें मजबूती अपेक्षित है जिसके लिए विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकता हैं जिसका पालन आन्तरिक लेखापरीक्षक करेंगें।
6	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1994-95	निगम की आंतरिक अंकेक्षण पद्धति उसके कार्यकलापों के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
7	बिहार राज्य बीज निगम	1993-94	यद्यपि निगम में आन्तरिक अंकेक्षण स्कंध है परन्तु वह अकार्यशील है। इस स्कंध के कर्मचारियों को अन्य कार्य दिए गए हैं। कई वर्षों की समाप्ती के बाद आन्तरिक अंकेक्षण का कार्य सनदी लेखाकारों की एक फर्म को दिया गया। इस तरह की प्रक्रिया आन्तरिक अंकेक्षण की मूल भावना को पूर्ण नहीं करती।

परिशिष्ट–9

(कंडिका 1.30 में संदर्भित)

अद्यतन अन्तिमकरण किये हुए लेखाओं के अनुसार 619 (बी) कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी, निवेश एवं संक्षिप्त कार्यचालन परिणाम को दर्शानेवाली विवरणी

(कॉलम 5 से 19 की राशि लाख रुपये में)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील /अकार्य शील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	इक्विटी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			इक्विटी ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाभ (+)/ हानि (–)	संचित लाभ(+) / हानि (–)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	बिहार एयर प्रोडक्टस लि.	कार्यशील	1997-98	79.99	-	79.99	-	-	19.70	85.85	-	-	-	-	79.99	105.55	15.53	(-) 29.81
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. लि.	कार्यशील	1996-97	0.05	-	0.05			237.07	-	-	-	-	-	237.12		(-) 49.69	(-) 107.35
3	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. खगौल लि.	अकार्य–शील	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. डेहरी लि.	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	--	-	--	-	-	-	-	-	-	--
5	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. आरा लि.	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिम–करण नहीं हुआ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	स्थिति (कार्यशील /अकार्य शील)	लेखा वर्ष	प्रदत्त पूंजी	इक्विटी द्वारा			ऋण द्वारा			अनुदान द्वारा			इक्विटी ऋण एवं अनुदान के रूप में कुल निवेश			लाभ (+)/ हानि (–)	संचित लाभ(+) / हानि (–)
					राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ	राज्य सरकार	राज्य सरकार की कम्पनियाँ	केन्द्र सरकार एवं उसकी कम्पनियाँ		
6	स्काडा एग्रो बिजनेस कं. औरंगाबाद लि.	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	स्काडा एग्रो बिजनेस लि. मोहनियाँ	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-													
8	स्काडा एग्रो फॉरेस्ट्री कं. खगौल	–वही–	आरम्भ से लेखाओं का अन्तिमक रण नहीं हुआ	-	-													

* क्रमांक 3 से 8 तक की निगमों ने पटना उच्च न्यायालय में परिसमापन के लिये अर्जी दायर की है।

परिशिष्ट–10
(कंडिका 2.1 में संदर्भित)

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि. के होटलों एवं रेस्तराओं (स्व–प्रबंधन वाले और पट्टे पर दिए गए) के ब्यौरे दर्शाती विवरणी

बिहार

स्वप्रबंधन वाले होटल	(i) कौटिल्य विहार, पटना (ii) गौतम विहार, राजगीर (iii) अजात्शत्रु विहार, राजगीर (iv) तथागत विहार, राजगीर (v) सिद्धार्थ विहार, बोध गया (vi) बुध विहार, बोध गया (vii) सुजाता विहार, बोध गया (viii) ल्च्छवी विहार, मुजफ्फरपुर (ix) विश्वामित्र विहार, बक्सर (x) कैमुर विहार, मोहनियाँ (xi) कोशी विहार, सहरसा (xii) बाल्मिकी विहार, बाल्मिकी नगर
पट्टे पर दिए गए होटल	(i) शेरशाह विहार, सासाराम (ii) ट्युरिस्ट रेस्ट हाउस, वैशाली (iii) युथ हॉस्टल, वैशाली (iv) ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स, वैशाली (v) होटल कर्ण विहार, मुंगेर (vi) होटल जानकी विहार, सीतामढ़ी (vii) ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स, पूर्णिया (viii) ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स, सिंधेश्वरस्थान
स्वप्रबंधन वाले रेस्तरां	(i) गौतम विहार, राजगीर (ii) तथागत विहार, राजगीर (iii) विश्वामित्र विहार, बक्सर (iv) कैमुर विहार, मोहनिया (v) कैंटीन रेस्ट हाउस, वैशाली (vi) वाल्मिकी विहार, बाल्मिकी नगर (vii) ल्च्छवी विहार, मुजफ्फरपुर (viii) कोशी विहार, सहरसा (ix) रोप वे, राजगीर
पट्टे पर दिए गए रेस्तराँ	(i) कौटिल्य विहार, पटना (ii) कैफतेरिया म्युजियम, पटना (iii) कैफतेरिया, मनेर (iv) अजातशत्रु विहार, राजगीर (v) कैफतेरिया, नालंदा (vi) सिद्धार्थ विहार, बोधगया (vii) शेरशाह विहार, सासाराम (viii) कैंटिन युथ हॉस्टल, वैशाली (ix)ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स, वैशाली (x) ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स, पूर्णिया (xi) ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स, सिंधेश्वरस्थान (xii) कर्ण विहार, मुंगेर

झारखण्ड

स्वप्रबंधन वाले होटल	(i) अरण्य विहार, हजारीबाग (ii) ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स, (iii) नटराज विहार, देवघर (iv) वैद्यनाथ विहार, देवघर (v) वन विहार, बेतला (vi) ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स, बेतला (vii) बिरसा विहार, राँची (viii) रतन विहार, धनबाद (ix) प्रभात विहार, नेतरहाट (x) ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स (1 और 2), नेतरहाट (xi) कॉटेज प्रभात विहार, नेतरहाट
पट्टे पर दिए गए होटल	(i) शीतल विहार, बरही (ii) बासुकि विहार, बासुकीनाथ (iii) तीर्थ यात्री केन्द्र, मधुबन
स्वप्रबंधन वाले रस्तरां	(i) अरण्य विहार, हजारीबाग (ii) ट्युरिस्ट कॉम्पलेक्स (iii) वन विहार, बेतला (iv) प्रभात विहार, नेतरहाट
पट्टे पर दिए गए रेस्तराँ	(i) शीतल विहार, बरही (ii) नटराज विहार, देवघर (iii) बासुकि विहार, बासुकिनाथ (iv) बिरसा विहार, राँची (v) रतन विहार, धनबाद

परिशिष्ट–11

(कंडिका 2.5.1 में संदर्भित)

बि. रा. प. वि. नि. लिमिटेड की वित्तीय स्थिति

(रुपये लाख में)

विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
अंश पूंजी	105.04	105.04	105.04	105.04	अप्राप्त
अंश जमा राशि	193.96	394.96	394.96	394.96	अप्राप्त
रिजर्व एवं सरप्लस	175.85	179.47	185.34	188.67	अप्राप्त
व्यवसाय बकाए, चालू दायित्त्व एवं प्रावधान	916.29	644.04	742.15	819.71	अप्राप्त
योग	**1391.14**	**1323.51**	**1427.49**	**1508.38**	अप्राप्त
अचल सम्पत्तियाँ	559.73	611.41	640.98	668.50	अप्राप्त
घटाव : ह्रास	334.62	383.22	432.65	465.66	अप्राप्त
निवल अचल संपत्तियाँ	225.11	228.19	208.33	202.84	अप्राप्त
निवेश	240.73	240.73	240.73	35.73	अप्राप्त
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	910.04	841.81	968.14	1262.00	अप्राप्त
विविध व्यय	15.26	12.78	10.29	7.81	अप्राप्त
योग	**1391.14**	**1323.51**	**1427.49**	**1508.38**	अप्राप्त
नियोजित पूँजी*	218.86	425.96	434.32	645.13	अप्राप्त
नेट वर्थ •	459.59	666.69	675.05	680.86	अप्राप्त

* *नियोजित पूँजी निवल अचल परिसम्पत्तियाँ (पूंजीगत कार्य सहित) एवं कार्यचालन पूंजी (चालू परिसम्पत्तियाँ घटा चालू दायित्त्व) के योग को निरूपित करती हैं*

• *नेट वर्थ, प्रदत्त पूंजी एवं फ्री रिजर्व के योग से अमूर्त सम्पत्तियों के घटाव का द्योतक है।*

परिशिष्ट–12
(कंडिका 2.8.1 से संदर्भित)
बि. रा. प. वि. नि. लि. के रेस्तराओं के 2002–03 तक के चार वर्षों के कार्यकरण लाभ (+)/हानि (–) का विवरण

(रुपये लाख में)

क्रम सं.		1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
(क)	**बिहार के रेस्तराँ**				
1.	लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर	(+) 0.16	(+) 0.21	(+) 0.06	(+) 0.13
2.	सिद्धार्थ विहार, बोधगया	(+) 1.69	(+) 1.14	(+) 2.47	(+) 1.03
3.	शेरशाह विहार, सासाराम	(+) 0.24	(+) 0.23	--	--
4.	गौतम विहार, राजगीर	(+) 0.50	(+) 1.63	(+) 1.37	(+) 0.93
5.	कैफेटेरिया, मनेर, पटना	(-) 0.60	--	_	--
6.	कैमूर विहार, मोहनियाँ	(+) 0.95	(+) 1.62	(+) 1.88	(+) 2.53
7.	कैफेटेरिया, नालंदा	(+) 0.03	--	--	--
8.	विश्वामित्र विहार, बक्सर	(+) 0.47	(+) 0.12	(+) 0.30	(+) 0.56
9.	तथागत विहार, राजगीर	--	--	(+) 1.47	(+) 1.96
योग		**(+) 3.44**	**(+) 4.95**	**(+) 7.55**	**(+) 7.14**
(ब)	**झारखण्ड के रेस्तराँ**				
1.	वन बिहार, बेटला	(+) 1.11	(+) 1.45	(+) 1.11	(+) 0.72
2.	नटराज विहार, देवघर	(+) 0.02	--	--	--
3.	प्रभात विहार, नेतरहाट	(+) 0.67	(+) 0.63	(+) 0.37	(+) 0.10
4.	रेस्तराँ, उरवाँ	(+) 1.50	(+) 4.62	(+) 0.35	(+) 2.35
5.	कैन्टीन शीतल, बरही	(+) 0.10	(+) 0.02		--
6.	अरण्य विहार, हजारीबाग	(+) 0.11	--	--	--
योग		**(+) 3.51**	**(+) 6.72**	**(+) 1.83**	**(+) 3.17**

-- अविद्यमान या पट्टे पर दर्शाता है।

परिशिष्ट–13
(कंडिका 3.1.20 से संदर्भित)

सामग्रियों की तुलनात्मक दर

सामग्री (ईकाई)	लागत आँकड़ों के अनुसार दर	बोर्ड में वर्त्तमान दर (3/04)	पी. जी. सी. आइ. एल. द्वारा दर का दावा	अन्तर	परिमाण	राशि (रुपये लाख में)
	(रुपये में)					
रैविट कन्डक्टर (के एम)	20,590	19,755	21,620	1865	140 X 3	7.83
वीजल कन्डक्टर (के एम)	11,337	11,808	11,904	096	1584 X 3	4.56
स्कवीरल कन्डक्टर (के एम)	8,366	7,921	8,753	832	565 X 3	14.10
एम एस चैनल एवं अन्य उपसाधन (एम टी)	28,000	24,262	42,000	17,738	788	139.78
पी एस सी पोल (संख्या)	1065	1125	1295	170	35,742	60.76
योग						227.03

अर्थात रुपये 2.27 करोड़

परिशिष्ट–14

(कंडिका 3.2.5 से संदर्भित)

वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के लिए वित्त के स्रोत एवं उपयोग

(रुपये करोड़ में)

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04*
	(अ) संसाधन				
(i) पुर्नवित्त (आइडीबीआइ / एसआइडीबीआइ)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
(ii) अनुबन्ध पत्र	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
(iii) अंश पूंजी	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
(iv) उधार (सरकार)	(शून्य)	22.83 (32.56)	(शून्य)	28.42 (39.71)	27.49 (42.91)
	(v) पुनः विनिहित				
(a) ऋण एवं ब्याज की वसूली	19.34 (44.55)	14.58 (20.79)	16.68 (30.09)	18.37 (25.67)	9.67 (15.10)
(b) आरंभिक बैंक अन्तशेष	23.30 (53.67)	31.65 (45.14)	36.81 (66.40)	22.19 (31.01)	26.26 (40.99)
(c) अन्य+	0.77 (1.77)	1.06 (1.51)	1.95 (3.51)	2.58 (3.61)	0.64 (1.00)
योग	**43.41**	**70.12**	**55.44**	**71.56**	**64.06**
	(ब) वितरण				
(i) ऋण	1.88 (4.33)	1.06 (1.51)	0.04 (0.07)	0.02 (0.03)	(शून्य)
(ii) अर्थ साहाय्य	0.70 (1.61)	0.12 (0.17)	0.14 (0.25)	0.01 (0.01)	(शून्य)
(iii) अनुबन्ध पत्रों का ब्याज सहित प्रति भुगतान	(शून्य)	22.83 (32.56)	22.48 (40.55)	36.39 (50.85)	12.11 (18.90)
(iv) ब्याज सहित उधार का प्रति भुगतान	(शून्य)	(शून्य)	0.10 (0.18)	1.00 (1.40)	10.01 (15.64)
(v) संवरण रोकड़ अंतशेष	31.65 (72.91)	36.81 (52.50)	22.19 (40.03)	26.26 (36.70)	15.99 (24.96)
(vi) अन्य**	9.18 (21.15)	9.30 (13.26)	10.49 (18.92)	7.88 (11.01)	25.95 (40.50)
योग	**43.41**	**70.12**	**55.44**	**71.56**	**64.06**

नोट : कोष्ठक में प्रदर्शित आंकड़े कुल आय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

* अंतरिम आंकड़े

\+ वित्त के अन्य स्त्रोतों में प्रसंस्करण शुल्क से आय, जाँच शुल्क, कानूनी एवं अन्य प्राप्त प्रभार, प्रतिबद्धता प्रभार, अग्रिम शुल्क, किराया, लाभांश, आनुषंगिक एवं सेवा प्रभार सम्मिलित हैं।

** अन्य उपयोगों में कर्मचारियों के वेतन एवं लाभ, प्रशासनिक व्यय, अनुबन्ध पत्रों पर प्रबंधन व्यय, बैंक प्रभार एवं कमीशन, विज्ञापन एवं प्रचार व्यय, कर्मचारी पर प्रशिक्षण व्यय, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ, पुस्तकालय एवं पुस्तकें, अचल संपत्तियों एवं फिक्सचर की खरीद पर व्यय, इत्यादि सम्मिलित है।

परिशिष्ट–15
(कंडिका 3.2.8 से संदर्भित)
वसूली की स्थिति

(रुपये करोड़ में)

विवरण	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
1. वर्ष की शुरूआत में बकाया राशि					
(i) मूलधन	263.82	263.34	263.74	265.61	265.91
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	983.19	1,166.43	1,362.76	1,557.61	1,829.70
योग	**1,247.01**	**1,429.77**	**1,626.50**	**1,823.22**	**2,095.61**
2. चालू मांग					
(i) मूलधन	7.67	4.63	8.74	8.83	3.13
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	192.03	203.66	204.52	280.40	297.29
योग	**199.70**	**208.29**	**213.26**	**289.23**	**300.42**
3. वर्ष के दौरान कुल वसूलनीय रकम (1+2)					
(i) मूलधन	271.49	267.97	272.48	274.44	269.04
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	1,175.22	1,370.09	1,567.28	1,838.01	2,126.99
योग	**1,446.71**	**1,638.06**	**1,839.76**	**2,112.45**	**2,396.03**
4. पुराने बकायों से वसूली					
(i) मूलधन	4.32	3.79	2.94	4.07	2.29
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	3.55	5.03	8.07	5.91	4.00
योग	**7.87**	**8.82**	**11.01**	**9.98**	**6.29**
5. चालू मांग से वसूली					
(i) मूलधन	3.83	0.44	3.93	4.46	2.45
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	5.24	2.30	1.60	2.40	0.93
योग	**9.07**	**2.74**	**5.53**	**6.86**	**3.38**
6. वर्ष के दौरान कुल वसूली (4+5)					
(i) मूलधन	8.15	4.23	6.87	8.53	4.74
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	8.79	7.33	9.67	8.31	4.93
योग	**16.94**	**11.56**	**16.54**	**16.84**	**9.67**
7. वर्षान्त पर बकाया राशि (3–6)					
(i) मूलधन	263.34	263.74	265.61	265.91	264.30
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	1,166.43	1,362.76	1,557.61	1,829.70	2,122.06
योग	**1,429.77**	**1,626.50**	**1,823.22**	**2,095.61**	**2,386.36**
8. वर्ष की शुरूआत में बकाया राशि में से पुराने बकायों के विरूद्ध वसूली राशि की प्रतिशतता (4 से 1)					
(i) मूलधन	1.64	1.44	1.11	1.53	0.86
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	0.36	0.43	0.59	0.38	0.22
योग	**0.63**	**0.62**	**0.68**	**0.55**	**0.30**

9. चालू मांग के विरूद्ध चालू मांग की वसूली की प्रतिशतता					
(i) मूलधन	49.93	9.50	44.97	50.51	78.27
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	2.73	1.13	0.78	0.86	0.31
योग	**4.54**	**1.32**	**2.59**	**2.37**	**1.13**
10. कुल मांग के विरूद्ध कुल वसूली की प्रतिशतता (6 से 3)					
(i) मूलधन	3.00	1.58	2.52	3.11	1.76
(ii) ब्याज एवं अन्य प्रभार	0.75	0.54	0.62	0.45	0.23
योग	**1.17**	**0.71**	**0.90**	**0.80**	**0.40**
वसूली के लक्ष्य	-	-	406.63*	455.81**	-
उपलब्धि	-	-	16.54	16.84	-
लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता	-	-	4.07	3.69	-

* 1626.50 का 25%

** 1823.22 का 25%

परिशिष्ट–16

(कंडिका 3.2.14 से सन्दर्भित)

(क) पात्र इकाइयों के ब्यौरे जिनके मामले एकमुश्त निपटारा योजना के अन्तर्गत निपटाए नहीं गए

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	योजना की शुरूआत में बकाया राशि			एकमुश्त राशि	31.3.2003 को बकाया राशि		
		मूलधन	ब्याज	कुल		मूलधन	ब्याज	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कार्यानन्द कुमार (प्रा.) लि.	2.21	3.05	5.26	4.47	2.29	17.54	19.83
2	नित्यानन्द कुमार (प्रा.) लि.	2.21	3.16	5.37	4.56	2.21	18.41	20.62
3	महावीर उद्योग, पूर्णियाँ	3.35	13.38	16.73	13.7	3.35	35.16	38.51
4	कैलाश रोप एवं वन इंडस्ट्रीज, पूर्णियाँ	1.09	5.00	6.09	3.75	1.09	11.01	12.10
5	छाया स्टोर वर्क्स, साहेबगंज	1.68	4.26	5.94	4.91	1.68	5.40	7.08
6	स्टार इण्डस्ट्रीज, जमशेदपुर	1.65	8.60	10.25	9.66	जुलाई 2000 में समाप्त बकाया		
7	इंडियन पेन्ट्स, जमशेदपुर	0.38	7.96	8.34	4.21	जुलाई 2000 में समाप्त बकाया		
	कुल	**12.57**	**45.41**	**57.98**	**45.26**	**10.62**	**87.52**	**98.14**

(ख) इकाइयों के ब्यौरे जिनके एकमुश्त निपटारा मामले योजना की समाप्ति (सितम्बर 1997 के बाद) के बाद निपटाये गए

क्रम सं.	इकाईयों का नाम	बकाया राशि			ए. नि. योजना समाप्ति की तिथि	एकमुश्त निपटारा राशि	अनुदानित साहाय्य
		मूलधन	ब्याज	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मे. हसन ऑटो इलैक्ट्रिक वर्क्स, सहरसा	-	0.10	0.10	24.11.97	0.07	0.03
2	नालंदा एल्यूमिनियम वर्क्स, नालंदा	2.85	14.75	17.60	28.3.98	12.00	5.60
3	प्रभात उद्योग, बोकारो	5.00	20.30	25.30	30.7.98	11.43	13.87
4	आर. एस. शुक्ला एण्ड सन्स, मुंगेर	0.59	2.22	2.81	25.11.97	2.17	0.64
5	सुधीर फैब्रीकेटर्स, राँची	2.44	7.38	9.82	26.3.98	8.57	1.25
6	कमलेश इंजिनियरिंग वर्क्स, आरा	1.81	5.98	7.79	22.7.98	5.52	2.27
7	नारायण मैनुफैक्चरिंग कम्पनी, भागलपुर	0.20	1.78	1.98	27.5.99	0.99	0.99
8	पूजा स्टोन चिप्स उद्योग, रोहतास	2.26	3.88	6.14	1.7.99	5.34	0.80
		15.15	**56.39**	**71.54**		**46.09**	**25.45**

परिशिष्ट–17
(कंडिका 3.2.15 से संदर्भित)
बकाया मूलधन से कम राशि पर बेची गई इकाइयों के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	बेची गई इकाई का नाम	बकाया मूलधन	लंबित ब्याज एवं अन्य प्रभार	कुल बकाया	विक्रय मूल्य	अप्राप्त राशि (हानि)	
						मूलधन	ब्याज एवं अन्य प्रभार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेसर्स हिन्दुस्तार मोजैक टाईल्स, फतुहा	8.13	61.32	69.45	5.75	2.38	61.32
2	मेसर्स स्वास्तिक इण्डस्ट्रीज	2.92	36.36	39.28	0.75	2.17	36.36
3	मेसर्स बिहार मेटल वर्क्स	1.31	11.15	12.46	1.14	0.17	11.15
4	जमशेदपुर फोम इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि.	16.92	22.51	39.43	16.00	0.92	22.51
5	टी. एम. फाउंडिंग एवं इंजिनियरिंग	21.08	69.96	91.04	17.00	4.08	69.96
6	एस. के. भट्टाचार्य एवं क.	2.21	3.81	6.02	2.00	0.21	3.81
7	सी. के. इलैक्ट्रोप्लांटिंग	3.93	12.63	16.56	3.47	0.46	12.63
8	मेसर्स मार्डन स्टील इंडस्ट्रीज	3.78	14.22	18.00	2.75	1.03	14.22
9	मेसर्स केसेरा उद्योग	2.83	23.23	26.06	2.42	0.41	23.23
10	मेसर्स जय गुरूदेव ट्रांसपोर्ट	2.44	1.26	3.70	1.96	0.48	1.26
11	मेसर्स गोपेश्वर टैक्सटाईलस	2.98	8.55	11.53	2.55	0.43	8.55
12	मेसर्स हरिशंकर	3.34	6.70	10.04	2.70	0.64	6.70
13	मेसर्स रामेश्वर सिंह	2.55	0.35	2.90	1.25	1.30	0.35
14	मेसर्स वीना कान्स्ट्रक्शन्स	4.12	19.23	23.35	4.10	0.02	19.23
15	मेसर्स शिवजी सिंह	1.75	4.25	6.00	0.75	1.00	4.25
16	मेसर्स काशीनाथ सिंह	1.83	5.59	7.42	0.60	1.23	5.59
17	मेसर्स भारत मैनुफैक्चर्स एवं प्रिंटर्स	9.02	52.14	61.16	5.00	4.02	52.14
18	मेसर्स गंगा प्रसाद (ट्रांसपोर्ट)	1.15	2.83	3.98	0.36	0.79	2.83
19	मेसर्स राज नारायण प्रसाद	4.03	19.33	23.36	2.55	1.48	19.33
20	मेसर्स अवधेश कुमार सिंह	1.25	3.57	4.82	0.33	0.92	3.57
	कुल योग	**97.57**	**378.99**	**476.56**	**73.43**	**24.14**	**378.99**

परिशिष्ट–18
(कंडिका 3.2.15 एवं 3.2.21 से संदर्भित)

शा.स्त.मू.नि.द.[1]/नि.स्त.मू.नि.द.[2] मूल्य से कम पर बेची गई इकाइयों के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	बेची गई इकाई का नाम	सम्पत्ति का बाजार/निर्धारित मूल्य	विक्रय मूल्य	हानि	बकाया राशि	कुल हानि
1	2	3`	4	5 (3-4)	6	7 (6-4)
1	मेसर्स स्वास्तिक इंडस्ट्रीज	5.23	0.75	4.48	47.53	46.78
2	मेसर्स हिन्दुस्तार मौजेक टाईल	10.16	5.75	4.41	79.15	73.40
3	होटल अनजुला, देवघर	37.82	30.00	7.82	58.17	28.17
4	दिनेश सर्जिकल (प्रा.) लि.	9.50	7.39	2.11	181.07	173.68
5	होटल स्वयंसिद्ध (प्रा.) लि.	27.15	18.00	9.15	41.37	23.37
6	इंडिया ऑटोमोटिव लि.	6o.98	50.00	10.98	176.04	126.04
7	शर्मा एण्ड क.	3.38	2.15	1.23	16.51	14.36
8	यूनिवर्सल कार्बन, जमशेदपुर	7.72	5.40	2.32	9.16	3.76
9	नेशनल टूल्स, राँची	5.46	4.10	1.36	28.60	24.50
10	निखिल एनोयस जमशेदपुर	12.84	9.50	3.34	14.73	5.23
11	ओस्टा इन्टरप्राइजेस जमशेदपुर	28.76	20.00	8.76	35.00	15.00
12	होटल शकुन्तला	9.38	8.25	1.13	14.42	6.17
13	पैक्ट प्रिंट इण्डस्ट्रीज	5.85	4.95	0.90	27.38	22.43
14	औक्सीकम इण्डस्ट्रीज	13.67	9.27	4.40	10.17	0.90
15	डेल्टा ईन्जीनयरींग	5.99	5.30	0.69	10.69	5.39
16	पाटलीपुत्र इण्डस्ट्रीज	1.64	1.32	0.32	12.41	11.09
17	तुलसी मेटल इण्डस्ट्रीज	5.42	4.00	1.42	34.47	30.47
18	पोल्स एण्ड पिलर्स	16.44	12.75	3.69	34.06	21.31
19	जयश्री ई. वर्क्स	4.32	3.50	0.82	5.27	1.77
20	शांति इन्टरप्राइजेज एप्लांसेज	2.87	2.36	0.51	4.39	2.03
21	नटराज जर्दा फैक्ट्री	10.36	10.40	- 0.04	21.73	11.33
	कुल	**284.94**	**215.14**	**69.80**	**862.32**	**647.18**

1 शाखा स्तर मूल्य निर्धारण दल
2 निगम स्तर मूल्य निर्धारण दल

परिशिष्ट–19
(कंडिका 3.2.17 से संदर्भित)

रा. वि. नि. अधिनियम, 1951 की धारा 29 एवं 30 के तहत इकाईयों को जारी किए गये नोटिस एवं जिनके विरूद्ध प्रभावसाली वसूली की कार्रवाई अभी तक नही हो सकी की उद्धृत सूची

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	इकाई का नाम – मे.	एस. एफ. सी. नोटिस जारी की तिथि	नोटिस जारी करने के समय बकाया राशि			31.3.03 को बकाया राशि		
			मूलधन	ब्याज	कुल	मूलधन	ब्याज	कुल
1	बिहार कॉटन मिल्स	24.03.82	23.73	2.03	25.76	23.73	511.34	535.07
2	बाम बाम कुटी उद्योग	17.08.94	8.29	11.75	20.04	8.29	48.59	56.88
3	नमन गारमेंटस	12.02.93	2.72	0.74	3.46	2.72	12.32	15.04
4	सुनील टाईप फाउन्डरी	02.05.91	3.10	1.00	4.10	3.10	23.96	27.06
5	भोलानाथ इण्डस्ट्रीज	12.02.93	3.26	7.15	10.41	5.12	28.36	33.48
6	भरद्वारा ई. वर्क्स	30.11.94	1.61	0.89	2.50	1.61	7.67	9.28
7	भारत केमिकल्स एण्ड एलाईड लि.	11.2.84	1.24	0.90	2.14	1.24	31.92	33.16
8	दिपाली इलैक्ट्रीकल्स	4.10.85	1.35	1.29	2.64	1.46	31.58	33.04
9	प्रिन्टर्स इण्डिया	1.10.85	11.28	5.38	16.66	11.23	158.13	169.36
10	बायो टेक लैब	29.9.94	3.48	2.13	5.61	3.48	11.25	14.73
11	अनिल प्लाईवुड	22.11.85	1.55	1.07	2.62	2.63	47.14	49.77
12	टिस्को बल्ब इण्डस्ट्रीज	22.11.83	1.10	0.98	2.08	1.10	32.01	33.11
13	बिहार कालीन उद्योग	25.1.93	2.57	2.38	4.95	2.57	18.89	21.46
14	मनीश इण्डस्ट्रीज	12.11.90	11.36	5.39	16.75	11.36	93.82	105.18
15	सोना आयल मिल	17.10.92	4.94	1.41	6.35	4.94	22.84	27.78
16	मुक्ति गारमेंटस	15.02.93	2.70	0.68	3.38	2.70	12.45	15.15
17	नु–टेक प्रिंटर्स (होटल)	-	3.96	1.64	5.60	3.96	13.88	17.84
18	दुर्गा पौली पैक ऑफ इण्डिया	10.6.93	18.85	14.65	33.50	18.85	117.04	135.89
	कुल		**107.09**	**61.46**	**168.55**	**110.09**	**1223.19**	**1333.28**

परिशिष्ट–20

(कंडिका 3.2.22 से संदर्भित)

ऋण मामलों के ब्यौरे जहाँ मालबंधित/बंधक संपत्तियों के स्थानान्तरण/चोरी के मामले पाए गये

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	इकाई का नाम	चोरी गई/ स्थानांतरित संपत्तियों का मूल्य	प्राथमिकी संख्या एवं तिथि	घटना/निरीक्षण की तिथि	उपस्थित संपत्ति का मूल्य	31.3.2003 को बकाया राशि		
						मूलधन	ब्याज	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डीवाईन साईकिल्स (प्रा.) लि.	16.00	557(C)/ 1990	20.12.94	3.88	13.92	264.34	278.26
2	पाटलीपुत्र बिभरेज (प्रा.) लि.	45.14	243/94	29.9.94	20.12	38.49	203.76	242.25
3	ग्लाइमेक्स केम (प्र.) लि.	25.75	51/97	26.12.96	26.63	30.13	150.21	180.34
4	दुर्गा पोलीपैक इण्डिया	16.41	399/96	31.1.95	18.56	18.85	117.05	135.90
5	एलाईड फूड प्रोडक्टस	6.94	205/95	8.2.95	शून्य	5.49	81.72	87.21
6	प्रेमा थ्रेड कम्पनी	2.55	134/93	दिसम्बर 92	शून्य	2.68	14.03	16.71
7	शंकर प्लाईवुड इण्डस्ट्री	11.37	71/97	28.11.96	29.46	33.70	191.87	225.57
8	शंकर पी. वी. सी. फूटवियर	4.23	2/97	3.2.95	6.58	12.41	44.66	57.07
9	कुमार स्क्रूय	2.55	6/96	14.9.95	14.00	2.75	57.56	60.31
10	सिंह एण्ड शुक्ला प्लास्टिक	2.25	146/94	16.6.87	शून्य	2.20	37.84	40.04
11	स्टैण्डर्ड ऑफ सेट	2.66	1788 (स)/02	29.6.02	7.80	3.74	23.29	27.03
12	बिहार कॉटन मिल्स लि.	37.76	217/93	2.7.90	499.68	23.73	511.34	535.07
13	बाम बाम कुटीर उद्योग	5.30	95/95	2.3.95	2.00	3.94	24.49	28.43
14	बायो टेक लैब	4.58	48/95	29.9.94	शून्य	3.48	11.25	14.73
15	मौर्या इलैक्ट्रीकल्स	6.90	134/95	-	शून्य	4.55	27.32	31.87
	योग	**190.39**			**628.71**	**200.06**	**1760.73**	**1960.69**

परिशिष्ट–21

कंडिका 4.4.4 से संदर्भित

सरकारी कम्पनियों के बकाया वार्षिक लेखाओं को दर्शाती विवरणी

क्रमांक	निगम का नाम	विभाग का नाम	वर्ष जब से लेखा बकाया थे – 30 सितम्बर 2004 की स्थिति	बकाया लेखाओं की कुल संख्या
1.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	उद्योग	1990-91	14
2.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	–वही–	1986-87	18
3.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि.	–वही–	1984-85	20
4.	बिहार राज्य फिनिश्ड लेदर लि.	–वही–	1984-85	20
5.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	–वही–	1987-88	17
6.	बिहार राज्य निर्यात निगम लि.	–वही–	1992-93	12
7.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि.	–वही–	1992-93	12
8.	बिहार राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि.	–वही–	1993-94	11
9.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लि.	–वही–	1981-82	23
10.	बिहार स्कूटरर्स लि.	–वही–	1977-78	27
11.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि.	–वही–	1982-83	22
12.	बिहार कीटनाशक लि.	–वही–	1987-88	17
13.	बिहार राज्य ग्लेजड टाईल्स एवं सेरामिक्स लि.	–वही–	1988-89	16
14.	बिहार मेज प्रोडक्टस लि.	–वही–	1984-85	20
15.	बिहार राज्य ग्लेजड टाईल्स एवं सेरामिक्स लि.	–वही–	1986-87	18
16.	विश्वामित्र पेपर इण्डस्ट्रीज लि.	–वही–	1985-86	19
17.	बिहार औषध एवं रसायन लि.	–वही–	1986-87	18
18.	झंझारपुर पेपर इण्डस्ट्रीज लि.	–वही–	1986-87	18
19.	बिहार पेपर मिल्स लि.	–वही–	1986-87	18
20	सिंथेटिक रेजीन (ईस्टर्न) लि.	–वही–	1984-85	20
21.	बेलट्रान विडियो सिस्टम लि.	–वही–	1988-89	16
22.	बेलट्रान माईनिंग सिस्टम लि.	–वही–	1990-91	14
23.	भवानी एक्टिव कार्बन लि.	–वही–	1986-87	18
24.	मगध मिनरल्स लि.	–वही–	1984-85	20
25.	बेलट्रान्स इनफारमेटिक्स लि.	–वही–	1.3.1988 से	17
26.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	–वही–	1998-99	06
27.	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजिनियरिंग लि.	–वही–	1995-96	09

28.	बिहार राज्य टैनिन एक्सट्रैक्ट लि.	वन एवं पर्यावरण	1989-90	15
29.	बिहार राज्य साल्वेंट एवं रसायन लि.	–वही–	1987-88	17
30.	बिहार राज्य वन विकास निगम लि.	–वही–	1999-2000	05
31.	बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लि.	उर्जा	1995-96	09
32.	तेनुघाट विद्युत निगम लि.	उर्जा	1994-95	10
33.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि.	पशुपालन एवं मत्स्य	1993-94	11
34.	बिहार राज्य दुग्ध निगम लि.	–वही–	1992-93	12
35.	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	जल संसाधन विकास	1986-87	18
36.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन निगम लि.	–वही–	1983-84	21
37.	बिहार राज्य चीनी विकास निगम लि.	ईख	1985-86	19
38.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य	1983-84	21
39.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि.	पथ निर्माण	1992-93	12
40	बिहार पुलिस बिल्डींग निर्माण निगम लि.	गृह	1989-90	15
41.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लि.	अल्पसंख्यक कल्याण	1996-97	08
42.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	खनन एवं भूगर्भ	2000-01	04
43.	बिहार पंचायती राज्य वित्त निगम लि.	ग्रामीण विकास	1985-86	19
44.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	पर्यटन	1993-94	11
45.	बिहार राज्य जल विकास निगम लि.	लघु सिंचाई	1979-80	25
46.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि.	मानव संसाधन विकास	1995-96	09
47.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	कल्याण	1996-97	08
48.	बिहार राज्य बीज निगम लि.	कृषि	1994-95	10
49.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	कृषि	1987-88	17
50.	बिहार फल एवं सब्जी विकास निगम लि.	कृषि	1991-92	13
			योग	**769**

परिशिष्ट–22
(कंडिका 4.4.4 से संदर्भित)

लेखाओं के अंतिमीकरण में हुये विलम्ब को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	लेखाओं के वर्ष	लेखाओं को अंगीकार करने हेतु वार्षिक आम सभा के आयोजन की नियत तिथि	वार्षिक आम सभा के आयोजन की वास्तविक तिथि	विलम्ब महीनों में
1.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	1995-96	30.09.1996	30.01. 1999	28
		1996-97	30.09.1997	07.08. 1999	22
		1997-98	30.09.1998	29.08.2003	59
		1998-99	30.09.1999	29.08. 2003	47
		1999-2000	30.09.2000	*	42
2.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	1977-78	30.09.1978	15.09. 1990	144
		1978-79	30.09.1979	17.08. 1991	143
		1979-80	30.09.1980	31.01. 1994	160
		1980-81	30.09.1981	28.07. 2001	238
		1981-82	30.09.1982	23.08.2004	263
3.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	1988-89	30.09.1989	16.09. 2002	156
		1989-90	30.09.1990	17.01. 2003	148
		1990-91	30.09.1991	27.06. 2003	141
		1991-92	30.09.1992	28.01. 2004	136
		1992-93	30.09.1993	28.06.2004	129
4.	बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लि.	1990-91	30.09.1991	16.12. 1995	51
		1991-92	30.09.1992	27.03. 1997	54
		1992-93	30.09.1993	02.06. 1998	56
		1993-94	30.09.1994	30.08. 1999	59
		1994-95	30.09.1995	28.09.2004	108
5.	बिहार राज्य साख एवं वित्त निगम लि.	1993-94	30.09.1994	29.02.1996	17
		1994-95	30.09.1995	23.06.1997	21
		1995-96	30.09.1996	07.01.1999	27
		1996-97	30.09.1997	15.01.2003	64
		1997-98	30.09.1998	02.04.2004	66
6.	बिहार राज्य हिल एरिया लिफ्ट इरीगेशन निगम लि.	1978-79	30.09.1979	अप्राप्त	--
		1979-80	30.09.1980	06.01. 1990	111
		1980-81	30.09.1981	05.06. 1991	116
		1981-82	30.09.1982	03.11. 1992	121
		1982-83	30.09.1983	अप्राप्त	--
7.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	1982-83	30.09.1983	29.02. 1992	101
		1983-84	30.09.1984	30.09. 1992	96
		1984-85	30.09.1985	21.04. 1994	103
		1985-86	30.09.1986	07.07. 1995	105
		1986-87	30.09.1987	*	198
8.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	1985-86	30.09.1986	22.10.1992	73
		1986-87	30.09.1987	29.09.1994	84
		1987-88	30.09.1988	03.09.1996	95
		1988-89	30.09.1989	01.04.2003	162
		1989-90	30.09.1990	*	162

9.	बिहार राज्य उद्योग विकास निगम लि.	1982-83	30.09.1983	11.08. 1992	106
		1983-84	30.09.1984	28.04. 1994	115
		1984-85	30.09.1985	20.03. 1996	126
		1985-86	30.9.1986	04.01. 1997	123
		1986-87	30.09.1987	*	198
10.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि.	1977-78	30.09.1978	23.12. 1985	87
		1978-79	30.09.1979	11.02. 1991	136
		1979-80	30.09.1980	22.07. 1992	142
		1980-81	30.09.1981	29.09. 1995	168
		1981-82	30.09.1982	18.05.2004	260
11.	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	1981-82**	31.12. 1982	17.07. 1997	175
		1982-83	31.12. 1983	07.04. 1998	171
		1983-84	31.12. 1984	18.05. 1999	173
		1984-85	31.12. 1985	20.07.2000	175
		1985-86	31.12. 1986	*	207
12.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	1981-82	30.09.1982	15.09. 1983	12
		1982-83	30.09.1983	17.05. 1984	08
		1983-84	30.09.1984	05.09. 1988	47
		1984-85	30.09.1985	24.09. 1991	72
		1985-86	30.09.1986	03.05. 1995	103

* अभी तक आयोजित नहीं। जहाँ वा. सा. वै. आयोजित नहीं हुई, महीनों में देरी को 31 मार्च 2004 तक गणना की गई।

** जून तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानि जुलाई से जून।

परिशिष्ट–23
(कंडिका 4.4.6 से संदर्भित)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लगातार दो वर्षों के बीच लेखाओं को प्रमाणित करने में लिए गए समय को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	निगम का नाम	लेखाओं के वर्ष	लिया गया समय (महीनों में)	लिया गया औसत समय (महीनों में)
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ				
1.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि.	1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000	08 12 05 24 30	15.80
2.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82	अप्राप्त 12 31 10 113	41.50
3.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93	24 21 04 04 10	12.60
4.	बिहार राज्य जल विद्युत उर्जा निगम लि.	1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95	14 12 01 24 10	12.20
5.	बिहार राजय साख एवं विनियोग निगम लि.	1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98	17 18 03 48 27	22.60
अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ				
6.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट ईरीगेशन निगम लि.	1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83	अप्राप्त 41 12 29 14	24.00
7.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87	अप्राप्त अप्राप्त 08 14 22	14.66

8.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	1985-86	06	
		1986-87	10	
		1987-88	37	27.80
		1988-89	06	
		1989-90	80	
9.	बिहार राज्य उद्योग विकास निगम लि.	1982-83	अप्राप्त	
		1983-84	19	
		1984-85	14	25.50
		1985-86	22	
		1986-87	47	
10.	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लि.	1977-78	अप्राप्त	
		1978-79	15	
		1979-80	60	33.75
		1980-81	27	
		1981-82	33	
11.	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	1981-82	27	
		1982-83	64	
		1983-84	09	29.80
		1984-85	17	
		1985-86	32	
12.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	1981-82	5	
		1982-83	6	
		1983-84	45	22.20
		1984-85	26	
		1985-86	29	

परिशिष्ट–24

(कंडिका 4.4.7 से संदर्भित)

वार्षिक आम सभा के आयोजन में हुये विलम्ब को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	कम्पनियों के नाम	वर्ष	टिप्पणी/असमीक्षा प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि	वा. सा. बै. आयोजन की तिथि	वा. सा. बै. आयोजित करने में लिए गए दिन
1.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1995-96	02.09.1998	30.01.1999	120
		1996-97	16.07.1999	07.08.1999	♦
		1997-98	21.02.2000	29.08.2003	1255
		1998-99	11.07.2002	29.08.2003	384
		1999-2000	02.08.2002	*	--
2.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1977-78	06.04.1990	15.09.1990	132
		1978-79	03.05.1991	17.08.1991	76
		1979-80	09.12.1993	31.01.1994	23
		1980-81	28.12.1994	28.07.2001	2374
		1981-82	11.02.2004	23.08.2004	164
3.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1988-89	21.08.2002	16.09.2002	♦
		1989-90	08.01.2003	17.01.2003	♦
		1990-91	18.06.2003	27.06.2003	♦
		1991-92	07.01.2004	28.01.2004	♦
		1992-93	25.06.2004	28.06.2004	♦
4.	बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रीक पावर निगम लिमिटेड	1990-91	15.09.1995	16.12.1995	62
		1991-92	27.12.1996	27.03.1997	60
		1992-93	02.03.1998	02.06.1998	62
		1993-94	10.12.1998	30.08.1999	233
		1994-95	20.08.2004	28.09.2004	09
5.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	1993-94	06.01.1996	29.02.1996	24
		1994-95	29.04.1997	23.06.1997	25
		1995-96	09.10.1998	07.01.1999	60
		1996-97	16.12.2002	15.01.2003	♦
		1997-98	12.01.2004	02.04.2004	51
6.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट ईरीगेशन निगम लि.	1978-79	25.09.1986	अप्राप्त	--
		1979-80	31.07.1989	06.01.1990	129
		1980-81	22.03.1991	05.06.1991	14
		1981-82	22.07.1992	03.11.1992	74
		1982-83	11.11.1993	अप्राप्त	--
7.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	1982-83	अप्राप्त	29.02.1992	--
		1983-84	14.08.1992	30.09.1992	17
		1984-85	25.05.1993	21.04.1994	301
		1985-86	07.06.1994	07.07.1995	365
		1986-87	21.05.1996	*	--
8.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1985-86	04.06.1992	22.10.1992	110
		1986-87	24.03.1993	29.09.1994	524
		1987-88	17.06.1996	03.09.1996	48
		1988-89	19.12.2002	01.04.2003	73
		1989-90	09.01.2004	*	---

9.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1982-83	31.03.1992	11.08.1992	103
		1983-84	20.10.1993	28.04.1994	160
		1984-85	27.04.1995	20.03.1996	298
		1985-86	31.10.1996	04.01.1997	35
		1986-87	19.12.2002	*	---
10.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1977-78	अप्राप्त	23.12.1985	
		1978-79	10.05.1989	11.02.1991	612
		1979-80	16.06.1992	22.07.1992	06
		1980-81	09.09.1994	29.09.1995	355
		1981-82	21.05.1997	18.05.2004	2523
11.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1981-82	19.08.1992	17.07.1997	1763
		1982-83	18.03.1998	07.04.1998	♦
		1983-84	15.09.1998	18.05.1999	215
		1984-85	24.03.2000	20.07.2000	88
		1985-86	18.06.2003	अप्राप्त	--
12.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	1981-82	अप्राप्त	15.09.1983	--
		1982-83	अप्राप्त	17.05.1984	--
		1983-84	30.06.1988	05.09.1988	37
		1984-85	27.05.1991	24.09.1991	90
		1985-86	02.02.1993	03.05.1995	790

* अभी तक आयोजित नहीं।

♦ 30 दिनों का अनुग्रह दिया गया।

परिशिष्ट–25

(कंडिका 4.4.8 में संदर्भित)

विधायिका के पटल पर वार्षिक प्रतिवेदन रखने में हुये विलम्ब को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	कम्पनियों के नाम	वार्षिक प्रतिवेदन के वर्ष	वार्षिक प्रतिवेदन को पटल पर रखने की नियत तिथि	वार्षिक प्रतिवेदन को पटल पर रखने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (महिनों में)
1.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1995-96	31.12.1996	03.08.1999	31
		1996-97	31.12.1997	08.06.2004	77
		1997-98	31.12.1998	अभी रखा जाना है	63
		1998-99	31.12.1999	–वही–	51
		1999-2000	31.12.2000	–वही–	39
2.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1977-78	31.12.1978	अभी रखा जाना है	303
		1978-79	31.12.1979	–वही–	291
		1979-80	31.12.1980	–वही–	279
		1980-81	31.12.1981	–वही–	267
		1981-82	31.12.1982	–वही–	255
3.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1988-89	31.12.1989	12.03.2003	158
		1989-90	31.12.1990	02.07.2003	150
		1990-91	31.12.1991	15.06.2004	150
		1991-92	31.12.1992	15.06.2004	138
		1992-93	31.12.1993	अभी रखा जाना है	123
4.	बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रीक पावर निगम लिमिटेड	1990-91	31.12.1991	अप्राप्त	--
		1991-92	31.12.1992	अप्राप्त	--
		1992-93	31.12.1993	अप्राप्त	--
		1993-94	31.12.1994	अप्राप्त	--
		1994-95	31.12.1995	अप्राप्त	--
5.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	1993-94	31.12.1994	अप्राप्त	--
		1994-95	31.12.1995	अप्राप्त	--
		1995-96	31.12.1996	अभी रखा जाना है	87
		1996-97	31.12.1997	–वही–	75
		1997-98	31.12.1998	–वही–	63
6.	बिहार राज्य हिल एरिया लिफ्ट ईरीगेशन लि.	1978-79	31.12.1979	अप्राप्त	--
		1979-80	31.12.1980	अप्राप्त	--
		1980-81	31.12.1981	अप्राप्त	--
		1981-82	31.12.1982	अप्राप्त	--
		1982-83	31.12.1983	अप्राप्त	--
7.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि.	1982-83	31.12.1983	अप्राप्त	--
		1983-84	31.12.1984	अभी रखा जाना है	231
		1984-85	31.12.1985	–वही–	219
		1985-86	31.12.1986	–वही–	207
		1986-87	31.12.1987	–वही–	195
8.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	1985-86	31.12.1986	अप्राप्त	--
		1986-87	31.12.1987	अभी रखा जाना है	195
		1987-88	31.12.1988	–वही–	183
		1988-89	31.12.1989	–वही–	171
		1989-90	31.12.1990	–वही–	159

9.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87	31.12.1983 31.12.1984 31.12.1985 31.12.1986 31.12.1987	अप्राप्त अप्राप्त 12.05.1997 अभी रखा जाना है –वही–	-- -- 136 207 195
10.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82	31.12.1978 31.12.1979 31.12.1980 31.12.1981 31.12.1982	अप्राप्त अभी रखा जाना है –वही– –वही– –वही–	-- 291 279 267 255
11.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86	31.03.1984 31.03.1985 31.03.1986 31.03.1987 31.03.1988	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	-- -- -- -- --
12.	बिहार राज्य औषघ एवं रसायन विकास निगम लि.	1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86	31.12.1982 31.12.1983 31.12.1984 31.12.1985 31.12.1986	अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त	-- -- -- -- --

* जहाँ वार्षिक प्रतिवेदन अभी विधायिका के पटल पर रखा जाना है, विलम्ब के माह की गणना 31 मार्च 2004 तक की गई है।

परिशिष्ट–26

(कंडिका 4.4.9 में संदर्भित)

बकाये निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति दर्शाता विवरण

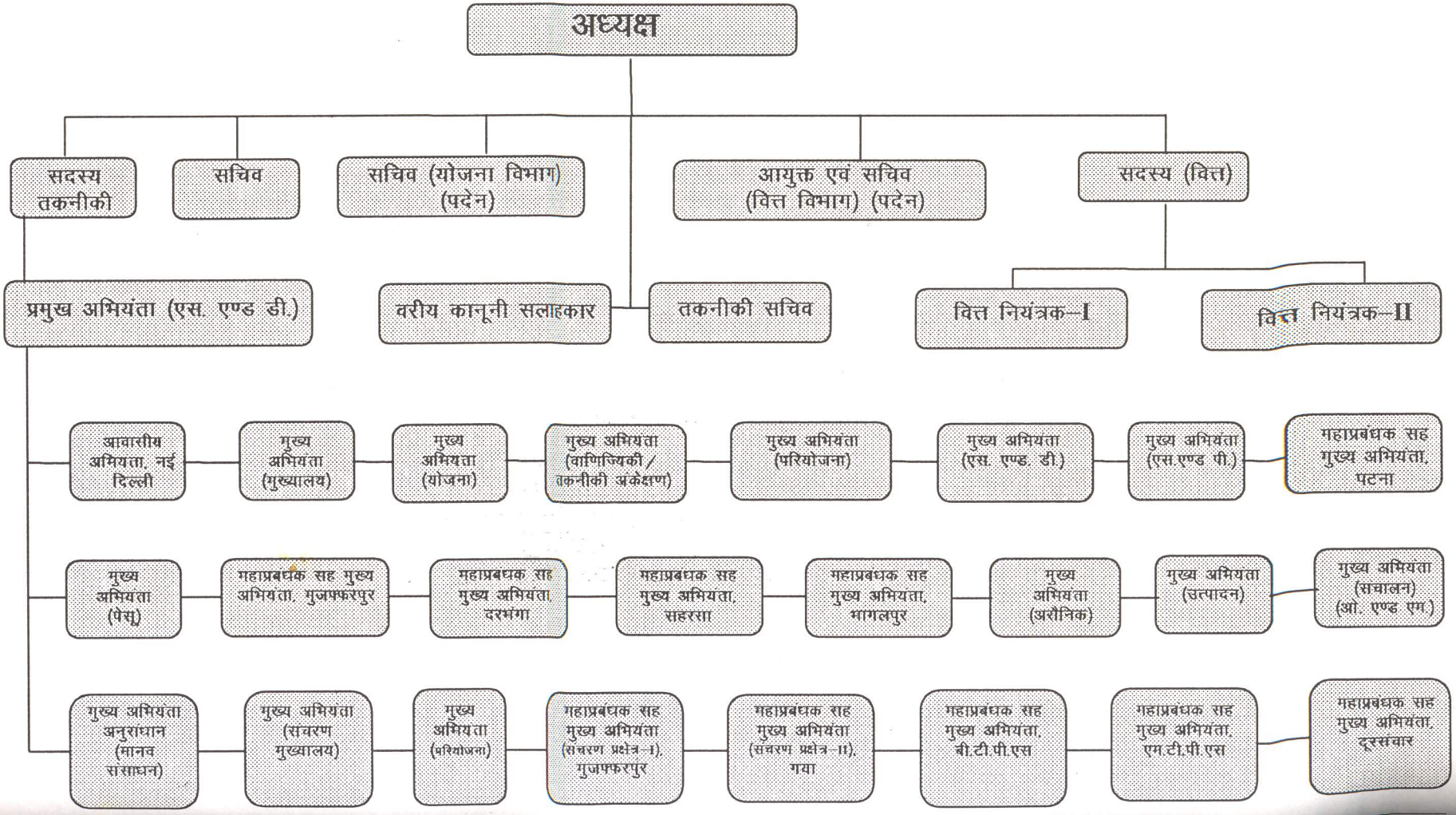
क्रम सं.	कम्पनियों के नाम	30.09.2000 तक*	30.09.2001 तक*	30.09.2002 तक*	30.09.2003 तक*	30.09.04 तक*
		लेखायें बकाया में	लेखायें बकाया में	लेखायें बकाया में	लेखायें बकाया में	लेखायें बकाया में
कार्यशील कम्पनियाँ						
1.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1998-99 से 1999-2000 (02)	1998-99 से 2000-01 (03)	1999-2000 से 2001-02 (03)	1999-2000 से 2002-03 (04)	2000-01 से 2003-04 (04)
2	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि.	1981-82 से 1999-2000 (19)	1981-82 से 2000-01 (20)	1981-82 से 2001-02 (21)	1981-82 से 2002-03 (22)	1983-84** से 2003-04 (21)
3.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	1988-89 से 1999-2000 (12)	1989-90 से 2000-01 (12)	1989-90 से 2001-02 (13)	1992-93 से 2002-03 (11)	1993-94 से 2003-04 (11)
4.	बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रीक पावर निगम लि.	1994-95 से 1999-2000 (06)	1994-95 से 2000-01 (07)	1994-95 से 2001-02 (08)	1995-96 से 2002-03 (08)	1995-96 से 2003-04 (09)
5.	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि.	1996-97 से 1999-2000 (04)	1997-98 से 2000-01 (04)	1997-98 से 2001-02 (05)	1998-99 से 2002-03 (05)	1998-99 से 2003-04 (06)
अकार्यशील कम्पनियाँ						
6.	बिहार राज्य हिल एरिया लिफ्ट इरीगेशन निगम लि.	1983-84 से 1999-2000 (17)	1983-84 से 2000-01 (18)	1983-84 से 2001-02 (19)	1983-84 से 2002-03 (20)	1983-84 से 2003-04 (21)
7.	बिहार राज्य एग्रो उद्योग विकास निगम लि.	1987-88 से 1999-2000 (13)	1987-88 से 2000-01 (14)	1987-88 से 2001-02 (15)	1987-88 से 2002-03 (16)	1987-88 से 2003-04 (17)
8.	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लि.	1988-89 से 1999-2000 (12)	1988-89 से 2000-01 (13)	1989-90 से 2001-02 (13)	1990-91 से 2002-03 (13)	1990-91 से 2003-04 (14)
9.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	1987-88 से 1999-2000 (13)	1987-88 से 2000-01 (14)	1987-88 से 2001-02 (15)	1987-88 से 2002-03 (16)	1987-88 से 2003-04 (17)

10.	बिहार राज्य चमड़ा उद्योग विकास निगम लि.	1982-83 से 1999-2000 (18)	1982-83 से 2000-01 (19)	1982-83 से 2001-02 (20)	1982-83 से 2002-03 (21)	1982-83 से 2003-04 (22)
11.	बिहार राज्य निर्माण निगम लि.	1985-86 से 1999-2000 (15)	1985-86 से 2000-01 (16)	1985-86 से 2001-02 (17)	1986-87 से 2002-03 (17)	1986-87 से 2003-04 (18)
12.	बिहार राज्य औषध एवं रसायन विकास निगम लि.	1986-87 से 1999-2000 (14)	1986-87 से 2000-01 (15)	1986-87 से 2001-02 (16)	1986-87 से 2002-03 (17)	1986-87 से 2003-04 (18)

* लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार

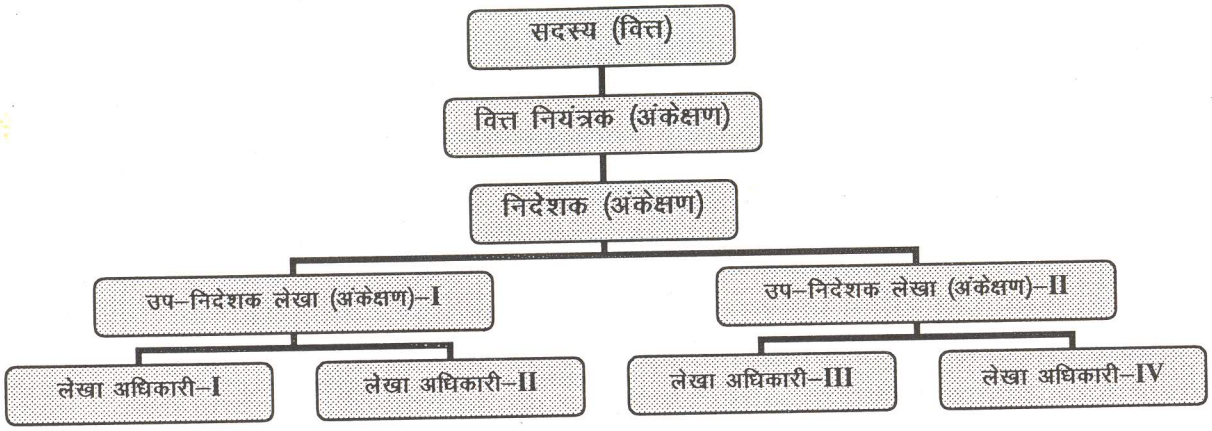
** 1982–83 की वार्षिक लेखायें सितम्बर 2004 में प्राप्त हुई।

परिशिष्ट–27
(कंडिका 4.5 से संदर्भित)
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
(संगठनात्मक ढाँचा)



परिशिष्ट–28
(कंडिका 4.5 से संदर्भित)

आंतरिक अंकेक्षण का संगठनात्मक ढाँचा



परिशिष्ट–29
(कंडिका 4.5.3 से संदर्भित)

बजट प्राक्कलन, संशोधित प्राक्कलन एवं वास्तविकी को दर्शाती विवरण

वर्ष 1999-2000

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविकी एवं संशोधित प्राक्कलन में भिन्नता		वास्तविकी	संशोधित प्राक्कलन एवं वास्तविकी में भिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता		राशि	प्रतिशतता
अ	आय							
1	उर्जा की बिक्री से आय	1,948.02	1,872.25	(-) 75.77	3.89	1,817.65	(-) 54.60	2.92
2	अन्य आय	344.35	409.45	65.10	18.90	468.52	59.07	14.43
	अनुयोग	2,292.37	2,281.70	(-) 10.67	0.46	2,286.17	4.47	0.20
ब	व्यय							
1	उर्जा खरीद	1,662.46	1,822.80	(-) 160.34	9.64	1,704.96	117.84	6.46
2	उत्पादन लागत	307.96	244.29	63.67	20.67	248.50	(-) 4.21	1.72
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण	104.01	106.07	(-) 2.06	1.98	44.24	61.83	58.29
4	कम्रचारी लागत एवं प्रशासनिक व्यय	434.17	453.17	(-) 19.00	4.38	418.24	34.93	7.71
5	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	145.22	135.12	10.10	6.95	696.20	(-) 561.08	415.24
6	ह्रास	187.00	200.00	(-)13.00	6.95	184.73	15.27	7.63
	अनुयोग	2,840.82	2,961.45	(-) 120.63	4.25	3,296.87	335.42	11.33
स	अधिकतता (+)/ घाटा(–)	(-) 548.45	(-) 679.75	(-) 131.30	23.94	(-) 1010.70	(-) 330.95	48.69

वर्ष 2000-01

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविकी एवं संशोधित प्राक्कलन में भिन्नता		वास्तविकी	संशोधित प्राक्कलन एवं वास्तविकी में भिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता		राशि	प्रतिशतता
अ	आय							
1	उर्जा की बिक्री से आय	2,012.37	1,866.03	(-) 146.34	7.24	2,136.13	270.10	14.47
2	अन्य आय	413.83	425.84	12.01	2.90	1,440.82	1,014.98	238.35
	अनुयोग	2,426.20	2,291.87	(-) 134.33	5.54	3,576.95	1,285.08	56.07
ब	व्यय							
1	उर्जा खरीद	1,930.45	1,715.73	214.72	11.12	1,868.55	(-) 152.82	8.91
2	उत्पादन लागत	253.69	220.86	32.83	12.94	252.85	(-) 31.99	14.48
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण	109.34	130.51	(-) 21.17	19.36	47.36	83.16	63.72
4	कम्रचारी लागत एवं प्रशासनिक व्यय	656.16	704.79	(-) 48.63	7.41	1,198.22	(-) 493.43	70.01
5	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	127.52	791.58	(-) 664.06	520.75	908.88	(-) 117.30	14.82
6	ह्रास	220.00	200.00	20.00	9.09	196.01	3.99	1.99
	अनुयोग	3,297.16	3,763.47	(-) 466.31	14.14	4,471.87	(-) 708.40	18.82
स	अधिकतता (+)/ घाटा(–)	(-) 870.96	(-) 1471.60	(-) 600.64	68.96	(-) 894.92	576.68	39.19

वर्ष 2001-02

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविकी एवं संशोधित प्राक्कलन में भिन्नता		वास्तविकी	संशोधित प्राक्कलन एवं वास्तविकी में भिन्नता	
							राशि	प्रतिशतता
अ	आय			राशि	प्रतिशतता			
1	उर्जा की बिक्री से आय	2,151.97	997.04	(-) 1154.93	53.67	914.76	(-) 82.28	8.25
2	अन्य आय	436.53	355.00	(-) 81.53	18.68	422.04	67.04	18.88
	अनुयोग	2,588.50	1,352.04	(-) 1236.46	47.77	1,336.80	(-) 15.24	1.13
ब	व्यय							
1	उर्जा खरीद	1,882.79	1,195.33	687.46	36.51	1128.15	67.18	5.62
2	उत्पादन लागत	337.20	107.75	229.45	68.05	120.47	(-) 12.72	11.81
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण	132.35	77.16	55.19	41.70	27.20	49.96	64.75
4	कम्रचारी लागत एवं प्रशासनिक व्यय	740.30	372.13	368.17	49.73	364.06	8.07	2.17
5	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	819.39	63.25	756.14	92.28	508.32	(-) 445.07	703.67
6	ह्रास	210.00	130.00	80.00	38.10	135.62	(-) 5.62	4.32
	अनुयोग	4,122.03	1,945.62	2,176.41	52.80	2,283.82	(-) 338.20	17.38
स	अधिकतता (+)/ घाटा(–)	(-) 1533.53	(-) 593.58	939.95	61.29	(-) 947.02	(-) 353.44	59.54

वर्ष 2002-03

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविकी एवं संशोधित प्राक्कलन में भिन्नता		वास्तविकी	संशोधित प्राक्कलन एवं वास्तविकी में भिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता		राशि	प्रतिशतता
अ	**आय**							
1	उर्जा की बिक्री से आय	1,007.00	947.32	(-) 59.68	5.93	774.50	(-) 172.82	18.24
2	अन्य आय	382.50	360.00	(-) 22.50	5.88	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	अनुयोग	1,389.50	1,307.32	(-) 82.18	5.91	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
ब	**व्यय**					अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
1	उर्जा खरीद	1,136.80	1,002.89	133.91	11.78	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
2	उत्पादन लागत	113.20	96.80	16.40	14.49	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण	82.92	41.39	41.53	50.08	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
4	कम्रचारी लागत एवं प्रशासनिक व्यय	384.75	430.91	(-) 46.16	12.00	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
5	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	56.87	56.87	शून्य	शून्य	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
6	ह्रास	139.10	139.10	शून्य	शून्य	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	अनुयोग	1,913.64	1,767.96	145.68	7.61	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
स	**अधिकतता (+)/ घाटा(–)**	(-) 524.14	(-) 460.64	63.50	12.11	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

वर्ष 2003-04

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	वास्तविकी एवं संशोधित प्राक्कलन में भिन्नता		वास्तविकी	संशोधित प्राक्कलन एवं वास्तविकी में भिन्नता	
				राशि	प्रतिशतता		राशि	प्रतिशतता
अ	**आय**							
1	उर्जा की बिक्री से आय	1,043.04	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
2	अन्य आय	390.25	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	अनुयोग	1,433.29	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
ब	**व्यय**		अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
1	उर्जा खरीद	1,002.89	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
2	उत्पादन लागत	181.78	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
3	मरम्मत एवं अनुरक्षण	42.63	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
4	कम्रचारी लागत एवं प्रशासनिक व्यय	450.61	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
5	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	53.21	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
6	ह्रास	148.84	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	अनुयोग	1,879.96	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
स	**अधिकतता (+)/ घाटा(–)**	(-) 446.67	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

परिशिष्ट–30
(कंडिका 4.5.4 से संदर्भित)

लेखाओं के सम्पूर्णन में देरी को दर्शाती विवरणी

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-01
लेखा सम्पूर्णन की सम्यक् तिथि	30.06.1999	30.06.2000	30.06.2001
बोर्ड द्वारा लेखाओं को अनुमोदित करने की तिथि	26.02.2000	25.01.2001	04.03.2003
लेखाओं के सम्पूर्णन में देरी (महीनों में)	8	7	20

परिशिष्ट–31
(कंडिका 4.5.5 में संदर्भित)

कालातीत दावों के ब्यौरे

(लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) – बिहार सरकार से लिया गया)

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वा.) की कंडिका संख्या	वर्ष	राशि
1.	3.ब.1.11	1999-2000	2.31
2.	3.1.11	2000-01	1.17
3.	3.77	2001-02	10.77
4.	4.6	2002-03	1.19
योग			**15.44**

परिशिष्ट–32
(कंडिका 4.5.6 से संदर्भित)

पता लगाई गई बिजली चोरी की घटनाओं की ब्यौरेवार विवरणी

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	उपलब्ध पुलिस दलों की संख्या	उपयोग की गई पुलिस दलों की संख्या	चोरी की घटनाओं पर दायर की गई एफ. आई. आर. की संख्या			अंतर्लिप्त राशि	वसूली गई राशि
				एच.टी. आई. एस.	अन्य	योग		
1.	2001-02	1812	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	2968	4.11	अप्राप्त
2.	2002-03	1812	810	शून्य	2495	2495	4.12	1.18
3.	2003-04	1812	524	शून्य	1534	1534	2.89	1.14
	योग	**5436**	**1334**	शून्य	**4029**	**6997**	**11.12**	**2.32**

परिशिष्ट–33
(कंडिका 4.5.7 से संदर्भित)
अप्राप्त/विलम्ब से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	विवरण	उपखंडों की संख्या	अन्तर्गस्त राशि (रुपये)	देरी का अन्तराल	ब्याज हानि (रुपये लाख में)
1	प्रेषण में देरी	8	2.19 करोड़	1 से 10 महीने	3.99
2	चेक/ड्राफ्ट प्राप्ति में देरी	18	1.86 करोड़	½ महीने से 15 महीने	3.25
3	अप्राप्त क्रेडिट्स	19	1.91 करोड़	2 से 40 महीने	25.03
4	जमा चेक क्रेडिट नहीं किए गए	6	13.75 लाख	1 से 26 वर्ष	14.85
5	बैंक द्वारा गलत डेबिट राशि	1	4.86 लाख	10 वर्ष	5.39
6	कम प्राप्तियाँ	5	0.30 लाख	दिसम्बर 2000 से फरवरी 2004	शून्य
			6.15 करोड़		**52.51**

परिशिष्ट–34
(कंडिका 4.5.9 से संदर्भित)
बोर्ड द्वारा धारित स्टाक की विवरणी

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	1999-2000	2000-01
1	ईंधन स्टाक	66.97	72.92
2	सामग्री स्टाक	134.34	145.72
3	जाँच के लिए बकाया सामग्री	शून्य	5.26
4	अभिवहन में सामग्री	(-) 4.00	(-) 4.20
5	अन्या सामग्रियाँ	2.06	2.84
6	जाँच के लिए बकाया ईंधन स्टाक बढ़त/घटत	6.34	शून्य
7	जाँच के लिए बकाया सामग्री स्टाक बढ़त/घटत	(-) 1.26	शून्य
	योग	**204.45**	**222.54**

नोट : बोर्ड द्वारा लेखा सम्पूर्ण न करने के कारण वर्ष 2001–02 से 2003–04 के आँकड़े उपलबध नहीं है।

परिशिष्ट–35
(कंडिका 4.5.12 से संदर्भित)
भंडारों के भौतिक सत्यापन में पाई गई कमियाँ दर्शाती विवरणी

वर्ष	सत्यापित भंडारों की संख्या	भंडारों की संख्या जहाँ घोटाले पाई गई	भंडारों की वस्तुओं में कमी की संख्या	भंडारों / वस्तुओं का मूल्यांकन (रुपये लाख में)	कमियों का नियमितीकरण			
					भंडारों की संख्या	वस्तुओं की संख्या	मूल्यांकित वस्तुओं की संख्या	राशि (रुपये में)
1999-2000	9	9	120	3.45 (82)	2	8	5	940
2000-2001	7	4	107	0.60 (9)	1	3	2	6938
2001-2002	10	5	136	2.52 (37)	2	101	2	3335
2002-2003	8	3	232	44.98 (232)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2003-2004	24	16	491	30.75 (387)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग	**58**	**37**	**1086**	**82.30 (747)**	**5**	**112**	**9**	**11213**

परिशिष्ट–36

(कंडिका 4.5.14 से संदर्भित)

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में अधिशेष/अधिक कर्मचारियों को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	पद	वेतनमान (रुपये)	मंजूर पद पहले/ बाद में	वास्तविक पहले/ बाद में	अधिशेष पहले/ बाद में	मूल वेतन	राशि (भत्ते सहित पहले/बाद में) (रुपये लाख में)	
1	सहायक आपरेटर	3,980-7,475	447/241	507/319	60/78	5,728	116.63	238.70
2	बियरर कम नाईट गार्ड/चौकीदार	3,000-5,270	1/1	4/2	3/1	4,135	4.22	2.22
3	बॉयलर आपरेटर	4,720-9,040	1/1	4/3	3/2	6,880	7.03	7.38
4	केबल जॉनटर II	4,720-9,040	2/1	12/10	10/9	6,880	23.45	33.21
5	केयर टेकर	4,720-9,040	5/3	11/4	6/1	6,880	14.07	3.69
6	फिटर ग्रेड II/ फिटर	3,675-6,780	57/31	71/37	14/6	5,228	24..90	16.80
7	मेसन ग्रेड II/ राजमिस्त्री	3,980-7,475	7/4	17/7	10/3	5,728	19.44	9.18
8	मीटर टेस्टर/ मीटर मैकेनिक	4,410-8,175	29/16	57/31	28/15	6,293	60.21	50.76
9	पल्मबर मिस्त्री	3,980-7,475	5/3	8/8	3/5	5,728	5.83	15.30
10	पम्प ऑपरेटर	3,675-6,780	4/2	33/15	29/13	5,228	51.58	36.39
11	शिफ्ट गार्ड	3,000-5,270	139/75	156/88	17/13	4,135	23.93	28.80
12	सुपरवाईजर (दूरसंचार)	4,720-9,040	2/1	9/3	7/2	6,880	16.41	7.38
13	तकनिशियन (दूरसंचार)	4,720-9,040	1/1	52/36	51/35	6,880	119.58	129.16
14	वेल्डर	3,980-7,475	2/1	8/10	6/9	5,728	11.66	27.54
15	यूनिट कंट्रोल अभियंता	8,125-13,650	0	8/2	8/2	10,888	29.38	11.57
16	सहायक पैट्रोल मैन	3,675-6,780	0	1/1	1/1	5,228	1.78	2.80
17	डिस्पैचर/ डायरीस्ट	3,980-7,475	0	3/2	3/2	5,728	5.83	6.12
18	विद्युत फीटर	3,675-6,780	0	1/1	1/1	5,228	1.78	2.80
19	गैस कटर	3,675-6,780	0	6/3	6/3	5,228	10.67	8.40
20	गैस फिटर	3,675-6,780	0	1/1	1/1	5,228	1.78	2.80
21	हैल्पर	3,000-5,270	0	10/3	10/3	4,135	14.08	6.65
22	कन्ष्ठि ड्राफ्टसमैन	3,980-7,475	0	1/1	1/1	5,728	1.94	3.06
23	चालक/ओवर लोडर	4,410-8,175	0	3/3	3/3	6,293	6.45	10.15
24	स्टील फैब्रीकेटर	3,200-5,960	0	1/1	1/1	4,580	1.56	2.46
25	व. वेल्डर	5,020-9,745	0	1/1	1/1	7,383	2.51	3.95
26	वेल्डर ग्रुप II	3,980-7,475	0	20/5	20/5	5,728	38.88	15.30
27	वायरमेन ग्रुप I	3,980-7,475	0	8/2	8/2	5,728	15.55	6.12
28	टर्नर ग्रुप I/ टर्नर	3,980-7,475	4/2	8/3	4/1	5,728	7.78	3.06
29	क्रेन ऑपरेटर	3,980-7,475	7/4	12/1	5/0	5,728	9.72	0
30	फील्ड सहायक	3,980-7,475	2/1	3/1	1/0	5,728	1.94	0
31	फ्यूज मैन	3,675-6,780	1/1	4/1	3/0	5,228	5.33	0
32	गार्डन मजदूर	3,000-5,270	2/1	3/1	1/0	4,135	1.41	0
33	इन्स्ट्रूमेंशन मैकेनिक ग्रुप II	4,410-8,175	3/2	5/2	2/0	6,293	4.30	0
34	जैक हैमर आपरेटर	3,675-6,780	5/3	10/0	5/0	5,228	8.89	0
35	लैब सहायक (रसायन)	3,980-7,475	3/2	5/0	2/0	5,728	3.89	0
36	मैकेनिक I/मैकेनिक फोरमैन	4,720-9,040	4/2	8/2	4/0	6,880	9.38	0

37	माली/अकुशल माली	3,000-5,270	28/15	29/11	1/0	4,135	1.41	0
38	मिक्सर आपरेटर	3,675-6,780	1/1	5/1	4/0	5,228	7.11	0
39	पैकर	3,000-5,270	1/1	3/1	2/0	4,135	2.82	0
40	पम्प मैकेनिक	4,410-8,175	1/1	3/1	2/0	6,293	4.30	0
41	सिक्योरिटी कुक	3,675-6,780	5/3	6/3	1/0	5,228	1.78	0
42	सर्वे फोरमैन ग्रेड II	4,720-9,040	4/2	9/2	5/0	6,880	11.72	0
43	टेलीफोन आपरेटर	4,410-8,175	5/3	11/0	6/0	6,293	12.90	0
44	टाईम कीपर	3,980-7,475	5/3	6/3	1/0	5,728	1.94	0
45	सहायक सर्वेयर	4,720-9,040	5/3	6/3	1/0	6,880	2.34	0
46	वियरर	3,000-5,270	9/5	10/2	1/0	4,135	1.41	0
47	डिश वाशर	3,000-5,270	7/4	8/1	1/0	4,135	1.41	0
48	ड्रिल मैन/ड्रिलर	3,980-7,475	1/1	2/1	1/0	5,728	1.94	0
49	मिड वाईफ	3,200-5,960	3/2	4/0	1/0	4,580	1.56	0
50	पम्प आपरेटर I	3,980-7,475	5/3	6/2	1/0	5,728	1.94	0
51	रोड रोलर आपरेटर/चालक	3,980-7,475	2/1	3/1	1/0	5,728	1.94	0
52	स्वीपर	3,000-5,270	144/78	149/57	5/0	4,135	7.04	0
53	वेल्डर ग्रुप I	4,720-9,040	39/21	41/10	2/0	6,880	4.69	0
54	क्लेम सहायक	4,720-9,040	0	1/0	1/0	6,880	2.34	0
55	इलैक्ट्रिशियन ग्रुप I	4,720-9,040	0	2/0	2/0	6,880	4.69	0
56	फैरी बॉय	3,000-5,270	0	5/0	5/0	4,135	7.04	0
57	फिटर कम कारपेंटर	3,980-7,475	0	1/0	1/0	5,728	1.94	0
58	मैंकेनिक ग्रुप II	4,410-8,175	0	5/0	5/0	6,293	10.75	0
59	सर्विस मैन	3,980-7,475	0	3/0	3/0	5,728	5.83	0
60	व. केवल जाईन्टर	5,020-9,745	0	1/0	1/0	7,383	2.51	0
61	सहायक ड्रिलर	3,675-6,780	0	1/0	1/0	5,228	1.78	0
62	आटो इलैक्ट्रिशियन I	4,720-9,040	0	1/0	1/0	6,880	2.34	0
63	बर्दमा आपरेटर	3,980-7,475	30/16	24/23	0/7	5,728	0	21.42
64	इलैक्ट्रीकल ऑपरेटर	4,720-9,040	26/14	21/18	0/4	6,880	0	14.76
65	मसलची	3,000-5,270	2/1	1/2	0/1	4,135	0	2.22
66	नाईट गार्ड	3,000-5,270	6/3	2/4	0/1	4,135	0	2.22
67	पम्प अटैन्डेंट	3,675-6,780	12/6	11/9	0/3	5,228	0	8.40
68	एस. बी. ओ. ग्रुप I	3,980-7,475	646/349	638/359	0/10	5,728	0	30.60
69	एस. बी. ओ. ग्रुप II	3,675-6,780	1081/584	932/713	0/129	5,228	0	361.10
70	टंकण कम लिपिक	3,980-7,475	178/96	174/108	0/12	5,728	0	36.72
71	अकुशल खलासी	3,000-5,270	9061/4893	7263/5289	0/396	4,135	0	877.56
72	व. पी. ए.	6,200-11,050	17/9	14/11	0/2	8,525	0	8.52
73	प्राईवेट सचिव	6,825-13,175	10/5	8/11	0/6	10,000	0	31.91
74	अनुभाग अधिकारी (बोर्ड)	6,200-11,050	42/23	42/30	0/7	8,625	0	72.44
	योग				**394/797**		**791.24**	**2,159.62**

योग = (791.24 लाख + 2159.62 लाख) = 2950.86 लाख या 29.51 करोड़ रुपये

परिशिष्ट–37

(कंडिका 4.5.15 से संदर्भित)

आंतरिक अंकेक्षण स्कंध में मानव बल की स्थिति दर्शाती विवरणी

पदनाम	1 अप्रैल 1999		1 अप्रैल 2000		1 अप्रैल 2001		1 अप्रैल 2002		1 अप्रैल 2003	
	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल
वित्त नियंत्रक (लेखापरीक्षा)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
निदेशक (लेखापरीक्षा)	x	x	x	x	1	x	1	x	1	1
उप–निदेशक (लेखापरीक्षा)	3	2	3	2	2	2	2	1	2	x
लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा)	6	4	6	3	4	3	4	3	4	3
लेखाकार / वरीय लेखापरीक्षक	35	14	35	13	35	11	35	6	35	3
सहायक लेखाकार / लेखापरीक्षक	41	36	41	43	41	61	41	39	41	35
कनिष्ठ लेखा लिपिक / कनिष्ठ लेखापरीक्षक	20	7	20	4	20	1	20	2	20	1
योग	**106**	**64**	**106**	**66**	**104**	**79**	**104**	**52**	**104**	**44**

परिशिष्ट–38
(4.5.15 से संदर्भित)

आंतरिक अंकेक्षण द्वारा बनाए गये एवं किए गए अंकेक्षण कार्यक्रमों की विवरणी

क्रम सं.	वर्ष	इकाईयों की संख्या	अंकेक्षण कार्यक्रमों की संख्या		वास्तविक		किये गये विशेष अंकेक्षणों की कुल संख्या
			इकाई	%	इकाई	%	
1	1999-2000	163	98	60	49	50	7
2	2000-01	163	92	56	61	66	11
3	2001-02	98	74	76	62	84	9
4	2002-03	98	65	66	36	55	11
5	2003-04	98	45	46	16	36	4
	योग	**620**	**374**	**60**	**224**	**60**	**42**

परिशिष्ट–39

(कंडिका 4.5.16 से संदर्भित)

आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत विवरणी

क्रम संख्या	वर्ष	कुल आ. अ. प्र.	आ. अ. प्र. उपलब्ध	आ. अ. प्र. अनुपलब्ध
1	1999-2000	245	226	19
2	2000-01	96	77	19
3	2001-02	29	20	9
4	2002-03	56	39	17
5	2003-04	15	9	6
	योग	**441**	**371**	**70**

परिशिष्ट–40

(कंडिका 4.5.16 से संदर्भित)

आंतरिक अंकेक्षण द्वारा सुझाई गई वसूली एवं वसूली की गई राशि की विवरणी

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	आंतरिक अंकेक्षण द्वारा प्रस्तावित वसूली	वास्तविक वसूली की गई राशि	वसूली की प्रतिशतता	वसूली से बच गई राशि
1	1999-2000	31.32	0.92	2.93	30.40
2	2000-01	14.69	0.34	2.31	14.35
3	2001-02	8.59	0.08	0.93	8.51
4	2002-03	19.39	0.12	0.62	19.27
5	2003-04	2.51	Rs.400/-	0.00	2.51
	Total	**76.50**	**1.46**		**75.04**

परिशिष्ट–41

(कंडिका 4.5.16 से संदर्भित)

आंतरिक अंकेक्षण द्वारा प्रतिवेदित कालातीत दावों की विवरणी

(रुपये में)

क्रम सं.	प्रमण्डल का नाम	आ. अ. प्र. संख्या	सकल राशि	वसूली राशि	बकाया राशि
1	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बिहारशरीफ (श.)	105/99-2000	23,03,795.93	शून्य	23,03,795.93
2	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, एकंगरसराय	361/99-2000	11,99,084.99	शून्य	11,99,084.99
3	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आरा (श.)	178/99-2000	4,68,030.38	शून्य	4,68,030.38
4	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आरा	383/99-2000	17,01,945.46	शून्य	17,01,945.46
5	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बक्सर	58/2000-01	13,43,622.38	शून्य	13,43,622.38
6	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बिहटा	122/2000-01	26,08,022.83	शून्य	26,08,022.83
7	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, खगौल	17/2002-03	29,91,439.41	शून्य	29,91,439.41
8	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, आरा (ग्रा.)	/2002-03	67,60,919.11	शून्य	67,60,919.11
9	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बिहारशरीफ (ग्रा.)	/2002-03	82,10,947.10	शून्य	82,10,947.10
10	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गुलजारबाग, पटना	212/99-2000	1,42,001.00	शून्य	1,42,001.00
11	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, राजेन्द्रनगर	178/99-2000	2,52,927.00	शून्य	2,52,927.00
12	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दानापुर (पेसू)	169/99-2000	4,07,214.40	शून्य	4,07,214.40
13	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गर्दनीबाग	211/99-2000	17,36,976.96	शून्य	17,36,976.96
14	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नूतन राजधानी (पेसू)	68/99-2000	8,46,759.89	शून्य	8,46,759.89
15	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कंकड़बाग	116/2000-01	91,19,357.00	शून्य	91,19,357.00
16	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पटना सिटी	73/2000-01	5,74,819.32	शून्य	5,74,819.32
17	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बाँकीपुर	86/2000-01	51,55,545.00	1,75,298.00	49,80,247.00
18	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गुलजारबाग	72/2000-01	25,63,792.62	शून्य	25,63,792.62
19	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दानापुर	71/2000-01	51,50,814.45	शून्य	51,50,814.45
20	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दानापुर	87/2000-01	2,40,930.12	शून्य	2,40,930.12
21	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दानापुर	133/2000-01	39,56,100.85	शून्य	39,56,100.85
22	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पाटलीपुत्र	992000-01/	14,83,890.56	शून्य	14,83,890.56
23	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नूतन राजधानी	64/2000-01	40,48,855.35	शून्य	40,48,855.35
24	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नूतन राजधानी	65/2000-01	71,18,954.44	14,84,472.00	56,34,482.44

25	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दानापुर	5/2001-02	9,99,970.01	शून्य	9,99,970.01
26	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पाटलीपुत्र	7/2001-02	20,89,054.71	शून्य	20,89,054.71
27	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, डाकबंगला	11/2001-02	50,94,417.74	शून्य	50,94,417.74
28	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, डाकबंगला	10/2001-02	147,01,343.70	शून्य	147,01,343.70
29	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, राजेन्द्र नगर	54/2002-03	3,89,390.51	शून्य	3,89,390.51
30	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, डाकबंगला	131/2000-01	74,44,252.34	शून्य	74,44,252.34
31	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पूर्णियाँ	375/99-2000	624,985.29	शून्य	624,985.29
32	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, खगड़िया	381/99-2000	288,153.38	शून्य	288,153.38
33	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पूर्णियाँ अंचल	18/2000-01	114,94,560.40	शून्य	114,94,560.40
34	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पूर्णियाँ प्रमण्डल	8/2000-01	4,45,126.27	शून्य	4,45,126.27
35	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पूर्णियाँ प्रमण्डल	32/2000-01	2,64,631.80	शून्य	2,64,631.80
36	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, फारबिसगंज	36/2000-01	3,36,883.89	शून्य	3,36,883.89
37	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कटिहार	33/2000-01	21,65,376.25	शून्य	21,65,376.25
38	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, किशनगंज	34/2000-01	10,08,088.80	शून्य	10,08,088.80
39	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सहरसा	31/2000-01	868,729.24	शून्य	868,729.24
40	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सुपौल	119/2000-01	2,98,317.37	शून्य	2,98,317.37
41	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बीरपुर	35/2000-01	59,27,104.09	शून्य	59,27,104.09
42	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पूर्णियाँ अंचल	21/2002-03	92,69,657.14	शून्य	92,69,657.14
43	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पूर्णियाँ अंचल (एच.टी.)	17/2002-03	701,14,195.00	शून्य	701,14,195.00
44	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, खगौल	24/2002-03	85,74,386.27	शून्य	85,74,386.27
45	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बीरपुर	22/2002-03	23,50,450.21	शून्य	23,50,450.21
46	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, पूर्णियाँ	8/2003-04	58,57,146.07	शून्य	58,57,146.07
47	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, कटिहार	9/2003-04	939,617.46	शून्य	939,617.46
48	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सहरसा	11/2003-04	586,037.45	शून्य	586,037.45
49	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधेपुरा	5/2003-04	688,905.93	शून्य	688,905.93
50	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा (ग्रा.)	54/99-2000	596,162.08	शून्य	596,162.08
51	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दलसिंगसराय	330/99-2000	15,82,504.93	शून्य	15,82,504.93
52	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दलसिंगसराय	335/99-2000	20,21,334.08	शून्य	20,21,334.08
53	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधुबनी	349/99-2000	62,62,410.93	शून्य	62,62,410.93
54	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मधुबनी	324/99-2000	22,90,979.95	शून्य	22,90,979.95

55	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दलसिंगसराय	124/99-2000	43,46,078.00	शून्य	43,46,078.00
56	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा	4/2001-02	421,972.80	शून्य	421,972.80
57	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, झंझारपुर	51/2002-03	769,363.03	शून्य	769,363.03
58	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बरौनी	18/2002-03	28,14,913.73	शून्य	28,14,913.73
59	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, समस्तीपुर	9/2002-03	23,34,394.42	शून्य	23,34,394.42
60	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा	106/2000-01	144,39,083.70	शून्य	144,39,083.70
61	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, दरभंगा	139/2000-01	961,138.62	शून्य	961,138.62
62	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जमुई	40/99-2000	15,46,042.95	शून्य	15,46,042.95
63	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भागलपुर (ग्रा.)	139/99-2000	688,457.22	शून्य	688,457.22
64	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भागलपुर (ग्रा.)	300/99-2000	18,15,146.69	शून्य	18,15,146.69
65	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मुंगेर	13/99-2000	23,32,233.99	शून्य	23,32,233.99
66	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, लक्खीसराय	27/2001-02	38,95,202.00	शून्य	38,95,202.00
67	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, भभुआ	379/99-2000	41,49,250.59	शून्य	41,49,250.59
68	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बिक्रमगंज	52/2000-01	485,480.50	शून्य	485,480.50
69	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बिक्रमगंज	12/2002-03	42,31,755.31	शून्य	42,31,755.31
70	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर अंचल	84/2000-01	764,066.00	शून्य	764,066.00
71	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर (पू.)	83/2000-01	14,94,459.10	शून्य	14,94,459.10
72	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर (प.)	3/2002-03	81,96,769.50	शून्य	81,96,769.50
73	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर (श.)	102/99-2000	51,35,083.96	शून्य	51,35,083.96
74	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, हाजीपुर	8/2002-03	138,94,806.64	8,91,461.18	1,30,03,345.46
75	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, छपरा (प.)	69/99-2000	37,12,168.50	शून्य	37,12,168.50
76	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, छपरा (प.)	32/2002-03	26,61,010.00	शून्य	26,61,010.00
77	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, छपरा (पू.)	285/99-2000	510,369.14	शून्य	510,369.14
78	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, छपरा (पू.)	8/99-2000	15,89,027.45	शून्य	15,89,027.45
79	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, छपरा (पू.)	33/2002-03	8,50,473.13	शून्य	8,50,473.13
80	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल	5/99-2000	602,018.17	50,704.00	5,51,314.17
81	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गोपालगंज (प.)	351/99-2000	238,954.07	शून्य	शून्य
82	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सिवान (पू.)	12/2003-04	84,22,064.16	शून्य	शून्य
83	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सिवान (पू.)	42/99-2000	82,12,641.73	शून्य	शून्य
84	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मोतीहारी (द.)	35/2002-03	684,226.87	शून्य	शून्य

85	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, मोतीहारी (द)	22/2000-01	880,368.99	शून्य	शून्य
86	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, रक्सौल	113/2000-01	1169,451.99	शून्य	शून्य
87	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, रक्सौल	56/2002-03	695,141.78	शून्य	शून्य
88	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, रक्सौल	27/99-2000	39,85,615.09	शून्य	शून्य
89	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बेतिया	382/99-2000	885,550.76	शून्य	शून्य
90	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद	147/99-2000	22,59,989.82	शून्य	शून्य
91	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नवादा	352/99-2000	22,34,741.19	शून्य	शून्य
92	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नवादा (पू.)	28/2000-01	14,58,314.00	शून्य	शून्य
93	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, जहानाबाद	62/2000-01	41,49,947.92	शून्य	शून्य
94	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गया (श.)	42/2002-03	676,498.00	शून्य	शून्य
95	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, शेरघाटी	39/2002-03	15,63,908.83	शून्य	शून्य
96	विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गया (पू.)	23/2002-03	134,33,184.80	शून्य	शून्य
			37,15,52,284.98	**26,01,935.18**	**36,89,50,349.80**

परिशिष्ट–42
(कंडिका 4.10 से संदर्भित)

विभागावार बकाया जाँच प्रतिवेदनों (जा. प्र.) की विवरणी

क्रम सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या	बकाया जाँच प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया कंडिकाओं की संख्या	वर्ष से कंडिकायें बकाया हैं
1.	उद्योग	28	146	734	1990-91
2.	वन एवं पर्यावरण	3	50	311	1990-91
3.	कृषि	3	40	227	1990-91
4.	उर्जा	3	1122	5435	अनुपलब्ध
5.	पशुपालन	2	15	56	1990-91
6.	जल संसाधन	2	9	54	1990-91
7.	ईख	1	28	198	1990-91
8.	खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य	1	81	497	1990-91
9.	पर्यटन	1	17	97	1990-91
10.	मानव संसाधन विकास	1	5	13	1990-91
11.	सड़क निर्माण	1	37	197	1990-91
12.	गृह	1	11	38	1990-91
13.	कल्याण	2	5	42	1990-91
14.	पंचायती राज	1	4	7	1990-91
15.	खनन् एवं भूगर्भ	1	27	129	1990-91
16.	लघु सिंचाई	1	6	33	1990-91
17	परिवहन	1	58	382	1990-91
18.	सहकारिता	1	15	62	1990-91
	योग	**54**	**1676**	**8512**	

परिशिष्ट–43

(कंडिका 4.10 से संदर्भित)

विभागावार प्रारूप कंडिकायें/समीक्षायें, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं

क्रम सं.	विभाग का नाम	प्रारूप कंडिकाओं की संख्या	समीक्षाओं की संख्या	निगर्मन का समय
1.	उर्जा	5	1	3/04 से 7/04
2.	उद्योग	1	1	7/04 से 8/04
3.	पर्यटन	-	1	8/04
4.	खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति	1	--	8/04
5.	कल्याण	1	--	3/04
6.	पर्यटन, कृषि, खनन् एवं भूगर्भ, लघु सिंचाई एवं जल संसाधन	1	--	6/04